

वित्त विधेयक, 2021

(लोक सभा में 1 फरवरी, 2021 को पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2021

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष-कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 9क का संशोधन ।
5. धारा 10 का संशोधन ।
6. धारा 11 का संशोधन ।
7. धारा 32 का संशोधन ।
8. धारा 36 का संशोधन ।
9. धारा 43ख का संशोधन ।
10. धारा 43गक का संशोधन ।
11. धारा 44कख का संशोधन ।
12. धारा 44कघक का संशोधन ।
13. धारा 44घख का संशोधन ।
14. धारा 45 का संशोधन ।
15. धारा 47 का संशोधन ।
16. धारा 48 का संशोधन ।

17. धारा 49 का संशोधन ।
18. धारा 50 का संशोधन ।
19. धारा 54छक का संशोधन ।
20. धारा 55 का संशोधन ।
21. धारा 56 का संशोधन ।
22. धारा 72क का संशोधन ।
23. धारा 79 का संशोधन ।
24. धारा 80डडक का संशोधन ।
25. धारा 80झकग का संशोधन ।
26. धारा 80झखक का संशोधन ।
27. धारा 80ठक का संशोधन ।
28. नई धारा 89क का अंतःस्थापन ।
29. धारा 112क का संशोधन ।
30. धारा 115कघ का संशोधन ।
31. धारा 115जख का संशोधन ।
32. धारा 139 का संशोधन ।
33. धारा 142 का संशोधन ।
34. धारा 143 का संशोधन ।
35. धारा 147 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
36. धारा 148 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
37. नई धारा 148क का अंतःस्थापन ।
38. धारा 149 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
39. धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
40. धारा 151क का संशोधन ।
41. धारा 153 का संशोधन ।
42. धारा 153क का संशोधन ।
43. धारा 153ग का संशोधन ।
44. धारा 194 का संशोधन ।

45. धारा 194क का संशोधन ।
46. धारा 194झख का संशोधन ।
47. नई धारा 194त का अंतःस्थापन ।
48. नई धारा 194थ का अंतःस्थापन ।
49. धारा 196घ का संशोधन ।
50. धारा 206कक का संशोधन ।
51. नई धारा 206कख का अंतःस्थापन ।
52. नई धारा 206गगक का अंतःस्थापन ।
53. धारा 234ग का संशोधन ।
54. धारा 245क का संशोधन ।
55. नई धारा 245कक का अंतःस्थापन ।
56. धारा 245ख का संशोधन ।
57. नई धारा 245खग का अंतःस्थापन ।
58. नई धारा 245खघ का अंतःस्थापन ।
59. धारा 245ग का संशोधन ।
60. धारा 245घ का संशोधन ।
61. धारा 245घघ का संशोधन ।
62. धारा 245च का संशोधन ।
63. धारा 245छ का संशोधन ।
64. धारा 245ज का संशोधन ।
65. नई धारा 245ड का अंतःस्थापन ।
66. नए अध्याय 19कक का अंतःस्थापन ।
67. धारा 245ढ का संशोधन ।
68. धारा 245ण का संशोधन ।
69. नई धारा 245णख का अंतःस्थापन ।
70. धारा 245त का संशोधन ।
71. नई धारा 245थ का अंतःस्थापन ।
72. नई धारा 245द का अंतःस्थापन ।

73. धारा 245ध का संशोधन ।
74. धारा 245न का संशोधन ।
75. धारा 245प का संशोधन ।
76. धारा 245फ का संशोधन ।
77. नई धारा 245ब का अंतःस्थापन ।
78. धारा 255 का संशोधन ।
79. धारा 281ख का संशोधन ।

अध्याय 4

प्रत्यक्ष-कर

सीमाशुल्क

80. धारा 2 का संशोधन ।
81. धारा 5 का संशोधन ।
82. धारा 25 का संशोधन ।
83. नई धारा 28खख का अंतःस्थापन ।
84. धारा 46 का संशोधन ।
85. धारा 110 का संशोधन ।
86. धारा 113 का संशोधन ।
87. नई धारा 114कग का अंतःस्थापन ।
88. धारा 139 का संशोधन ।
89. धारा 149 का संशोधन ।
90. धारा 153 का संशोधन ।
91. नई धारा 154ग का अंतःस्थापन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

92. धारा 8ख का संशोधन ।
93. धारा 9 का संशोधन ।
94. धारा 9क का संशोधन ।
95. पहली अनुसूची का संशोधन ।

उत्पाद-शुल्क

96. चौथी अनुसूची का संशोधन ।
97. चौथी अनुसूची के अध्याय 27 का संशोधन ।
98. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 144 की धारा 3ग के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों को प्रभावी करने वाली पुनरीक्षित तारीख ।

केंद्रीय माल और सेवाकर

99. धारा 7 का संशोधन ।
100. धारा 16 का संशोधन ।
101. धारा 35 का संशोधन ।
102. नई धारा 44 का अंतःस्थापन ।
103. धारा 50 का संशोधन ।
104. धारा 74 का संशोधन ।
105. धारा 75 का संशोधन ।
106. धारा 83 का संशोधन ।
107. धारा 107 का संशोधन ।
108. धारा 129 का संशोधन ।
109. धारा 130 का संशोधन ।
110. नई धारा 151 का अंतःस्थापन ।
111. धारा 152 का संशोधन ।
112. धारा 168 का संशोधन ।
113. अनुसूची 2 का संशोधन ।

एकीकृत माल और सेवाकर

114. धारा 16 का संशोधन ।

अध्याय 5

कृषि अवसंरचना और विकास उपकर

115. आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ।
116. उत्पाद- शुल्कय माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 का संशोधन

117. नई धारा 8छ का अंतःस्थापन ।

भाग 2

भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का संशोधन

118. 1950 के अधिनियम सं0 49 का संशोधन ।

भाग 3

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का संशोधन

119. इस भाग का प्रारंभ ।

120. धारा 2 का संशोधन ।

121. धारा 4 का प्रतिस्थापन ।

122. धारा 5 का प्रतिस्थापन ।

123. धारा 19 का प्रतिस्थापन ।

124. धारा 20 का प्रतिस्थापन ।

125. धारा 22 का संशोधन ।

126. नई धारा 23क का अंतःस्थापन ।

127. धारा 24 का प्रतिस्थापन ।

128. धारा 25 का प्रतिस्थापन ।

129. धारा 26 का संशोधन ।

130. धारा 27 का संशोधन ।

131. धारा 28 का संशोधन ।

132. धारा 28क का संशोधन ।

133. धारा 28ख और धारा 28ग का अंतःस्थापन ।

134. धारा 46 और धारा 47 का प्रतिस्थापन ।

135. धारा 48 का संशोधन ।

136. धारा 49 का संशोधन ।
137. धारा 50 और धारा 51 का अंतःस्थापन ।

भाग 4

प्रतिभूति संविदा अधिनियम (विनियमन), 1956 का संशोधन

138. इस भाग का प्रारंभ ।
139. धारा 2 का संशोधन ।
140. धारा 30ख का अंतःस्थापन ।

भाग 5

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, का संशोधन 1956

141. 1956 के अधिनियम सं. 74 का संशोधन ।

भाग 6

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 ,का संशोधन

142. इस भाग का प्रारंभ ।
143. धारा 2 का संशोधन ।
144. धारा 7 का प्रतिस्थापन ।
145. धारा 8 से धारा 17 का लोप ।
146. धारा 26 का संशोधन ।
147. धारा 68 का संशोधन ।

भाग 7

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

148. 1992 के अधिनियम 15 का संशोधन ।

भाग 8

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

149. 1993 के अधिनियम 51 का संशोधन ।

भाग 9

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

150. सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 10

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
अधिनियम, 2002 का संशोधन

151. 2002 के अधिनियम सं0 54 का संशोधन ।

भाग 11

औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 का संशोधन

152. इस भाग का प्रारंभ ।

153. धारा 3 का संशोधन ।

भाग 12

वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

154. इस भाग का प्रारंभ ।

155. धारा 97 का संशोधन ।

156. धारा 98 का संशोधन ।

157. धारा 100 का संशोधन ।

158. धारा 101 का संशोधन ।

भाग 13

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

159. 2016 के अधिनियम संख्यांक 28 का संशोधन ।

भाग 14

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 का संशोधन

160. 2020 के अधिनियम संख्यांक 3 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवीं अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

सातवीं अनुसूची ।

लोक सभा में 1 फरवरी, 2021 को पुरःस्थापित रूप में

2021 का विधेयक संख्यांक 15

[दि फाइनेंस बिल, 2021 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2021

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2021
है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके
सिवाय,-

(क) धारा 2 से धारा तक 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त
होगी ;

(ख) धारा से धारा और धारा, उस तारीख को
प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत
करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते
हुए, 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-
कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया
जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से,
परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

आय-कर ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा

क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,--

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ड, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,--

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत

की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,--

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाए ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख

के अधीन कर से प्रभार्य हैं, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, सिवाए ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप

में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से

परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (ख) या धारा 115थक या धारा 115थख या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 196, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,--

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,--

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,--

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,--

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़

रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन

संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर”, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ड, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,--

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, जहां,--

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है, जहां,--

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और

उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,--

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख

रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय

हैं और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा ‘क’ लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल

यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपास करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों

को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,--

(i) खंड (11) के उपखंड (ख) में, “उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं” शब्दों के पश्चात्, “जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं” शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (14) के उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(ग) कोई यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवा परंतुक उसे लागू होता है ।”;

(iii) खंड (19कक) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 6—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का पृथक कंपनियों में पुनःसंरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनःसंरचना या विभाजन निर्विलीन कंपनी की किसी आस्ति को परिणामी कंपनी में अंतरित करने के लिए किया गया है और परिणामी कंपनी,--

(i) ऐसी स्कीम में उपदर्शित नियत दिन को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 या इस निमित्त ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को शासित करने

वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जाए ; और

(ii) ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करती है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं ;”;

(iv) खंड (29क) को उसके खंड (29कक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (29कक) के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(29क) किसी व्यक्ति के संबंध में “ऐसे कर के लिए दायी” से अभिप्रेत है कि किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर दायित्व है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई मामला भी सम्मिलित होगा, जहां कर दायित्व के अधिरोपण के पश्चात्, छूट का उपबंध किया गया है ।’;

(v) खंड (42ग) में,--

(I) “प्रतिफल के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप अंतरण” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिफल के लिए किसी भी माध्यम से अंतरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “अंतरण” का वही अर्थ होगा, जो उसका खंड (47) में है ;”;

(vi) खंड (48) में, 1 अप्रैल, 2022 से,--

(I) उपखंड (क) में, “अवसंरचना पूंजी निधि” शब्दों के पश्चात्, “या अवसंरचना ऋण निधि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (ख) में, “अवसंरचना पूंजी निधि” शब्दों के पश्चात्, “या अवसंरचना ऋण निधि” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(III) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 2--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अवसंरचना ऋण निधि” पद से धारा 10 के खंड (47) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है ।’।

धारा 9क का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9क में, 1 अप्रैल, 2022 से, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(8क) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) या उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक या अधिक शर्त किसी पात्र विनिधान निधि को और उसके पात्र निधि प्रबंधक को उस समय लागू नहीं होगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि ऐसा पात्र निधि प्रबंधक धारा 80ठक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व प्रचालन आरंभ किया है ।”।

धारा 10 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,

(क) 1 अप्रैल, 2022 से,--

(i) खंड (4घ) में,--

(I) “किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है”, शब्दों के पश्चात् “या, यथास्थिति, किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग के संबंध में व्युत्पन्न” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण में,--

(अ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(कक) “अपतटीय बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” से धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित अनिवासी की बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग अभिप्रेत है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है ;’;

(आ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ग) "विनिर्दिष्ट निधि" से,--

(i) किसी न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में भारत में स्थापित या निगमित निधि अभिप्रेत है,--

(I) किसी प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है ;

(II) जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है ; और

(III) जिसकी सभी यूनिटों को किसी प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा धारण की गई यूनिट से भिन्न अनिवासियों द्वारा धारण किया जाता है ; या

(ii) किसी अपतटीय बैंकारी यूनिट का विनिधान प्रभाग, जिसे,--

(I) जिसे प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और उसको भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान

निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित किया जाता है या जिसमें 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है ; और

(II) ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जिसके अंतर्गत उसके विनिधान प्रभाग के लिए पृथक् लेखाओं को रखना सम्मिलित है, जैसा कि विहित किया जाए ।

(ii) खंड (4घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(4ड) किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ की गई अग्रिम संविदा में अपरिदेय अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को उद्भूत या हुई या प्राप्त कोई आय जिसे धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र से लिया गया है जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है जो विहित की जाए;

(4च) किसी पूर्व वर्ष में किसी वायुयान को पट्टे पर देने के स्वामिस्व के माध्यम से अनिवासी की कोई आय जिसको धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट द्वारा संदत्त किया गया है, यदि यूनिट--

(i) उस पूर्व वर्ष के लिए उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है ; और

(ii) 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व अपने प्रचालन आरंभ कर देती है ।”;

(ख) खंड (5) में,--

(i) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यष्टि द्वारा प्राप्त या उसको प्राप्य किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले में मूल्य को भी ऐसी शर्तों को, जो विहित की जाए, पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुए इस खंड के अधीन छूट प्रदान की जाएगी (जिसके अंतर्गत ऐसी

अवधि के भीतर ऐसे व्यय की ऐसी रकम उपगत करने की शर्त भी है।”;

(ii) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 2-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई व्यष्टि छूट का दावा करता है और विहित व्यय के संबंध में दूसरे परंतुक के अधीन छूट अनुज्ञात की जाती है, तो किसी अन्य व्यष्टि को ऐसे विहित व्यय के संबंध में इस खंड के अधीन कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।”;

(ग) खंड (10घ) में,--

(i) तीसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में, यदि ऐसी पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय प्रीमियम की रकम दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, लागू नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि यदि व्यक्ति द्वारा प्रीमियम 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी एक से अधिक यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के लिए संदेय है तो इस खंड के उपबंध उन यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों के संबंध में ही लागू होंगे, जिसके प्रीमियम की कुल रकम इनमें से किन्हीं पालिसियों की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में चौथे परन्तुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है :

परन्तु यह भी कि चौथे और पांचवे परन्तुक के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह भी कि यदि इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और इस परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों तथा निर्धारित पर आबद्धकर होगा।”

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” से कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जिसमें विनिधान और बीमा, दोनों के घटक हैं और वह बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 के विनियम 3 के खंड (डड) में यथा परिभाषित यूनिट से संबद्ध है।”

1938 का 4

1999 का 41

(घ) 1 अप्रैल, 2022 से,--

(i) खंड (11) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु इस खंड के उपबंध किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान उद्भूत ब्याज आय को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वह आय उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित है और जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए ;”

(ii) खंड (12) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु इस खंड के उपबंध, किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज के माध्यम से उद्भूत आय को, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वह आय उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित है, जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए ;”

(iii) खंड (23ग) में,--

(I) उपखंड (iii)कघ) में, “यदि ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं हैं” शब्दों के स्थान पर, “यदि किसी व्यक्ति की ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं से कुल वार्षिक प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (iii)कड) में,--

(अ) “यदि ऐसे अस्पताल या संस्था की कुल वार्षिक प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियों की रकम से, जो विहित की जाएं, अधिक नहीं हैं” शब्दों के स्थान पर, “यदि किसी व्यक्ति की ऐसे अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से कुल वार्षिक प्राप्तियां पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं” शब्द रखे जाएंगे ;”

(आ) उपखंड (iii)कड) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण—उपखंड (iii)कघ) और उपखंड (iii)कड) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उपखंड (iii)कघ) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं से और साथ ही उपखंड (iii)कड) में यथा निर्दिष्ट अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से कोई प्राप्तियां हैं तो इन खंडों के अधीन उपबंधित छूट उस समय लागू नहीं होगी, यदि ऐसे व्यक्ति की ऐसे विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं या अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से वार्षिक प्राप्तियों का कुल योग पांच करोड़ रुपए से अधिक है ; या” ;

(III) तीसरे परंतुक में,--

(अ) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में, “आय सम्मिलित नहीं होगी” शब्दों के पश्चात्, “इस शर्त के अधीन कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे कार्पस के लिए निर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में विनिधानित या जमा किया जाएगा” शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(आ) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 2--इस परंतुक के अधीन उपयोजन की रकम को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में यथा निर्दिष्ट कार्पस से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए किए गए

उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय के उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा :

परंतु इस प्रकार यथा अनुयोज्य ना मानी गई रकम या उसके किसी भाग को, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें ऐसी रकम या उसके किसी भाग को उस वर्ष की आय से ऐसे कार्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में वापस विनिधानित या जमा किया जाता है और इस प्रकार जमा किए जाने की सीमा तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ; और

(ii) किसी ऋण या उधार से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए किए गए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय के उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा :

परंतु इस प्रकार यथा अनुयोज्य ना मानी गई रकम या उसके किसी भाग को, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें ऋण या उधार या उसके किसी भाग को उस वर्ष की आय से प्रति संदत्त किया जाता है और इस प्रकार प्रति संदत्त किए जाने की सीमा तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :”;

(IV) चौदहवें परंतुक में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “या धारा 12कख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(V) उन्नीसवें परंतुक के पश्चात् स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 2--इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित या संचयित किए जाने के लिए अपेक्षित आय की संगणना करते समय पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती किसी वर्ष के किसी आधिक्य उपयोजन के प्रति कोई मुजरा या कटौती या मोक को गणना में नहीं लिया जाएगा ;”;

(ड) खंड (23चड) में,--

(अ) उपखंड (iii) में,-

(i) मद (ग) में,-

(I) “सौ प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “न्यूनतम पचास प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) “या निकाय” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट कोई अवसंरचना विनिधान न्यास ; या” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) मद (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(घ) 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् गठित और रजिस्ट्रीकृत देशी कंपनी, जिसे विशेष रूप से इस खंड के अधीन छूट के लिए पात्र विनिधान करने के प्रयोजन के लिए विरचित किया गया है और जिसका न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत विनिधान मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में है ; या

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं0 आरबीआई/2009-10/316 के अधीन परिभाषित “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, जो किसी अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है” या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र - “अवसंरचना ऋण निधि- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011” के अधीन परिभाषित “अवसंरचना ऋण निधि-गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी”, जिसका न्यूनतम नब्बे प्रतिशत विनिधान मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में है ; या

(आ) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट श्रेणी-1 या श्रेणी-2 में वैकल्पिक विनिधान निधि में उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में या उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान निधि में सौ प्रतिशत से कम विनिधान किया है, ऐसे विनिधान के मद्दे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उद्भूत या हुई या प्राप्त आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, की संगणना उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या

निकायों या उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान निधि में किए गए विनिधान के अनुपात में उस रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए :

परंतु यह भी कि उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देशी कंपनी की दशा में, उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम विनिधान किया है, ऐसे विनिधानों के मद्दे, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत या हुई या प्राप्त आय इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, की संगणना उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में किए गए विनिधान के अनुपात में उस रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए :

परंतु यह भी कि उपखंड (iii) की मद (ड) में निर्दिष्ट अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी, या अवसंरचना ऋण निधि गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी ने उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में सौ प्रतिशत से कम विनिधान किया है, ऐसे विनिधान के मद्दे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्भूत या हुई या प्राप्त आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, की संगणना उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट कंपनियों या उद्यमों या निकायों में किए गए विनिधान के अनुपात में ऐसी रीति में की जाएगी जो विहित की जाए :

परंतु यह भी कि स्वयंभू धन निधि या पेंशन निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में विनिधान करने के लिए ऋण या उधार हैं, तो ऐसी निधि को इस खंड के अधीन छूट का पात्र नहीं समझा जाएगा।”;

(इ) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में,-

(i) खंड (ख) में,--

(I) उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के उपखंड भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार देने हेतु उधारकर्ताओं या विनिधानकर्ताओं को किए गए किसी संदाय को लागू नहीं होंगे ;”;

(II) उपखंड (v) में, “भारत में या उसके बाहर कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप करता है” शब्दों के स्थान पर, “वह विनिधानकर्ता के

दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं माना जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ;”;

(ii) खंड (ग) में,--

(I) उपखंड (ii) में, “दायी नहीं है” शब्दों के पश्चात् “या यदि कर का दायी है तो उसकी सभी आय के लिए कर से छूट का ऐसे दूसरे देश द्वारा उपबंध किया गया है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (iii) में, “जो विहित किया जाए ; और” शब्दों के स्थान पर “जो विहित किया जाए ;” शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(iii)क) वह विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेता है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं नहीं माना जाएगा ; और”;

(ई) स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(i) “विनिधान प्राप्तकर्ता” से उपखंड (iii) की मद (ड) में निर्दिष्ट कोई कारबार न्यास या कंपनी या उद्यम या निकाय या श्रेणी -1 या श्रेणी- 2 वैकल्पिक विनिधान निधि या कोई अवसंरचना विनिधान न्यास या देशी कंपनी या अवसंरचना वित्तीय कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि अभिप्रेत है जिसमें, यथास्थिति, स्वयंभू धन निधि या पेंशन निधि ने इस खंड के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान किया है ;

(ii) “ऋण और उधार” से,--

(क) किसी स्वयंभू धन निधि द्वारा लिया गया ऋण या उधार या किसी स्वयंभू धन निधि में उस देश की सरकार, जिसमें स्वयंभू निधि स्थापित की गई है, से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, किया

गया निक्षेप या विनिधान अभिप्रेत है ;

(ख) किसी पेंशन निधि व्यक्ति से लिया गया ऋण या लिया गया उधार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी पेंशन निधि में किया गया विनिधान अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत कोई ऐसा निक्षेप या विनिधान सम्मिलित नहीं है जो एक या अधिक निधियों की कानूनी बाध्यताओं और या सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, निःशक्तता, मृत्यु फायदों या, यथास्थिति, सहभागियों या ऐसी निधियों या योजनाओं के फायदाग्राहियों को वैसे ही किसी प्रतिकर के लिए सी योजना का उपबंध करने के लिए परिभाषित अंशदान का प्रतिनिधित्व करता है ।

स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार यह विहित कर सकेगी कि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट “पचास प्रतिशत” या मद (घ) में निर्दिष्ट “पचहत्तर प्रतिशत” या मद (ङ) में निर्दिष्ट “नब्बे प्रतिशत” की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ;;

(III) खंड (23चड) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2022 से, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(23चच) पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की कोई आय जो किसी अनिवासी को उद्भूत होती है या उसके द्वारा प्राप्त की जाती है जो भारत में निवासी किसी कंपनी के शेयरों को परिणामी निधि में अंतरण के मद्दे प्राप्त होती है और जहां ऐसे शेयरों को मूल निधि से परिणामी निधि में पुनःस्थापन में अंतरित किया जाता है, यदि ऐसे शेयरों पर पूंजी अभिलाभ कर से प्रभार्य नहीं था यदि ऐसा पुनःस्थापन नहीं हुआ होता ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए “मूल निधि”, “पुनःस्थापन” और “परिणामी निधि” का वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उनका धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) में है ;;

(छ) खंड (50) में,--

(I) “2021” अंकों के स्थान पर, “2020” अंक रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड में निर्दिष्ट आय में, ऐसी आय, जो धारा 90 या धारा 90क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करार के साथ पठित इस अधिनियम के अधीन भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए

स्वामिस्व या फीस के रूप में कर से प्रभार्य है, सम्मिलित नहीं होगी और न ही कभी सम्मिलित समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

2016 का 28 (i) “ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाएं” का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 164 के खंड (गख) में उसका है ;

2016 का 28 (ii) “विनिर्दिष्ट सेवा” का वही अर्थ होगा, जो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 164 के खंड (i) में उनका है ।’।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 अप्रैल, 2022 से,—

धारा 11 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में, “संस्था” शब्द के स्थान पर, “संस्था, जिसे ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय प्रदान किए गए हैं, का ऐसे समग्र निधि के लिए विशिष्ट रूप से रखे गए उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूपों या ढंगों से विनिधान किया जाता है या जमा किया जाता है” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 4—खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उपयोजन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए,—

(i) इस उपधारा के खंड (घ) में यथा निर्दिष्ट समग्र निधि से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा :

परंतु इस प्रकार उपयोजन के रूप में न समझी गई रकम या उसके भाग को पूर्ववर्ष में, जिसमें रकम या उसके भाग को ऐसी समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरक्षित उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूपों या ढंगों में उस वर्ष की आय से ऐसे जमा किए जाने के विस्तार तक पुनः विनिधान किया जाता है या जमा किया जाता है, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ; और

(ii) किसी ऋण या उधार से पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा :

परंतु इस प्रकार उपयोजन के रूप में न समझी गई रकम या

उसके भाग को उस पूर्ववर्ष में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए, जिसमें ऋण या उधार या उसके भाग को उस वर्ष की आय से पुनः संदत्त किया गया है, ऐसे पुनर्संदाय के विस्तार तक, उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 5—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचित किए जाने के लिए अपेक्षित आय की संगणना पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती किसी भी वर्ष में किसी आधिक्य उपयोजन के किसी मुजरा या कटौती या मोक के बिना की जाएगी ।”;

(ख) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात् “या धारा 12कख” शब्द अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के खंड (घ) में, “12कक” अंकों और अक्षरों के पश्चात् “या धारा 12कख” शब्द अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 32 का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ii) में, “अमूर्त आस्तियां हैं” शब्दों के पश्चात्, “जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं और जो” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 3 के खंड (ख) में, “या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं” शब्दों के पश्चात्, “या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं, किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल नहीं हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 36 में, उपधारा (1) के खंड (vक) में स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 43ख के उपबंध इस खंड के अधीन “नियत तारीख” का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होते हैं और यह समझा जाएगा कि वे कभी भी लागू नहीं हुए थे ;”।

धारा 43ख का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 5—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया

जाता है कि इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती द्वारा उसके कर्मचारियों में से ऐसे किसी कर्मचारी, जिसे धारा 2 के खंड 24 के उपखंड (x) के उपबंध लागू होते हैं, से प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे और यह समझा जाएगा कि वे कभी भी लागू नहीं हुए थे ।”।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक में,—

धारा 43गक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि किसी आस्ति के अंतरण की दशा में, जो एक आवासीय इकाई है, इस परंतुक के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो “एक सौ दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “एक सौ बीस प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हैं, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :—

(i) ऐसी आवासीय इकाई का अंतरण 12 नवंबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किया जाता है ;

(ii) ऐसा अंतरण किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई के प्रथम बार आबंटन के माध्यम से किया जाता है ; और

(iii) ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।”;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “आवासीय इकाई” से भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से पृथक् आवास, खाना पकाने का स्थान और स्वच्छता की अपेक्षा के लिए पृथक् सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र आवासन इकाई अभिप्रेत है, जो किसी साझा हाल-रास्ते में बाहरी दरवाजे से या साझा हाल-रास्ते में भीतरी दरवाजे के माध्यम से सीधे पहुंच योग्य हो और जहां दूसरे गृह के आवास स्थान के माध्यम से चलकर सीधे न पहुंचा जा सके ।”।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के खंड (क) के परंतुक में, “पांच करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दस करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 44कख का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघक की उपधारा (1) में, “ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो कोई सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2

धारा 44कघक का संशोधन ।

की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई भागीदारी फर्म है, जो भारत” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 44घख का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 44घख में,--

(क) उपधारा (3) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक को” शब्दों के स्थान पर, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक या किसी संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी को” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “या किसी संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में,--

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(गक) “बैंककारी कंपनी” का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ;

1949 का 10

(ii) खंड (घ) में, “जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन” शब्दों के स्थान पर, “जिसमें किसी सहकारी बैंक का समामेलन या पुनर्विलयन या किसी प्राथमिक सहकारी बैंक का संपरिवर्तन” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

‘(ङक) “संपरिवर्तन” से किसी प्राथमिक सहकारी बैंक का तारीख 27 सितंबर, 2018 के परिपत्र (संख्या डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19) द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय रिजर्व बैंक की किसी स्कीम के अधीन किसी बैंककारी कंपनी में परिवर्तन अभिप्रेत है ;

(ङख) “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” से किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप सृजित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है ;;

(iv) खंड (ज) में, “पुनर्विलयित सहकारी बैंक” शब्दों के स्थान पर, “पुनर्विलयित सहकारी बैंक या कोई प्राथमिक सहकारी बैंक, जो किसी संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप उसका

उत्तरवर्ती बना है," शब्द रखे जाएंगे ;

(v) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(जक) "प्राथमिक सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगफ) में उसका है ।'

1949 का 10

14. आय-कर अधिनियम की धारा 45 में,--

धारा 45 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है, के अंतर्गत कोई राशि प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित कोई राशि भी है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी राशि की प्राप्ति से उदभूत होने वाला कोई लाभ या अभिलाभ "पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा और उसे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा, जिसमें उसे यह राशि प्राप्त हुई थी और कराधेय आय की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।';

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

'(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के विघटन या पुनर्गठन के समय किसी पूँजी आस्ति को पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त करता है जो विघटन या पुनर्गठन के समय ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखाबहियों में उसके पूँजी खाते में अतिशेष को व्यपदिष्ट करती है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसी पूँजी आस्ति की प्राप्ति से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ "पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होंगे और उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी पूँजी आस्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में समझी जाएगी और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी,--

(क) ऐसी प्राप्ति की तारीख को पूँजी आस्ति का उचित बाजार

मूल्य, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ; और

(ख) पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी :

परंतु विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में अतिशेष को, किसी आस्ति के पुनःमूल्यांकन या स्व-सृजित गुडविल या किसी अन्य स्व-सृजित आस्ति के कारण विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में वृद्धि को हिसाब में लिए बिना संगणित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) “विनिर्दिष्ट अस्तित्व” से कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम या व्यष्टियों का निकाय (जो कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) अभिप्रेत है ;

(ii) “स्व-सृजित गुडविल” और “स्व-सृजित आस्ति” से, यथास्थिति, ऐसी गुडविल या आस्ति अभिप्रेत है, जिसे क्रय के लिए कोई खर्च उपगत किए बिना अर्जित किया गया है या जिसे कारबार या वृत्ति के अनुक्रम के दौरान सृजित किया गया है ;

(iii) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी पूर्ववर्ष में, किसी फर्म का भागीदार है या व्यक्तियों के अन्य संगम या व्यष्टियों के निकाय (जो कंपनी या सहकारी सोसाइटी नहीं है) का सदस्य है ।

(4क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति विनिर्दिष्ट अस्तित्व के विघटन या पुनर्गठन के समय पूर्ववर्ष के दौरान कोई धन या अन्य आस्ति प्राप्त करता है, जो विघटन या पुनर्गठन के समय ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखाबहियों में उसके पूंजी खाते में अतिशेष से अधिक है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसे धन या अन्य आस्ति की प्राप्ति से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा धन या अन्य आस्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में समझी जाएगी और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसी प्राप्ति की तारीख को किसी धन का मूल्य या अन्य आस्ति का उचित बाजार मूल्य, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण के

परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ;
और

(ख) विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में अतिशेष को, उसके विघटन या पुनर्गठन के समय अर्जन की लागत के रूप में समझा जाएगा :

परंतु विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में अतिशेष को, किसी आस्ति के पुनःमूल्यांकन या स्व-सृजित गुडविल या किसी अन्य स्व-सृजित आस्ति के कारण विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में वृद्धि को हिसाब में लिए बिना संगणित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, “विनिर्दिष्ट अस्तित्व”, “स्व-सृजित गुडविल”, “स्व-सृजित आस्ति” और “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उपधारा (4) में उनका है ।’।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,—

धारा 47 का
संशोधन ।

(क) खंड (viगक) में, “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (viगख) में,—

(i) “उत्तराधिकारी सहकारी बैंक” शब्दों के पश्चात्, “या संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, ‘प्रयोजनों के लिए, “कारबार पुनर्गठन”, “पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक” और’ शब्दों के स्थान पर, ‘प्रयोजनों के लिए, “कारबार पुनर्गठन”, “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी”, “पूर्वाधिकारी सहकारी बैंक” और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (viiकख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2022 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(viiकग) मूल निधि द्वारा किसी पूंजी आस्ति की किसी पुनःस्थापन में पारिणामिक निधि को अंतरण ;

(viiकघ) किसी शेयर धारक या यूनिट धारक या किसी हित धारक द्वारा किसी पुनःस्थापन में किसी पूंजी आस्ति, जो उसके द्वारा मूल निधि में धारित शेयर या यूनिट या हित है, पारिणामिक निधि में शेयर या यूनिट या हित के प्रतिफल के लिए कोई अंतरण ;

स्पष्टीकरण—खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के प्रयोजनों के

लिए,--

(क) "मूल निधि" से भारत से बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी निधि अभिप्रेत है, जो अपने सदस्यों से निधियों को, उनके फायदे हेतु विनिधान के लिए एकत्रित करती है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :--

(i) निधि, भारत में निवासी कोई व्यक्ति नहीं है ;

(ii) निधि किसी ऐसे देश या ऐसे किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की निवासी है, जिसके साथ धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) के अधीन कोई करार किया गया है ; या उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;

(iii) निधि और उसके क्रियाकलाप उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, जहां उसे स्थापित या निगमित किया गया है या जहां की वह निवासी है, लागू विनिधानकर्ता संरक्षण विनियमों के अध्याधीन हैं ; और

(iv) निधि ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ;

(ख) "पुनःस्थापन" से 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व मूल निधि से किसी पारिणामिक निधि को आस्तियों का अंतरण अभिप्रेत है, जहां ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल को मूल निधि में शेयर धारकों या यूनिट धारकों या हित धारकों को पारिणामिक निधि में उसी अनुपात में, जिसमें ऐसे शेयर धारकों या यूनिट धारकों या हित धारकों द्वारा मूल निधि में शेयर या यूनिट या हित को धारण किया जा रहा था, शेयर या यूनिट या हितों के रूप में उन्मोचित किया गया है ;

(ग) "पारिणामिक निधि" से भारत में किसी न्यास या कंपनी या कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में स्थापित या निगमित निधि अभिप्रेत है,--

(i) जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 या प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान

निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित है ; और

(ii) जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है ;।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

धारा 48 का संशोधन ।

“(iii) धारा 45 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अस्तित्व की दशा में, धारा 45 की उपधारा (4क) के अधीन में ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की कुल आय में सम्मिलित की गई रकम, जिसकी संगणना पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप विहित रीति में की गई मानी जा सकती है ।”।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ड) में, “खंड (viगग) या” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “या (viगग) या खंड (viiकग) या खंड (viiकघ) या” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2022 से रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 50 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 50 का संशोधन ।

“परंतु उस दशा में, जहां किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आस्ति समूह का भाग बनती है और अधिनियम के अधीन निर्धारिती द्वारा उस पर अवक्षयण अभिप्रास किया गया है, वहां उस आस्ति समूह और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाएगा ।”।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 54छख की उपधारा (5) के परंतुक में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 54छख का संशोधन ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 55 का संशोधन ।

“(क) किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल या किसी कारबार से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है या किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण करने का अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति को चलाने का अधिकार है या कोई अभिधारण अधिकार या किसी मंजिली गाड़ी के परमिट या करघा घंटे हैं,--

(i) ऐसी आस्ति के निर्धारिती द्वारा किसी पूर्वतन स्वामी से

क्रय के द्वारा अर्जन की दशा में, क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ;
और

(ii) धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अधीन आने वाले मामलों की दशा में और जहां आस्ति का अर्जन पूर्वतर स्वामी (जैसा कि उस धारा में परिभाषित किया गया है) द्वारा क्रय करके किया गया था, वहां ऐसे पूर्वतर स्वामी के लिए क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ; और

(iii) किसी अन्य दशा में, उसे शून्य के रूप में माना जाएगा :

परंतु जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल है, जिसके संबंध में धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अभिप्रास की गई है, वहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंध इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अभिप्रास की गई अवक्षयण की कुल रकम को क्रय कीमत की रकम से घटा दिया जाएगा ;”।

धारा 56 का
संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) में,--

(क) तीसरे परंतुक के पश्चात्, उपखंड (ख) की मद (आ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि धारा 43क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट की गई संपत्ति की दशा में, मद (आ) की उपमद (ii) के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ;”;

(ख) परंतुक के खंड (IX) में, “खंड (vii) या” शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “या खंड (viiकग) या खंड (viiकघ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 72क का
संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(ग) एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों के साथ एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां ; या

(घ) एक या अधिक कंपनी या कंपनियों के साथ कोई तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी, यदि सामरिक विनिवेश के अधीन किया गया शेयर क्रय करार उक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी के तुरंत समामेलन को निर्बंधित करता है और समामेलन उस पूर्व वर्ष, जिसमें शेयर क्रय करार में समामेलन पर निर्बंधन समाप्त होता है, के अंत से पांच वर्ष के भीतर किया जाता है”;

(ii) दीर्घ पंक्ति के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु खंड (घ) में निर्दिष्ट समामेलन की दशा में, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण, जिसे, यथास्थिति, हानि या समामेलित कंपनी का शेष अवक्षयण के लिए मोक समझा गया है, उस तारीख तक जिसको पब्लिक सेक्टर कंपनी सामरिक विनिवेश के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--खंड (घ) के प्रयोजन के लिए,--

(i) “नियंत्रण” का वही अर्थ होगा, जो उसका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड (27) में है ;

(ii) “तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जो पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में पब्लिक सेक्टर कंपनी भी और सरकार द्वारा सामरिक विनिवेश के माध्यम से पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह गई है ;

(iii) “सामरिक विनिवेश” से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में शेयर धृति का ऐसा विक्रय अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाती है और नियंत्रण क्रेता को अंतरित हो जाता है ।’।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2022 से, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) किसी कंपनी को इस परिमाण तक कि शेयर धृति में परिवर्तन पूर्व वर्ष के दौरान धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड

(viiकघ) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट पुनःस्थापन के मद्दे होता है।”।

धारा 80डडक का संशोधन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80डडक की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 अप्रैल, 2022 से, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80झखक का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक में, 1 अप्रैल, 2022 से,--

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(1क) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, जो किराया आवासन परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न हुए हैं, वहां ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।”;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, “2021” अंकों के स्थान पर, “2022” अंक रखे जाएंगे ।

(ग) उपधारा (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(घक) “किराया आवासन परियोजना” से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले इस खंड के अधीन राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों को पूरा करती है ;’।

धारा 80ठक का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक में, 1 अप्रैल, 2022 से,--

(i) उपधारा (1क) में, “या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी” शब्दों के स्थान पर, “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अनुमति या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया था” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(घ) किसी आस्ति के अंतरण से उदभूत होने वाली, जो कोई वायुयान या वायुयान का ईजन है, जिसे खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी यूनिट द्वारा ऐसे अंतरण से पूर्व इस शर्त के अधीन

रहते हुए कि ऐसे यूनिट ने 31 मार्च, 2024 से पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है, वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी देशी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था,;

(iii) उपधारा (3) में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

1949 का 10

“(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त की गई अनुमति की एक प्रति या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अभिप्राप्त अनुमति या रजिस्ट्रीकरण की प्रति,।”

2019 का 50

28. आय-कर अधिनियम की 89 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 89क का अंतःस्थापन ।

‘89क. जहां किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास किसी विनिर्दिष्ट खाते में उदभूत आय है, तो ऐसी आय पर ऐसी रीति में और उस वर्ष के लिए, जो विहित किया जाए, कर लगाया जाएगा ।

किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए खाते से आय में कराधान से राहत ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से भारत में ऐसा निवासी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी अधिसूचित देश में, भारत में अनिवासी और उस देश में निवासी होते हुए, कोई विनिर्दिष्ट खाता खोला है ;

(ख) “विनिर्दिष्ट खाता” से ऐसा कोई खाता अभिप्रेत है, जो किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित देश में अपने सेवानिवृत्ति फायदों के संबंध में बनाए रखा गया है और ऐसे खाते से आय प्रोदभवमान आधार पर कराधेय नहीं है किंतु उस पर ऐसे देश द्वारा निकासी या मोचन के समय कर लगाया जाता है ।

(ग) “अधिसूचित देश” से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।’।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 112क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, “धारा 10 के खंड (23घ)” शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “या किसी बीमा कंपनी की किसी स्कीम के अधीन, जो धारा 2 के खंड (47क) के अधीन यथा परिभाषित यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी है” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 112क का संशोधन ।

धारा 115कघ
का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ में, 1 अप्रैल, 2022 से,--

(i) उपधारा (1) में,--

(क) “विनिर्दिष्ट निधि” शब्दों के पश्चात् “या किसी अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (i) की उपमद (आ) में, “विनिर्दिष्ट निधि” शब्दों के पश्चात् “या किसी अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपतट बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग की दशा में इस धारा के उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट ऐसी बैंककारी यूनिटों के विनिधान प्रभाग के कारण हुई है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता विनियम, 2019) के अधीन प्रवर्ग 3 पोर्टफोलियो वाला विनिधानकर्ता है और जिसे विहित रीति में संगणित किया गया है ।”;

1992 का 15

(iii) उपधारा (2) में,--

(क) “विनिर्दिष्ट निधि” शब्दों के पश्चात् “या किसी अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, “विनिर्दिष्ट निधि” शब्दों के पश्चात् “या किसी अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(कक) “अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में उसका है ।”।

धारा 115जख
का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,--

(क) स्पष्टीकरण 1 में,--

(i) खंड (चख) के उपखंड (आ) के, “प्रभार्य ब्याज, स्वामिस्व” शब्दों के स्थान पर, “प्रभार्य ब्याज, लाभान्श, स्वामिस्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में खंड (iiघ) के उपखंड (आ) के, “प्रभार्य ब्याज, स्वामिस्व” शब्दों के स्थान पर, “प्रभार्य ब्याज, लाभान्श, स्वामिस्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2ग) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2घ) किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो कोई कंपनी है और जहां निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार के मद्दे या धारा 92गड के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित द्वितीय समायोजन के मद्दे बही लाभ में किसी पूर्व वर्ष या बही लाभ में सम्मिलित वर्षों की आय के कारण पूर्व वर्ष में कोई वृद्धि हुई है, वहां निर्धारण अधिकारी उसे निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर पूर्व वर्ष या वर्षों के बही लाभ और निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान संदेय कर, यदि कोई हो, की पुनः संगणना ऐसी रीति में करेगा, जिसे विहित किया जाए और धारा 154 के उपबंध यथा शक्य रूप से लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि को उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना में लिया जाएगा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को उक्त आवेदन प्राप्त होता है ।”।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2021 से,--

धारा 139 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में,--

(i) खंड (क) के उपखंड (iii) में, “अपेक्षित है” शब्दों के पश्चात् “, और भागीदार का पति या पत्नी सम्मिलित होगा, यदि धारा 5क के उपबंध उन्हें लागू होते हैं” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (कक) में, “अपेक्षित है,” शब्दों के पश्चात् “जिसके अंतर्गत ऐसे निर्धारिती होने पर फर्म के भागीदार भी हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, “निर्धारण वर्ष के अंत के” शब्दों के पश्चात् “तीन मास” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में, “निर्धारण वर्ष के अंत के” शब्दों के पश्चात् “तीन मास” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि स्पष्टीकरण के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तें निर्धारितियों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होंगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

धारा 142 का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) में विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के अधीन सूचना, विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा भी तामील की जा सकेगी,”।

धारा 143 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “नौ मास” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में,--

(I) उपखंड (iv) में “व्यय की नामंजूरी किन्तु” शब्दों के स्थान पर “व्यय की नामंजूरी या आय में वृद्धि किन्तु” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (v) में “धारा 10कक, धारा 80झक, धारा 80झकख, धारा 80झख, धारा 80झग, धारा 80झघ या धारा 80झड के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 10कक के अधीन या ‘ग--कतिपय आयों की कटौतियां’ शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के परंतुक में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 147 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 147 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

निर्धारण से छूट गई आय ।

“147. यदि, किसी निर्धारिती की दशा में, किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है, तो निर्धारण

अधिकारी, धारा 148 से धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे निर्धारण वर्ष (जिसे इस धारा और निर्दिष्ट धारा 148 से धारा 153 में इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण या हानि की पुनः गणना या अवक्षयण मोक या किसी अन्य मोक या कटौती की पुनः गणना कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे मुद्दे के संबंध में आय, जो निर्धारण से छूट गई है और ऐसा मुद्दा इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके पश्चात् उसके ध्यान में आता है तो इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसे मुद्दों के संबंध में धारा 148क के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, वह उसका निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा ।”।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 148 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 148 के
स्थान पर नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।

“148. धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना करने से पूर्व और धारा 148क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी धारा 148क के खंड (घ) के अधीन उससे ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विहित की जाए, पारित आदेश के साथ एक सूचना की तामील निर्धारिती को करेगा, यदि अपेक्षित हो, उसकी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी, जिसके संबंध में वह सुसंगत निर्धारण वर्ष से तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगा ; और इस अधिनियम के उपबंध जहां तक संभव हो तदनुसार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो :

परंतु इस धारा के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना हो, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर से प्रभार्य आय किसी निर्धारिती की दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए छूट गई है और निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से जारी की जाने वाली ऐसी सूचना जारी करने का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया गया है ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी के पास सूचना, जिससे यह प्रतीत होता हो कि कर

से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से-

(i) समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार निर्धारण वर्ष से सुसंगत निर्धारिती की दशा में पताकाकृत कोई सूचना अभिप्रेत है ;

(ii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इस प्रभाव का किया गया कोई अंतिम आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां,-

(i) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अध्यपेक्षा की गई है ; या

(ii) निर्धारिती की दशा में धारा 133क के अधीन कोई सर्वेक्षण संचालित किया गया है ; या

(iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या

(iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अभिग्रहण या अध्यपेक्षा की गई लेखा बहियां या दस्तावेज, उनमें अंतर्विष्ट किसी सूचना का है, जो निर्धारिती से संबंधित है,

यह समझा जाएगा कि निर्धारण अधिकारी के पास सूचना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती की दशा में पूर्व वर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई या सर्वेक्षण संचालित किया गया है, या धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियां या दस्तावेजों का किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व तीन निर्धारण वर्षों के लिए कर से प्रभार्य आय निर्धारण से रह गई है ।”

स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।”।

नई धारा 148क का अंतःस्थापन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 148 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करना, अवसर प्रदान करना।

“148क. निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व,—

(क) ऐसी सूचना के संबंध में कि कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से कोई जांच, यदि अपेक्षित हो, करेगा ;

(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस तामील करके, उसे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो सात दिन से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीस दिन से अधिक की नहीं होगा, ऐसा समय, जो इस निमित्त किसी आवेदन के आधार पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जिसका परिणाम खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई हो, है ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के उत्तर में प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(घ) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती का उत्तर भी है, यह विनिश्चय करेगा कि क्या उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जहां उस मास, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय या बढ़ाया गया समय समाप्त हो जाता है, के अंत से एक मास के भीतर ऐसा उत्तर प्राप्त नहीं होता है एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से आदेश पारित करके धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं :

परंतु इस धारा के उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहां—

(क) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उससे

पूर्व अध्यपेक्षा की गई ; या

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या

(ग) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई लेखा बही या दस्तावेज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, उसमें अंतर्विष्ट ऐसी सूचना से संबंधित हैं, जिनका संबंध निर्धारिती से है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ।”।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 149 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

“149. (1) धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस समय जारी नहीं की जाएगी,—

(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, यदि वह मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता है ;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष किंतु दस से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हैं, यदि निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या ऐसा साक्ष्य न हो, जो यह प्रकट करता हो कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जिसे आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है और जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक है या होनी संभाव्य है :

परंतु धारा 148 के अधीन 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में किसी समय कोई सूचना उस समय जारी नहीं की जाएगी, यदि ऐसी सूचना इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2021 के आरंभ से ठीक

धारा 149 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
सूचना की समय-सीमा ।

पूर्व विद्यमान थे, के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा समाप्त हो जाने के कारण उस समय जारी नहीं की जा सकती थी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां धारा 153क या धारा 153क के साथ पठित धारा 153ग के अधीन कोई सूचना धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा के संबंध में जारी की जानी अपेक्षित है :

परंतु यह भी कि इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना के अनुसार निर्धारिती को दिया गया समय या उसे अनुज्ञात किया गया कोई विस्तारित समय या वह अवधि, जिसके दौरान धारा 148क के अधीन किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा आस्थगित कर दिया जाता है, गणना में नहीं लिया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां इससे ठीक पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात् निर्धारण अधिकारी को धारा 148क के खंड (घ) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि को सात दिन तक विस्तारित किया जाएगा और उपधारा (1) के अधीन परिसीमा की अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

(2) सूचना जारी करने से संबंधित उपधारा (1) के उपबंध धारा 151 के उपबंधों के अधीन होंगे ।”।

धारा 151 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“151. धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी,-

(i) प्रधान आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष या तीन वर्ष से कम व्यपगत हो गए हैं ;

(ii) प्रधान आय-कर मुख्य आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या जहां कोई प्रधान आय-कर मुख्य आयुक्त या प्रधान

आय-कर महानिदेशक नहीं है, मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर महानिदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक व्यपगत हो गए हैं।”।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 151क की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, “धारा 148 के अधीन सूचना जारी करना” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या जांच संचालित करना या हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करना या धारा 148क के अधीन आदेश पारित करना” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 151क का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 153 का संशोधन।

“परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण के किसी आदेश के संबंध में भी, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों, “इक्कीस मास” शब्दों के स्थान पर “नौ मास” शब्द रख दिए गए थे।”।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 153क की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, “31 मई, 2003 के पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “किन्तु 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 153क का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

धारा 153ग का संशोधन।

“(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 132 के अधीन संस्थित तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।”।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194 के दूसरे परंतुक में खंड (ग) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2020 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से स्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

धारा 194 का संशोधन।

‘(घ) धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोजन एकक द्वारा धारा 2 के खंड (13क) में निर्दिष्ट कोई “कारबार न्यास” ;

(ड) कोई अन्य व्यक्ति, जो इस निमित्त राजपत्र में केंद्रीय

सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।'।

धारा 194क का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में, "पूँजी निधि" शब्दों के पश्चात्, "या अवसंरचना ऋण निधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 194झख का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194झख की उपधारा (4) में, 1 जुलाई, 2021 से, "धारा 206कक के उपबंधों" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 206कक या धारा 206कख के उपबंधों" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 194त का अंतःस्थापन ।

आय-कर अधिनियम में धारा 194ण के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में कर की कटौती ।

'194त. (1) अध्याय 17ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में, विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 6क के अधीन अनुज्ञेय कटौती और धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय रिबेट को प्रभाव देने के पश्चात्, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना करेगा और प्रवृत्त दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) धारा 139 के उपबंध, पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की गई है, विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट बैंक" से ऐसी बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जाए ;

(ख) "विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक"से भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(i) जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय पचहत्तर वर्ष या उससे अधिक आयु का है ;

(ii) जिसकी पेंशन की प्रकृति की आय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा उसी विनिर्दिष्ट बैंक में, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है, रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज की प्रकृति की आय के सिवाय, कोई अन्य आय नहीं है ; और

(iii) जिसने विनिर्दिष्ट बैंक को, ऐसी विशिष्टियों को

अंतर्विष्ट करने वाली, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विनिर्दिष्ट की जाए, कोई घोषणा प्रस्तुत की है ।'।

नई धारा 194थ का अंतःस्थापन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 194त के पश्चात्, 1 जुलाई, 2021 से, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती ।

'194थ. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रेता है और किसी निवासी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विक्रेता कहा गया है) को किसी पूर्ववर्ष में ऐसे किन्हीं मालों के, जिनका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, क्रय के लिए किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को विक्रेता के खाते में जमा किए जाने के समय या किसी अन्य पद्धति से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पचास लाख रुपए से अधिक की राशि पर उसके 0.1 प्रतिशत के बराबर की रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें किन्हीं मालों का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारबार से आवर्त दस करोड़ रुपए से अधिक है और जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन हेतु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करे ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, किसी खाते में जमा की जाती है, चाहे वह खाता ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की खाता बहियों में "उचंत खाता" या किसी अन्य नाम से जात हो, वहां इस प्रकार जमा की गई आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा की गई आय के रूप में समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक दिशानिर्देश, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा वह आय-कर प्राधिकारियों और कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर आबद्धकर

होगा ।

(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी संव्यवहार को लागू नहीं होंगे,--

(क) जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन कर कटौती योग्य है ; और

(ख) जिसके संबंध में धारा 206ग के उपबंधों के अधीन कर संग्रहणीय है और जो ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न है, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है ।'।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 196घ का संशोधन ।

“परंतु जहां धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार ऐसे व्यक्ति को लागू होता है और ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, तब उस पर आय-कर की कटौती बीस प्रतिशत की दर से या ऐसी आय के लिए ऐसे करार में उपबंधित आय-कर की दर या दरों पर, इनमें से जो भी निम्नतर हों, की जाएगी ।”।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (1) में पहले परंतुक के पश्चात् 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 206कक का संशोधन ।

“परंतु यह और कि जहां धारा 194थ के अधीन कर की कटौती की जानी अपेक्षित हैं, खंड (iii) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “पांच प्रतिशत” शब्द रखे दिए गए थे ।”।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक के पश्चात्, 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 206कख का अंतःस्थापन ।

“206कख. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 192, धारा 192क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ठखग या धारा 194ढ से भिन्न, अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा कहा गया है, कटौतीकर्ता है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि या आय या रकम या संदेय या जमा की गई किसी राशि के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है, वहां कर की कटौती ऐसी दर पर की जाएगी, जो

आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध ।

निम्नलिखित दरों में से उच्चतर है, अर्थात् :--

- (i) अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर पर ; या
- (ii) प्रवृत्त दर या दरों की दुगुनी दर पर ; या
- (iii) पांच प्रतिशत की दर पर ।

(2) यदि इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त धारा 206कक के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू हैं तो कर की कटौती इस धारा और धारा 206कक में उपबंधित दोनों दरों में से उच्चतर दर पर की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्व वर्ष से, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और इन दो पूर्व वर्षों में से प्रत्येक में स्रोत पर कटौती किए गए कर और उसकी दशा में स्रोत पर संग्रहित कर का कुल योग पचास हजार रुपए या अधिक है :

परंतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “स्थायी स्थापन” पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है ।”।

नई धारा 206गगक का अंतःस्थापन ।

आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 206गग के पश्चात् 1 जुलाई, 2021 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

‘206गगक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्याय 27खख के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति कहा गया है, जिससे कर का संग्रहण किया गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त किसी राशि या रकम पर स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, वहां कर का संग्रहण ऐसी उच्चतर दर पर किया जाएगा, जो निम्नलिखित दो दरों में से उच्चतर है, अर्थात् :--

- (i) अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी

दर पर ; या

(ii) पांच प्रतिशत की दर पर ।

(2) यदि इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त, धारा 206गग के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू होते हैं तो कर का संग्रहण इस धारा और धारा 206गग में उपबंधित दो दरों में से उच्चतर दर पर किया जाएगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्व वर्ष से, जिसमें कर का संग्रहण अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों दोनों के लिए आय की विवरणियां फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और उसकी दशा में इन दो वर्षों में से प्रत्येक में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर का कुल योग पचास हजार रुपए या उससे अधिक है :

परंतु विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी स्थापन” पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है ।।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग की उपधारा (1) में,--

धारा 234ग का संशोधन ।

(i) पहले परंतुक में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(घ) लाभांश आय की रकम,”;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण 2--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “लाभांश” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 2 के खंड (22) में है, किन्तु इसके अंतर्गत उसका खंड (ड) सम्मिलित नहीं होगा ।।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 245क में, 1 फरवरी, 2021 से,--

धारा 245क का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया

जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(घक) ‘अंतरिम बोर्ड’ से धारा 245कक के अधीन गठित समझौते हेतु अंतरिम बोर्ड अभिप्रेत है ;”;

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

‘(डक) “अंतरिम बोर्ड के सदस्य” से अंतरिम बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(डख) “लंबित आवेदन” से ऐसा कोई आवेदन अभिप्रेत है, जिसे धारा 245ग के अधीन फाइल किया गया था और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :-

(i) उसे धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया था ; और

(ii) ऐसे किसी आवेदन के संबंध में 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ;’ ।

धारा 245कक का अंतःस्थापन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 245क में 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

समझौते के लिए अंतरिम बोर्ड ।

“245कक. (1) केंद्रीय सरकार लंबित आवेदनों के निपटान हेतु एक या अधिक, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अंतरिम बोर्ड का गठन करेगी ।

(2) प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की पंक्ति का अधिकारी होगा, जिन्हें कि बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी बिन्दु पर राय में मतभेद होता है तो ऐसे बिन्दु के संबंध में विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।”।

धारा 245ख का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 245ख की उपधारा (1) में, 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस प्रकार गठित आय-कर समझौता आयोग 1 फरवरी,

2021 को या उसके पश्चात् कार्यकरण करना बंद कर देगा ।”

57. आय-कर अधिनियम की धारा 245खग में 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 245खग
का संशोधन ।

“परंतु उपधारा (1) के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।”।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 245खघ में 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

धारा 245खघ
का संशोधन ।

“परंतु उपधारा (1) के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।”।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (4) में, 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 245ग का
संशोधन ।

“(5) इस धारा के अधीन 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन नहीं किया जाएगा ।”।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में, 1 फरवरी, 2021 से,--

धारा 245घ का
संशोधन ।

(i) उपधारा (2ग) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि जहां किसी आवेदन के संबंध में ऐसा कोई आदेश, जिसे इस उपधारा के अधीन 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व पारित किया जाना अपेक्षित था, 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व पारित नहीं किया गया है, वहां ऐसे आवेदन को विधिमान्य समझा जाएगा ।”;

(ii) उपधारा (6ख) में, “उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा पारित” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपधारा (4) के अधीन पारित” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और उक्त तारीख से रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :--

“(9) 1 फरवरी, 2021 से ही उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (4क), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (6ख) के उपबंध समझौते हेतु अंतरिम बोर्ड को आबंटित लंबित आवेदनों को निम्नलिखित उपांतरणों के साथ लागू होंगे, अर्थात् :-

(i) “समझौता आयोग” शब्दों के, जहां कहीं वे आते हैं, स्थान पर, “अंतरिम बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “न्यायपीठ” शब्द के स्थान पर, “अंतरिम बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 245ड की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख समझा जाएगा, जिसको धारा 245ग के अधीन आवेदन किया गया था तथा उसे अंतरिम बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया था ;

(iv) जहां उपधारा (6ख) के अनुसार किसी आदेश को संशोधित करने या सुधार के लिए कोई आवेदन फाइल करने की समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् समाप्त हो रही है तो परिसीमा की अवधि की संगणना करते समय, 1 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली और उस मास के, जिसमें अंतरिम बोर्ड का गठन किया जाता है, के अंत पर समाप्त होने वाली अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा और जहां ऐसी अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात् अंतरिम बोर्ड के पास आदेश में संशोधन करने या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आवेदक के पास आवेदन फाइल करने के लिए साठ दिन से कम अवधि शेष रहती है तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि को तदनुसार विस्तार किया गया समझा जाएगा ।

(10) 1 फरवरी, 2021 से ही, उपधारा (6क) और उपधारा (7) के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “समझौता आयोग” शब्दों के स्थान पर, “समझौता आयोग या समझौते हेतु अंतरिम बोर्ड” शब्द रख दिए गए हों ।

(11) केंद्रीय सरकार अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के संबंध में समझौते के प्रयोजनों हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के माध्यम से बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके,--

(क) कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रौद्योगिकीय रूप में यथासाध्य सीमा तक अंतरिम बोर्ड और निर्धारिती के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) पैमाने और कार्यकरण संबंधी विशेषज्ञताओं की मितव्ययिता के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके ;

(ग) एक सक्रिय अधिकारिता के साथ किसी तंत्र को प्रारंभ करके ।

(12) केंद्रीय सरकार उपधारा (12) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अंगीकरणों, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, के साथ लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2023 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(13) उपधारा (12) और उपधारा (13) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को, अधिसूचना को जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।'।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 245घघ की उपधारा (2) के पश्चात्, 1 फरवरी, 2021 से, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 245घघ का संशोधन ।

“(3) 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्ति का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।”।

धारा 245च का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 245च की उपधारा (7) के पश्चात्, 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

“(8) 1 फरवरी, 2021 से या उसके पश्चात् इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों और कृत्यों का यथास्थिति, प्रयोग या निर्वहन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।”।

धारा 245छ का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 245छ में, पहले परंतुक के पश्चात्, 1 फरवरी, 2021 से, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और उक्त तारीख से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि 1 फरवरी, 2021 से ही इस धारा के अधीन समझौता आयोग के कृत्यों का निर्वहन अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।”।

धारा 245ज का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (2) के पश्चात्, 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

“(3) 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् इस धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों का प्रयोग अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित अंतरिम बोर्ड को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को लागू होते हैं ।”।

नई धारा 245ड का अंतःस्थापन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 245ठ के पश्चात्, 1 फरवरी, 2021, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और उक्त तारीख से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :--

लंबित आवेदन को वापस लेने का विकल्प ।

“245ड. (1) किसी लंबित आवेदन के संबंध में ऐसे निर्धारिती, जिसने ऐसा आवेदन फाइल किया था, के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसे आवेदन को वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वापस ले सकेगा और वह इस प्रकार आवेदन वापस लिए जाने की संसूचना विहित रीति में निर्धारण अधिकारी को देगा ।

(2) जहां निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर उक्त धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसा लंबित आवेदन अंतरिम बोर्ड द्वारा उस तारीख से प्राप्त कर लिया गया है, जिसको ऐसा आवेदन उपधारा (3) के अधीन अंतरिम बोर्ड को आबंटित या अंतरित किया जाता है ।

(3) बोर्ड, आदेश द्वारा, किसी लंबित आवेदन को किसी अंतरिम बोर्ड को आबंटित कर सकेगा और साथ ही आदेश द्वारा किसी लंबित आवेदन को एक अंतरिम बोर्ड से दूसरे अंतरिम बोर्ड को अंतरित कर सकेगा ।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी अंतरिम बोर्ड को कोई लंबित आवेदन आबंटित किया जाता है या किसी अन्य अंतरिम बोर्ड को तत्पश्चात् अंतरित किया जाता है, वहां समझौता आयोग के पास विद्यमान सभी अभिलेखों, दस्तावेजों या साक्ष्यों, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, को ऐसे अंतरिम बोर्ड को अंतरित किया जाएगा और उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष विद्यमान अभिलेखों के रूप में समझा जाएगा ।

(5) जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करते हुए किसी आवेदन को वापस लेता है वहां ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाहियों का उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन वापस लिया जाता है, उपशमन हो जाएगा और, यथास्थिति, ऐसा निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाहियां लंबित थी, उस मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था :

परंतु धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154 और धारा 155 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण करते समय धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को आवेदन करने की तारीख से ही आरंभ होने वाली और इस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा :

परंतु यह और कि आय-कर प्राधिकारी, समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और अन्य

सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री और अन्य जानकारी या उसके द्वारा की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के संबंध में इस बात पर ध्यान न देते हुए लागू नहीं होगी कि क्या ऐसी सामग्री या अन्य जानकारी या जांच के परिणाम या साक्ष्य को निर्धारित या निर्धारण अधिकारी द्वारा समझौता आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था ।”।

नए अध्याय 19कक का अंतःस्थापन ।

66. आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘अध्याय 19कक

कतिपय मामलों में विवाद समाधान समिति

विवाद समाधान समिति ।

245डक. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के मामले में विवाद समाधान के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एक या अधिक विवाद समाधान समिति, जो आवश्यक हो, गठित करेगी जो उसके मामले में किसी विनिर्दिष्ट आदेश में किसी ऐसे फेरफार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में और जो विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है, इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के लिए ऐसा विकल्प दे सके ।

(2) विवाद समाधान समिति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय किसी शास्ति को कम करने या अधित्यजित करने या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके विवाद का इस अध्याय के अधीन समाधान होता है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के प्रयोजनों के लिए, कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता

और जवाबदेही प्रदान की जा सके--

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक विवाद समाधान कार्रवाईयों के अनुक्रम में विवाद समाधान समिति और निर्धारिती के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करना ;

(ख) पैमाने की मितव्ययिता और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता वाले किसी विवाद समाधान तंत्र का शुभारंभ ।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू नहीं होगा या लागू होगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए :

परंतु 31 मार्च, 2023 के पश्चात्, ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के यथासंभव शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में "विनिर्दिष्ट शर्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों के पूरा करता है, अर्थात्:-

(1) जहां वह ऐसा व्यक्ति नहीं है,-

(अ) जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध का कोई आदेश दिया गया है :

परंतु-

(i) निरोध का ऐसा आदेश, एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व वापस लिया गया है ; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, पर उसे ऐसी समय

की समाप्ति से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस नहीं लिया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, पर उसे ऐसी समय की समाप्ति से पूर्व या ऐसे समय के आधार पर उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस नहीं लिया गया है; या

(iv) निरोध का ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

(आ) ऐसे अभियोजन के संबंध में जिसे भारतीय दंड संहिता, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन किसी दंडनीय अपराध को संस्थित किया गया है और वह उन अधिनियमों में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है;

1860 का 45
1967 का 37
1985 का 61
1988 का 45
1988 का 49
2003 का 15

(इ) ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अभियोजन आरंभ किया गया है या ऐसा व्यक्ति किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध किया गया है;

1860 का 45

(ई) जो विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध का विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित है ;

1992 का 27

(II) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं ।

(ख) “विनिर्दिष्ट आदेश” से ऐसा आदेश अभिप्रेत है, जिसमें ऐसा प्ररूप आदेश सम्मिलित है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और,-

(i) प्रस्तावित फेरफार की कुल राशि या उसे ऐसे क्रम में किया जाएगा जो दस लाख रुपए से अधिक न हो;

(ii) ऐसा आदेश जो धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी पर या निर्धारिती की दशा में धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा या कोई अन्य व्यक्ति या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण या धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना पर आधारित न हो;

(iii) जहां ऐसे आदेश के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल की गई है, ऐसी विवरणी के आधार पर कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक न हो।”।

67. आय--कर अधिनियम की धारा 245ढ में--

धारा 245ढ का संशोधन ।

(i) खंड (ख) के उपखंड (आ), उपखंड (इ) और उपखंड (ई) का उस तारीख से लोप किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ii) खंड (ग) में “प्राधिकरण” शब्द के पश्चात्, “या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(गक) “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 245णख के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड अभिप्रेत है”;

(iv) खंड (च) में, “उपाध्यक्ष” शब्द के पश्चात् “या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड का सदस्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

68. आय--कर अधिनियम की धारा 245ण की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 245ण का संशोधन ।

“परंतु यह और कि इस प्रकार गठित प्राधिकरण ऐसी तारीख से ही प्रचालन में नहीं रहेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए।”।

69. आय--कर अधिनियम की धारा 245णक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 245णख का अंतःस्थापन ।

“**245णख.** (1) केन्द्रीय सरकार, अग्रिम विनिर्णय के लिए ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक या अधिक बोर्ड का गठन करेगी जो इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय लेने के लिए आवश्यक हो।

अग्रिम विनिर्णय बोर्ड ।

(2) अग्रिम विनिर्णय बोर्ड दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की रैंक का अधिकारी होगा, जो बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए।”।

धारा 245त का संशोधन।

70. आय--कर अधिनियम की धारा 245त को उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों।”।

धारा 245थ का संशोधन।

71. आय--कर अधिनियम की धारा 245थ में,--

(क) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के पश्चात्, “या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन” शब्दों का, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लोप किया जाएगा ;

1944 का 1

1994 का 32

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(4) जहां इस धारा के अधीन ऐसी तारीख के पूर्व, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, आवेदन किया गया था किंतु जिसके संबंध में ऐसी तारीख के पूर्व धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या धारा 245द की उपधारा (4) के अधीन कोई अग्रिम विनिर्णय सुनाया नहीं गया है, प्राधिकरण की फाइल पर ऐसा आवेदन सभी सुसंगत अभिलेखों, दस्तावेजों या सामग्री के साथ, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को अंतरित हो जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के समक्ष अभिलेख समझा जाएगा।”।

धारा 245द का संशोधन।

72. आय--कर अधिनियम की धारा 245द में, उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

‘(8) उस तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हो और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों

सहित, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं ।

(9) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करके, एक स्कीम बना सकेगी--

(क) प्रौद्योगिकी रूप से वहनीय सीमा तक कार्रवाईयों के दौरान अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और आवेदक के बीच अंतरापृष्ठ हटाकर ;

(ख) पैमाने की आर्थिकी और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता के साथ प्रणाली आरंभ करके ।

(10) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (9) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(11) उपधारा (9) और उपधारा (10) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।'

73. आय--कर अधिनियम की धारा 245ध में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 245ध का संशोधन ।

“(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी तारीख से ही, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 245ध के अधीन सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय को लागू नहीं होगी ।”;

74. आय--कर अधिनियम की धारा 245न, में,--

धारा 245न का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “उपधारा (6) के अधीन” शब्दों के पश्चात् “उसके द्वारा” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(3) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंधों का वही प्रभाव होगा मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों।”।

धारा 245प का संशोधन।

75. आय--कर अधिनियम की धारा 245प में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(3) ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं।”;

धारा 245फ का संशोधन।

76. आय--कर अधिनियम की धारा 245फ में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी तारीख को या उसके पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, लागू नहीं होगी।”;

नई धारा 245ब का अंतःस्थापन।

77. आय--कर अधिनियम की धारा 245फ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“245ब. (1) आवेदक, यदि वह अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश से व्यथित है या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेश पर निर्धारण अधिकारी ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परंतु आवेदक द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी इस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित था, तो वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय को अपील फाइल करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करके, एक स्कीम बना सकेगी--

(क) पैमाने की मितव्ययता और कार्यात्मक विशेषीकरण

के माध्यम से संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके ;

(ख) गत्यात्मक अधिकारिता के साथ टीम आधारित प्रणाली आरंभ करके ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2023 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।”।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 255 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

धारा 255 का संशोधन ।

“(7) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपील अधिकरण द्वारा अपीलों के निपटारे के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा बृहत दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अपीली कार्यवाहियों के दौरान अपील अधिकरण और अपील के पक्षकारों के बीच अंतरापृष्ठ हटाकर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गत्यात्मक अधिकारिता के साथ एक अपीली प्रणाली आरंभ करके ।

(8) केंद्रीय सरकार, उपधारा (7) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों तथा अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जैसा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु 31 मार्च, 2023 के पश्चात् ऐसा कोई निदेश जारी नहीं

किया जाएगा ।

(9) उपधारा (7) और उपधारा (8) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।”।

धारा 281ख का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख की उपधारा (1) में, “जो निर्धारण से छूट गई है” शब्दों के पश्चात्, “या धारा 271ककघ के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए जहां उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की जाने वाली संभाव्य शास्ति की रकम या कुल रकम दो करोड़ रुपए से अधिक है” शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष-कर

सीमाशुल्क

धारा 2 का संशोधन ।

80. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

1962 का 52

‘(7ख) “सामान्य पोर्टल” से धारा 154ग में निर्दिष्ट सामान्य सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल अभिप्रेत है;’

धारा 5 का संशोधन ।

81. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5 की उपधारा (3) में, “अध्याय 15 और धारा 108” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अध्याय 15, धारा 108 और धारा 110 की उपधारा (1घ)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

82. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(4क) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट इस शर्त के अध्याधीन अनुदत्त की जाती है कि ऐसी छूट ऐसा अनुदत्त किए जाने की तारीख से तुरंत दो वर्ष के पश्चात् 31 मार्च तक वैध होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा जब तक कि अन्यथा उसका विस्तार या विखंडन न कर दिया जाए :

परंतु ऐसी तारीख, जब वित्त विधेयक, 2021 का राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, को प्रवृत्त ऐसी किसी छूट के संबंध में, दो वर्षों की उक्त अवधि की गणना 1 फरवरी, 2021 से की जाएगी ।”।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28खक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“28खख (1) इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही जिसकी परिणिति धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस जारी करने के रूप में होती है वह इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, लेखा परीक्षा, तलाशी, अभिग्रहण या समन प्रारंभ करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरा की जाएगी :

परंतु प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त पर्याप्त हेतुक उपदर्शित करने के पश्चात् और कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त अवधि का एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अवधि की संगणना करने के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अनुदत्त किसी आदेश द्वारा स्थगन अनुदत्त किया गया था या विधिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी विदेश स्थित प्राधिकारी से सूचना की ईप्सा करने की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस तारीख से पूर्व आरंभ की गई ऐसी किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जिसको वित्त अधिनियम, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति की प्राप्त होती है ।”।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) में,-

(i) “आगामी दिवस (अवकाश के दिन को छोड़कर) के अंत से पूर्ववर्ती” शब्दों के स्थान पर “दिन से पूर्ववर्ती (अवकाश के दिन को छोड़कर) दिन के अंत से” शब्द के रखे जाएंगे ;

(ii) “परंतु कोई प्रवेश पत्र” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे मामलों में, बोर्ड, जो वह उचित समझे, प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न समय-सीमाएं विहित कर सकेगा, जो ऐसे आगमन के दिन की समाप्ति से पश्चात् नहीं होंगी :

परंतु यह और कि कोई प्रवेश पत्र’;

(iii) “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ।

85. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1घ) जब उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया माल

नई धारा 28खख का अंतःस्थापन ।

कतिपय कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय सीमा ।

धारा 46 का संशोधन ।

धारा 110 का संशोधन ।

उपधारा (1क) के अधीन यथा अधिसूचित किसी रूप में स्वर्ण है, तब समुचित अधिकारी, मजिस्ट्रेट को उपधारा (1ख) के अधीन कोई आवेदन करने के स्थान पर, आयुक्त (अपील) को ऐसा आवेदन करेगा, जो यथाशीघ्र आवेदन को अनुज्ञात करेगा और तत्पश्चात् समुचित अधिकारी ऐसे माल का केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में निपटान करेगा।”।

धारा 113 का संशोधन।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(जक) सदोष दावा करने के आशय से, इस अधिनियम या किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में छूट के दावे या किसी शुल्क या कर या उद्ग्रहण के प्रतिदाय के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल ;”।

नई धारा 114कग का अंतःस्थापन।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 114कख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

प्रतिदाय का दावा करने के लिए इनपुट कर प्रत्यय के कपटपूर्ण उपयोग के लिए शास्ति।

“114कग. जहां किसी व्यक्ति ने किसी बीजक को कपट, दुस्संधि, जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर ऐसे बीजक के आधार पर इनपुट कर प्रत्यय के कपटपूर्ण उपयोग के आशय से माल, जिन्हें ऐसे शुल्क या कर का प्रतिदाय का दावा करने के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट किया जाता है, पर किसी शुल्क या कर को चुकाने के लिए अभिप्रास किया है तो ऐसा व्यक्ति प्रतिदाय किए गए दावे से पांच गुणा से अनधिक शास्ति का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “इनपुट कर प्रत्यय” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (63) में है।”।

धारा 139 का संशोधन।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 139 के स्पष्टीकरण में, “मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 110 की उपधारा (1ग)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 110 की उपधारा (1ग) के अधीन कोई मजिस्ट्रेट या उपधारा (1घ) के अधीन कोई आयुक्त (अपील)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 149 का संशोधन।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि ऐसा प्राधिकार या संशोधन समुचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा :

परंतु यह भी कि ऐसे संशोधन, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं,

सामान्य पोर्टल पर आयातक या निर्यातक द्वारा किए जा सकेंगे।”।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 153 का संशोधन।

“(गक) उसे सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराकर ;”।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 154ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 154ग का अंतःस्थापन।

“154ग. बोर्ड रजिस्ट्रीकरण, प्रवेश पत्रों, पोत परिवहन बिलों, अन्य दस्तावेजों और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि या तद्दीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विहित अन्य प्ररूपों, फाइल करने के लिए, शुल्क का संदाय करने के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों को सुकर बनाने के लिए सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रानिक पोर्टल के नाम से ज्ञात सामान्य पोर्टल, जैसा कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचित कर सकेगा,।”।

सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रानिक पोर्टल।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

92. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख की उपधारा (6) में,--

धारा 8ख का संशोधन।

(i) खंड (i) में, “यूनिट” शब्द के स्थान पर, “यूनिट, या” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण.— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

1944 का 1

(क) “शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

2005 का 28

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है।”।

93. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में,--

धारा 9 का संशोधन।

(i) उपधारा (1क) में, “ऐसी अन्य वस्तु को भी प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी अन्य वस्तु को भी, ऐसी तारीख से, जो जांच के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वतर नहीं होगी और जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा

विनिर्दिष्ट करे, प्रतिशुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1ख) जहां केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिशुल्क का अवशोषण हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिशुल्क अप्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसे शुल्क को ऐसे अवशोषण के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए ऐसे शुल्क को ऐसी तारीख से, जो ऐसी जांच, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ करने की तारीख से पूर्वतर नहीं हों, उपांतरित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिशुल्क का अवशोषण” हुआ माना जाएगा,—

(क) यदि निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र से आयातित किसी वस्तु की भारत में पुनःविक्रय कीमत में किसी आनुपातिक परिवर्तन के बिना किसी वस्तु की निर्यात कीमत में कमी हुई है ; या

(ख) किन्हीं अन्य ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो नियमों द्वारा विहित की जाए”;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिशुल्क किसी शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम द्वारा या किसी विशेष आर्थिक जोन की किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक,—

(i) वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसी अधिसूचना में या ऐसे उपक्रम या यूनिट को लागू नहीं किया गया हो ; या

(ii) ऐसी वस्तु की उस रूप में देशीय टैरिफ क्षेत्र के लिए निकासी नहीं की गई हो या उसका उपयोग ऐसे किन्हीं मालों के विनिर्माण में किया जाता है, जिनकी निकासी देशीय टैरिफ क्षेत्र के लिए की जाती है, उस दशा में प्रतिशुल्क इस प्रकार निकासी की गई या उपयोग की गई वस्तुओं के उस

भाग पर अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि वह तब लागू था जब उनका भारत में आयात किया गया था ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

1944 का 1

(क) “शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

2005 का 28

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है ।’।

(iv) उपधारा (6) में,—

(क) पहले परंतुक में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष तक” शब्द रखे जाएंगे”;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु भी कि यदि उक्त शुल्क स्थायी रूप से प्रतिसंहत कर दिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।”।

94. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में,—

धारा 9क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1क) में, शब्दों और प्रतीक “ऐसी वस्तु या ऐसे देश से उदभव होने वाली या निर्यातित किसी वस्तु को भी प्रतिपाटन शुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी वस्तु या ऐसे देश से उदभव होने वाली या निर्यातित किसी वस्तु को भी, ऐसी तारीख से, जो जांच के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्वतर नहीं होगी और जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रतिपाटन शुल्क विस्तारित कर सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ; या

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1ख) जहां केंद्रीय सरकार की ऐसी जांच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण हुआ है, जिसके कारण इस प्रकार अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क अप्रभावी हो गया है, वहां वह ऐसे शुल्क को ऐसे अवशोषण के प्रभाव को

निष्प्रभावी करने के लिए ऐसे शुल्क को ऐसी तारीख से, जो ऐसी जांच, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर नहीं हों, उपांतरित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण” हुआ माना जाएगा,—

(क) यदि निर्यातक देश या राज्यक्षेत्र से आयातित ऐसी वस्तु की उत्पादन लागत या भारत से भिन्न देशों को ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत या भारत में पुनःविक्रय कीमत में किसी आनुपातिक परिवर्तन के बिना ऐसी वस्तु की निर्यात कीमत में कमी हुई है ; या

(ख) ऐसी अन्य परिस्थितियों के अधीन, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं ।”;

(iii) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क, किसी शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम द्वारा या किसी विशेष आर्थिक जोन की किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक ”

(i) वह विनिर्दिष्ट रूप से ऐसी अधिसूचना में ऐसे उपक्रम या यूनिट को लागू नहीं किया गया हो ; या

(ii) ऐसी वस्तु की उस रूप में देशीय टैरिफ क्षेत्र के लिए निकासी नहीं की गई हो या उसका उपयोग ऐसे किन्हीं मालों के विनिर्माण में किया जाता है, जिनकी निकासी देशीय टैरिफ क्षेत्र के लिए की जाती है, उस दशा में प्रतिशुल्क इस प्रकार निकासी की गई या उपयोग की गई वस्तुओं के उस भाग पर अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि वह तब लागू था जब उनका भारत में आयात किया गया था ।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) “शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम” पद का वही अर्थ होगा जो उसका केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में है;

(ख) “विशेष आर्थिक जोन” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (यक) में है ।’।

(iv) उपधारा (5) में,--

(क) पहले परंतुक में, “पांच वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष तक” शब्द रखे जाएंगे”;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु भी कि यदि उक्त शुल्क स्थायी रूप से प्रतिसंहत कर दिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।”।

95. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,-

पहली अनुसूची का संशोधन ।

(i) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2021 से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ;

(iii) 1 जनवरी, 2022 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

96. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) में चौथी अनुसूची का,-

चौथी अनुसूची का संशोधन ।

(i) 1 अप्रैल, 2021 से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) 1 जनवरी, 2022 से छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में भी संशोधन किया जाएगा ।

97. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, 1 जनवरी, 2020 से--

चौथी अनुसूची के अध्याय 27 का संशोधन ।

(i) टैरिफ मद 2710 12 49 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “आई एस 17076 मानक के अनुरूप एम15 ईंधन” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2710 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4)

में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% + 15.00 प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2710 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “14% + 15.00 प्रति लीटर” प्रविष्टि रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ग के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों को प्रभावी करने वाली पुनरीक्षित तारीख ।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.978(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2019 के पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना द्वारा उसकी चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में किए गए संशोधन, 1 जनवरी, 2020 से किए गए समझे जाएंगे और सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावी होंगे ।

1944 का 1

केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम

धारा 7 का संशोधन ।

99. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

2017 का 12

“(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति से भिन्न है, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार ;”।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अभिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक् व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

100. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे पूर्तिकार द्वारा बर्हिगामी पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं ।”।

101. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

धारा 35 का संशोधन ।

102. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 44 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“(44) किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा में की कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अधीन हैं, लागू नहीं होगी ।”।

103. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 50 का संशोधन ।

“परंतु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और शोधय तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है ।”।

104. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण (1) के खंड (ii) में, “तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “तो धारा 122 और

धारा 74 का संशोधन ।

धारा 125 के" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 75 का संशोधन ।

105. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 75 में, उपधारा (12) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “स्वनिर्धारित कर” पद में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के व्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ।”।

धारा 83 का संशोधन ।

106. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।”।

धारा 107 का संशोधन ।

107. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी, जब तक शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो ।”।

धारा 129 का संशोधन ।

108. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 129 में,--

(i) उपधारा (1) में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है ;

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो

और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबरक की कोई रकम या पच्चीस हजार रुपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है ;”;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

“(3) माल या वाहनों को निरुद्ध या उनका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, यथास्थिति, निरोध या अभिग्रहण किए जाने के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस की तारीख की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।”;

(iv) उपधारा (4) में, “कर, ब्याज या शास्ति” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ;

(v) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

“(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) में यथाउपबंधित शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जिसे विहित किया जाए, विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति के संदाय पर या एक लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन को निर्मुक्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास की संभावना है, वहां पन्द्रह दिन की उक्त अवधि समुचित अधिकारी द्वारा, ऐसे समय के लिए जो वह ठीक समझे, कम की जा सकेगी।”।

109. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 130 में,--

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए

धारा 130 का संशोधन।

भी यदि कोई” शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, “धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

धारा 151 के स्थान पर,
नई धारा का
प्रतिस्थापन ।

110. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सूचना मांगने की
शक्ति ।

“151. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।”।

धारा 152 का संशोधन
।

111. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 152 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) “कोई व्यष्टिक विवरणी या उसके भाग की” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) “ऐसी सूचना” शब्दों के पश्चात् “संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 168 का संशोधन
।

112. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में,--

(i) “धारा 44 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “धारा 44” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “धारा 151 की उपधारा (1)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

अनुसूची 2 का संशोधन
।

113. केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की अनुसूची 2 में, पैरा 7 का 1 जुलाई, 2017 से लोप किया जाएगा और उक्त तारीख से उसका लोप हुआ समझा जाएगा ।

एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम

धारा 16 का
संशोधन ।

114. एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 16 में,

2017 का 13

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में, “विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को” शब्दों के पश्चात् “प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(3) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो शून्य दर पूर्ति करता है, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 54 या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, बंधपत्र या वचन बंधपत्र के अधीन, एकीकृत कर के संदाय के बिना, माल या सेवाओं के या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा :

परंतु विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने की दशा में, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल की शून्य दर पर पूर्ति करता है, विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेशों की प्राप्ति के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन विहित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर धारा 50 के अधीन लागू ब्याज सहित ऐसा संदत्त प्रतिदाय जमा करने का दायी होगा ।”

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिश पर और ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी,--

(i) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति कर सकेगा और ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ;

(ii) माल या सेवाओं का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेगी और ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा ।”

अध्याय 5

कृषि अवसंरचना और विकास उपकर

115. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक सीमाशुल्क संघ के प्रयोजनों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे माल पर, कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के सुधार के वित्तपोषण के

आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ।

प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर से अनधिक की दर पर, जो भारत में आयात किए जाते हैं, सीमाशुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन उद्गृहीत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ऐसी धनराशियों का उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) जहां ऐसे माल पर उसके मूल्य की किसी प्रतिशतता पर शुल्क उद्गृहणीय है, वहां इस धारा के अधीन कृषि अवसंरचना और विकास उपकर की संगणना करने के लिए ऐसे माल के मूल्य की संगणना वैसी ही रीति में की जाएगी, जैसे कि माल के मूल्य की संगणना सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन सीमाशुल्क के प्रयोजन के लिए की जाती है ।

1962 का 52

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगा ।

1962 का 52

(5) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और तद्दीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत निर्धारण, गैर उद्गृहण, अल्प उद्गृहण, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपील, अपराध और शास्तियों से संबंधित नियम और विनियम भी है, यथाशक्य आयातित माल पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के उद्गृहण और संगृहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियम या विनियम के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्गृहण और संगृहण के संबंध में लागू होते हैं ।

उत्पाद शुल्क्य माल पर
कृषि अवसंरचना और
विकास उपकर ।

116.(1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुसूचित माल कहा गया है), जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर नामक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इस धारा के उपबंधों के अनुसार संघ के प्रयोजनों के लिए कृषि अवसंरचना और अन्य विकास व्यय के सुधार के वित्तपोषण के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन उद्गृहीत कृषि अवसंरचना और विकास उपकर ऐसी धनराशियों का उपयोग कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

1944 का 1

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, जो अनुसूचित माल पर प्रभार्य है, ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा ।

1944 का 1

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और तद्विनियम बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत निर्धारण, गैर उद्ग्रहण, अल्प उद्ग्रहण, प्रतिदाय, छूट, ब्याज, अपील, अपराध और शास्तियों से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, यथाशक्य अनुसूचित माल के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या नियम या विनियम के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

नई धारा 8छ का अंतःस्थापन ।

सरकारी कंपनी के सामरिक विक्रय, विनिवेश आदि का स्टाम्प शुल्क के लिए दायी न होना ।

117. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“8छ. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कंपनी, उसकी समनुषंगी, यूनिट या संयुक्त उपक्रम के कारबार या आस्ति या किसी स्थावर संपत्ति के, सामरिक विक्रय या विनिवेश या निर्विलयन या ठहराव की किसी अन्य स्कीम के माध्यम से केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कंपनी या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को किसी अधिकार के हस्तांतरण या अंतरण के लिए कोई लिखत, इस अधिनियम के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “सरकारी कंपनी” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में उसका है ।

2013 का 18

भाग 2

भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का संशोधन

1950 के अधिनियम

118. भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की

संख्यांक 49 का संशोधन ।

जाएगी, अर्थात् :-

“(3) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, वह राशि जो उपधारा (2) के अधीन भारत की संचित निधि से भारत की आकस्मिकता निधि में संदत्त की जाएगी, बढ़कर तीस हजार करोड़ रुपए हो जाएगी ।”।

भाग 3

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

119. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस भाग के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

1956 का 31

120. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(1क) “संपरीक्षा समिति” से धारा 19ग के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(1ख) “निदेशक बोर्ड” या “बोर्ड” से धारा 4 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशकों का सामूहिक निकाय अभिप्रेत है ;

(1ग) “अध्यक्ष” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

2013 का 18

(1घ) “कंपनी अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

(1ड) “न्यायालय” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित “न्यायालय” अभिप्रेत है ;”;

(ii) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(4क) “निदेशक” से धारा 4 के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट या उस रूप में समझा गया निदेशक अभिप्रेत है ;

(4ख) निगम के संबंध में “वित्तीय विवरण” में

निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में तुलन पत्र ;

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा या किसी कंपनी की दशा में, जो लाभ के लिए कोई क्रियाकलाप नहीं कर रही है, वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा ;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण ;

(iv) साम्या में परिवर्तनों का विवरण, यदि लागू हो, ; और

(v) उपखंड (i) से उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज से उपाबद्ध कोई स्पष्टीकारक टिप्पण या उसका भाग रूप ;

(4ग) “पूर्णतया तनुकृत आधार” से ऐसे आधार पर केंद्रीय सरकार की प्रतिशत धृति के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा धृत शेयरों की कुल संख्या अभिप्रेत है जिन्हें निगम के ऐसे कुल शेयरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है जो बकाया होंगे, यदि संपरिवर्तन के सभी संभव स्रोतों का उपयोग किया जाता है ;

(4घ) “स्वतंत्र निदेशक” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (च) में निर्दिष्ट स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है ;”;

(iii) खंड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(6क) “प्रबंध निदेशक” से धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है ;”;

(iv) खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(7) “सदस्य” से निगम के शेयर धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसका नाम धारा 5ग की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रखे गए सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट हैं ;”;

“(7क) “नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति” से धारा 19ख के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(7ख) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;”;

(v) खंड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(8क) “विशेष संकल्प” से कोई ऐसा संकल्प अभिप्रेत है, जिसके लिए उसे विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित करने के आशय को साधारण बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को दी गई सूचना में सम्यक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है और संकल्प के पक्ष में सदस्यों द्वारा दिए गए मत या कुल मतों से तीन गुना से कम नहीं है, यदि कोई है, जो संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं ;”;

(vi) खंड (10) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(10) जब तक कि उनकी कोई बात विषय या संदर्भ में उनके विरुद्ध न हो, सभी अन्य शब्दों और पदों, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और बीमा अधिनियम, 1938 में या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियमों में हैं ।”।

1938 का 4

2013 का 18

धारा 4 का
प्रतिस्थापन।

निदेशक बोर्ड।

121. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“4. (1) निगम का साधारण अधीक्षण और कार्यकलापों और कारबार का निदेश निदेशक बोर्ड में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कृत्य और बातें करेगा जिनका निगम द्वारा प्रयोग किया जाए या की जाएं और जिनका निगम द्वारा साधारण बैठक में इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से किया जाना निदेशित या अपेक्षित न हो।

(2) निगम का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित पन्द्रह से अनधिक निदेशकों से मिलकर बनेगा जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, अर्थात् :-

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बोर्ड का अध्यक्ष, जो निगम का पूर्णकालिक निदेशक होगा ;

(ख) चार से अनधिक प्रबंध निदेशक जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी जो निगम के पूर्णकालिक निदेशक होंगे ;

(ग) भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति के केंद्रीय सरकार के दो से अनधिक अधिकारी जिनका नामनिर्देशन केंद्रीय

सरकार द्वारा किया जाएगा ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो से अनधिक व्यष्टिक जिनके पास बीमा विज्ञान कारबार प्रबंध, अर्थशास्त्र, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा, विधि, जोखिम प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो जो केंद्रीय सरकार की राय में निगम के लिए उपयोगी हो या जो पालिसी धारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ङ) जहां केंद्रीय सरकार से भिन्न सदस्यों की निगम की संदत्त साम्या पूंजी में कुल धृति :-

(i) दस प्रतिशत से अनधिक है, एक व्यष्टि ;

(ii) दस प्रतिशत से अधिक है किंतु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक है, दो व्यष्टि ; और

(iii) पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, तीन व्यष्टि,

जिनका निर्वाचन बोर्ड द्वारा नियुक्त ऐसे सदस्यों द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(च) तीन से अनधिक ऐसी संख्या में स्वतंत्र निदेशक जिनकी नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की जाए और जो बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जाएं ;

(छ) किसी भी समय जब खंड (ङ) के अधीन चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या निगम की समादत्त साम्या पूंजी में केंद्रीय सरकार से भिन्न अन्य सदस्यों की कुल धृति पच्चीस प्रतिशत से अन्यून होने के कारण या निर्वाचित निदेशकों की रिक्ति के कारण तीन से अन्यून होती है तो बोर्ड ऐसे व्यष्टियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में सहयोजित कर सकेगा जो निर्वाचित निदेशकों के साथ मिल कर तीन से अनधिक होंगे ;

परंतु ऐसे सहयोजित निदेशकों की केवल नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा ही सिफारिश की जाएगी और बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी तथा वे तब तक निदेशक बने रहेंगे जब तक निर्वाचित निदेशक पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं तत्पश्चात् समान संख्या में ऐसे सहयोजित स्वतंत्र निदेशक उनके सहयोजन के क्रम में सेवानिवृत्त हो जाएंगे ।

(3) निगम के संबंध में निगम का स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्रता के उसी मानदंड को पूरा करेगा जिससे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक से

कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन पूरा करने की अपेक्षा होती है :

परंतु ऐसा निदेशक पूर्वोक्त मानदंड के अतिरिक्त किसी ऐसे मानदंड को भी पूरा करेगा जो अर्हताओं, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के संबंध में नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति विरचित करे :

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब कभी परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन होता है जो उसकी स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रास्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, एक घोषणा करेगा कि वह इस उपधारा के स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करता है और वह ऐसी किसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है जो विद्यमान है या जिसकी युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी बाहरी प्रभाव के बिना उसकी योग्यता को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में क्षीण कर सकती है या प्रभावित कर सकती है ।

(4) उपधारा (2) के खंड (ड) या खंड (च) या खंड (छ) के अधीन बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में कोई नियुक्त व्यष्टि अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक या उस अंतिम तारीख तक जिसको वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की जानी चाहिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा और ऐसी तारीख से परे केवल तभी पद धारण करेगा जब उसकी नियुक्ति का वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदन किया जाता है ।

(5) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यष्टि की निदेशक के रूप में नियुक्ति या नामनिर्देशन से पूर्व, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या नामनिर्देशन या पारिश्रमिक समिति स्वयं का यह समाधान करेगी कि निदेशक के रूप में ऐसे व्यष्टि का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे निदेशक के रूप में उसके द्वारा कार्यपालन या कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है :

परंतु बोर्ड उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न प्रत्येक निदेशक के संबंध में समय-समय पर स्वयं का यह समाधान करेगा कि उसका ऐसा कोई हित नहीं है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा कोई व्यष्टि जो या जिसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन या निर्वाचन का प्रस्ताव किया गया है और जिसने निदेशक होने के लिए सहमति दे दी है, ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या

नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति या बोर्ड अपेक्षा करे ।

(6) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियत तारीख से ही धारा 4 के अधीन नियुक्त व्यष्टि जो धारा 4क के अधीन ऐसी नियत तारीख से ठीक पूर्व निदेशक होने के लिए या निदेशक बने रहने के लिए पात्र है, निगम के सदस्य का पद—

(i) निगम के अध्यक्ष की हैसियत में पद धारण करता है, को उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निदेशक और अध्यक्ष समझा जाएगा ;

(ii) निगम के प्रबंध निदेशक की हैसियत में पद धारण किया है, को उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन निदेशक और प्रबंध निदेशक समझा जाएगा ;

(iii) और जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी है, को उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा ;

(iv) और जो ऐसी अवधि के लिए पद पर रहा है जो खंड (i), खंड (ii) और खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सबसे अधिक या दूसरी सबसे अधिक अवधि के लिए पद पर रहा है, को उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक समझा जाएगा :

परंतु ऐसा प्रत्येक व्यष्टि उसकी निगम के सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट पदावधि, यदि कोई हो या तब तक जब तक उपधारा (2) के अधीन ऐसे व्यष्टि के स्थान पर निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति नहीं की जाती है या नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है, पद धारण नहीं कर लेता है, पद धारण करेगा :

परंतु यह और कि ऐसी नियत तारीख से पूर्व धारा 4 के अधीन निगम का गठन करने वाले सदस्यों के सामूहिक निकाय का कोई कृत्य या कार्यवाही होने को, यथास्थिति, बोर्ड का कृत्य या कार्यवाही समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) धारा 2 के खंड (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, “सदस्य” पद से वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 121 के प्रवृत्त होने से पूर्व यथा विद्यमान धारा 4 के अधीन गठित निगम का नियुक्त किया गया कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) नियत तारीख से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसको वित्त

अधिनियम, 2021 की धारा 121 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

निदेशक की
निरर्हताएं ।

“4क. कोई व्यक्ति निदेशक के लिए पात्र नहीं होगा या नहीं बना रहेगा यदि—

(क) वह विकृतचित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है ;

(ख) वह अननुमोचित दिवालिया है ;

(ग) उसने दिवालिया अधिनिर्णीत करने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ;

(घ) उसे किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, चाहे उसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो या अन्यथा और उसके लिए छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है और दंडादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है :

परंतु यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और उसके संबंध में सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है तो वह निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ङ) उसको निदेशक के रूप में निरर्हित करने वाला आदेश किसी न्यायालय या कंपनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित किया गया है ;

(च) उसे कंपनी अधिनियम की धारा 188 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पांच पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है ;

(छ) उसने निगम के द्वारा धृत किन्हीं शेयरों के संबंध में किन्हीं मांगों का चाहे एकल रूप या अन्य के साथ संयुक्त रूप में संदाय नहीं किया है और ऐसी मांग के संदाय के लिए नियत अंतिम दिन से छह मास बीत गए हैं ;

(ज) उसने कंपनी अधिनियम की धारा 165 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है ;

(झ) उसे कंपनी अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (i) के अधीन कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित किया गया है ;

(ञ) वह धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन व्यक्ति

नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न कोई वेतन प्राप्त सरकारी कार्मिक है ;

(ट) वह कोई बीमा अभिकर्ता या कोई मध्यवर्ती या कोई बीमा मध्यवर्ती है ;

(ठ) वह निगम या उसकी किसी अनुषंगी या सहबद्ध कंपनी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई कर्मचारी है ;

(ड) वह निगम की किसी अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक से भिन्न कोई निदेशक है ;

(ढ) वह निगम की अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी या किसी बीमाकर्ता की किसी नियंत्रि कंपनी, या अनुषंगी या सहबद्ध कंपनी से भिन्न विश्व में कहीं भी जीवन बीमा कारबार चलाने वाला कोई कर्मचारी या निदेशक या संप्रवर्तक है ;

(ण) वह बारह मास की अवधि के दौरान बोर्ड से अनुपस्थिति की आज्ञा सहित या उसके बिना बोर्ड द्वारा आयोजित सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है :

परंतु खंड (घ), खंड (ड) और खंड (च) में निर्दिष्ट निरर्हताओं का तब भी लागू होना जारी रहेगा जब सिद्धदोष या निरर्हता के आदेश के विरुद्ध कोई अपील या याचिका फाइल की गई है ।

निदेशक और
ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा
हित का प्रकटन ।

4ख. (1) प्रत्येक निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में, जिसमें वह निदेशक के रूप में भाग लेता है और तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या उसके द्वारा पहले से ही किए गए प्रकटनों में कोई परिवर्तन होता है तब वह ऐसे परिवर्तन के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में किसी निगमित निकाय में उसके सरोकार या हित, जिसके अंतर्गत शेयर धृति सम्मिलित है, का ऐसी रीति में प्रकटन करेगा, जो विहित की जाए ।

(2) प्रत्येक निदेशक, जो किसी भी प्रकार से चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निगम की किसी संविदा या ठहराव या प्रस्तावित संविदा या ठहराव, जो किया गया है या किया जाना है, में कोई सरोकार या हित रखता है—

(क) किसी निगमित निकाय के साथ, जिसमें ऐसा निदेशक या ऐसा निदेशक, किसी अन्य निदेशक के साथ मिलकर उस निगमित निकाय में दो प्रतिशत से अधिक शेयर धृति रखता है या उस निगमित निकाय में संप्रवर्तक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या न्यासी है ; या

(ख) किसी फर्म या अन्य अस्तित्व, जिसमें ऐसा निदेशक,

यथास्थिति, भागीदार, स्वामी या सदस्य है,

बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर चर्चा की जाती है या ऐसी संविदा या ठहराव के संबंध में किसी अन्य चर्चा या विचार-विमर्श में भाग नहीं लेगा और बोर्ड या उसकी समिति की ऐसी चर्चाओं या बैठकों में, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को अपने सरोकार या हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा :

परंतु जहां कोई निदेशक, जो ऐसी संविदा या ठहराव करने के समय उस प्रकार सरोकार या हित नहीं रखता है, वहां वह यदि संविदा या ठहराव करने के पश्चात् सरोकार या हित रखता है, तो वह अपना सरोकार या हित रखने के तुरंत पश्चात् या उसके इस प्रकार सरोकार या हित रखने के पश्चात् आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में अपने सरोकार या हित का प्रकटन करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रकटन किए बिना निगम के साथ की गई संविदा या ठहराव या किसी निदेशक द्वारा, जो प्रत्यक्षतः या प्रत्यक्षतः संविदा या ठहराव में किसी भी प्रकार से सरोकार या हित रखता है, भाग लेने पर निगम के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगा ।

(4) ऐसे कर्मचारी, जिन्हें बोर्ड निगम का ज्येष्ठ प्रबंधन को गठित करने के रूप में विनिर्दिष्ट करे, बोर्ड को सभी तात्त्विक वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों का प्रकटन करेंगे, जिनमें उनका वैयक्तिक हित है, जिसके निगम के हित के साथ संभावित द्वंद की संभावना हो और बोर्ड ऐसे संव्यवहारों पर एक नीति की विरचना करेगा जिसके अंतर्गत उनके लिए कोई तात्त्विक अवसीमा सम्मिलित है तथा वह प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार ऐसी रीति की समीक्षा करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, हित का द्वंद निगम या उसकी किन्हीं समनुषंगियों या सहयुक्त कंपनियों के शेयरों में व्यौहार निकायों से वाणिज्यिक व्यौहार है जिनमें ज्येष्ठ प्रबंधन व्यष्टिक या उसके नातेदारों की शेयर धृति आदि है ।

(5) यदि कोई व्यष्टि, जो निदेशक है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कर्मचारी उस उपधारा के उपबंधों का उल्लंघन करना है तो ऐसा व्यष्टि या कर्मचारी, शास्ति के रूप में केंद्रीय सरकार को एक लाख रुपए की धनराशि का संदाय करने का दायी होगा ।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम के लिए किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी कोई संविदा या ठहराव किया है ।

स्पष्टीकरण—धारा 4ख और धारा 4ग के प्रयोजनों के लिए, “निगमित निकाय” पद के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (11) के अधीन यथापरिभाषित कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई वित्तीय संस्था या कोई अनुसूचित बैंक या किसी केंद्रीय या राज्य विधि के अधीन स्थापित या गठित पब्लिक सेक्टर उद्यम और व्यक्ति या व्यष्टियों का कोई अन्य निगमित संगम सम्मिलित होगा ।

संबद्ध पक्षकार
संव्यवहार ।

4ग. (1) बोर्ड की सहमति के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निगम निम्नलिखित के संबंध में किसी संबद्ध पक्षकार के साथ कोई संविदा या ठहराव में करेगा—

- (क) किन्हीं माल या सामग्रियों का विक्रय, क्रय या पूर्ति ;
- (ख) किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या अन्यथा निपटान या क्रय ;
- (ग) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना ;
- (घ) किन्हीं सेवाओं का लाभ लेना या देना ;
- (ङ) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति का क्रय या विक्रय करने के लिए किसी अभिकर्ता की नियुक्ति ;
- (च) ऐसे संबद्ध पक्षकार की निगम, उसकी समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में किसी पद पर नियुक्ति ; और
- (छ) निगम की किन्हीं प्रतिभूतियों या उसकी व्युत्पन्नों के अंशदान के लिए हामीदारी :

परंतु ऐसी कोई संविदा या ठहराव, जिसमें ऐसी धनराशि से अधिक धनराशि अंतर्वलित है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, साधारण बैठक में बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि कोई सदस्य ऐसी साधारण बैठक में किसी संविदा या ठहराव का अनुमोदन करने के लिए मत नहीं देगा, जो निगम द्वारा किया गया हो यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है :

परंतु यह भी कि इस उपधारा में की कोई बात निगम द्वारा

संन्निकट आधार पर किए गए संव्यवहारों से भिन्न इसके कारबार के साधारण अनुक्रम में किए गए किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होंगे :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन संकल्प पारित करने की अपेक्षा निगम और उसके पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी के बीच किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी, यदि कोई हो, जिसके वित्तीय विवरणों को निगम के साथ समेकित किया जाता है और अंगीकार किए जाने के लिए साधारण बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में,—

(क) “पद या लाभ का स्थान” से कोई ऐसा पद या स्थान अभिप्रेत है,—

(i) जहां ऐसे पद या स्थान को निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसको धारण करने वाला निदेशक उसे निगम से उस पारिश्रमिक से ऊपर पारिश्रमिक के अतिरिक्त से प्राप्त करता है जिसका वह निदेशक के रूप में वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में पाने का हकदार है ;

(ii) जहां ऐसा पद या स्थान निदेशक से भिन्न किसी व्यष्टि या किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला व्यष्टि, फर्म, प्राइवेट कंपनी या निगमित निकाय निगम से पारिश्रमिक, वेतन, फीस, कमीशन, परिलब्धियों, भाटक मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में प्राप्त करता है ;

(ख) “संन्निकट संव्यवहार” पद से दो संबद्ध पक्षकारों के बीच संव्यवहार अभिप्रेत हैं, जिनको ऐसे किया जाता है मानो कि वह संबद्ध न हों जिससे वहां कोई हित का द्वंद नहीं होता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक संविदा या ठहराव ऐसी संविदा या ठहराव करने के लिए न्यायोचित्य के साथ सदस्यों को बोर्ड द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) जहां कोई संविदा या ठहराव किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा बोर्ड की सहमति अभिप्राप्त किए बिना या उपधारा (1) के अधीन साधारण बैठक में संकल्प द्वारा अनुमोदन किए बिना किया जाता है और उसका, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों द्वारा उस तारीख से

तीन मास की अवधि के भीतर, जिसको ऐसी संविदा या ठहराव किया गया था, अनुसमर्थन नहीं किया जाता है, ऐसी संविदा या ठहराव, यथास्थिति, बोर्ड या सदस्यों के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि संविदा या ठहराव किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया जाता है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो संबंधित निदेशक निगम को उसके द्वारा उपगत किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम को किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध जिसने ऐसी संविदा या ठहराव के परिणामस्वरूप उसे हुई किसी हानि की वसूली के लिए इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी किसी संविदा या ठहराव के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी ।

(5) निगम का कोई निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी, जिसने इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई संविदा या ठहराव किया था या उसे प्राधिकृत किया था, केंद्रीय सरकार को शास्ति के रूप में पच्चीस लाख रुपए की धनराशि का संदाय करने का दायी होगा ।

शास्तियों का
न्यायनिर्णयन ।

4घ. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यान्य पंक्ति के किसी अधिकारी को या उसके समतुल्य व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर और सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् आदेश द्वारा किसी निदेशक या कर्मचारी को उसकी ओर से किए गए किसी अतिलंघन या उल्लंघन के मद्दे इस अधिनियम के अधीन दायी कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए किसी व्यक्ति को समन करने के लिए और उसे हाजिर कराने के लिए तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए और दस्तावेजों का प्रकटन और उन्हें पेश करने की अपेक्षा के लिए या अन्य इलेक्ट्रानिकी अभिलेखों के लिए किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई निदेशक या कर्मचारी केंद्रीय सरकार को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा, जो व्यष्टि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील किए गए आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त करने का ऐसा आदेश पारित करेगी, जो वह ठीक समझे या न्यायनिर्णायक अधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ, जो वह ठीक समझे, मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगी ।

(5) जब निगम का निदेशक या कर्मचारी, जिस पर पहले ही इस अधिनियम के उपबंधों के किन्हीं उल्लंघन या अतिलंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है, पुनः न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर उल्लंघन या अतिलंघन कारित करता है तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती उल्लंघन या अतिलंघन के लिए उसके लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी रकम का दायी होगा ।”।

धारा 5 का संशोधन ।

निगम की पूंजी ।

122. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“5.(1) निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी पच्चीस हजार करोड़ रुपए होगी जो दस रुपए प्रत्येक के दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए में विभाजित की जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत शेयर पूंजी की वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 122 प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व निगम की समादत्त पूंजी की रकम से अन्यून ऐसी रकम में वृद्धि या कमी कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे :

परंतु यह और कि निगम केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से शेयरों के अंकित मूल्य का समेकन या उसमें कमी कर सकेगी, प्राधिकृत शेयर पूंजी को साम्या शेयर पूंजी या साम्या और अधिमानी शेयर पूंजी के संयोजन में विभाजित कर सकेगी और शेयरों के सांकेतिक या अंकित मूल्य को ऐसे मूल्य में विभाजित कर सकेगी, जो निगम विनिश्चय करे ।

(2) निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार द्वारा निगम को उपबंधित समादत्त साम्या पूंजी के प्रतिफल स्वरूप वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 122 के प्रारंभ होने से पूर्व साम्या शेयर जारी करेगा ।

(3) निगम की शेयर पूंजी साम्या शेयरों और अधिमानी शेयरों से मिलकर बनेगी जो पूर्णतः संदत्त या भागतः संदत्त हो सकेंगे :

परंतु बोर्ड, भागतः समादत्त शेयरों और ऐसे भागतः समादत्त शेयरों के संदाय की मांग के निबंधनों को अवधारित कर सकेगा ।

(4) निगम, समय-समय पर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी जारी की गई शेयर पूंजी को चाहे, पब्लिक इश्यू या राइट्स इश्यू या अधिमानी आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या साम्या शेयर धृत करने वाले विद्यमान सदस्यों के बोनस शेयरों के निर्गम या शेयर आधारित कर्मचारी फायदा स्कीम के अनुसरण में कर्मचारियों को शेयर जारी करके या निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को शेयर जारी करके या अन्यथा बढ़ा सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार पूर्णतयः तनुकृत आधार पर,—

(क) सभी समयों पर पचास प्रतिशत से अन्यून निगम की निर्गमित साम्या पूंजी को धारण कर सकेगी ;

(ख) केंद्रीय सरकार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को शेयरों के पहले निर्गमन की तारीख को पांच वर्ष की अवधि के दौरान निगम तीन निर्गमित साम्या शेयर पूंजी के सत्तर प्रतिशत से अनधिक को धारण कर सकेगी ।

(5) जहां निगम प्रीमियम पर चाहे नकद या अन्यथा शेयरों का निर्गमन करता है, वहां उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल रकम के समतुल्य धनराशि को शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया जाएगा और सिवाय उपधारा (6) में यथाउपबंधित के उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो शेयर प्रीमियम खाता निगम का समादत्त शेयर पूंजी हो ।

(6) निम्नलिखित के लिए निगम द्वारा शेयर प्रीमियम खाते का उपयोजन उपधारा (5) के अनुसार किया जा सकेगा,—

(क) पूर्णतया समादत्त बोनस शेयरों के रूप में निगम के सदस्यों को निर्गमित, अनिर्गमित शेयरों के लिए ;

(ख) निगम के शेयरों या डिबेंचरों के निर्गमन के लिए व्ययों को बढ़े खाते में डालने के लिए या संदत्त कमीशन के लिए या उस पर अनुज्ञात बढ़े के लिए ;

(ग) निगम के किन्हीं मोचनीय अधिमानी शेयरों के मोचन का या किन्हीं डिबेंचरों या किन्हीं प्रतिभूतियों के मोचन पर संदेय प्रीमियम का उपबंध करने के लिए ; या

(घ) उसके स्वयं के शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए,

किया जा सकेगा ।

(7) निगम, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विशेष संकल्प द्वारा अपनी समादत्त साम्या शेयर पूंजी को ऐसी रीति में, जो वह अवधारित करे, कम कर सकेगा ।

(8) निगम, उपधारा (7) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी साम्या शेयर पूंजी को—

(क) ऐसी शेयर पूंजी के संबंध में, जो समादत्त नहीं है, अपने साम्या शेयरों पर किसी दायित्व को समाप्त करके या कम करके ; या

(ख) अपने किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, किसी समादत्त साम्या शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को समाप्त करके या कम करके या किए बिना रद्द करना, जो या तो खो गए हैं या किन्हीं उपलब्ध आस्तियों द्वारा उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हैं ; या

(ग) अपने किन्हीं समादत्त साम्या शेयरों, किसी समादत्त साम्या शेयर पूंजी के संबंध में किसी दायित्व को समाप्त करके या कम करके या किए बिना संदत्त करना, जो निगम की मांग से अधिक हों ।

(9) किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) व्यक्तियों के ऐसे विभिन्न प्रवर्गों के संबंध में, जिनके पक्ष में कोई निर्गमकर्ता प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर किसी पब्लिक इश्यू के संबंध में कोई आरक्षण कर सकेगा, वहां निगम अपने जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में इश्यू के आकार में से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दस प्रतिशत की सीमा तक ऐसे पब्लिक इश्यू के लिए आरक्षित प्रवर्गों में से एक के रूप में आरक्षण कर सकेगा :

परंतु ऐसे किसी पालिसी धारक को साम्या शेयरों के आबंटन का मूल्य दो लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु यह और कि पालिसी धारक के लिए आरक्षित भाग के संबंध में कम अभिदाय होने की दशा में ऐसा भाग, जिसके

लिए अभिदाय नहीं हुआ है, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट मूल्य के आधिक्य में, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि किसी पालिसी धारक को कुल आबंटन पांच लाख रुपए या ऐसी उच्चतर रकम से अधिक नहीं होगा, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, आनुपातिक आधार पर आबंटित किया जा सकेगा :

परंतु यह भी कि ऐसे पालिसी धारकों को, जिनके पक्ष में इस उपधारा के अधीन कोई आरक्षण किया गया है, ऐसी कीमत पर शेयरों की प्रस्थापना की जा सकेगी, जो आवेदकों के अन्य प्रवर्गों के हेतु जनता को शुद्ध प्रस्थापित की जाने वाली कीमत से दस प्रतिशत से अधिक कम नहीं होगी ;

(ख) जनता के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, संप्रवर्तक के न्यूनतम अभिदाय की संगणना के लिए अपात्रता के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी साम्या शेयरों, जिनके अंतर्गत ऐसी पब्लिक प्रस्थापना के खुलने से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि के दौरान अर्जित सभी शेयर भी हैं, जो किसी लाभांश इश्यू या अन्यथा के पारिणामिक हैं, ऐसी संगणना के लिए पात्र होंगे ;

(ग) जनता के लिए प्रारंभिक प्रस्थापना के माध्यम से पब्लिक इश्यू के संबंध में, जनता को विक्रय के लिए ऐसे शेयरों के आमंत्रण हेतु शर्त के रूप में न्यूनतम धारण अवधि के लिए विक्रेताओं द्वारा समादत्त साम्या शेयर को धारण करने की अपेक्षा करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा धारित निगम के सभी पूर्णतया समादत्त साम्या शेयर विक्रय हेतु ऐसी प्रस्थापना के लिए पात्र होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जिन्हें इस अधिनियम या बीमा अधिनियम या कंपनी अधिनियम में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया है, उस सीमा तक क्रमशः वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से विरोध में नहीं है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा पूंजी के निर्गम और प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में बनाए गए विनियमों में उनका है ।

(10) निगम अपने कारबार की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निधियों को जुटाने के प्रयोजनों के लिए बंधपत्रों, डिबेंचरों, टिप्पणों, वाणिज्यिक दस्तावेजों और अन्य ऋण लिखतों सहित अन्य प्रतिभूतियों को जारी कर सकेगा ।

शेयरों की
अंतरणीयता ।

“5क. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, निगम के शेयर निर्मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

परंतु शेयरों के अंतरण के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया कोई करार संविदा के रूप में प्रवर्तनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार को उसके द्वारा निगम में धारित किन्हीं शेयरों का अंतरण करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी यदि ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप उसके द्वारा धारित शेयर पूर्णतया तनुकृत आधार पर निगम की निर्गमित साम्या शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाते हैं ।

(3) निगम वहां अपने शेयरों के किसी अंतरण को रजिस्टर नहीं करेगा, जहां अंतरण के पश्चात् अंतरिती की निगम में सकल कुल समादत्त शेयर पूंजी धृति के निगम की समादत्त शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से अधिक हो जाने की संभावना है ।

मताधिकार ।

5ख. धारा 5क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति, व्यक्ति रूप से कार्य करते हुए या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों या समूह के घटकों के साथ, उसके द्वारा, समादत्त शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से अधिक धारित साम्या शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार होगा :

परंतु निगम में ऐसी पूंजी के संबंध में अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले किसी सदस्य के पास केवल उस समय मताधिकार होगा, जब किसी साधारण बैठक में ऐसा कोई संकल्प पारित किया जाए, जो प्रत्यक्ष रूप से उसके अधिमानी शेयरों से संबद्ध अधिकारों को प्रभावित करता हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “समूह” पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में उसका है ;

(ख) “एकसाथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों” पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा शेयरों के अर्जन और प्रबंध ग्रहण करने के संबंध में बनाए गए विनियमों में उसका है ।

सदस्यों का रजिस्टर आदि।

5ग. (1) निगम ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा, अर्थात् :-

(क) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें पृथक् रूप से भारत में या भारत से बाहर निवास करने वाले प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित साम्या और अधिमानी शेयरों के प्रत्येक वर्ग को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाएगा ;

(ख) डिबेंचर धारकों का रजिस्टर ; और

(ग) किसी अन्य प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए रखे गए प्रत्येक रजिस्टर में उसमें सम्मिलित नामों की अनुक्रमणिका सम्मिलित होगी ।

(3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अधीन किसी निक्षेपागार द्वारा बनाए रखे गए फायदाग्राही स्वामियों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्समानी रजिस्टर और अनुक्रमणिका समझा जाएगा ।

1996 का 22

(4) किसी न्यास का कोई नोटिस, चाहे वह स्पष्ट, विवक्षित या रचनात्मक हो, सदस्यों के रजिस्टर से प्रविष्ट नहीं किया जाएगा या वह निगम द्वारा प्राप्य नहीं होगा :

परंतु धारा की कोई बात किसी निक्षेपागार को, फायदाग्राही स्वामियों की ओर से रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5घ के प्रयोजनों के लिए, “फायदाग्राही स्वामी”, “निक्षेपागार” और “रजिस्ट्रीकृत स्वामी” पदों का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (क), खंड (ड) और खंड (ज) में उनका है ।

शेयरों में फायदाग्राही हित के संबंध में घोषणा ।

5घ. (1) जहां किसी व्यक्ति के नाम को निगम के सदस्यों के रजिस्टर में निगम के शेयर धारक के रूप में प्रविष्ट किया गया है किंतु जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित को धारण नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जो ऐसे शेयरों में फायदाग्राही हित को धारण करता है ।

2013 का 18

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो निगम के शेयरों में कोई फायदाग्राही हित धारण करता है या उसका अर्जन करता है, ऐसे समय के भीतर और और ऐसे प्ररूप में, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा, जिसमें उसके हित की प्रकृति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां, जिसके नाम पर निगम की बहियों में शेयर रजिस्ट्रीकृत हैं और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन विहित किया जाए ।

(3) जहां निगम के शेयरों में फायदाग्राही हित में कोई परिवर्तन होता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट फायदाग्राही स्वामी, ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निगम को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अधीन विहित किया जाए, एक घोषणा प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसे किसी शेयर, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन कोई घोषणा करना अपेक्षित है किंतु जिसे फायदाग्राही स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, के संबंध में कोई भी अधिकार उसके द्वारा या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी शेयर में फायदाग्राही हित के अंतर्गत प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी संविदा, ठहराव के माध्यम से या अन्यथा किसी व्यक्ति का स्वयं में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ निम्नलिखित करने का कोई अधिकार या हकदारी भी होगी,--

(क) ऐसे शेयर से जुड़े किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करना या प्रयोग करवाना ; या

(ख) ऐसे शेयर के संबंध में किसी लाभांश या किसी अन्य संवितरण को प्राप्त करना या उसमें भागीदारी करना ।

(6) कोई व्यक्ति, जो अकेले कार्य करते हुए या एक या अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से निगम के शेयरों में पच्चीस प्रतिशत या किसी ऐसे अन्य प्रतिशत, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, फायदाग्राही हित को धारण करता है या प्रयोग अधिकार या जो कंपनी अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) में यथा परिभाषित रूप से निगम पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण का वास्तविक रूप में प्रयोग करता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी"

कहा गया है), ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में, जिसमें उसके हित की प्रकृति और अन्य विशिष्टियाँ, ऐसी रीति में और फायदाग्राही हित या अधिकारों के अर्जन और उनमें किसी परिवर्तन की तारीख से ऐसी अवधि के भीतर, जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए, निगम को एक घोषणा करेगा ।

(7) निगम उपधारा (6) के अधीन व्यष्टियों द्वारा घोषित हित और उसमें हुए परिवर्तनों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें व्यष्टि का नाम, उसकी जन्म-तिथि, पता, निगम में उसके स्वामित्व के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे सम्मिलित होंगे, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किया जाए ।

शेयरों का प्रतिभूतियां होना ।

5ड. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम के शेयरों को अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित प्रतिभूतियों के रूप में समझा जाएगा ।

1956 का 42

रजिस्ट्रीकृत सदस्यों का नामांकन करने का अधिकार ।

5च. (1) प्रत्येक व्यष्टि रजिस्ट्रीकृत सदस्य किसी भी समय, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेगा, जिसमें उसकी मृत्यु की दशा में शेयरों में उसके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां शेयर एक या अधिक व्यष्टि के नाम पर संयुक्त रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, वहां संयुक्त धारक साथ मिलकर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे किसी व्यष्टि को नामांकित कर सकेंगे, जिसमें सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में शेयरों में उनके सभी अधिकार निहित हो जाएंगे ।

(3) किसी अन्य विधि या किसी विन्यास, चाहे वह वसीयती या अन्यथा हो, जहां शेयरों के संबंध में कोई नामांकन किया जाता है और जो तात्पर्यित रूप से नामांकित व्यक्ति में शेयरों के अधिकार को सुनिश्चित करता है वहां ऐसा नामांकित व्यक्ति, यथास्थिति, सदस्य की मृत्यु या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में, यथास्थिति, सदस्य या सभी संयुक्त धारकों के ऐसे शेयरों के संबंध में सभी अधिकारों का हकदार बन जाएगा और अन्य सभी व्यक्तियों को तब तक विवर्जित किया जाएगा जब तक कि नामांकन को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में परिवर्तित या रद्द न कर दिया जाए ।

(4) जहां नामनिर्देशिती अल्पव्य है वहां शेयरों के रजिस्ट्रीकृत व्यष्टि धारक के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह नामांकन द्वारा

ऐसी रीति में, जिसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी व्यक्ति को इस रूप में नामांकित कर सके, जो उसकी मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति की अल्पव्यता के दौरान शेयरों का हकदार होगा।”।

धारा 19 का प्रतिस्थापन।

कार्यपालक समिति।

123. मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

“19. (1) बोर्ड, बोर्ड की एक कार्यपालक समिति का गठन कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,--

(i) अध्यक्ष ;

(ii) प्रबंध निदेशक ;

(iii) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक ; और

(iv) चार निदेशक, जिन्हें बोर्ड द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) बोर्ड की कार्यपालक समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो बोर्ड उसे सौंपे।”।

विनिधान समिति।

19क. बोर्ड, निगम की निधियों के विनिधान से संबंधित ऐसे कृत्यों के लिए, जिन्हें बोर्ड उसे सौंपे, बोर्ड की एक विनिधान समिति का गठन करेगा, जो समिति के अध्यक्ष और सात से अनधिक अन्य निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें से कम से कम दो निदेशक धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन नियुक्त निदेशकों से भिन्न होंगे :

परंतु निगम के ऐसे अधिकारियों, जो वित्त, जोखिम, विनिधान और विधि से संबंधित कृत्यों का निर्वाह कर रहे हैं और साथ ही नियुक्त बीमांकक को भी समिति की प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें बैठक में सुनवाई का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 24ग के प्रयोजनों के लिए, “नियुक्त बीमांकक” से ऐसा बीमांकक अभिप्रेत है, जिसे बीमा अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांककों के संबंध में बनाए विनियमों के अधीन निगम द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया है।

नामांकन और

19ख. (1) बोर्ड एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का

पारिश्रमिक
समिति ।

गठन करेगा, जो तीन या अधिक निदेशकों, जो धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशकों से भिन्न निदेशकों में से होंगे और जिनमें से आधे उस समय स्वतंत्र निदेशकों में से होंगे, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या समिति की सदस्यता को इस अनुपात में गठित करने के लिए पर्याप्त हो :

परंतु अध्यक्ष को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा किंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा ।

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति,--

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों की अर्हताएं, उनके सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता का अवधारण करने के लिए मानदंडों को तैयार करेगी ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार ऐसे व्यष्टियों की पहचान करेगी, जो निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं :

परंतु व्यष्टियों की पहचान करते समय समिति धारा 19ग की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अपेक्षाओं का सम्यकतः ध्यान रखेगी ;

(iii) बोर्ड को ऐसे किसी व्यष्टि की नियुक्ति और उसे हटाए जाने के संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी और अपने कार्यपालन का मूल्यांकन करेगी ; और

(iv) बोर्ड को धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (घ), खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन नामांकित या नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों को आसीन फीस के रूप में संदेय राशि से संबंधित नीति की इस शर्त के अधीन रहते हुए सिफारिश करेगी कि ऐसी फीस ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगी, जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के निदेशक को संदेय आसीन फीस के संबंध में लागू होती है ।

संपरीक्षा समिति
।

19ग. (1) बोर्ड, एक संपरीक्षा समिति का गठन करेगा, जो न्यूनतम तीन निदेशकों से मिलकर बनेगी, जिसमें उस समय स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा, जब कार्यालय में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या संपरीक्षा समिति की सदस्यता को ऐसे अनुपात में गठन करने के लिए पर्याप्त हो :

परंतु संपरीक्षा समिति में विद्यमान निदेशकों, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है, में से अधिकांश निदेशक ऐसे व्यष्टि होंगे, जिनके पास वित्तीय विवरणों का परिशीलन करने और उन्हें समझने का सामर्थ्य होगा और उनमें से कम से कम एक व्यष्टि के पास लेखांकन और संबद्ध वित्तीय प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञता होगी ।

(2) संपरीक्षा समिति, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश निबंधनों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित होंगे,--

(क) निगम के संपरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों के संबंध में सिफारिशें करने ;

(ख) संपरीक्षकों की स्वतंत्रता और उनके कार्यपालन तथा संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन और मानीटरी करने ;

(ग) वित्तीय विवरणों की समीक्षा और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने ;

(घ) निगम के संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए संव्यवहारों, का अनुमोदन करना :

परंतु संपरीक्षा समिति निगम द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों के लिए बहु-प्रयोजनीय अनुमोदन कर सकेगी :

परंतु यह और कि धारा 4ग में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न किसी संव्यवहार की दशा में, जहां संपरीक्षा समिति संव्यवहार का अनुमोदन नहीं करती है, वहां वह इस संबंध में बोर्ड को अपनी सिफारिशें करेगी :

परंतु यह और कि ऐसे किसी संव्यवहार की दशा में, जिसमें अंतर्वलित रकम एक करोड़ से अनधिक है और जिसे निगम के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा संपरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त किए बिना किया गया है और जिसे संपरीक्षा द्वारा संव्यवहार की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अनुसमर्थित नहीं किया गया है, वहां ऐसा संव्यवहार निगम के विकल्प पर संपरीक्षा समिति के अनुमोदन से शून्यकरणीय होगा और यदि ऐसा संव्यवहार किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया है या किसी अन्य निदेशक द्वारा उसे प्राधिकृत किया गया है तो संबद्ध निदेशक निगम की उसके द्वारा उपगत किसी हानि के प्रति क्षतिपूर्ति करेगा :

परंतु यह भी कि इस खंड के उपबंध धारा 4ग में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से भिन्न ऐसे किसी संव्यवहार को लागू नहीं होंगे, जिसे निगम और उसके पूर्ण स्वामित्व वाले समनुषंगी के बीच किया गया है ;

(ड) अंतः-निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा करने ;

(च) निगम के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो ;

(छ) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंध प्रणालियों का मूल्यांकन करना ; और

(ज) पब्लिक प्रस्थापनाओं के माध्यम से जुटाई गई निधियों के अंत उपयोग की मानीटरी और संबद्ध विषय ।

(3) संपरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र, जिसके अंतर्गत संपरीक्षकों के संपरीक्षण भी हैं और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के संबंध में संपरीक्षकों से टीका-टिप्पणियां मांग सकेगी और साथ ही वह संपरीक्षकों और निगम के प्रबंध-मंडल के साथ अन्य संबद्ध मुद्दों पर परिचर्चा भी कर सकेगी ।

(4) संपरीक्षा समिति के पास उपधारा (2) में निर्दिष्ट मदों के संबंध में किसी विषय या बोर्ड द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसके पास बाह्य स्रोतों से वृत्तिक राय अभिप्रास करने की शक्ति होगी और उसके पास निगम के अभिलेखों में अंतर्विष्ट जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी ।

(5) निगम के संपरीक्षकों और ऐसे प्रमुख प्रबंधक कार्मिकों, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, के पास संपरीक्षा समिति की बैठकों में उस समय सुनवाई का अधिकार होगा जब वह संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करे ।

अन्य समितियां
।

19घ. बोर्ड ऐसी अन्य समितियों का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह ऐसे विषयों, जो उसे साधारणतया या विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में सलाह देने के लिए उचित समझता है और साथ ही वे ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेंगी, जो बोर्ड उन्हें सौंपे ।

धारा 20 का
प्रतिस्थापन ।

124. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

अध्यक्ष और
प्रबंध निदेशक ।

“20. (1) अध्यक्ष को, बोर्ड के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन निगम के संपूर्ण कार्यों के संबंध में प्रबंध संबंधी सारवान शक्तियां सौंपी जाएंगी ।

(2) अध्यक्ष निगम के कार्यों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा, जो बोर्ड समय-समय पर उसे सौंपे और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा उसे प्रदत्त की जाए :

परंतु बोर्ड, अध्यक्ष को अपने ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों को सौंप सकेगा या उन्हें प्रत्यायोजित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) प्रत्येक प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो बोर्ड द्वारा या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (2) के अधीन उसे सौंपी या प्रत्यायोजित की जाएं ।

धारा 22 का
संशोधन ।

125. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(i) उपधारा (1) में, “उस व्यक्ति को दे सकेगा, जो चाहे सदस्य हो या नहीं हो, तथा” शब्दों के स्थान पर, “किसी पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न निगम के किसी कर्मचारी को दे सकेगा, तथा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 23 का
अंतःस्थापन ।

126. मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक साधारण
बैठक और अन्य
साधारण बैठकें ।

“23क. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे समय पर, जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, निगम के केंद्रीय कार्यालय में या भारत में ऐसे अन्य स्थान पर, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार बोर्ड की सिफारिशों पर अनुमति प्रदान करे, सदस्यों की एक साधारण वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को बुलाया जाएगा :

परंतु निगम की एक वार्षिक साधारण बैठक की तारीख और अगली वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का अंतराल नहीं होगा :

परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई साधारण बैठक केवल तब जब निगम में केंद्रीय सरकार से भिन्न दो ऐसे सदस्य न हो, जिन्हें मत देने का अधिकार है :

परंतु यह भी कि जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक या अन्य साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक बोर्ड ऐसी

बैठक में निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे,-

(क) धारा 24ख में यथानिर्दिष्ट निगम के वित्तीय विवरणों और धारा 25ख में यथानिर्दिष्ट संपरीक्षक रिपोर्ट, जिसके साथ धारा 24ग में यथा निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट भी लगी होगी, के संबंध में विचार-विमर्श करने और ऐसे सभी अन्य दस्तावेजों के, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है, साथ वित्तीय विवरणों को अंगीकृत करने ;

(ख) धारा 27 के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने और उसे अंगीकृत करने ;

(ग) धारा 28ख की उपधारा (1) के अधीन लाभांश की घोषणा का अनुमोदन करने ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड), खंड (च) और खंड (छ) के अधीन निदेशकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने ;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन संपरीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करने और धारा 25 की उपधारा (7) के अधीन उनके पारिश्रमिक को नियत करने ।

(3) प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से या किसी परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परंतु प्रत्येक निदेशक वैयक्तिक रूप से या वैयक्तिक रूप से या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साधारण बैठक में भाग लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि किसी साधारण बैठक से संबंधित सभी सूचनाओं और अन्य संसूचनाओं को निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक को अग्रेषित किया जाएगा और ऐसा संपरीक्षक, जब तक कि उसे निगम द्वारा छूट प्रदान न की जाए, या तो वैयक्तिक रूप से या ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित है, किसी साधारण बैठक में भाग लेगा और उसके पास ऐसी बैठक में कारबार के ऐसे किसी भाग के संबंध में, जिससे वह संपरीक्षक के रूप में संबंध रखता है, सुनवाई का अधिकार होगा ।

(4) कोई सदस्य, जो मत डालने के लिए हकदार है, किसी साधारण बैठक में या तो वैयक्तिक रूप से या परोक्षी के माध्यम से या किसी सम्यक्तः प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा ।

(5) किसी साधारण बैठक में भाग लेने और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे और बैठक में भाग लेने और मतदान करने की रीति वह होगी, जिसे विहित किया जाए ।

(6) अध्यक्ष की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय, वार्षिक साधारण बैठक में तब तक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य कारबार के संबंध में संव्यवहार या चर्चा नहीं की जाएगी जब तक कि उसके संबंध में या तो केंद्रीय सरकार द्वारा या बैठक में मताधिकार रखने वाले न्यूनतम सौ सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को इस संबंध में कम से कम छह सप्ताह पूर्व कोई सूचना न दे दी जाए :

परंतु ऐसी कोई सूचना एक सुनिश्चित संकल्प के रूप में होगी, जिसे बैठक के समक्ष रखा जाएगा और यह कि ऐसे संकल्प में बैठक की सूचना को सम्मिलित किया जाएगा ।

(7) अध्यक्ष की सहमति के सिवाय साधारण बैठक में उस कारबार से भिन्न कोई कारबार संव्यवहार नहीं किया जाएगा या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिसके लिए साधारण बैठक को बुलाया गया है ।

(8) किसी साधारण बैठक को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसमें तब तक कोई कारबार संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि सदस्यों की ऐसी गणपूर्ति पूरी न हो जाए, जिसे विहित किया जाए :

परंतु जहां गणपूर्ति पूरी न होने के कारण कोई बैठक नहीं की जा सकती, वहां उसे आस्थगित किया जा सकेगा और उसे ऐसी रीति में आयोजित किया जा सकेगा, जो विहित की जाए ।

(9) निगम साधारण बैठक की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में करवाएगा ।”।

धारा 24 का
प्रतिस्थापन ।

निगम की
निधियां ।

127. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

“24. (1) निगम की अपनी स्वयं की निधि या निधियां होंगी, जिनमें निगम की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और निगम

द्वारा किए जाने वाले सभी संदायों को भी उनमें से किया जाएगा :

परंतु बोर्ड निगम की निधियों में से किसी के संबंध में या अन्यथा ऐसी आरक्षितियों की स्थापना कर सकेगा, जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भी आबंटित किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा और ऐसी राशियों को, जिन्हें बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसी आरक्षितियों को या उनमें से अंतरित किया जा सकेगा ।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 127 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, निम्नलिखित को रखना कारित करवाएगा,--

(क) एक भागीदारी पालिसी धारक निधि, जिसमें भागीदारी पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे ; और

(ख) एक गैर-भागीदारी पालिसी धारक निधि, जिसमें गैर-भागीदारी पालिसी धारकों से प्राप्त होने वाली सभी प्राप्तियों को जमा किया जाएगा और उस निधि से ही ऐसे पालिसी धारकों को सभी संदाय किए जाएंगे :

परंतु सदस्य, साधारण बैठक में संकल्प द्वारा पूर्वोक्तानुसार दो वित्तीय वर्षों तक एक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी निधियों को बनाए रखने से छूट प्रदान कर सकेंगे ।

लेखा बहियां आदि
।

“24क. (1) निगम, अपने केंद्रीय कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियों और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो उसके आंचलिक कार्यालयों सहित उसके कार्यों की स्थिति के संबंध में सत्य और उचित मत उपदर्शित करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और उसके आंचलिक कार्यालयों, दोनों स्थानों पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(2) निगम अपने प्रत्येक आंचलिक कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे आंचलिक कार्यालय के तत्स्थानी अंचल में स्थापित प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय के कार्यों की स्थिति के संबंध में सत्य और उचित मत उपदर्शित करेंगे और जो केंद्रीय कार्यालय और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(3) निगम अपने प्रत्येक प्रभागीय कार्यालय में प्रत्येक वित्तीय

वर्ष के लिए लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगा और रखेगा, जो ऐसे प्रभागीय कार्यालय के अधीन स्थापित प्रत्येक शाखा के कार्यों की स्थिति के संबंध में सत्य और उचित मत उपदर्शित करेंगे और जो वहां पर किए गए संव्यवहारों को स्पष्ट करेंगे ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं लेखा बहियों और अन्य सुसंगत बहियों और अभिलेखों को भारत में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर रखा जा सकेगा, जैसा की बोर्ड विनिश्चय करे ।

(5) निगम के संबंध में उस समय यह समझा जाएगा कि उसने, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों का किसी आंचलिक कार्यालय या केंद्रीय कार्यालय से भिन्न किसी प्रभागीय कार्यालय या निगम की किसी शाखा, चाहे वह भारत के भीतर या बाहर स्थित हो, अनुपालन किया है, जब, यथास्थिति, ऐसे कार्यालय या शाखा में किए गए संव्यवहारों के संबंध में समुचित लेखा बहियों को रखा जाता है और यथास्थिति, केंद्रीय कार्यालय या तत्स्थानी आंचलिक कार्यालय या तत्स्थानी प्रभागीय कार्यालय या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान को आवधिक रूप से समुचित संक्षिप्त विवरणियां भेजी जाती हैं ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट लेखा बहियां और अन्य सुसंगत बहियां और अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में रखे जा सकेंगे जैसा कि बोर्ड अवधारित करे ।

(7) निगम के, किसी वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दस वित्तीय वर्षों से अनधिक की अवधि से संबंधित लेखा बहियों को, ऐसी लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों से सुसंगत वाऊचरों के साथ अच्छी स्थिति में रखा जाएगा :

परंतु जहां केंद्रीय सरकार ने धारा 25घ के अधीन कोई विशेष संपरीक्षक नियुक्त किया है या उसकी यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो ऐसा करना आवश्यक बनाती हैं तो वह निगम को यह निदेश दे सकेगी कि लेखा बहियों को ऐसी और दीर्घावधि के लिए रखा जाए, जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

वित्तीय विवरण ।

24ख. (1) निगम के वित्तीय विवरण निगम के कार्यों की स्थिति के संबंध में सत्य और उचित मत प्रस्तुत करेंगे और वे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप होंगे और वे उक्त संस्थान द्वारा जारी किए गए ऐसे लेखांकन मानकों का उस

सीमा तक अनुपालन करेंगे, जहां तक वे लेखांकन मानक, बीमा अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं को लागू होते हैं :

परंतु वित्तीय विवरणों को मात्र इस कारण से कि वे ऐसे किन्हीं विषयों का प्रकटन नहीं करते हैं, जिन्हें इस अधिनियम या बीमा अधिनियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है, इस रूप में नहीं माना जाएगा कि वे निगम के कार्यों के संबंध में सत्य और उचित मत प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

1999 का 38

(2) बोर्ड, प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को ऐसी बैठक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) निगम, उपधारा (2) के अधीन उपबंधित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, निगम और उसके सभी समनुषंगियों और सहयुक्त कंपनियों का एक समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगा, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और विधि द्वारा लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं और वह ऐसे वित्तीय विवरण को उपधारा (2) के अधीन अपने वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत करेगा :

परंतु निगम अपने वित्तीय विवरणों के साथ एक ऐसा पृथक् विवरण भी संलग्न करेगा, जिसमें उसके समनुषंगियों और सहयुक्त कंपनियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण की मुख्य विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

(4) उपधारा (1) और धारा 24ग के अधीन वित्तीय विवरणों को लागू होने वाले इस अधिनियम के उपबंध, धारा 25ख के अधीन निर्दिष्ट विषयों के संबंध में संपरीक्षक की जांच और लेखाओं के संबंध में संपरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा धारा 23क के अधीन वार्षिक साधारण बैठक में वित्तीय विवरणों को अंगीकृत किए जाने से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उपधारा (3) में निर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरण को लागू होंगे ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां वित्तीय विवरण उसमें निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, वहां निगम वित्तीय विवरणों में ऐसे मानकों से विचलन का प्रकटन करेगा और साथ ही उसके कारणों का भी कथन करेगा और इसके अतिरिक्त, ऐसे विचलन से उदभूत होने वाले वित्तीय

प्रभावों, यदि कोई हों, को भी उल्लिखित करेगा ।

(6) समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, सहित वित्तीय विवरणों को उनके संबंध में संपरीक्षक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक, निगम के वित्त और अनुसचिवीय कृत्यों के प्रधान व्यक्तियों और उसके नियुक्त बीमांकक द्वारा बोर्ड के निमित्त उन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(7) प्रत्येक वित्तीय विवरण के साथ संपरीक्षक की रिपोर्ट को संलग्न किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, भी है, की एक हस्ताक्षरित प्रति को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति सहित जारी, परिचालित या प्रकाशित किया जाएगा,--

(क) ऐसे वित्तीय विवरणों से संलग्न या उनका भाग बनने वाले किन्हीं टिप्पणों ;

(ख) संपरीक्षक की रिपोर्ट ; और

(ग) धारा 24ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड की रिपोर्ट ।

(9) केंद्रीय सरकार स्वप्रेरणा से या निगम द्वारा उसे किए जाने वाले आवेदन पर अधिसूचना द्वारा निगम को इस धारा के अधीन उस समय किसी अपेक्षा को पूरा करने से छूट प्रदान कर सकेगी यदि लोक हित में ऐसी छूट प्रदान करना आवश्यक समझा जाता है और वह ऐसी कोई छूट या तो बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान कर सकेगी, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बोर्ड की रिपोर्ट ।

24ग. (1) साधारण बैठक के समक्ष रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(क) बोर्ड की बैठकों की संख्या ;

(ख) निदेशक के उत्तरदायित्व से संबंधी विवरण ;

(ग) संपरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कपट के संबंध में ब्यौरे ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणाओं संबंधी विवरण ;

(ड) निगम की निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित नीति, जिसके अंतर्गत निदेशक की अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और उसकी स्वतंत्रता को अवधारित करने के लिए मानदंड भी हैं, जिन्हें धारा 19ख में निर्दिष्ट किया गया है ;

(च) संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रत्येक अर्हता, संशय या प्रतिकूल टिप्पणी या दावात्याग के संबंध में बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निगम को लागू किए गए बीमा अधिनियम की धारा 27क के उपबंधों के निबंधनानुसार विनिधानों के संबंध में विशिष्टियां ;

(ज) धारा 4ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पक्षकारों के साथ करारों या ठहरावों के संबंध में विशिष्टियां ;

(झ) निगम के कार्यों की स्थिति ;

(ञ) वे रकमें, यदि कोई हों, जिन्हें किन्हीं आरक्षितियों में अग्रणीत किया गया है ;

(ट) वे रकमें, यदि कोई हों, जिनके संबंध में यह सिफारिश की गई है कि उनका संदाय लाभांश के माध्यम से किया जाना चाहिए ;

(ठ) ऐसे सारवान परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं और जो उस वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच की अवधि में घटित हुई हैं ;

(ड) यह रीति उपदर्शित करते हुए एक विवरण, जिसमें धारा 19क के अधीन व्यष्टि निदेशकों के कार्यपालन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है ;

(ढ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं :

परंतु जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है, वहां ऐसे प्रकटनों को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराने की बजाए निर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां खंड (ड) में निर्दिष्ट नीति को निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाता है, वहां उक्त खंड के अधीन अपेक्षा के अनुपालन के लिए उसे तब पर्याप्त समझा जाएगा, यदि उस नीति की प्रमुख विशिष्टियों और उनमें

किए गए किन्हीं परिवर्तनों को संक्षेप में बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किया जाता है और साथ ही, वह वेब-पता, जिस पर ऐसी नीति उपलब्ध है, उसमें उपदर्शित किया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में निम्नलिखित को कथित किया जाएगा,--

(क) सारवान विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ धारा 24ख में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु अनुसरण किया गया है ;

(ख) लेखांकन नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें लागू किया गया था तथा लिए गए निर्णय और प्राक्कलन युक्तियुक्त तथा विवेकपूर्ण थे, जिससे वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि की स्थिति के संबंध में सत्य और उचित मत प्रस्तुत कर सकें ;

(ग) निगम की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा किसी कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है ;

(घ) वार्षिक लेखाओं को चालू समुत्थान के आधार पर तैयार किया गया था ;

(ङ) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ज) में निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन, निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के पर्यवेक्षणाधीन पूर्णतः कार्यरत था और इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा अनुसरित किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिकथित किया गया था और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे ;

(च) लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की गई थी और वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “आंतरिक वित्तीय नियंत्रण” पद से निगम के कारबार का सुव्यवस्थित और दक्ष आचरण सुनिश्चित करने के लिए अंगीकृत पालिसियां और प्रक्रियाएं, अभिप्रेत है, जिनके अंतर्गत इसकी पालिसियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों का निवारण और

पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना का तैयार किया जाना भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की रिपोर्ट और उसके किन्हीं उपाबंधों पर बोर्ड की ओर से अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

24घ. शास्तियां

24घ. यदि अध्यक्ष या वित्त का भारसाधक प्रबंध निदेशक या निगम के वित्त कार्यकरण का प्रधान या धारा 24क या धारा 24ख या धारा 24ग के उपबंधों का अनुपालन करने के कर्तव्य से बोर्ड द्वारा भारत निगम का कोई अन्य व्यक्ति उक्त उपबंधों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो ऐसा अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या वित्तीय कार्यकरण का प्रधान या अन्य व्यक्ति, ऐसी प्रत्येक धारा के लिए, जिसके उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, केंद्रीय सरकार को ऐसी राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।

धारा 25 का प्रतिस्थापन ।

128. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

संपरीक्षकों की नियुक्ति ।

“25.(1) निगम अपने प्रथम वार्षिक साधारण बैठक में किसी व्यक्ति या फर्म को संपरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगा और ऐसा संपरीक्षक उसके पश्चात् उस बैठक के समापन से उसकी छठी वार्षिक साधारण बैठक के समापन तक पद धारण करेगा और इसी प्रकार एक समय में पांच वर्ष की पश्चातवर्ती अवधियों के लिए संपरीक्षक नियुक्त करेगा, और ऐसी बैठक में सदस्यों द्वारा संपरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए :

परंतु ऐसी नियुक्ति किए जाने से पूर्व ऐसी नियुक्ति के लिए संपरीक्षक की लिखित सहमति और संपरीक्षक से ऐसा प्रमाणपत्र कि नियुक्ति यदि की जाती है तो वह ऐसी शर्तों के अनुसार होगी जो विहित की जाएं, संपरीक्षक से प्राप्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे प्रमाणपत्र में यह भी घोषणा होगी कि संपरीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 141 के अधीन किसी कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के लिए उपबंधित मानदंड को पूरा करता है ।

(2) निगम किसी व्यक्ति को पांच निरंतर वर्षों की एक से अधिक पदावधि के लिए संपरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा :

परंतु ऐसा संपरीक्षक जिसने नियुक्ति की पदावधि पूरा कर ली है ऐसे समापन से पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए या नई नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह और कि किसी संपरीक्षा फर्म को पांच वर्ष की अवधि के लिए संपरीक्षक रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति की तारीख को ऐसी संपरीक्षा फर्म का एक ही भागीदार रही होती है या रहे होते जिस निगम में संपरीक्षक के रूप में अवधि उस वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में समाप्त हो गई थी जिसमें नई नियुक्ति की जानी है या जो संपरीक्षा फर्म के रूप में संपरीक्षा फर्मों के उसी नेटवर्क से सहयोजित है जिसकी पदावधि उपरोक्त रूप में समाप्त हो गई थी :

परंतु यह भी कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी संपरीक्षक को हटाने के लिए निगम के अधिकार या निगम के ऐसे पद से संपरीक्षक को त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “उसी नेटवर्क” पद के अंतर्गत सामान्य ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अधीन या सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य कर रही या कृत्य कर रही फर्म भी सम्मिलित हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान पर जारी नेटवर्क के लिए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा परिभाषित नेटवर्क फर्म हैं ।

1949 का 38

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम साधारण बैठक में यह उपबंध करने के लिए यह संकल्प लेगा कि—

(क) इसके द्वारा नियुक्त संपरीक्षा फर्म में, संपरीक्षण भागीदार और उसकी टीम ऐसे अंतरालों पर चक्रानुक्रमित की जाएगी जिसका सदस्यों द्वारा संकल्प लिया जाए; या

(ख) संपरीक्षा एक से अधिक संपरीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी ।

(4) किसी संपरीक्षक के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति बोर्ड द्वारा तीस दिन के भीतर भरी जाएगी किंतु यदि ऐसी आकस्मिक रिक्ति किसी संपरीक्षक के त्यागपत्र के परिणाम स्वरूप उद्भूत होती है तो ऐसी नियुक्ति इस निमित्त सिफारिशें करने वाले बोर्ड की तीन मास के भीतर बुलाई गई साधारण बैठक में निगम द्वारा अनुमोदित भी की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक अगली वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक पद धारण करेगा ।

(5) जहां किसी वार्षिक साधारण बैठक में किसी संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है वहां विद्यमान संपरीक्षक निगम के संपरीक्षक के रूप में बना रहेगा ।

(6) सभी नियुक्तियां, जिनके अंतर्गत इस धारा के अधीन किसी संपरीक्षक की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना भी है, संपरीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् की जाएंगी ।

(7) संपरीक्षक का पारिश्रमिक साधारण बैठक में या ऐसी रीति में जो उसमें अवधारित की जाए, नियत किया जाएगा ।

(8) जब तक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक आयोजित नहीं की जाती है तब तक कंपनियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन कंपनियों के संपरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक्तः अर्हित संपरीक्षकों की केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी, और वे निगम से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार नियत करे ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी संपरीक्षक की नियुक्ति वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 25 (जैसी वह वित्त अधिनियम की धारा 128 के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान थी) या ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उपधारा (8) के अधीन प्रथम वार्षिक साधारण बैठक से पूर्व की गई है और ऐसे संपरीक्षक की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है तथा संपरीक्षक उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करता है, वहां ऐसा संपरीक्षक इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक बना रहेगा :

परंतु इस उपधारा या धारा 25क में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे परीक्षक को निगम द्वारा हटाए जाने के उसके अधिकार या निगम के पद से परीक्षक को त्यागपत्र देने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(10) उपधारा (1) या उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन नियुक्त संपरीक्षक निगम या इसकी समनुषंगियों को केवल ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करेगा जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएं, किंतु इनमें ऐसी सेवाओं में से कोई सेवा चाहे वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः की गई हों, सम्मिलित नहीं होंगी, जिन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 144 में प्रगणित किया गया है :

परंतु कोई संपरीक्षक, जो वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 128 के प्रवृत्त होने पर या उससे पूर्व कोई गैर-संपरीक्षा सेवाएं दे रहा है, उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व जिसमें उक्त धारा प्रवृत्त होती है, इस

धारा के उपबंधों का पालन करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “फर्म” शब्द के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित सीमित दायित्व भागीदारी भी सम्मिलित है ।”।

2009 का 6

संपरीक्षक का हटाया जाना और उसका त्यागपत्र ।

“25क (1) धारा 25 के अधीन नियुक्त संपरीक्षक को विशेष संकल्प के द्वारा ही नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित संपरीक्षक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा जिसमें निगम को लिखित में अधिकार को व्यपदिष्ट करना भी सम्मिलित हैं, जो युक्तियुक्त विस्तार से अधिक न हों और जहां संपरीक्षक यह अनुरोध करता है कि प्रत्येक सदस्य को उसकी एक प्रति प्राप्त करने हेतु सदस्यों के लिए ऐसा अभ्यावेदन अधिसूचित किया जाए और यदि बैठक में अभ्यावेदन को पढ़े जाने के लिए मौखिक रूप से सुने जाने वाले अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रति उपरोक्त रूप में नहीं भेजी जाती है क्योंकि यह बहुत विलंब से प्राप्त हुई थी ।

(2) ऐसे संपरीक्षक जिसने निगम से त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निगम के पास विहित प्ररूप में ऐसा विवरण फाइल करेगा जिसमें ऐसे कारण और अन्य तथ्य उपदर्शित होंगे जो त्यागपत्र के संबंध में सुसंगत हों ।

(3) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन की गई कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि संपरीक्षक का कोई बदलाव अपेक्षित है तो वह आदेश कर सकेगी कि संपरीक्षक इस रूप में कार्य नहीं करेगा और ऐसे संपरीक्षक के स्थान पर अन्य संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी ।

संपरीक्षकों की शक्तियां तथा कृत्य और संपरीक्षक की रिपोर्ट ।

25ख.(1) निगम के प्रत्येक संपरीक्षक को सभी समयों पर निगम की लेखा बहियों और उसके वाउचरों तक पहुंच का अधिकार होगा और वे ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण जो संपरीक्षक, संपरीक्षक के रूप में कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, निगम के अधिकारियों से मांगने के हकदार होंगे और अन्य मामलों के साथ निम्नलिखित मामलों में भी जांच करेंगे, अर्थात् :-

(क) क्या निगम द्वारा प्रतिभूति के आधार पर दिए गए ऋणों और अग्रिमों को उचित रूप से प्रतिभूत किया गया है ;

(ख) क्या वे निबंधन जिन पर ऋण और अग्रिम दिए गए हों, निगम या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ;

(ग) क्या निगम के संव्यवहार जिनको बही प्रविष्टियों द्वारा ही व्यपदिष्ट किया गया है, उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ;

(घ) क्या निगम की आस्तियों का उतना भाग जितना शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों से मिलकर बनता है, उस कीमत से कम कीमत पर विक्रय किया गया है जिस पर उन्हें क्रय किया गया था ;

(ङ) क्या निगम द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम निक्षेप के रूप में दर्शाए गए हैं ;

(च) क्या वैयक्तिक व्ययों को राजस्व खाते से प्रभारित किया गया है ;

(छ) जहां निगम की बहियों और दस्तावेजों में यह कथन किया गया है कि कोई शेयर नकदी के लिए आबंटित किए गए हैं चाहे नकदी वास्तविक रूप से ऐसे आबंटन की बाबत प्राप्त की गई है या नहीं और यदि कोई नकदी इस प्रकार वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लेखा-बहियों और तुलनपत्र में यथाकथित स्थिति सही, नियमित है और भ्रामक नहीं है :

परंतु संपरीक्षक को निगम की सभी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के अभिलेखों तक पहुंच का भी अधिकार वहां तक होगा जहां तक उनका संबंध निगम के वित्तीय विवरणों के ऐसी समनुषंगी कंपनियों और सहयुक्त कंपनियों के साथ समेकन से हैं ।

(2) परीक्षक द्वारा परीक्षित लेखाओं पर सदस्यों को रिपोर्ट करेगा और प्रत्येक वित्तीय विवरण पर जिसकी अपेक्षा ऐसी साधारण बैठक में विधि के द्वारा या उसके अधीन की जाती है और ऐसी रिपोर्ट, इस अधिनियम और किसी अन्य विधि के लागू उपबंधों, धारा 24ख में निर्दिष्ट मानकों और ऐसे विषयों जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं पर विचार करने के पश्चात् और संपरीक्षा की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यह कथन होगा कि निगम के वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उक्त लेखाओं और वित्तीय विवरणों में निगम के कार्यकलापों के और वर्ष के लिए उसके लाभ या हानि तथा नकद प्रवाह की अवस्था का सही और उचित विवरण है ।

(3) संपरीक्षक रिपोर्ट में यह भी कथन होगा—

(क) क्या संपरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है और उन्हें प्राप्त कर लिया है जो संपरीक्षक के

सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी और यदि नहीं तो उसके ब्यौरे और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी के प्रभाव;

(ख) क्या संपरीक्षक की राय में, जहां तक इन बहियों की संपरीक्षक की परीक्षा से ऐसा प्रतीत होता है विधि की अपेक्षानुसार उचित लेखा बहियां निगम के द्वारा रखी गई है और संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए ऐसी पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई है जिनका दौरा संपरीक्षक ने नहीं किया था ;

(ग) क्या उपधारा (6) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई रिपोर्ट निगम के संपरीक्षक को भेज दी गई है और वह रीति जिसमें निगम के संपरीक्षक ने संपरीक्षक रिपोर्ट तैयार करने में कार्रवाई की है ;

(घ) क्या रिपोर्ट में चर्चा किए गए निगम के तुलनपत्र तथा लाभ तथा हानि लेखें, लेखाबहियों और विवरणी के अनुरूप हैं ;

(ङ) संपरीक्षक की राय में वित्तीय विवरण लागू मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(च) ऐसे वित्तीय संव्यवहार और मामले जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, के संबंध में संपरीक्षकों की संप्रेक्षण या टीका-टिप्पणियां ;

(छ) क्या कोई निदेशक धारा 4क के खंड (i) के अधीन निदेशक होने या बने रहने के लिए निर्हरित है ;

(ज) कोई अर्हता, आरक्षण या लेखाओं के बनाए रखने से संबंधित प्रतिकूल टिप्पणी और उनसे संबंधित विषय ;

(झ) क्या निगम विद्यमान वित्तीय विवरणों के प्रतिनिर्देश से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता रखता है ;

(ञ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं ।

(4) जहां इस धारा के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए अपेक्षित विषयों में से किसी विषय का उत्तर नकारात्मक रूप से या परिमाण के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके लिए कारणों का उल्लेख होगा ।

(5) ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या विषयों, जिनका निगम के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हों, के संबंध में निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियों को साधारण बैठक में पढ़ा जाएगा और किसी भी

सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।

(6) निगम की किसी शाखा या उसके किसी कार्यालय के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के लिए नियुक्त संपरीक्षक (जिसे इसमें "निगम का संपरीक्षक" कहा गया है) द्वारा या निगम के किसी संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा और धारा 25 के अधीन उस रूप में नियुक्त संपरीक्षक द्वारा की जाएगी या जहां ऐसी शाखा या कार्यालय भारत से बाहर के देश में स्थित है, वहां शाखा या कार्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा या तो निगम के संपरीक्षक द्वारा या किसी लेखाकार द्वारा या उस देश की विधियों के अनुसार शाखा या कार्यालय की लेखाओं के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यकतः अर्हित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी और शाखा या कार्यालय की संपरीक्षा के प्रतिनिर्देश से और निगम के संपरीक्षक और उसके संपरीक्षक, यदि कोई हों, के कर्तव्य और शक्तियां वे होंगी, जो विहित की जाए :

परंतु किसी शाखा या कार्यालय के लिए संपरीक्षक, यथास्थिति, शाखा या कार्यालय की लेखाओं पर, जिनकी परीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की गई है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे निगम के परीक्षक को भेजेगा, जो निगम के संपरीक्षक की रिपोर्ट पर ऐसी रीति में कार्रवाई करेगा जो निगम का संपरीक्षक आवश्यक समझे ।

आंतरिक संपरीक्षा
।

25ग.(1) बोर्ड, संपरीक्षा समिति की सिफारिश पर एक आंतरिक संपरीक्षक नियुक्त करेगा जो या तो चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत लेखापाल होगा या ऐसा अन्य वृत्तिक होगा जो निगम के कृत्यों और क्रियाकलापों की आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए ।

(2) संपरीक्षा समिति—

(क) आंतरिक संपरीक्षक की नियुक्ति, उसकी नियुक्ति का पारिश्रमिक और उसके निबंधनों के लिए बोर्ड को सिफारिश करेगी ;

(ख) आंतरिक संपरीक्षक से परामर्श करके आंतरिक संपरीक्षा संचालित करने के लिए कार्यक्षेत्रों, कार्यकरण, आवधिकता और पद्धति तैयार करेगी ;

(ग) आंतरिक संपरीक्षक के निष्पादन और संपरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन करेगी और उसको मानीटर करेगी ;

विशेष
संपरीक्षक ।

25घ. धारा 19ग, 23क, 25, 25क और 25ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय ऐसे संपरीक्षक

को नियुक्ति कर सकेगी जो वह निगम के लेखाओं की परीक्षा करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए विशेष संपरीक्षक के रूप में ठीक समझे और ऐसे संपरीक्षक को निगम की लेखा बहियों और वाउचरों तक पहुंच तक वही अधिकार और निगम के अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने की हकदारी प्राप्त होगी जैसी वह धारा 25ख के अधीन निगम के संपरीक्षक को प्राप्त है।”।

धारा 26 का संशोधन।

129. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) “निगम” शब्द के स्थान पर “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) “केन्द्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ।

धारा 27 का संशोधन।

130. मूल अधिनियम की धारा 27 में “और रिपोर्ट में ऐसे क्रियाकलापों, यदि कोई हों, का लेखा-जोखा भी दिया जाएगा जिनकी आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा किए जाने की संभावना है” का लोप किया जाएगा ।

धारा 28 का संशोधन।

131. मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“28.(1) यदि धारा 26 के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए किसी अन्वेषण के परिणामस्वरूप कोई अधिशेष—

जीवन बीमा कारबार से प्राप्त अधिशेष का कैसे उपयोग किया जाएगा।

(क) ऐसे वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए धारा 24 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधियां बनाई रखी जानी हैं और ऐसे किसी पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष जिसके लिए सदस्य ऐसी निम्नलिखित उद्भूत निधियों के रख रखाव की छूट प्रदान कर सकेंगे,—

(i) ऐसे अधिशेष का नब्बे प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशतता जिसे बोर्ड अनुमोदित करे, निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा और उनके लिए आरक्षित किया जाएगा; और

(ii) शेष अधिशेष का ऐसा प्रतिशत जिसे बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा बनाए रखे गए पृथक खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षित या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ष से भिन्न प्रत्येक वित्तीय वर्ष के

लिए,—

(i) भाग लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में,—

(I) ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का नब्बे प्रतिशत या उच्चतर प्रतिशत जैसा बोर्ड अनुमोदित करे, भाग लेने वाले पालिसी धारकों की निधि में अंतरित किया जाएगा और निगम के भाग लेने वाले जीवन बीमा पालिसी धारकों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा ; और

(II) शेष अधिशेष का ऐसा प्रतिशत जिसे बोर्ड अनुमोदित करे, सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा और उसे या तो निगम द्वारा बनाए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षित या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ;

(ii) भाग न लेने वाले पालिसी धारकों के संबंध में, ऐसे पालिसी धारकों से संबंधित अधिशेष का एक सौ प्रतिशत निगम द्वारा सदस्यों को आबंटित किया जाएगा या आरक्षित किया जाएगा और उसके द्वारा बनाए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जा सकेगा या ऐसी आरक्षित या आरक्षितियों में अंतरित किया जा सकेगा जैसा बोर्ड विनिर्दिष्ट करे ।

(2) यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) में या उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट शेष अधिशेष और उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट अधिशेष और धारा 28क के अधीन सदस्यों को आबंटित या आरक्षित किया गया लाभ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत लाभांश की घोषणा या संदाय के प्रयोजन, सदस्यों को पूर्णतः समादत्त बोनस शेयरों का निर्गम और ऐसी कोई आरक्षित जिसे बोर्ड ने किसी प्रयोजन के लिए सृजित किया है, भी हैं जिन्हें बोर्ड अनुमोदित करे, उपयोजित किया जाएगा ।

(3) निगम बोर्ड के अनुमोदन से पांच वर्ष में या तीन वर्ष से अन्यून ऐसी अल्पतर अवधि में कम एक बार, जैसा बोर्ड ठीक समझे, अपनी वेबसाइट पर अपनी अधिशेष वितरण पालिसी को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और ऐसी पालिसी में अन्य बातों के साथ-साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।”।

धारा 28क का संशोधन ।

132. मूल अधिनियम की धारा 28क में “केंद्रीय सरकार को दे दिया जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “सदस्यों को आबंटित किया जाएगा

या उनके लिए आरक्षित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 28ख और
धारा 28ग का
अंतःस्थापन ।

लाभांश की
घोषणा ।

133. मूल अधिनियम की धारा 28क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“28ख.(1) कोई लाभांश, अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए ऐसे वर्ष के लिए या अवक्षयण के लिए उपबंध करने के पश्चात् आए किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए और शेष पूर्वोक्त अधिशेषों और शेष अवितरित या लाभों में से धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट या लाभों में से किसी वित्तीय वर्ष के लिए निगम द्वारा घोषित और संदत्त किए जाएंगे अन्यथा नहीं (अवसूलीकृत अभिलाभों, कल्पित अभिलाभों को व्यपदिष्ट करने वाली किसी रकम, आस्तियों के या दायित्व के मूल्यांकन और किसी आस्ति की या उचित मूल्य पर आस्ति के मापमान पर दायित्व की रकम या उचित मूल्य पर दायित्व की रकम को अग्रणीत करने में कोई परिवर्तन को अपवर्जित करने के पश्चात्) :

परंतु मुक्त आरक्षिती से भिन्न आरक्षितियों से निगम द्वारा कोई लाभांश घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि निगम द्वारा कोई लाभांश तब तक घोषित या संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक पूर्व वर्षों से कोई हानि अग्रणीत नहीं की जाती है और उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए लाभांश का घोषित किया जाना या संदत्त किया जाना प्रस्तावित है, धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों के प्रति पूर्व वर्षों में उपबंधित वही किए गए किसी अवक्षयण का मुजरा नहीं किया जाता है ।

(2) बोर्ड, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक के आयोजित किए जाने तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अवधि के दौरान उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए ऐसा लाभांश घोषित किया जाना चाहा गया है, की धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से या चालू वित्तीय वर्ष में सृजित उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिशेषों और लाभों में से ऐसे अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पूर्व तिमाही की समाप्ति तक के लिए अंतरिम लाभांश घोषित कर सकेगा :

परंतु यदि निगम ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्व तिमाही की समाप्ति तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत की है, तो ऐसा अंतरिम लाभांश ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निगम द्वारा घोषित लाभांशों की औसत से अधिक दर पर घोषित नहीं किया जाएगा ।

(3) लाभांश की रकम जिसके अंतर्गत अंतरिम लाभांश भी है, ऐसे लाभांश की घोषणा की तारीख से पांच दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में पृथक् खाते में जमा की जाएगी ।

(4) निगम के किसी शेयर के संबंध में निगम द्वारा कोई लाभांश ऐसे सदस्य को ही दिया जाएगा जिसके नाम में धारा 5ग में निर्दिष्ट सदस्यों के रजिस्टर पर ऐसे शेयर को प्रवृत्त किया जाता है या उसके आदेश पर या उसके बैंकर को दिया जाएगा तथा वह नकद में संदेय होगा और स्टॉक या मूल्य के किसी अन्य रूप में नहीं होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात तत्समयत असंदत किसी रकम का संदाय करने या सदस्यों द्वारा धारित किसी शेयर पर पूर्णतः संदत्त बोनस शेयर जारी करने के प्रयोजन के लिए धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधिक्य और लाभों के पूंजीकरण को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी :

परंतु यह और कि नकद में संदेय की लाभांश ऐसे संदाय के हकदार सदस्य को चेक या वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भी संदत्त किया जा सकेगा ।

असंदत्त लाभांश
खाता ।

28ग. (1) जहां निगम द्वारा लाभांश की घोषणा कर दी गई है किंतु उसे उसके संदाय के हकदार किसी सदस्य को घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त या दावा नहीं किया गया है, तो निगम तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान से सात दिन के भीतर लाभांश की कुल रकम को असंदत्त लाभांश खाता के नाम से ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक में इस निमित्त निगम द्वारा खोले गए विशेष खाते में लाभांश की उस कुल रकम को अंतरित करेगा जो असंदत्त या अदावाकृत रह जाती है ।

(2) निगम, उपधारा (1) के अधीन असंदत्त लाभांश खाते में किसी रकम का अंतरण करने के नब्बे दिन के भीतर एक विवरण तैयार करेगा जिसमें ऐसे असंदत्त लाभांश के हकदार प्रत्येक सदस्य का नाम और ज्ञात अंतिम पता तथा संदेय असंदत्त लाभांश की रकम अंतर्विष्ट होगी और ऐसे विवरण को अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य वेबसाइट पर रखेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) यदि असंदत्त लाभांश खाते में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल रकम या उसका भाग अंतरण करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से उतनी रकम पर जिसे उक्त खाते में अंतरित नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 123 में विनिर्दिष्ट ऐसी दर पर निगम ब्याज का संदाय करेगा और ऐसी रकम

पर प्रोद्भूत ब्याज सदस्यों को असंदत्त रहने वाली रकम के अनुपात में सदस्यों के फायदे के लिए सुनिश्चित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन असंदत्त लाभांश खाते में अंतरित किसी धन की हकदारी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, दावा किए गए धन के संदाय के लिए निगम को आवेदन कर सकेगा ।

(5) सात वर्ष की अवधि के लिए शेष अदावाकृत और असंदत्त रकम उस तारीख से जिसको यह असंदत्त लाभांश लेखा में संदाय के लिए देय हुई थी, कंपनी अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाएगी और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन उक्त निधि में जमा रकम समझी जाएगी ।”।

धारा 46 और धारा 47 का प्रतिस्थापन ।

निगम या समितियों के गठन में या निदेशकों की नियुक्ति या नामनिर्देशन में त्रुटि के कारण कृत्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

134. मूल अधिनियम की धारा 46 और धारा 47 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“46.(1) निगम या इसके बोर्ड या उसकी कोई समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही, केवल, यथास्थिति, निगम या बोर्ड या ऐसी समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में त्रुटि होने मात्र के कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि पश्चातवर्ती यह जानकारी में आया कि किसी निदेशक की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन में किसी त्रुटि या निर्हरता के कारण या इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के पर्यवसान के कारण उस व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में किया गया कोई कार्य अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट की बात ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक के रूप में, यथास्थिति, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन के पश्चात् उसके द्वारा किए गए किसी कृत्य को विधिमान्यता देना नहीं समझी जाएगी जो निगम द्वारा अविधिमान्य या पर्यवसित होना नोटिस किया गया है ”।

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

47.(1) निगम के किसी निदेशक या कर्मचारी के विरुद्ध सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुसरण में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(2) कोई निदेशक, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, उसे निगम के केवल ऐसे कृत्यों के लोप या उन्हें करने के संबंध में, जो उसकी जानकारी में किए गए थे, जो बोर्ड की प्रक्रियाओं के माध्यम से किए

गए माने जा सकते हैं, और जो उसकी सहमति या मौनानुकूलता से किए गए थे या जहां उसने तत्परता से कार्य नहीं किया था, दायी ठहराया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “बोर्ड” के प्रतिनिर्देश के अंतर्गत बोर्ड की समितियां भी होंगी ।”।

धारा 48 का संशोधन ।

135. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में, “सदस्यों” शब्द के स्थान पर, “निदेशकों” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(कक) धारा 4ख के अधीन निदेशक द्वारा हित के प्रकटन की रीति ;

(कख) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड धारा 4ग के अधीन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को सहमति दे सकेगा ;

(कग) वे प्रतिभूतियां और लिखत जिन्हें धारा 5 के अधीन जारी किया जा सकेगा ;

(कघ) धारा 5 की उपधारा (9) के खंड (क) के अधीन पब्लिक इश्यू के संबंध में जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में आरक्षण की रीति और ऐसे आरक्षण के लिए आबंटन ;”;

(iii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(छ) धारा 19ग की उपधारा (2) के खंड (घ) के प्रथम परंतुक के अधीन शर्तें ;”;

(iv) खंड (ज) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(जक) वह रीति जिसमें साधारण बैठकें की जाएंगी और उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(जख) साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति और बैठक करने की रीति यदि इसे धारा 23क के अधीन गणपूर्ति की कमी के कारण आयोजित नहीं किया जा सके और स्थगित कर दिया जाए ;

(जग) वह रीति जिसमें व्यक्ति साधारण बैठक में उपस्थित

हो सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे ;

(जघ) वह रीति जिसमें सदस्यों या अन्य व्यक्तियों को निगम की ओर से नोटिस की तामील की जा सकेगी ;

(जड) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24ख की उपधारा (8) में निर्दिष्ट वित्तीय विवरण जारी, परिचालित या प्रकाशित किए जा सकेंगे;

(जच) वे विषय जिन्हें धारा 24ग की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन विहित किया जा सकेगा ;

(जछ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के चयन की रीति और प्रक्रिया तथा नियुक्ति की शर्तें ;

(जज) वह प्ररूप जिसमें कोई लेखापरीक्षक, जिसने पद त्याग कर दिया है, धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन पद त्याग के सुसंगत कारणों और अन्य तथ्यों को दर्शित करेगा ;

(जझ) धारा 25ख की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन विहित किए जाने वाले विषय ;

(जञ) धारा 25ख की उपधारा (6) के अधीन निगम की शाखा या कार्यालय की लेखापरीक्षा के संदर्भ में निगम के लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां और उसके लेखापरीक्षक;"।

धारा 49 का
संशोधन ।

136. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) में, "निगम" शब्द के स्थान पर, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में, "निगम" शब्द के स्थान पर, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (ड) में, "निधि" शब्द के स्थान पर, "निधि या निधियां" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) वह रीति जिसमें बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें की जाएंगी और उनमें संव्यवहार किया जाने वाला कारबार और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके

लिए गणपूर्ति ;”;

(ड) खंड (झ) का लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ढ) धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ड) के अधीन निदेशकों के निर्वाचन की रीति ;

(ण) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन रखे और अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्ट्रों का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 5च के अधीन व्यष्टिक रजिस्ट्रीकृत सदस्य या शेयर के संयुक्त धारक के नामनिर्देशन की रीति, ऐसे नामनिर्देशन के परिवर्तन या निरस्तीकरण की रीति, और अल्पवय के पक्ष में नामनिर्देशन की रीति ;

(थ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर, जिनके अंतर्गत भागतः संदत्त शेयर भी है, जारी किए जा सकेंगे, धारित किए जा सकेंगे, अंतरित किए जा सकेंगे या रजिस्ट्रीकृत किए जा सकेंगे ;

(द) धारा 24 के अधीन निधियों और आरक्षितियों का अनुरक्षण और प्रचालन ;

(ध) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24क में निर्दिष्ट बहियों और लेखों को रखा जा सकेगा ;”;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2क) वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 123 के प्रवृत्त होने से के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त विनियमों में, “विनिधान समिति” के प्रतिनिर्देश को धारा 19क में निर्दिष्ट बोर्ड की विनिधान समिति के प्रति अर्थान्वयन किया जाएगा।”।

धारा 50 और धारा
51 का
अंतःस्थापन ।

उपांतरणों के साथ
आवेदन करने के
लिए कंपनियों के
लिए प्ररूप, रीति
आदि ।

137. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“50. जहां यह अधिनियम उपबंध करता है कि की जाने वाली किसी घोषणा या अनुरक्षित किए जाने वाले किसी रजिस्ट्र में सम्मिलित किए जाने वाली विशिष्टियों के संबंध में प्ररूप या रीति या अवधि या ब्यौरे ऐसे होंगे जो कंपनी अधिनियम के अधीन किसी कंपनी के लिए विहित किए जाए, यथास्थिति, ऐसे विहित प्ररूप या

रीति या अवधि अथवा ब्यौरे या व्यष्टियां किन्हीं उपांतरणों, अपवादों और शर्तों के अधीन लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

कठिनाईयाँ को दूर करने की शक्ति।

51.(1) यदि वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश वित्त अधिनियम, 2021 के अध्याय 6 के भाग 3 के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।”।

भाग 4

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

138. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2021 को प्रवृत्त होंगे।

धारा 2 का संशोधन।

139. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

1956 का 42

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(घक) “सामूहिक विनिधान इकाई” से भारत में किसी न्यास के रूप में या अन्यथा, स्थापित कोई निधि अभिप्रेत है, जैसे कि कोई पारस्परिक निधि, वैकल्पिक विनिधान निधि, सामूहिक विनिधान स्कीम या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (13क) में यथा परिभाषित कोई कारबार न्यास और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है, या ऐसी अन्य निधि, जो विनिधानकर्ताओं से धन जुटाती है या धन का संग्रहण करती है और ऐसी निधियों का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले ऐसे विनियमों के अनुसार विनिधान करती है ;’;

1961 का 43

(ii) खंड (ज) में,—

(क) उपखंड (i) में, “अन्य निगमित निकाय” शब्दों के स्थान पर, “या कोई सामूहिक विनिधान इकाई या अन्य निगमित निकाय” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iघक) किसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा जारी की गई यूनिट या कोई अन्य लिखत ;”।

नई धारा 30ख का
अंतःस्थापन ।

140. मूल अधिनियम की धारा 30क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सामूहिक
विनिधान इकाई
से संबंधित विशेष
उपबंध ।

“30ख. (1) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सामूहिक विनिधान इकाई, चाहे उसे एक न्यास के रूप में या अन्यथा गठित किया गया हो, और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हो, ऐसी रीति में और उस सीमा तक, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, उधार लेने और ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए पात्र होगी ।

1882 का 2

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सामूहिक विनिधान इकाई को, न्यास विलेख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उधार देने वाले व्यक्तियों को, ऐसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा किए गए सुविधा दस्तावेजों के निबंधनानुसार प्रतिभूति हित उपलब्ध कराने की अनुमति होगी ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई सामूहिक विनिधान इकाई, मूल धन के प्रतिसंदाय ब्याज या उधार देने वाले व्यक्ति को ऐसी शोध्य रकम के संदाय में व्यतिक्रम करती है, वहां उधार देने वाला व्यक्ति, व्यतिक्रम की गई रकम की वसूली करेगा और सुविधा दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार, ऐसी सामूहिक विनिधान इकाई की ओर से कार्य करने वाले न्यासी के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करके, न्यास की आस्तियों के प्रति प्रतिभूति हित, यदि कोई हो, का प्रवर्तन करेंगे :

परंतु न्यास आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने पर, न्यासी व्यक्ति रूप से दायी नहीं होगा और उसकी आस्तियों का ऐसे ऋण की वसूली के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(4) न्यास की आस्तियां, जो उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा

व्यतिक्रम की रकम की वसूली के पश्चात् शेष रह जाती हैं, आनुपातिक आधार पर यूनिट धारकों को वापस कर दी जाएगी ।”।

भाग 5

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

धारा 8 का संशोधन ।

141. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (3) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

1956 का 74

“(ख) उस वर्ग या उन वर्गों के माल हैं, जो माल को खरीदने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के रजिस्टर करने के प्रमाणपत्र में ऐसे माल के रूप में विनिर्दिष्ट है, जो उसके द्वारा पुनःविक्रय के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा धारा 2 के खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट मालों के विक्रय के लिए विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है ;”।

भाग 6

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

142. इस भाग के उपबंध 1 जुलाई, 2021 को प्रभावी होंगे ।

1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन ।

143. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (1) में, “के अधीन नियुक्त” शब्दों के स्थान पर “में निर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का प्रतिस्थापन ।

144. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ।

“7. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत सक्षम प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता, शक्तियों और प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा ।”।

1976 का 13

धारा 8 से धारा 17 का लोप ।

145. धारा 8 से धारा 17 का लोप किया जाएगा ;

धारा 26 का संशोधन ।

146. धारा 26 में, उपधारा (7) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु जहां इस उपधारा के अधीन आदेश पारित करने के लिए

समय-सीमा का 1 जुलाई, 2021 से प्रारंभ होकर 29 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर अवसान हो जाता है, ऐसा आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का विस्तार 30 सितंबर, 2021 तक किया जाएगा।”;

धारा 68 का संशोधन।

147. धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

भाग 7

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का संशोधन

1992 के अधिनियम 15 का संशोधन।

148. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2021 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

1992 का 15

“(1ग) कोई व्यक्ति आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (13क) के अधीन यथा परिभाषित वैकल्पिक विनिधान निधि या कारबार न्यास के क्रियाकलाप तब तक प्रायोजित नहीं करेगा या नहीं करवाएगा या नहीं चलाएगा या नहीं चलवाएगा जब तक बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया जाता है।”।

1961 का 43

भाग 8

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 का संशोधन

1993 के अधिनियम 51 का संशोधन।

149. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (छ) में, “किसी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित कोई पूलित विनिधान इकाई शब्द 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

1956 का 42

1961 का 43

भाग 9

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

सातवीं अनुसूची का संशोधन।

150. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,--

(क) “(धारा 138 देखें)” कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “(धारा 136 देखें)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, 1 जनवरी, 2022 से, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“2404 11 00	--	तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू सहित	कि.ग्रा.	25%
2404 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	25%”।

भाग 10

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का संशोधन

2002 के अधिनियम सं0 54 का संशोधन ।

151. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2021 से—

2002 का 54

(i) खंड (च) में,—

(क) ‘ “उधार लेने वाले” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है’ शब्दों के स्थान पर, ‘ “उधार लेने वाले” से ऐसा कोई व्यक्ति या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (घक) में यथा परिभाषित कोई सामूहिक विनिधान इकाई अभिप्रेत है’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

1956 का 42

(ख) “इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है” शब्दों के स्थान पर, “इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या कोई सामूहिक विनिधान इकाई भी है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (यघ) के उपखंड (iv) में, “प्रतिभूत ऋण के लिए किसी कंपनी द्वारा नियुक्त बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर न्यासी” शब्दों के स्थान पर, “किसी बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत ऋण के लिए नियुक्त डिबेंचर न्यासी” शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 11

औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

152. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 3 का संशोधन ।

153. औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (2) में,—

2003 का 53

(i) आरंभिक पैरा में, “ऐसे कारबार के अतिरिक्त, जो विकास बैंक द्वारा किया जा सकेगा या उसके द्वारा संव्यवहृत किया जा सकेगा,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि खंड (क) के परंतुक के उपबंध वित्त अधिनियम, 2021 के भाग के लागू होने के तुरंत पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रहेंगे और ऐसे प्रारंभ से कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है।”;

1949 का 10

भाग 12

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ।

154. इस भाग के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे और प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

धारा 97 का संशोधन।

155. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 97 में,—

2004 का 23

(i) खंड (13) के उपखंड (ख) में “पारस्परिक निधि” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पारस्परिक निधि” ; या

(खक) 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् ऐसी बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण साम्योन्मुखी निधि की यूनिट का विक्रय या उसका वापस किया जाना या उसका मोचन ;”;

(ii) खंड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(13क) “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा (10घ) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

1961 का 43

धारा 98 का संशोधन।

156. मूल अधिनियम की धारा 98 की सारणी में, क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“5क. 1 फरवरी, 2021 को या [0.001] विक्रेता”
उसके पश्चात् ऐसी बीमा प्रतिशत
कंपनी द्वारा जारी यूनिट

संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण साम्योन्मुखी निधि की यूनिट का विक्रय या उसका वापस किया जाना या उसका मोचन

धारा 100 का संशोधन ।

157. मूल अधिनियम की धारा 100 में, “पारस्परिक निधि” शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां वे आते हैं, “या बीमा कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 101 का संशोधन ।

158. मूल अधिनियम की धारा 101 में, “पारस्परिक निधि” शब्दों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, “या बीमा कंपनी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

भाग 13

वित्त अधिनियम, 2016 का संशोधन

2016 के अधिनियम संख्यांक 28 का संशोधन ।

159. वित्त अधिनियम, 2016 में,--

(क) निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

(i) धारा 163 की उपधारा (3) में निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल और ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में ऐसे प्रतिफल को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन अधिसूचित करार है, जो स्वामिस्व या फीस के रूप में तकनीकी सेवाओं के लिए कराधेय हैं ।”;

(ii) धारा 164 के खंड (गख) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “माल का आनलाइन विक्रय” और “सेवाओं की आनलाइन व्यवस्था” पदों में निम्नलिखित एक या अधिक आनलाइन क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे, अर्थात् :--

(क) विक्रय के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति ; या

- (ख) क्रय आदेश देना ; या
 (ग) क्रय आदेश की स्वीकृति ; या
 (घ) प्रतिफल का संदाय ; या
 (ङ) आंशिक या पूर्ण रूप से माल की पूर्ति या सेवाओं की व्यवस्था ;”;

(iii) धारा 165क की उपधारा (3) में,--

(अ) आरंभिक भाग में, 'इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट परिस्थितियों" से,--' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :--

‘इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “विनिर्दिष्ट परिस्थितियों” से,--”;

(आ) इस प्रकार यथासंशोधित खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(ख) ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(i) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या ई-वाणिज्य प्रचालक माल का स्वामी है अथवा नहीं, माल के विक्रय के लिए प्रतिफल ;

(ii) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या सेवा की व्यवस्था किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा की गई है या उसके द्वारा सुकर बनाई गई है, सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रतिफल ।”।

(ख) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 191 के परंतुक में, “प्रतिदेय होगा” शब्दों के स्थान पर “बिना किसी ब्याज के प्रतिदेय होगा” शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2016 से रखे गए समझे जाएंगे ।

भाग 14

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 का संशोधन

2020 के अधिनियम संख्यांक 3 का संशोधन ।

160. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 में 17 मार्च, 2020 से निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 2 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया

जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ‘अपीलार्थी’ पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा और कभी भी सम्मिलित हुआ नहीं समझा जाएगा, जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा अथवा दोनों के द्वारा, किसी अपील मंच के समक्ष आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19क के अधीन आय-कर समझौता आयोग के किसी आदेश से उद्भूत होने वाली कोई रिट याचिका या विशेष इजाजत याचिका या कोई अन्य कार्यवाही फाइल की गई है और ऐसी याचिका या अपील या तो लंबित है या उसका निपटारा कर दिया गया है।”;

1961 का 43

(ii) खंड (अ) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, यथास्थिति, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में ‘विवादित कर’ पद में आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में या तो कर, शास्ति अथवा ब्याज के माध्यम से संदेय कोई राशि सम्मिलित नहीं होगी और कभी सम्मिलित हुई नहीं समझी जाएगी।”;

(iii) खंड (ण) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ‘कर बकाया’ पद के अंतर्गत आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में या तो कर, शास्ति अथवा ब्याज के माध्यम से संदेय कोई राशि सम्मिलित नहीं होगी और कभी सम्मिलित हुई नहीं समझी जाएगी।”।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि यह लोकहित में समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 95(i), खंड 115 और खंड 116 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

1931 का 16

पहली अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,--

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है | 12,500 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है | 1,12,500 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है । |
- (II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है--

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है | 10,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है | 1,10,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 |

रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है--

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक कुछ नहीं ;
नहीं है
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल
किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती
है ;
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है 1,00,000 रु0 धन उस रकम का 30
प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000
रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रूपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य आय सम्मिलित हैं, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,--

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,--

आय-कर की दरें

- | | |
|--|---|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है | 1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है | 3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़

रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,--

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,--

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,--

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,--

(i) जहां पूर्ववर्ष 2018-19 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां कुल आय का 25 प्रतिशत चार अरब रुपए से अधिक न हो ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय

कुल आय का 30
प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,--

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,--

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,--

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल

रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :-

		आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,--		
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,--		
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर		10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर		30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर		30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर		5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर--		10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;		
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;		
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति		
(vi) किसी अन्य आय पर		10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,--		
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,--		
(अ) विनिधान से किसी आय पर		20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर		10 प्रतिशत ;

- (इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर अन्य आय पर 20 प्रतिशत ;
- (उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;
- (ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्याधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;
- (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,-- 10 प्रतिशत ;
- (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ओ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

- (अं) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (अः) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,--
- (अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्याधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है, 10 प्रतिशत ;
- (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (उ) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;
- (ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

- (ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] 20 प्रतिशत ;
- (ओ) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,--
- (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,--
- (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iv) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,--
- (i) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;
- (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv)

में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]--

(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,--	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर	10 प्रतिशत ;
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(x) लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण--इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,--

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,--

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,--

1. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर

से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परंतु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रूपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रूपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रूपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रूपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकघ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखड या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ड या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,--

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है | 12,500 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है | 1,12,500 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है--

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रु से अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है | 10,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है | 1,10,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है । |

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है--

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से अधिक है | 1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार या आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,--

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,--

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;

- (2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है 1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है 3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

कंपनी की दशा में,--

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,--

(i) जहां पूर्व वर्ष 2019-2020 में उसका कुल आवर्त या सकल कुल आय का 25 प्राप्ति 50 प्रतिशत ;
प्रप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,--

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,--

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ;
अनुमोदित कर दिया गया है

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,--

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1--आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2--आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा

43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3-आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4-इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में--

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साथ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माकड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पेंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साथ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5-जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6-जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7-राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

(v) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9--जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10--आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11--निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची
[धारा 95(i) देखें]

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 28 में, टैरिफ मद 2803 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 39 में, शीर्ष 3925 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 70 में, शीर्ष 7007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 71 में, टैरिफ मद 7104 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 84 में,--

(i) उपशीर्ष 8414 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 8414 80 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 85 में,--

(i) उपशीर्ष 8501 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8501 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 50 और 8501 53 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8504 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8512 90 00, 8536 41 00 और 8536 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 8537 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ

(4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 8544 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 90 में,--

(i) टैरिफ मद 9031 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 9032 89 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9104 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची
[धारा 95(ii) देखें]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 27 में, 1 अप्रैल, 2021 से, शीर्ष 2709, टैरिफ मद 2709 10 00 और टैरिफ मद 2709 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद (1)	माल का विवरण (2)	इकाई (3)	शुल्क की दर (4)
"2709	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00	-- पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00 10	--- पेट्रोलियम कच्चा तेल	कि.ग्रा.	5% -
2709 00 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	5% -"।

चौथी अनुसूची

[धारा 95 (iii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 2 के टिप्पण में,--

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(ख) खाने योग्य, अजीवित कीड़े (शीर्ष 0410) ;”;

(ii) विद्यमान खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग) और खंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(2) अध्याय 3 में,--

(i) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“3. शीर्ष 0305 से शीर्ष 0308 के अंतर्गत मानव उपभोग के लिए उपयुक्त आटे, भोजन और गोलियां आती हैं, (शीर्ष 0309).”;

(ii) शीर्ष 0302 में,--

(क) टैरिफ मद 0302 29 00 के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“- टूना (जीनस थूनुस की), स्किपजैक टूना (उदर पट्टित बोनिटो) (केटसूबोनस पेलामिस), उपशीर्ष 030291 से उपशीर्ष 030299 तक की खाने योग्य मत्स्य छीछड़े को छोड़कर :”;

(ख) टैरिफ मद 0302 33 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“-- स्किपजैक टूना (उदर पट्टित बोनिटो) (केटसूबोनस पेलामिस)”;

(ग) टैरिफ मद 0302 55 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“-- अलास्का पोलक (थेरागरा चेल्कोग्रामा)”;

(iii) शीर्ष 0303 में,--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(क) टैरिफ मद 0303 39 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- टूना (जीनस थूनुस की), स्किपजैक टूना (उदर पट्टित बोनिटो) (केटसूबोनस पेलामिस), उपशीर्ष 0303 91 से उपशीर्ष 030399 तक के खाने योग्य मत्स्य छीछड़े को छोड़कर :”;

(ख) टैरिफ मद 0303 43 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- स्किपजैक टूना (उदर पट्टित बोनिटो) (केटसूबोनस पेलामिस)”;

(ग) टैरिफ मद 0303 67 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अलास्का पोलक (थेरागरा चेल्कोग्रामा)”;

(iv) शीर्ष 0304 में,—

(क) टैरिफ मद 0304 75 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अलास्का पोलक (थेरागरा चेल्कोग्रामा)”;

(ख) टैरिफ मद 0304 87 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- टूना (जीनस थूनुस की), स्किपजैक टूना (उदर पट्टित बोनिटो) (केटसूबोनस पेलामिस)”;

(ग) टैरिफ मद 0304 94 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अलास्का पोलक (थेरागरा चेल्कोग्रामा)”;

(घ) टैरिफ मद 0304 95 00, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अलास्का पोलक (थेरागरा चेल्कोग्रामा) से भिन्न, (ब्रेगमासिरोटिडी, यूक्लीक्थाईडी, गेडिडी, मेक्रोयूरिडी, मेलानोनिडी, मेरलूसिडी) मोरिडी और म्यूरैनोलेपिडिडी कुलों की मछली”;

(v) शीर्ष 0305 में,—

(क) शीर्ष 0305 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

जाएगी, अर्थात् :-

“सूखी, लवणित या नमक लगी हुई मछली ;
धूम्रित मछली, चाहे वह धूम्र प्रक्रिया के पूर्व या
उसके दौरान पकाई हुई हों या नहीं”;

(ख) टैरिफ मद 0305 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(vi) शीर्ष 0306 में,—

(क) शीर्ष 0306 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“क्रस्टेशियन, चाहे खोल में हों या नहीं, जीवित,
ताजे, शीतित, जमाए हुए, सूखे, लवणित या
नमक लगे हुए ; धूम्रित क्रस्टेशियन, चाहे खोल
में हों या नहीं, चाहे वह धूम्र प्रक्रिया के पूर्व या
उसके दौरान पकाए हुए हों या नहीं, खोल में
क्रस्टेशियन, भाप द्वारा या जल में उबाल कर
पकाए हुए, चाहे शीतित, जमाए हुए, सूखे,
लवणित या नमक लगे हुए हों”;

(ख) टैरिफ मद 0306 19 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर,
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अन्य”;

(ग) टैरिफ मद 0306 39 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर,
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अन्य”;

(घ) टैरिफ मद 0306 99 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर,
निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अन्य”;

(vii) शीर्ष 0307 में,—

(क) शीर्ष 0307 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“मोलस्क, चाहे खोल में हों या नहीं ; जीवित,
ताजे, शीतित, जमाए हुए, सूखे, लवणित या
नमक लगे हुए, धूम्रित मोलस्क, चाहे खोल में हों
या नहीं, चाहे वह धूम्र प्रक्रिया के पूर्व या उसके
दौरान पकाए हुए हों या नहीं ”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) टैरिफ मद 0307 19 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

“- स्केलोप्स और पैक्टीनीडि कुल के अन्य मोलस्क .”;

(ग) टैरिफ मद 0307 88 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- अन्य”;

(viii) शीर्ष 0308 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“क्रस्टेशियन और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकीय जीवित, ताजे, शीतित, जमाए हुए, सूखे, लवणित या नमक लगे हुए ; और क्रस्टेशियन और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकीय चाहे वह धूम प्रक्रिया के पूर्व या उसके दौरान पकाए हुए हों या नहीं;”

(ix) टैरिफ मद 0308 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

0309	मानव उपभोग के लिए उपयुक्त, मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकीय के आटे, भोजन और गोलियां				
0309 10	- मछली के :				
0309 10 10	--- ताजा या शीतित	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 10 20	--- जमी हुई	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 10 30	--- लवणित या नमक लगी हुई, सूखी या धूमित	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 10 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 90	- अन्य :				
	--- क्रस्टेशियन के, ताजे या शीतित :				
0309 90 11	---- वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 90 12	---- भारतीय सफेद झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 90 13	---- ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-	
0309 90 14	---- फलावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-	

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0309 90 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	--- जमे हुए क्रस्टेशियन:			
0309 90 21	---- वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 22	---- भारतीय सफेद झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 23	---- ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 24	---- फलावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 29	---- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	--- क्रस्टेशियन के, लवणित, नमक लगे हुए, सूखे या धूमित			
0309 90 31	---- वेनेमई झींगी (लिटोपेनियस वेनेमई)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 32	---- भारतीय सफेद झींगी (फेनेरोपेनियस इंडीकस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 33	---- ब्लैक टाइगर झींगी (पेनियस मोनोडोन)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 34	---- फलावर झींगी (पेनियस सेमीसलकेटस)	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 39	---- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 40	--- अन्य, क्रस्टेशियन के	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 50	--- मोलस्क के, ताजे या शीतित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 60	--- मोलस्क के, जमे हुए	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 70	--- मोलस्क के, लवणित, नमक लगे हुए, सूखे या धूमित	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 80	--- अन्य, मोलस्क के	कि.ग्रा.	30%	-
0309 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(3) अध्याय 4 में,—

(i) टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“2. शीर्ष 0403 के प्रयोजनों के लिए, दही गाढ़ा या सुवासित हो सकेगा और उसमें मिलाई हुई चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ, फल, गिरियां, कोकोआ, चाकलेट, मसाले, काफी या काफी के सत्व, पौधे, पौधों के भाग, अन्न या बेकर वेयर हो सकेंगे, परंतु किसी भी मिलाए हुए तत्व को पूर्णतः या भागतः किसी दुग्ध संघटक को बदलने के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और उत्पाद दही के आवश्यक चरित्र को बनाए रखेगा।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 2 और टिप्पण 3 को क्रमशः टिप्पण 3 और टिप्पण 4 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) विद्यमान टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“5. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं :

(क) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त, अजीवित कीड़े (शीर्ष 0511) ;

(ख) मट्टे से प्राप्त उत्पाद, जिनमें सूखे पदार्थ के आधार पर संगणित करके, अजलीय लैक्टोज के रूप में व्यक्त, लैक्टोज वजन के 95% से अधिक अंतर्विष्ट है (शीर्ष 1702) ;

(ग) अन्य तत्वों (उदाहरण के लिए ओलिक वसा) द्वारा इसके एक या अधिक प्राकृतिक संघटकों (उदाहरण के लिए ब्यूटीरिक वसा) से बदल कर दुग्ध से प्राप्त उत्पाद (शीर्ष 1901 या शीर्ष 2106) ; या

(घ) (सूखे पदार्थ के आधार पर संगणित 80% से अधिक मट्टा प्रोटीन वजन अंतर्विष्ट करने वाले दो या अधिक मट्टा प्रोटीन के सांद्र समेत) एल्बूमिन (शीर्ष 3502) या ग्लोबुलिन (शीर्ष 3504) ।

6. शीर्ष 0410 के प्रयोजनों के लिए, “कीड़े” पद से खाने योग्य अजीवित कीड़े, पूर्ण या भाग रूप में, ताजे, शीतित, जमे हुए, सूखे, धूमित, लवणित या नमक लगे हुए के साथ-साथ मानव उपभोग के लिए उपयुक्त कीड़ों के आटे और भोजन अभिप्रेत हैं । तथापि, इसके अंतर्गत अन्यथा तैयार या परिरक्षित किए गए खाने योग्य अजीवित कीड़े नहीं आते हैं (साधारणतया अनुभाग 4)।”;

(iv) शीर्ष 0403 में,—

(क) शीर्ष 0403 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“दही ; छाछ, जमाया हुआ दूध और क्रीम, केफिर और अन्य किण्वित या अम्लित दूध और क्रीम, चाहे वे गाढ़े हों या नहीं, या उनमें मिलाई हुई चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ या सुवासित अथवा मिलाए हुए फल, गिरियां या कोकोआ हों अथवा नहीं;”

(ख) टैरिफ मद 0403 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“0403 20 00 - दही कि.ग्रा. 30% -”;

(v) शीर्ष 0410, उपशीर्ष 0410 00, टैरिफ मद 0410 00 10 से टैरिफ मद 0410 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“0410 जान्तव मूल के कीड़े और अन्य खाने योग्य उत्पाद, जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए हैं

0410 10 - कीड़े :

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0410 10 10	--- ताजे, शीतित या जमे हुए	कि.ग्रा.	30%	-
0410 10 20	--- लवणित, नमक लगे हुए, सूखे या धूमित	कि.ग्रा.	30%	-
0410 10 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90	- अन्य :			
0410 90 10	--- जंगली पशु	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90 20	--- कछुए के अंडे और सेलेनगैस के घोंसले ("पक्षियों के घोंसले")	कि.ग्रा.	30%	-
0410 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(4) अध्याय 7 में,-

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5. शीर्ष 0711 उन सब्जियों को लागू होता है, जिन्हें उपयोग के पहले परिवहन या भंडारण के दौरान उनका अनंतिम परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उपचारित किया जाता है (उदाहरणार्थ, नमक लगाकर, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक विलयनों में, सल्फर डाईआक्साईड गैस द्वारा), परंतु वे उस अवस्था में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त रहते हैं।";

(ii) शीर्ष 0704 में, टैरिफ मद 0704 10 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- फूल गोभी और ब्रोकली";

(iii) शीर्ष 0709 में, टैरिफ मद 0709 51 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"0709 52 00	--	जीनस बोलेटस के मशरूम	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 53 00	--	जीनस कैथेरैलस के मशरूम	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 54 00	--	शिटेक (लैंटीनस इडोडस)	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 55 00	--	मटसूटेक (ट्राईकोलोमा मटसूटेक, ट्राईकोलोमा मेगनीवेलर, ट्राईकोलोमा एनाटोलिकम, ट्राईकोलोमा डलकियोलेस, ट्राईकोलोमा केलीगेटम)	कि.ग्रा.	30%	20%
0709 56 00	--	ट्रफल (ट्यूबर स्पी.)	कि.ग्रा.	30%	20%";

(iv) शीर्ष 0711 में, शीर्ष 0711 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनंतिम रूप से परिरक्षित सब्जियां, किंतु तुरंत उपभोग के लिए उस अवस्था में अनुपयुक्त;"

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(v) शीर्ष 0712 में, टैरिफ मद 0712 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“0712 34 00 -- शिटेक (लैंटीनस इडोडस) कि.ग्रा. 30% 20%”;

(5) अध्याय 8 में,-

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4. शीर्ष 0812 उन फलों और गिरियों को लागू होता है, जिन्हें उपयोग के पहले परिवहन या भंडारण के दौरान (उदाहरण के लिए सल्फर डाईआक्साईड गैस, नमक लगाकर, सल्फर जल में या अन्य परिरक्षक विलयनों द्वारा) उनका अनंतिम परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः उपचारित किया जाता है, परंतु वे उस अवस्था में तुरंत उपभोग के लिए अनुपयुक्त रहते हैं।”;

(ii) शीर्ष 0802 में, टैरिफ मद 0802 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- अन्य :

0802 91 00	--	पाइन गिरी, छिलके में	कि.ग्रा.	100%	90%
0802 92 00	--	पाइन गिरी, छिलकायुक्त	कि.ग्रा.	100%	90%
0802 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	100%	90%”;

(iii) शीर्ष 0805 में, टैरिफ मद 0805 40 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- छोटा चकोतरा और चकोतरा”;

(iv) शीर्ष 0812 में, शीर्ष 0812 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

**“अनंतिम रूप से परिरक्षित फल और गिरियां,
परंतु उस अवस्था में तुरंत उपभोग के लिए
अनुपयुक्त”;**

(6) अध्याय 10 के टिप्पण 1 में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) इस अध्याय के अंतर्गत वे अनाज नहीं आते हैं, जिनका छिलका उतार दिया है या अन्यथा दल दिया गया है। तथापि छिलका निकाले हुए, दले हुए, पोलिश किए हुए, चमकाए हुए, सेला या टूटे हुए, चावल, शीर्ष 1006 में वर्गीकृत रहेंगे। इसी प्रकार, सेपोनिन को अलग करने के लिए क्विनोआ, जिससे पेरीकार्प पूर्णतः या भागतः हटा दी गई हैं, शीर्ष 1008 में वर्गीकृत रहेगी।”;

(7) अध्याय 12 में, शीर्ष 1211 में, टैरिफ मद 1211 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“1211 60 00 - अफ्रीकन चैरी की छाल (प्रूनस अफ्रीकाना) कि.ग्रा. 30% -”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(8) अनुभाग 3 में, अनुभाग शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद ; तैयार खाने योग्य वसा ; पशु या वनस्पति मोम”;

(9) अध्याय 15 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके विदलन उत्पाद ; तैयार खाने योग्य वसा ; पशु या वनस्पति मोम”;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 1509 30 के प्रयोजनों के लिए, 2.0 ग्रा./100 ग्रा. से अनधिक ओलिक अम्ल के रूप में व्यक्त निःशुल्क अम्लता वाला वर्जिन जैतून का तेल है और उसे कोडेक्स एलीमेनटेरियस मानक 33-1981 में इंगित विशेषताओं के अनुसार अन्य वर्जिन जैतून के तेल प्रवर्गों से विभेद किया जा सकता है ।

2. उपशीर्ष 1514 11 और उपशीर्ष 1514 19 के प्रयोजनों के लिए, "निम्न इरुसिक अम्ल रैप या कोल्जा तेल" पद से वह नियत तेल अभिप्रेत है, जिसमें वजन के अनुसार 2 % से कम इरुसिक अम्ल का सत्व है ।”;

(iii) शीर्ष 1509 में, टैरिफ मद 1509 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1509 20 00	-	एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1509 30 00	-	वर्जिन जैतून का तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1509 40 00	-	अन्य वर्जिन जैतून के तेल	कि.ग्रा.	45%	35%”;

(iv) शीर्ष 1510, उपशीर्ष 1510 00, टैरिफ मद 1510 00 10 से टैरिफ मद 1510 00 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1510		पूर्णतः जैतूनों से प्राप्त, अन्य तेल और उनके अंश, चाहे वे रिफाइंड हों या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित न हों, इसके अंतर्गत इन तेलों के ब्लेंड या तेलों के अंश या शीर्ष 1509 के अंश भी हैं			
1510 10 00	-	कच्चा जैतून फलमेष तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1510 90	-	अन्य :			
1510 90 10	---	रिफाइंड जैतून फलमेष तेल	कि.ग्रा.	45%	35%
1510 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	45%	35%”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(v) शीर्ष 1515 में,—

(क) शीर्ष 1515 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “या वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “,वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 1515 50 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“1515 60 00 - सूक्ष्मजीवी वसा और तेल तथा उनके अंश कि.ग्रा. 100% 90%”;

(vi) शीर्ष 1516 में,—

(क) शीर्ष 1516 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “या वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 1516 20 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“1516 30 00 - सूक्ष्मजीवी वसा और तेल तथा उनके अंश कि.ग्रा. 30% -”;

(vii) शीर्ष 1517 में, शीर्ष 1517 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“मारग्रीन ; पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसाओं या तेलों के अंश, शीर्ष 1516 के खाने योग्य वसाओं और तेलों या उनके अंशों से भिन्न ;”;

(viii) शीर्ष 1518 में,—

(क) शीर्ष 1518 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा और तेल और उनके अंश, उबाले हुए, आक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरित, आध्मानित, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलीकृत या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, शीर्ष 1516 में उल्लिखित को छोड़कर कहीं अन्य विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं, इस अध्याय के, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेल या इस अध्याय के विभिन्न वसाओं या तेलों के अंश को छोड़कर”;

(ख) उपशीर्ष 1518 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) अनुभाग 4 में, अनुभाग शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“तैयार खाद्य पदार्थ ; बेवरेज, स्पिरिट और सिरका ; तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू प्रतिस्थापन ; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन हों या नहीं, जो दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित हैं ; मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले अन्य उत्पाद”;

(11) अध्याय 16 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकीयों के, या कीड़ों के, मांस की निर्मितियां”;

(ii) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1. इस अध्याय के अंतर्गत, अध्याय 2 या अध्याय 3, अध्याय 4 के टिप्पण 6 या शीर्ष 0504 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा तैयार या परिरक्षित मांस, मांस के छीछड़े, मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकीय के साथ-साथ कीड़े नहीं आते हैं ।”;

(iii) टिप्पण 2 में, “रक्त, मछली” शब्दों के स्थान पर, “रक्त, कीड़े, मछली” शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपशीर्ष टिप्पण 1 में,—

(क) “मांस, मांस के छीछड़े या रक्त की निर्मितियां” शब्दों के स्थान पर, “मांस, मांस के छीछड़े, रक्त या कीड़ों की निर्मितियां” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “मांस या मांस के छीछड़ों के दृश्यमान टुकड़े” शब्दों के स्थान पर, “मांस, मांस के छीछड़ों या कीड़ों के दृश्यमान टुकड़े” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) टैरिफ मद 1601 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“मांस, मांस के छीछड़े, रक्त या कीड़े के सासेज और वैसे ही उत्पाद ; इन उत्पादों पर आधारित खाद्य निर्मितियां”;

(vi) शीर्ष 1602 में, शीर्ष 1602 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अन्य तैयार या परिरक्षित मांस, मांस के छीछड़े, रक्त या कीड़े”;

(vii) शीर्ष 1604 में, उपशीर्ष 1604 14 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“-- टूना, स्किपजैक टूना और बोनिटो (सारडा स्पी.):”;

(12) अध्याय 18 में, टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1. इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते :

(क) खाद्य निर्मितियां, जिनमें सासेज, मांस, मांस के छीछड़े, रक्त, कीड़े, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकीयों के वजन का 20% से अधिक अंतर्विष्ट हों, या उनका कोई संयोजन (अध्याय 16) ;

(ख) शीर्ष 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 या 3004 की निर्मितियां।”;

(13) अध्याय 19 में, टिप्पण 1 के खंड (क) में, “रक्त, मछली” शब्दों के स्थान पर, “रक्त, कीड़े, मछली” शब्द रखे जाएंगे ;

(14) अध्याय 20 में,—

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ख) वनस्पति वसा और तेल (अध्याय 15);

(ग) खाद्य निर्मितियां, जिनमें सासेज, मांस, मांस के छीछड़े, रक्त, कीड़े, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकीयों के वजन के 20% से अधिक अंतर्विष्ट हों (अध्याय 16);”;

(आ) विद्यमान खंड (ग) और खंड (घ) को क्रमशः खंड (घ) और खंड (ड) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 2008 में, टैरिफ मद 2008 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- क्रेनबेरीज (वेकीनियम मेक्रोकार्पोन, वेकीनियम आक्सीकोकस) ; लिंगोबेरीज (वेकीनियम विटिस-आईडेया)”;

(iii) शीर्ष 2009 में,—

(क) शीर्ष 2009 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“फल और गिरी रस (जिसके अंतर्गत द्राक्षा रस और नारियल पानी भी हैं) और वनस्पति रस, अकिण्वित और जिनमें मिलाई गई स्पिरिट नहीं हैं, चाहे उनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मीठा करने वाला पदार्थ अंतर्विष्ट हों”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) टैरिफ मद 2009 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- छोटा चकोतरा रस ; चकोतरा रस .”;

(ग) टैरिफ मद 2009 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- किसी अन्य एकल फल, गिरी या वनस्पति का रस .”;

(घ) टैरिफ मद 2009 81 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“-- क्रेनबेरी (वेकीनियम मेक्रोकार्पोन, वेकीनियम आक्सीकोकस) रस ; लिंगोबेरीज (वेकीनियम विटिस-आईडेया) रस”;

(15) अध्याय 21 के टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) शीर्ष 2404 के उत्पाद .”;

(आ) विद्यमान खंड (च) और खंड (छ) को क्रमशः खंड (छ) और खंड (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा ;

(16) अध्याय 22 के शीर्ष 2202 में, शीर्ष 2202 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 23 के शीर्ष 2306 में, शीर्ष 2306 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(18) अध्याय 24 में,—

(i) अध्याय शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ; उत्पाद चाहे उनमें निकोटिन अंतर्विष्ट हों या नहीं, जो दहन के बिना सूँघने के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं”;

(ii) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“टिप्पण :

1. इस अध्याय के अंतर्गत औषधीय सिगरेट नहीं आती (अध्याय 30);

2. शीर्ष 2404 और अध्याय के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकरणीय अन्य उत्पाद, शीर्ष 2404 में वर्गीकृत किए जाने हैं ।

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. शीर्ष 2404 के प्रयोजनों के लिए, "दहन के बिना सूंघना" पद से दहन के बिना, ऊष्मित परिदान या अन्य साधनों के माध्यम से सूंघना अभिप्रेत है।";

(iii) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2404	तंबाकू, पुनर्गठित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद, निकोटिन या तंबाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं				
	- दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित उत्पाद :				
2404 11 00	-- तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	30%	-	
2404 12 00	-- अन्य, निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	30%	-	
2404 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-	
	- अन्य :				
2404 91 00	-- मौखिक उपयोग के लिए	कि.ग्रा.	30%	-	
2404 92 00	-- त्वचा के भीतर उपयोग के लिए	कि.ग्रा.	30%	-	
2404 99 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";	

(19) अध्याय 25 में,-

(i) टिप्पण 2 में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण (शीर्ष 3816) ;";

(ii) विद्यमान खंड (ड), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झज) को क्रमशः खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) खंड (झज) और खंड (ट) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा;

(iii) शीर्ष 2518 में,-

(क) शीर्ष 2518 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, "डोलोमाइट रैमिंग मिश्रण" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) टैरिफ मद 2518 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(20) अध्याय 27 में, उपशीर्ष टिप्पण 5 में, "पशु या वनस्पति वसा" शब्दों के स्थान पर, "पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा" शब्द रखे जाएंगे ;

(21) खंड 6 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4. जहां कोई उत्पाद नाम या कार्य के वर्णन द्वारा खंड 6 के एक या अधिक शीर्षों तथा शीर्ष 3827 के

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भी वर्णन के अंतर्गत आता हैं, वहां यह उस शीर्ष में वर्गीकरणीय है जो नाम या कार्य द्वारा उत्पाद के प्रति निर्देश हैं और शीर्ष 3827 के अधीन नहीं।”;

(22) अध्याय 28 में,—

(i) शीर्ष 2844 में, टैरिफ मद 2844 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	“-	रेडियो सक्रिय तत्व और आइसोटोप और उपशीर्ष 2844 10, उपशीर्ष 2844 20 या उपशीर्ष 2844 30 के यौगिकों से भिन्न यौगिक (जिसके अंतर्गत सरमेट भी हैं), चीनी मिट्टी उत्पाद और इन तत्वों, आइसोटोपों या यौगिकों को अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण; रेडियोसक्रिय अपशिष्ट :			
2844 41 00	--	ट्रिटियम और इसके यौगिक ; मिश्रातु, विखंडन (सरमेट समेत), चीनी मिट्टी उत्पाद और ट्रिटियम या इसके यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 42 00	--	एक्टिनियम-225, एक्टिनियम-227, केलीफोरनियम-253, क्यूरियम-240, क्यूरियम-241, क्यूरियम -242, क्यूरियम -243, क्यूरियम -244, आइनस्टीनियम-253, आइनस्टीनियम -254, गेडोलिनियम-148, पोलोनियम-208, पोलोनियम -209, पोलोनियम -210, रेडियम-223, यूरेनियम-230 या यूरेनियम -232, और उनके यौगिक ; मिश्रातु, विखंडन (सरमेट समेत) और इसके तत्व या यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले चीनी मिट्टी उत्पाद और मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 43 00	--	अन्य रेडियोसक्रिय तत्व और आइसोटोप और यौगिक; अन्य मिश्रातु, विखंडन (सरमेट समेत) और इसके तत्व, आइसोटोप या यौगिक अंतर्विष्ट करने वाले चीनी मिट्टी उत्पाद और मिश्रण	कि.ग्रा.	10%	-
2844 44 00	--	रेडियोसक्रिय अपशिष्ट	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ii) शीर्ष 2845 में, टैरिफ मद 2845 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2845 20 00	-	बोरोन-10 से पूरित बोरोन और इसके यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
2845 30 00	-	लिथियम-6 से पूरित लिथियम और इसके यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2845 40 00	- हीलियम-3	कि.ग्रा.	10%	-";
(23) अध्याय 29 में,—				
(i) टिप्पण 1 के खंड (छ) में, "गंधयुक्त पदार्थ" शब्दों के पश्चात्, "या वामक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;				
(ii) टिप्पण 4 में, "शीर्ष 2911" शब्द और अंकों से आरंभ होने वाले और "निर्बंधित किया जाएगा" शब्दों पर समास होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-				
‘शीर्ष 2911, शीर्ष 2912, शीर्ष 2914, शीर्ष 2918 और शीर्ष 2922 के प्रयोजनों के लिए, "आक्सीजन कृत्यों" को शीर्ष 2905 से शीर्ष 2920 तक में निर्दिष्ट आक्सीजन कृत्यों, अभिलक्षण कार्बनिक आक्सीजन वाले समूह तक निर्बंधित किया जाएगा ।’;				
(iii) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मद 2903 29 00 से टैरिफ मद 2903 31 00 तक, उपशीर्ष 2903 39, टैरिफ मद 2903 39 11 से टैरिफ मद 2903 76 30 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-				
"2903 29 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- एसार्डक्लिक हाइड्रोकार्बनों के संतृप्त फ्लूओरिनीकृत व्युत्पन्न :			
2903 41 00	-- ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 42 00	-- डाईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-32)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 43 00	-- फ्लोरोमीथेन (एचएफसी-41), 1,2-डाईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-152) और 1,1- डाईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-152ए)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 44 00	-- पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी-125), 1,1,1-ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143ए) और 1,1,2-ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 45 00	-- 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134ए) और 1,1,2,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 46 00	-- 1,1,1,2,3,3,3-हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-227ईए), 1,1,1,2,2,3-हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236सीबी), 1,1,1,2,3,3-हेक्साफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236ईए) और 1,1,1,3,3,3-हेक्सा फ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-236एफए)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 47 00	-- 1,1,1,3,3-पेंटाफ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-245एफए) और 1,1,2,2,3-पेंटा फ्लोरोप्रोपेन (एचएफसी-245सीए)	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2903 48 00	--	1,1,1,3,3- पेंटाफ्लोरोब्यूटेन (एचएफसी-365एमएफसी) और 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-डेकाफ्लोरोपेंटेन (एचएफसी-43-10एमईई)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के असंतृप्त फ्लूओरिनीकृत व्युत्पन्न :			
2903 51	--	2,3,3,3-टेट्राफ्लोरोप्रोपेन (एचएफओ-1234वाईएफ), 1,3,3,3-टेट्राफ्लोरोप्रोपेन (एचएफओ-1234जेडई) और (जेड)-1,1,1,4,4,4-हेक्साफ्लोरो-2-ब्यूटेन(एचएफओ-1336एमजेडजेड)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 59	--	अन्य :			
2903 59 10	---	1,1,3,3,3-पेंटाफ्लोरो-2-(ट्राइफ्लोरोमेथिल) प्रोप-1-एन [परफ्लोरोआइसोब्यूटेन (पीएफआईबी)]	कि.ग्रा.	10%	-
2903 59 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के ब्रोमिनीकृत या आयोडीनीकृत व्युत्पन्न:			
2903 61 00	--	मेथिल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 62 00	--	ईथिलिन डाइब्रोमाइल (आईएसओ) (1,2-डाइब्रोमोईथेन)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	एसआईक्लिक हाइड्रोकार्बनों के दो या अधिक विभिन्न हेलोजन अंतर्विष्ट करने वाले हेलोजनीकृत व्युत्पन्न :			
2903 71 00	--	क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन (एचसीएफसी-22)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 72 00	--	डाइक्लोरोट्राइफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-123)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 73 00	--	डाइक्लोरोफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-141, 141बी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 74 00	--	क्लोरोडाइफ्लोरोईथेन (एचसीएफसी-142, 142बी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 75 00	--	डाइक्लोरोपेंटाफ्लोरोप्रोपेन (एचसीएफसी-225, 225सीए, 225सीबी)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76	--	ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211), ब्रोमोट्राइफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301) और डाइब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402) :			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2903 76 10	---	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76 20	---	ब्रोमोट्राईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301)	कि.ग्रा.	10%	-
2903 76 30	---	डाइब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402)	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 2909 में, शीर्ष 2909 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "ईथर पैरोक्साइड" शब्दों के स्थान पर, "ईथर पैरोक्साइड, एसिटल और हेमिएसिटल पैरोक्साइड" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 2930 में,-

(क) शीर्ष 2930 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2930 10 00	-	2-(एन, एन-डाइमेथिलएमिनो) ईथेनेथियोल	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	---	-------------------------------------	----------	-----	-----

(ख) टैरिफ मद 2930 90 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 2930 90 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) शीर्ष 2931 के उपशीर्ष 2931 10, टैरिफ मद 2931 10 10 से टैरिफ मद 2931 3900, उपशीर्ष 2931 90, टैरिफ मद 2931 90 10 से टैरिफ मद 2931 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2931		अन्य कार्बोकार्बनिक यौगिक			
2931 10	-	टेट्रामेथाइल सीसा और टेट्राएथाइल सीसा :			
2931 10 10	---	टेट्रामेथाइल सीसा	कि.ग्रा.	10%	-
2931 10 90	---	टेट्राएथाइल सीसा	कि.ग्रा.	10%	-
2931 20 00	-	ट्राइबुटीलाइन यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
	-	गैर-हेलोजनीकृत कार्बनिक फास्फोरस व्युत्पन्न:			
2931 41 00	--	डाईमेथिल मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 42 00	--	डाईमेथिल प्रोपिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 43 00	--	डाईएथिल एथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 44 00	--	मेथिलफास्फोनिक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-
2931 45 00	--	मेथिलफास्फोनिक अम्ल का लवण और (एमिनोइमिनोमेथिल) यूरिया (1 : 1)	कि.ग्रा.	10%	-
2931 46 00	--	2,4,6-ट्राईप्रोपिल-1,3,5,2,4,6-ट्राईओक्साट्राईफोस्फिनेन 2,4,6-ट्राईआक्साईड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 47 00	--	(5-एथिल-2-मेथिल-2-ओक्सिडो-1,3,2-डाईओक्साफोस्फिनेन -5-वाईएल) मेथिल मेथिल	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मेथिलफास्फोनेट			
2931 48 00	-- 3,9-डाइमेथिल-2,4,8,10-टेट्राओक्सा-3,9-डाईफोसफास्पाइरो [5.5] अनडिकेन 3,9-डाईओक्साइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49	-- अन्य :			
2931 49 10	--- सोडियम 3-(ट्राईहाईड्रोक्सिसिलाइल) प्रोपिल मेथिलफोस्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49 20	--- बिस[(5-एथिल-2-मेथिल-2-आक्सिडो-1,3,2-डाईओक्साफास्फिनेन -5-वाईएल)मेथिल] मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 49 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- हेलोजनीकृत कार्बनिक फास्फोरस व्युत्पन्न :			
2931 51 00	-- मिथाइलफोस्फोनिक डाइक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 52 00	-- प्रोपिलफोस्फोनिक डाइक्लोराइड	कि.ग्रा.	10%	-
2931 53 00	-- O-(3-क्लोरोप्रोपिल) O-[4-नाइट्रो-3-(ट्राईफ्लोरोमेथिल) फेनिल] मेथिलफास्फोनोथायोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
2931 54 00	-- ट्राईक्लोरोफोन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-
2931 59 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90	- अन्य :			
	--- कार्ब आर्सेनिक यौगिक :			
2931 90 11	---- मेथिलआर्सेनिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 12	---- केकोडाइलिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 13	---- पी-एमिनोफोनिल आर्सेनिक अम्ल और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 14	---- एमिनो-हाइड्रोक्सीफेनिल आर्सेनिक अम्ल, उनके फार्मिल और एसिटिल व्युत्पन्न और उनके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 15	---- आर्सेनो बेंजीन और इसके व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 20	--- कार्बनिक-सिलिकोन यौगिक	कि.ग्रा.	10%	-
2931 90 30	--- ओ-आयोडोसोबेंजोएक अम्ल	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2931 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";
(vii) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 95 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-				
"2932 96 00	-- कार्बोफ्यूरेन (आईएसओ)	कि.ग्रा.	10%	-";
(viii) शीर्ष 2933 में,-				
(क) टैरिफ मद 2933 33 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-				
"2933 33	-- एल्फेंटानिल (आईएनएन), एनिलेरिडीन (आईएनएन), बेजीट्रामाड (आईएनएन), ब्रोमाजेपेन (आईएनएन) कारफेंटानिल (आईएनएन) डाइफेनोक्सिसन (आईएनएन) डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन) डाइपाइपानोन (आईएनएन) फेंटानिल (आईएनएन) कीटोबेमीडोन (आईएनएन) मेथिलफेनीडेट (आईएनएन) पेंटाजोसीन (आईएनएन) पेथीडीन (आईएनएन) पेथीडीन (आईएनएन) इंटरमीडिएट ए, फेनसाक्लीडीन (आईएनएन) (पीसीपी), फेनोरेरीडीन (आईएनएन) पीपराड्रोल (आईएनएन) पिरिट्रामाड (आईएनएन) प्रोपीरेम (आईएनएन) रेमीफेंटानिल (आईएनएन) और ट्राईमेपेरीडीन (आईएनएन); और उनके लवण:			
	--- एल्फेंटानिल (आईएनएन) एनिलेरिडीन (आईएनएन) बेजीट्रामाड (आईएनएन) ब्रोमाजेपेन (आईएनएन) कारफेंटानिल (आईएनएन) डाइफेनोक्सिसन (आईएनएन) डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन) डाइपाइपानोन (आईएनएन) ; और उनके लवण :			
2933 33 11	---- एल्फेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 12	---- एनिलेरिडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 13	---- बेजीट्रामाड (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 14	---- ब्रोमाजेपेन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 15	---- कारफेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 16	---- डाइफेनोक्सिसन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2933 33 17	---- डाइफेनोक्सीलेट (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 18	---- डाइपाइपानोन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
	--- फेंटानिल (आईएनएन) कीटोबेमीडोन (आईएनएन) मेथिलफेनीडेट (आईएनएन) पेंटाजोसीन (आईएनएन) पेथीडीन (आईएनएन) पेथीडीन (आईएनएन) इंटरमीडिएट ए, फेनसाक्लीडीन (आईएनएन) (पीसीपी), फेनोपेरीडीन (आईएनएन); उनके लवण			
2933 33 21	---- फेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 22	---- कीटोबेमीडोन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 23	---- मेथिलफेनीडेट (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 24	---- पेंटाजोसीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 25	---- पेथीडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 26	---- पेथीडीन (आईएनएन) इंटरमीडिएट ए और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 27	---- फेनसाक्लीडीन (आईएनएन)(पीसीपी) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 28	---- फेनोपेरीडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
	--- पिप्राडोल (आईएनएन) पिरीट्रामाइड (आईएनएन) प्रोपिरेम (आईएनएन) रेमीफेंटानिल (आईएनएन) और ट्राईमेपेरीडीन (आईएनएन) ; उनके लवण			
2933 33 31	---- पिप्राडोल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 32	---- पिरीट्रामाइड (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 33	---- प्रोपिरेम (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 34	---- रेमीफेंटानिल (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 33 35	---- ट्राईमेपेरीडीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2933 34 00	-- अन्य फेंटानिल और उनके व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2933 35 00	-- 3-क्यूनुक्लीडीनोल	कि.ग्रा.	10%	-
2933 36 00	-- 4-एनीलिनो-एन-फेनेथाइलपिपेरीडीन (एनपीपी)	कि.ग्रा.	10%	-
2933 37 00	-- एन-फेनएथिल-4-पिपेरीडोन (एनपीपी)	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 39 20 और टैरिफ मद 2933 39 30 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

किया जाएगा;

(ix) शीर्ष 2934 में, टैरिफ मद 2934 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2934 92 00 -- अन्य फेंटानिल और उनके व्युत्पन्न कि.ग्रा. 10% -”;

(x) शीर्ष 2936 में, टैरिफ मद 2936 24 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- डी- या डीएल-पेंटोथीनिक अम्ल (विटामिन बी5) और उनके व्युत्पन्न”;

(xi) शीर्ष 2939 में,-

(क) उपशीर्ष और टैरिफ मद 2939 30 00 से टैरिफ मद 2939 49 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2939 30 00	-	कैफीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	इफेड्रा के एल्केलायड और उनके व्युत्पन्न; उनके लवण:			
2939 41 00	--	इफेड्रीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 42 00	--	स्यूडोइफेड्रीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 43 00	--	कैथीन (आईएनएन) और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 44 00	--	नोरफेड्रीन और इसके लवण	कि.ग्रा.	10%	-
2939 45 00	--	लीवोमेटाफेटामाइन, मेटाफेटामाइन (आईएनएन) मेटाफेटामाइनरेसीमेट और उनके लवण	कि.ग्रा.	10%	10%
2939 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%”;

(ख) टैरिफ मद 2939 69 00 से टैरिफ मद 2939 71 00, उपशीर्ष 2939 79, टैरिफ मद 2939 79 10 से टैरिफ मद 2939 79 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2939 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य, शाकीय मूल के :			
2939 72 00	--	कोकेन, एक्गोनाइन ; उनके लवण, एस्टर और अन्य व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	10%	-
2939 79 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(24) अध्याय 30 में,-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) टिप्पण 1 में,—

(अ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ख) उत्पाद, जैसे गोलियां, च्यूईगम या पैच (त्वचा के भीतर), जिनमें निकोटिन अंतर्विष्ट है और जो तंबाकू के उपयोग को रोकने में सहायता करने के लिए आशयित हैं (शीर्ष 2404);”;

(आ) खंड (छ) में, “या” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) खंड (ज) में, “(शीर्ष 3502)” कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, “(शीर्ष 3502);या” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ई) खंड (ज), के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(झज) शीर्ष 3822 के नैदानिक अभिकर्मक ”;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ड) मान्यताप्राप्त क्लीनिकल ट्रायल में उपयोग के लिए मापित मात्रा में रखी गई छद्म औषध और ब्लाइंडेड (या डबल-ब्लाइंडेड) क्लीनिकल ट्रायल किट, चाहे उनमें सक्रिय औषधियां अंतर्विष्ट हों ”;

(iii) शीर्ष 3002 में,—

(क) शीर्ष 3002 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, “वैसे ही उत्पाद” शब्दों के स्थान पर, “या तो वैसे ही उत्पाद ; कोशिका संवर्धन, चाहे उपांतरित हो या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 3002 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 3002 13, टैरिफ मद 3002 13 10, उपशीर्ष 3002 14, टैरिफ मद 3002 14 10 से 3002 19 00, उपशीर्ष 3002 20, टैरिफ मद 3002 20 11 से टैरिफ मद 3002 30 00, उपशीर्ष 3002 90, टैरिफ मद 3002 90 10 से टैरिफ मद 3002 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“3002 13 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, अमिश्रित, फुटकर विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में नहीं रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 14 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, मिश्रित, फुटकर विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में नहीं रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 15 00	--	प्रतिरक्षात्मक उत्पाद, फुटकर विक्रय के लिए मापित मात्रा में या रूप या पैकिंग में रखे गए	कि.ग्रा.	10%	10%
	-	वैक्सीन, आविष, सूक्ष्म जीवों (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्धन और वैसे ही उत्पाद			
3002 41	--	मानव चिकित्सा के लिए वैक्सीन:			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	--- निम्नलिखित के लिए एकल वैक्सीन :			
3002 41 11	--- हैजा और टाईफाइड	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 12	--- हेपेटाइटिस	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 13	--- टिटनेस	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 14	--- पोलियो	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 15	--- क्षयरोग	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 16	--- रेबीज	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 17	--- जापानी एन्सेफेलाइटिस	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 18	--- कुकुर खांसी (परट्यूसिस)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 19	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	--- निम्नलिखित के लिए मिश्रित वैक्सीन :			
3002 41 21	--- डिफ्थीरिया, कूकर खांसी और टेटनेस (डीपीटी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 22	--- डिफ्थीरिया और टेटनेस (डीटी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 23	--- खसरा, कनफेड और अरुणचर्मता (एमएमआर)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 24	--- आन्त्र ज्वर अपान्त्रज्वर (टीएबी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 25	--- आन्त्रज्वर अपान्त्र ज्वर हैजा-(टीएबीसी)	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 41 29	--- अन्य :	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 42 00	-- पशु चिकित्सा के लिए वैक्सीन	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49	-- अन्य			
3002 49 10	--- सूक्ष्मजीवी (यीस्ट को छोड़कर) के संवर्धन	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49 20	--- आविष	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 49 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
	- कोशिका संवर्धन, चाहे उपांतरित हों या नहीं :			
3002 51 00	-- कोशिका उपचार उत्पाद	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 59 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 90	- अन्य :			
3002 90 10	--- मानव रक्त	कि.ग्रा.	10%	10%
3002 90 20	--- चिकित्सीय, रोग निरोधी या नैदानिक उपयोगों के	कि.ग्रा.	10%	10%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	लिए तैयार किया गया जान्तव रक्त			
3002 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10% 10%";
	(iv) शीर्ष 3006 में,—			
	(क) टैरिफ मद 3006 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(ख) टैरिफ मद 3006 92 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--			
"3006 93 00	--	मान्यताप्राप्त क्लीनिकल ट्रायल में उपयोग के लिए मापित मात्रा में रखी गई छद्म औषध और ब्लाइंडेड (या डबल-ब्लाइंडेड) क्लीनिकल ट्रायल किट"	कि.ग्रा.	10% -";
	(25) अध्याय 32 में, शीर्ष 3204 में, टैरिफ मद 3204 17 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--			
"3204 18 00	--	कैरोटिनोएड रंगकारी पदार्थ और उन पर आधारित निर्मितियां	कि.ग्रा.	10% -";
	(26) अध्याय 34 में,—			
	(i) टिप्पण 1 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--			
	"(क) फफूंदी निर्मुक्ति विनिर्मितियों के रूप में प्रयुक्त प्रकार के पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा या तेलों के खाने योग्य मिश्रण या निर्मितियां (शीर्ष 1517) ;";			
	(ii) शीर्ष 3402 में, शीर्ष 3402 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि, उपशीर्ष 3402 11, टैरिफ मद 3402 11 10 से टैरिफ मद 3402 19 00, उपशीर्ष 3402 20, टैरिफ मद 3402 20 10 से टैरिफ मद 3402 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--			
	"-	ऋणायन कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय कर्मक, चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हों या नहीं :		
3402 31 00	--	रेखीय एल्किलबेंजीनसल्फोनिक अम्ल और उनके लवण	कि.ग्रा.	10% 10%
3402 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10% 10%
	-	अन्य कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय कर्मक, चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हों या नहीं		
3402 41 00	--	धनायन	कि.ग्रा.	10% 10%
3402 42 00	--	गैर-आयनिक	कि.ग्रा.	10% 10%
3402 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10% 10%

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3402 50 00 - फुटकर विक्रय के लिए रखी गई निर्मितियां कि.ग्रा. 10% -";

(27) अध्याय 36 में, शीर्ष 3603, उपशीर्ष 3603 00, टैरिफ मद 3603 00 11 से टैरिफ मद 3603 00 59 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3603 सुरक्षा फ्यूज ; अधिस्फोटी रज्जु ; आघात या अधिस्फोटी टोपियां ; प्रज्वालक, विद्युत अधिस्फोटक

3603 10 00	-	सुरक्षा फ्यूज	कि.ग्रा.	10%	-
3603 20 00	-	अधिस्फोटी रज्जु	कि.ग्रा.	10%	-
3603 30 00	-	आघात टोपियां	कि.ग्रा.	10%	-
3603 40 00	-	अधिस्फोटी टोपियां	कि.ग्रा.	10%	-
3603 50 00	-	प्रज्वालक	कि.ग्रा.	10%	-
3603 60 00	-	विद्युत अधिस्फोटक	कि.ग्रा.	10%	-";

(28) अध्याय 37 के टिप्पण 2 में, "प्रकाश संवेदी पृष्ठ" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाश संवेदी पृष्ठ, जिसके अंतर्गत ऊष्मा संवेदी पृष्ठ भी हैं," शब्द रखे जाएंगे ;

(29) अध्याय 38 में,-

(i) टिप्पण 1 में,-

(अ) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) शीर्ष 2404 के उत्पाद ;";

(आ) विद्यमान खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) को क्रमशः खंड (घ), खंड (ङ), और खंड (च) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 4 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) अपशिष्ट से अलग की गई व्यष्टिक सामग्री या वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, कागज, वस्त्र, कांच या धातुएं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रेप (भुक्तशेष बैटरियां समेत) जो नाम पद्धति के समुचित शीर्षों के अंतर्गत आती हैं ;";

(iii) टिप्पण 7 में, "वनस्पतियों की वसा" शब्दों के स्थान पर, "वनस्पतियों की या सूक्ष्म जीवी वसा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपशीर्ष टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"1. उपशीर्ष 3808 52 और उपशीर्ष 3808 59 के अंतर्गत केवल शीर्ष 3808 के माल हैं, जिनके अंतर्गत एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : एलाक्लोर (आईएसओ) ; एल्डीकार्ब (आईएसओ) ; एल्ड्रिन(आईएसओ) ; एजिनफोस-मेथिल(आईएसओ) ; बाइनापैक्राइल (आईएसओ) ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्साफेन) ; कैप्टाफोल (आईएसओ); कार्बोफ्यूरेन (आईएसओ) ; क्लोरडेन (आईएसओ) ; क्लोरडाइमेफार्म (आईएसओ) ; क्लोरोबेन्जिलेट (आईएसओ) ; डी.टी.डी. (आईएसओ) ; क्लोफेनोटेन (आई.एन.एन.), 1, 1, 1-ट्राईक्लोरो- 2-2-बिस (पीक्लोरोफेनाइल-) ईथेन ; डाइएल्ट्रिन (आईएसओ, आई.एन.एन.), 4, 6-डाइनाइट्रो-ओ-क्रेसोल [डीएनओसी (आईएसओ) या उसके लवण ; डाइनोसेब (आईएसओ), उसके लवण या उसके एस्टर; एंडोसल्फान (आईएसओ) ; एथिलीन डाईब्रोमाइड (आई.ओ.एस.) (1, 2-डाईब्रोमोएथेन); एथिलीन डाईक्लोराइड (आई.ओ.एस.) (1, 2-डाईक्लोरोएथेन); फ्लूरोएसीटामाइड (आई.ओ.एस.); हेप्टाक्लोर (आई.ओ.एस.); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आई.ओ.एस.); 1, 2, 3, 4, 5, 6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (एच.एच.सी.) (आई.ओ.एस.) लिन्डेन (आई.ओ.एस., आई.एन.एन.) सहित; पारा यौगिक; मेथामिडोफोस (आई.ओ.एस.); मोनोक्रोटोफोस (आई.ओ.एस.); आक्सीरेन (एथिलीन आक्साइड); पैराथियन (आई.ओ.एस.); पैराथियनमिथाइल (आई.ओ.एस.); (मिथाइलपैराथियन-); पेंटाक्लोरोफीनोल (आई.ओ.एस.), उसके लवण या उसके एस्टर, परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल और उसके लवण; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनेमाइड ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड; फास्फामिडान (आई.ओ.एस.) 2, 4, 5-टी (आई.ओ.एस.) (2, 4, 5-ट्राईक्लोरोफेनौकसीएसेटिक अम्ल), उसके लवण या उसके एस्टर; ट्राईबुटाइलिटिन यौगिक; ट्राईक्लोरफोन (आईएसओ) ।”;

(v) उपशीर्ष टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. उपशीर्ष 3824 81 से उपशीर्ष 3824 89 के अंतर्गत केवल मिश्रण और निर्मितियां हैं, जिनमें एक या अधिक निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं : आक्सीरेन (इथिलेन आक्साइड); पालीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल (पीबीबी); पालीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल (पीसीबी); पालीक्लोरीनेटेड टरफिनाइल (पीसीटी); ट्रिस(2,3-डाईब्रोमोप्रोपिल) फास्फेट ; एल्ट्रिन (आईएसओ); कैम्फेक्लोर (आईएसओ) (टोक्सोफीन); क्लोरडोन (आईएसओ); क्लोरडीकोन (आईएसओ); डीडीटी (आईएसओ) (क्लोफीनोटेन (आईएनएन); 1,1,1-ट्राईक्लोरो- 2,2- बिस(पी-क्लोरोफिनाइल) ईथेन); डाइएल्ट्रिन (आईएसओ, आईएनएन); एंडोसल्फान (आईएसओ); एंजिन (आईएसओ); हेप्टाक्लोर (आईएसओ); मायरैक्स (आईएसओ); 1,2,3,4,5,6-हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्जेन (एचसीएच (आईएसओ)), लिंडेन समेत (आईएसओ, आईएनएन); पेंटाक्लोरोबेन्जीन (आईएसओ); हेक्साक्लोरोबेन्जीन (आईएसओ) ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिक अम्ल, इसके लवण; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनेमाइड ; परफ्लोरोआक्टेन सल्फोनिल फ्लोराइड ; टेट्रा-, पेंटा-, हेक्सा-, हेप्टा- या ऑक्टाब्रोमोबाईफिनाइल ईथर ; लघु श्रृंखला क्लोरीनीकृत पैराफिन ।

लघु श्रृंखला क्लोरीनीकृत पैराफिन वजन अनुसार 48% से अधिक क्लोरीनेशन डिग्री वाले : $C_xH_{(2x-y+2)}Cl_y$, जहां $x=10 - 13$ और $y= 1 - 13$.” आणविक सूत्र वाले यौगिकों के मिश्रण हैं ।”;

(vi) टैरिफ मद 3816 00 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“उच्च ताप सह सीमेंट, मसाला, कंक्रीट और वैसे ही घटक, जिसके अंतर्गत डोलोमाईट रेमिंग मिक्स भी हैं, जो शीर्ष 3801 के उत्पादों से भिन्न हैं”;

(vii) शीर्ष 3822, उपशीर्ष 3822 00, टैरिफ मद 3822 00 11 से टैरिफ मद 3822 00 90 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“3822	पृष्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, तैयार नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, चाहे पृष्ठक पर हों या नहीं, चाहे किट के रूप में रखे गए हों या नहीं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 3006 में है ; प्रमाणित निर्देश सामग्री			
	- पृष्ठक पर नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, तैयार नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक, चाहे पृष्ठक पर हों या नहीं, चाहे किट के रूप में रखे गए हों या नहीं:			
3822 11 00	-- मलेरिया के लिए	कि.ग्रा.	10%	-
3822 12 00	-- जीका और एडीज वंश के मच्छरों द्वारा संचारित अन्य रोगों के लिए	कि.ग्रा.	10%	-
3822 13 00	-- रक्त-समूहन के लिए	कि.ग्रा.	10%	-
3822 19	-- अन्य :			
3822 19 10	--- गर्भ पुष्टि किट	कि.ग्रा.	10%	-
3822 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3822 90	- अन्य :			
3822 90 10	--- प्रमाणीकृत निर्देश सामग्री	कि.ग्रा.	30%	-
3822 90 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(viii) शीर्ष 3824 में,—

(क) टैरिफ मद 3824 60 90 से टैरिफ मद 3824 79 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“3824 60 90 --- अन्य कि.ग्रा. 30% -”;

(ख) टैरिफ मद 3824 88 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में, “हैक्सा, हैप्टा-” शब्दों के स्थान पर, “हैक्सा- हैप्टा-”, शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 3824 88 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“3824 89 00 -- लघु श्रृंखला क्लोरोनीकृत पैराफिन अंतर्विष्ट करने वाले कि.ग्रा. 10% -”;

(घ) टैरिफ मद 3824 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर		
			मानक	अधिमाना	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
"3824 92 00	--	मेथिल फास्फोनिक अम्ल के पोलीग्लाइकोल एस्टर	कि.ग्रा.	10%	-";
	(ix) टैरिफ मद 3826 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-				
"3827	कहीं अन्य विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए, मीथेन, ईथेन या प्रोपेन के हेलोजनीकृत व्युत्पन्न अंतर्विष्ट करने वाले मिश्रण				
	-	क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले या नहीं, (एचएफसी); परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) ; हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले; कार्बन टेट्राक्लोराइड अंतर्विष्ट करने वाले; 1,1,1-ट्राईक्लोरोईथेन (मेथिल क्लोरोफार्म) अंतर्विष्ट करने वाले :			
3827 11 00	--	क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले या नहीं); परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी)	कि.ग्रा.	10%	-
3827 12 00	--	हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन (एचबीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 13 00	--	कार्बन टेट्राक्लोराइड अंतर्विष्ट करने वाले;	कि.ग्रा.	10%	-
3827 14 00	--	1,1,1-ट्राईक्लोरोईथेन (मेथिल क्लोरोफार्म) अंतर्विष्ट करने वाले:	कि.ग्रा.	10%	-
3827 20 00	-	ब्रोमोक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1211), ब्रोमोक्लोरोट्राईफ्लोरोमीथेन (हेलोन-1301) या डाईब्रोमोटेट्राफ्लोरोईथेन (हेलोन-2402) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
	-	हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले, परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) या, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले या नहीं, किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) अंतर्विष्ट नहीं करने वाले:			
3827 31 00	--	उपशीर्ष 2903.41 से उपशीर्ष 2903.48 के पदार्थ अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3827 32 00	--	अन्य, उपशीर्ष 2903.71 से उपशीर्ष 2903.75 के पदार्थ अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3827 40 00	-	मेथिल ब्रोमाइड (ब्रोमोमीथेन) या ब्रोमोक्लोरोमीथेन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
	-	ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23) या परफ्लोरोकार्बन (पीएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) या हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) अंतर्विष्ट नहीं करने वाले:			
3827 51 00	--	ट्राईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-23) अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट करने वाले किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) अंतर्विष्ट नहीं करने वाले			
3827 61 00	--	1,1,1- ट्राईफ्लोरोईथेन (एचएफसी-143ए) के द्रव्यमान का 15 % या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 62 00	--	अन्य, ऊपर उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी- 125) के द्रव्यमान का 55% या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले, किंतु अचक्रीय हाइड्रोकार्बन (एचएफओ) के असंतृप्त फ्लोरीनीकृत व्युत्पन्नो को अंतर्विष्ट नहीं करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 63 00	--	अन्य, पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी-125) उपशीर्ष के द्रव्यमान का 40 % या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले, ऊपर उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 64 00	--	अन्य, 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन (एचएफसी-134ए) के द्रव्यमान का 30 % या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले, ऊपर उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले किंतु अचक्रीय हाइड्रोकार्बन (एचएफओ) के असंतृप्त फ्लोरीनीकृत व्युत्पन्नो को अंतर्विष्ट नहीं करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 65 00	--	अन्य, ऊपर उपशीर्ष के अंतर्गत नहीं आने वाले, डाईफ्लोरोमीथेन (एचएफसी-32) के द्रव्यमान का 20 % या अधिक तथा पेंटाफ्लोरोईथेन (एचएफसी-	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	125) के द्रव्यमान का 20 % या अधिक अंतर्विष्ट करने वाले			
3827 68 00	-- अन्य, ऊपर उपशीर्षों के अंतर्गत नहीं आने वाले, उपशीर्ष 2903 41 से उपशीर्ष 2903 48 के पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	10%	-
3827 69 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
3827 90 00	- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(30) खंड 7 में, टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. शीर्ष 3918 या शीर्ष 3919 के माल के सिवाय, कलावर्तों, चरित्रों या चित्रांकन, प्रदर्शकों के साथ मुद्रित प्लास्टिक, रबड़ और उनकी वस्तुएं, जो माल के प्राथमिक उपयोग की मात्रा आनुषांगिक नहीं हैं, अध्याय 49 के अंतर्गत आती हैं।";

(31) अध्याय 39 में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (भ) में, "लैंप और प्रकाश फिटिंगे", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3907 में, उपशीर्ष 3907 20, टैरिफ मद 3907 20 10 से टैरिफ मद 3907 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	"- अन्य पोलीईथर:			
3907 21 00	-- बिस (पोलीआक्सीइथलीन) मेथिलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29	-- अन्य :	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29 10	--- पोली (ईथर एल्कोहल)	कि.ग्रा.	10%	-
3907 29 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iii) शीर्ष 3911 में, टैरिफ मद 3911 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3911 20 00	- पोली (1,3-फेनीलीन मेथिल फास्फोनेट)	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	--------------------------------------	----------	-----	-----

(32) अध्याय 40 में, शीर्ष 4015 के, टैरिफ मद 4015 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4015 12 00	-- चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार का जोड़ा	जोड़ा	10%	-";
-------------	---	-------	-----	-----

(33) अध्याय 42 के टिप्पण 2 के खंड (ट) में, "लैंप और प्रकाश फिटिंगे", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(34) अध्याय 44 में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) टिप्पण 1 के खंड (ण) में, "लैंप और प्रकाश फिटिंगे", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

2. उपशीर्ष 4401 32 के प्रयोजनों के लिए, "काष्ठ इष्टिका" पद से उत्पाद अभिप्रेत हैं, जैसे कि यांत्रिक काष्ठ संक्रिया उद्योग, फर्नीचर बनाने वाले उद्योग या अन्य काष्ठ रूपांतरण क्रियाकलापों के कटरसेविंग, बुरादा अथवा चिप, जिन्हें सीधे या कंप्रेशन द्वारा भार द्वारा 3% से अनधिक किसी अनुपात में बाईंडर को जोड़कर संपीडित किया गया हो। ऐसी इष्टिकाएं घनाकार, बहुफलक या बेलनाकार इकाइयां हैं जिनका न्यूनतम तिर्यक खंड माप 25मिमी. से अधिक हैं ;

3. उपशीर्ष 4407 13 के प्रयोजनों के लिए, "एस-पी-एफ" से स्पूस, पाईन और फर के मिश्रित स्टैंड से प्राप्त काष्ठ निर्दिष्ट हैं, जहां प्रत्येक प्रजाति का अनुपात परिवर्तित होता है और अज्ञात हैं ;

4. उपशीर्ष 4407 14 के प्रयोजनों के लिए, "हेम-फर" से वेस्टर्न हेमलाक और फर के मिश्रित स्टैंड से प्राप्त काष्ठ निर्दिष्ट हैं, जहां प्रत्येक प्रजाति का अनुपात परिवर्तित होता है और अज्ञात हैं। ;

(iii) शीर्ष 4401 में,-

(क) टैरिफ मद 4401 22 00 के पश्चात् स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि में "लट्टों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में, संपिंडित", शब्दों के स्थान पर, "लट्टों, इष्टिकाओं, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में संपिंडित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 4401 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4401 32 00	--	काष्ठ इष्टिकाएं	मी.ट.	5%	-";
-------------	----	-----------------	-------	----	-----

(ग) टैरिफ मद 4401 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"- बुरादा और काष्ठ अपशिष्ट और स्क्रेप, संपिंडित नहीं :

4401 41 00	--	बुरादा	मी.ट.	5%	-
4401 49 00	--	अन्य	मी.ट.	5%	-";

(iv) शीर्ष 4402 में, उपशीर्ष 4402 90, टैरिफ मद 4402 90 10 से टैरिफ मद 4402 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4402 20	-	कोश या गिरी :			
4402 20 10	---	नारियल कोश	मी.ट.	5%	-
4402 20 90	---	अन्य	मी.ट.	5%	-
4402 90 00	-	अन्य	मी.ट.	5%	-";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(v) शीर्ष 4403 में,—

(क) उपशीर्ष 4403 21 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“-- चीड़ (पाइनस एसपीपी), जिसका सबसे छोटा तिर्यक खंड माप 15 सेमी. या अधिक हैं .”;

(ख) उपशीर्ष 4403 23, के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“-- फर (एबीज एसपीपी) और स्प्रू (पाइशिया एसपीपी), जिसका सबसे छोटा तिर्यक खंड माप 15 सेमी. या अधिक हैं.”;

(ग) उपशीर्ष 4403 25 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“-- अन्य, जिसका सबसे छोटा तिर्यक खंड माप 15 सेमी. या अधिक हैं.”;

(घ) उपशीर्ष 4403 49, टैरिफ मद 4403 49 10 से टैरिफ मद 4403 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“4403 42 00	--	सागौन	घ.मी.	5%	-
4403 49 00	--	अन्य	घ.मी.	5%	-”;

(ङ) टैरिफ मद 4403 93 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“-- बीच (फैगस एसपीपी), जिसका सबसे छोटा तिर्यक खंड माप 15 सेमी. या अधिक हैं”;

(च) टैरिफ मद 4403 95 00 के सामने स्तंभ (2) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

“-- बर्च (बेटूला एसपीपी), जिसका सबसे छोटा तिर्यक खंड माप 15 सेमी. या अधिक हैं”;

(vi) शीर्ष 4407 में,—

(क) टैरिफ मद 440712 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“4407 13 00	--	एस-पी-एफ के (स्पूस (पीशिया एसपीपी), चीड़ (पाइनस एसपीपी) और फर (एबीज एसपीपी))	घ.मी.	10%	-
4407 14 00	--	हेम-फर के (वेस्टर्न हेमलोक (सूगाहेटोरोफाइला) और	घ.मी.	10%	-”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

फर (एबीस एसपीपी)

(ख) टैरिफ मद 4407 22 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“4407 23 00 -- सागौन घ.मी. 10% -”;

(ग) उपशीर्ष 4407 29, टैरिफ मद 4407 29 10 से टैरिफ मद 4407 29 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4407 29 00 -- अन्य घ.मी. 10% -”;

(vii) शीर्ष 4412, टैरिफ मद 4412 39 90 से टैरिफ मद 4412 94 00, उपशीर्ष 4412 99, टैरिफ मद 4412 99 10 से टैरिफ मद 4412 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4412 39 90 --- अन्य घ.मी. 10% -

- लेमिनेटेड वेनीर्ड लंबर (एलवीएल):

4412 41 00 -- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

4412 42 00 -- अन्य, गैर-शंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

4412 49 00 -- अन्य, शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

- ब्लैकबोर्ड, लेमिन बोर्ड और बैटन बोर्ड:

4412 51 00 -- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

4412 52 00 -- अन्य, गैर-शंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

4412 59 00 -- अन्य, शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाहरी प्लाई के साथ घ.मी. 10% -

- अन्य :

4412 91 -- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ:

4412 91 10 --- सजावटी प्लाईवुड घ.मी. 10% -

4412 91 20 --- सेटों में पैक टी चेस्ट पैनल या शूक घ.मी. 10% -

4412 91 30 --- समुद्री जहाज और वायुयान प्लाईवुड घ.मी. 10% -

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमाना
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4412 91 40	---	प्लाईवुड को काटना और छांटना, जो 5सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 91 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-
4412 92	--	अन्य, गैर-शंकुधारी काष्ठ की कम से कम एक बाहरी प्लाई के साथ			
4412 92 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 92 20	---	सेटों में पैक टी चेस्ट पैनल या शूक	घ.मी.	10%	-
4412 92 30	---	समुद्री जहाज और वायुयान प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 92 40	---	प्लाईवुड को काटना और छांटना, जो 5 सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 92 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-
4412 99	--	अन्य, शंकुधारी काष्ठ की दोनों बाहरी प्लाई के साथ			
4412 99 10	---	सजावटी प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 99 20	---	सेटों में पैक टी चेस्ट पैनल या शूक	घ.मी.	10%	-
4412 99 30	---	समुद्री जहाज और वायुयान प्लाईवुड	घ.मी.	10%	-
4412 99 40	---	प्लाईवुड को काटना और छांटना, जो 5 सेमी. से अधिक न हों	घ.मी.	10%	-
4412 99 90	---	अन्य	घ.मी.	10%	-";

(viii) टैरिफ मद 4414 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“4414		पेंटिंग के लिए काष्ठ फ्रेम, फोटोग्राफ, दर्पण या वैसे ही सामान			
4414 10 00	-	उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4414 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ix) शीर्ष 4418 में,-

(क) टैरिफ मद 4418 10 00, उपशीर्ष 4418 20 और टैरिफ मद 4418 20 10 से टैरिफ मद 4418 20 90, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- खिड़कियां, फ्रेंच खिड़कियां और उनके फ्रेम :

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4418 11 00	-- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4418 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- दरवाजे और उनके फ्रेम और देहरी :			
4418 21	-- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के :			
4418 21 10	--- फलश दरवाजे	कि.ग्रा.	10%	-
4418 21 20	--- फलश दरवाजे के फ्रेम और देहरी	कि.ग्रा.	10%	-
4418 21 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29	-- अन्य :			
4418 29 10	--- फलश दरवाजे	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29 20	--- फलश दरवाजे के फ्रेम और देहरी	कि.ग्रा.	10%	-
4418 29 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
4418 30 00	- उपशीर्ष 4418 81 से उपशीर्ष 4418 89 के उत्पादों से भिन्न पोस्ट और बीम	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 4418 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 4418 79 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"- अभियांत्रिक संरचनात्मक काष्ठ उत्पाद :

4418 81 00	-- ग्लू लेमिनेटेड काष्ठ (ग्लूलेम)	कि.ग्रा.	10%	-
4418 82 00	-- क्रास लेमिनेटेड काष्ठ (सीएलटी या एक्सलेम)	कि.ग्रा.	10%	-
4418 83 00	-- आइ बीम	कि.ग्रा.	10%	-
4418 89 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(घ) टैरिफ मद 4418 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4418 92 00	-- सेलुलर काष्ठ पैनल	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	----------------------	----------	-----	-----

(x) टैरिफ मद 4419 19 00 उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4419 20 00	- उष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	--------------------------	----------	-----	-----

(xi) टैरिफ मद 4420 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	-	लघु प्रतिमाएं और अन्य आभूषण :			
4420 11 00	--	ऊष्ण कटिबंधीय काष्ठ के	कि.ग्रा.	10%	-
4420 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(xii) टैरिफ मद 4421 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"4421 20 00	-	ताबूत	कि.ग्रा.	10%	-";
-------------	---	-------	----------	-----	-----

(35) अध्याय 46 में, टिप्पण 2 के खंड (ड) में, "लैंप और प्रकाश फिटिंगे", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगे" शब्द रखे जाएंगे ;

(36) अध्याय 48 में,-

(i) टिप्पण 2 में, खंड (थ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(थ) अध्याय 96 की वस्तुएं (उदाहरणार्थ बटन, सेनिटरी टावेल (पैड) और टैम्पोन, नेपकिन (डाइपर) और नेपकिन लाइनर);

(ii) टिप्पण 4 में, "लागू होते हैं", शब्दों के स्थान पर, "लागू होता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 5 में,-

(क) "150 ग्राम/वर्गमीटर से अनधिक भार वाले पेपर या पेपर बोर्ड के लिए ." अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(अ) 150 ग्राम/वर्गमीटर से अनधिक भार वाले पेपर या पेपर बोर्ड के लिए .";

(ख) "150 ग्राम/वर्गमीटर से अधिक भार वाले पेपर या पेपर बोर्ड के लिए ." अंकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(आ) 150 ग्राम/वर्गमीटर से अधिक भार वाले पेपर या पेपर बोर्ड के लिए .";

(ग) "(जिसके अंतर्गत टी-बैग पेपर भी है) या पेपर बोर्ड नमदा कागज" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(जिसके अंतर्गत टी-बैग पेपर भी है) या नमदा कागज या पेपर बोर्ड" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) टिप्पण 12 में, "आनुषंगिक" शब्द के स्थान पर, "समनुषंगी" शब्द रखा जाएगा ;

(37) अध्याय 49 के शीर्ष 4905 में, टैरिफ मद 4905 10 00 से 4905 91 00, उपशीर्ष 4905 99, टैरिफ मद 4905 99 10 से 4905 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4905 20 00	-	पुस्तक के रूप में	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
4905 90	-	अन्य :			
4905 90 10	---	भौगोलिक, जल विज्ञानीय, खगोलीय, नक्शे या चार्ट	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-
4905 90 20	---	ग्लोब	कि.ग्रा.	निःशुल्क	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4905 90 90 --- अन्य कि.ग्रा. नि:शुल्क -";

(38) अनुभाग 11 में,-

(i) टिप्पण 1 में,-

(क) खंड (ध) में, "लैम्प और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (प) में, "शिशुओं के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) टिप्पण 14 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"15. अनुभाग 11 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए, वस्त्र, कपड़े और अन्य टेक्सटाइल वस्तुएं, अतिरिक्त अभिलाक्षणिकता के लिए रासायनिक, यांत्रिक या विद्युत घटकों को सम्मिलित करते हुए, चाहे अंतःनिर्मित घटकों के रूप में अथवा रेशे या फैब्रिक में सम्मिलित हो, अनुभाग 11 में उनके संबंधित शीर्षा में वर्गीकृत हैं, परंतु यह तब जब वे इस अनुभाग के माल के आवश्यक गुणों को बनाए रखते हैं ।";

(39) अध्याय 55 के शीर्ष 5501 में, टैरिफ मद 5501 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"- नायलान या अन्य पोलिएमाइडस का :

5501 11 00	--	एरामीड के	कि.ग्रा.	20%	-
5501 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-";

(40) अध्याय 56 के टिप्पण 1 के खंड (च) में, "शिशुओं के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(41) अध्याय 57 में, शीर्ष 5703 के उपशीर्ष 5703 10 में, टैरिफ मद 5703 1010 से 5703 10 90, उपशीर्ष 5703 20 के टैरिफ मद 5703 20 10 से 5703 20 90, उपशीर्ष 5703 30 के टैरिफ मद 5703 30 10 से 5703 30 90, उपशीर्ष 5703 90, टैरिफ मद 5703 90 10 से 5703 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5703 कालीन और अन्य टेक्सटाइल की फर्श की बिछायतें (जिसके अंतर्गत टर्फ हैं), मुर्धित, चाहे निर्मित हैं या नहीं

570310	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
5703 10 10	---	कालीन	व.मी.	25%	-
5703 10 20	---	पायदान और चटाई	व.मी.	25%	-
5703 10 90	---	अन्य	व.मी.	25%	-
	-	नायलान या अन्य पालीएमाइड के :			
5703 21 00	--	टर्फ	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
(1)	(2)		(3)	मानक	अधिमाना
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
				मीटर, जो भी अधिक हो	
570329	--	अन्य :			
5703 29 10	---	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 29 20	---	100% पालीएमाइड मुर्धित वेल्लोर, कट पाइल या लूप पाइल कालीन चटाई जूट, रबड लेटेक्स या पीछे पीयू फोम सहित	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 29 90	---	अन्य	व.मी.	25% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
	-	मानव निर्मित अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
5703 31 00	--	टर्फ	व.मी.	25% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 39	--	अन्य :			
5703 39 10	---	कालीन, कारपेटिंग और रग	व.मी.	25% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 39 20	---	100% पालीप्रोपलीन कालीन चटाई जूट, रबड लेटेक्स या पीछे पीयू फोम सहित	व.मी.	25% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमाननी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
5703 39 90	---	अन्य	व.मी.	25% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5703 90	-	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
5703 90 10	---	दरियों से भिन्न, सूत के कालीन और अन्य कालीन बिछायतें	व.मी.	25%	-
5703 90 20	---	कयर के कालीन और कालीन बिछायतें	व.मी.	25%	-
5703 90 90	---	अन्य	व.मी.	25%	-";
(42) अध्याय 58 में, शीर्ष 5802 के टैरिफ मद 5802 11 00, उपशीर्ष 5802 19 के टैरिफ मद 5802 19 10 से 5802 19 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-					
"5802		रोएंदार तौलिया कपडा और वैसे ही व्यूतित रौआदार फेब्रिक शीर्ष 5806 के संकीर्ण फेब्रिक से भिन्न ; मुर्धित टैक्सटाइल शीर्ष 5703 के उत्पादों से भिन्न			
5802 10	-	रोएंदार तौलिया और वैसे ही व्यूतित रोएंदार फेब्रिक कपास के :			
5802 10 10	---	अविरंजित	व.मी.	25%	-
5802 10 20	---	रंजित	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5802 10 30	---	पीस रंजित	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5802 10 40	---	सूत रंजित	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5802 10 50	--- छपे हुए	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5802 10 60	--- हथकरघा	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-
5802 10 90	--- अन्य	व.मी.	25% या 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो	-";

(43) अध्याय 59 में,—

(i) टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3. शीर्ष 5903 के प्रयोजनों के लिए, “प्लास्टिक युक्त लेमनीकृत टैक्सटाइल फैब्रिक” से एक या अधिक फैब्रिक की परतों के संयोजन से एक या अधिक शीटों से या प्लास्टिक की फिल्म से मिलकर बनने वाले उत्पाद अभिप्रेत हैं, जिन्हें किसी प्रक्रिया द्वारा संयोजित किया जाता है, जो परतों को इकट्ठा जोड़ देती है, चाहे अनुप्रस्थ में नग्न आंखों से शीटें या प्लास्टिक की फिल्म, दृश्यमान हो या न हो।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 3, टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6 और टिप्पण 7 को क्रमशः टिप्पण 4, टिप्पण 5, टिप्पण 6 और टिप्पण 7 और टिप्पण 8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 8 के, खंड (क) में उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) तेल संपीडकों या सदृश में टैक्सटाइल सामग्री या मानव रोम की किस्म का फिल्टरीकरण या निस्सदक कपड़ा ;”;

(iii) शीर्ष 5911 में,—

(क) शीर्ष 5911 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “टिप्पण 7” शब्द और अंक के स्थान पर, “टिप्पण 8” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 5911 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“- तेल संपीडकों या सदृश में इस्तेमाल किया जाने वाला फिल्टरीकरण या निस्नदक कपडा, जिसके अंतर्गत मानव रोम है”;

(44) अध्याय 61 में,—

(i) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘4. शीर्ष 6105 और 6106 में वस्त्र के तले में उसे बांधने के लिए रिब्ड कमरबंद या अन्य साधन के साथ कमर से नीचे की जेबों वाले वस्त्र या प्रत्येक दिशा में प्रति लिनियर सेंटीमीटर में औसतन 10 से कम टांकों वाले, जिनकी गणना कम से कम 10 सेंटीमीटर x 10 सेंटीमीटर माप के क्षेत्र में की गई है, वाले वस्त्र नहीं आते हैं। शीर्ष 6105 के अंतर्गत बाजू रहित वस्त्र नहीं आते हैं।

“कमीज” और “कमीज-ब्लाउज” ऐसे वस्त्र हैं, जिनको शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिनमें लंबे या छोटे बाजू होते हैं और ग्रीवा से प्रारंभ होकर पूर्ण या आंशिक रूप से खुले होते हैं। “ब्लाउज” या ढीली फिटिंग वाले वस्त्र हैं, जिसको शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए डिजाइन किया जाता है, किंतु वह बिना बाजूओं के और ग्रीवा से खुले या नहीं खुले हो सकते हैं। “कमीज”, “कमीज-ब्लाउज” और “ब्लाउज” में कालर भी हो सकता है।’;

(ii) शीर्ष 6116 में, टैरिफ मद 6116 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6116 10 00 - प्लास्टिक या रबर से संसेचित, विलोपित, आच्छादित या लेमिनेट किया हुआ”;

(45) अध्याय 62 के,—

(i) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘4. शीर्ष 6205 और शीर्ष 6206 में, जिनके अंतर्गत कमर से नीचे के ऐसे जेब वाले वस्त्र नहीं आते हैं, जिनमें रिब्ड कमरबंद लगे हो या वस्त्र के निचले भाग पर कसने के अन्य साधन हैं। शीर्ष 6205 के अंतर्गत बाजू रहित वस्त्र नहीं आते हैं।

“कमीज” और “कमीज-ब्लाउज” ऐसे वस्त्र हैं, जो ऐसे शरीर के, जिसकी लम्बी या छोटी बाजू हैं, ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए डिजाइन किए गए हैं और ग्रीवा के आरंभ में पूर्ण या आंशिक रूप से खुलते हैं। “ब्लाउज” ऐसे ढीली फिटिंग वाले वस्त्र भी हैं, जिन्हें ऐसे शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए डिजाइन किया गया है, किन्तु ये बाजू रहित हो सकते हैं और नेकलाइन पर इन्हें खोला या बंद किया जा सकता है। “कमीज”, “कमीज-ब्लाउज” और “ब्लाउज” में कालर भी लगे हो सकते हैं।’;

(ii) विद्यमान टिप्पण 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए ;

(ii) शीर्ष 6201, टैरिफ मद 6201 11 00, उपशीर्ष 6201 12, टैरिफ मद 6201 12 10 से 6201 12 90, उपशीर्ष 6201 13, टैरिफ मद 6201 13 10 से 6201 13 90, उपशीर्ष 6201 19, टैरिफ मद 6201 19 10 से 6201 93 00, उपशीर्ष 6201 99, टैरिफ मद 6201 99 10 से 6201 99 90 और उनसे संबंधित

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6201		पुरुषों या लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, एनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेट भी हैं) विंडचीटर, विंड जैकेट और वैसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न, जो शीर्ष 6203 के अंतर्गत आती हैं			
6201 20	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम की :			
6201 20 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 20 90	---	अन्य	इ.	25% या 220रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	
6201 30	-	सूत की :			
6201 30 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 30 90	---	अन्य	इ.	25% या 210 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 40	-	मानव निर्मित फाइबर की :			
6201 40 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 320 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 40 90	---	अन्य	इ.	25% या 180 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6201 90	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्रियों की :			

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
6201 90 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25%	-
6201 90 90	---	अन्य	इ.	25%	-";
<p>(iv) शीर्ष 6202, उपशीर्ष 6202 11, टैरिफ मद 6202 11 10 से 6202 13 00, उपशीर्ष 6202 19, टैरिफ मद 6202 19 10 से 6201 19 90, उपशीर्ष 6202 91, टैरिफ मद 6202 91 10 से 6202 91 90, उपशीर्ष 6202 92, टैरिफ मद 6202 92 10 से 6202 92 90, उपशीर्ष 6202 93, टैरिफ मद 6202 93 10 से 6202 93 90, उपशीर्ष 6202 99, टैरिफ मद 6202 99 11 से 6202 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-</p>					
"6202		स्त्रियों या लड़कियों के ओवर कोट, कार कोट, केप, चोगा, ऐनोरेक (जिनके अंतर्गत स्की जैकेटें भी हैं) विंडचीटर, विंड जैकेट और वैसी ही वस्तुएं उनसे भिन्न, जो शीर्ष 6204 के अंतर्गत आती हैं			
6202 20	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम की :			
6202 20 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 20 90	---	अन्य	इ.	25% या 220रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 30	-	सूत की :			
6202 30 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 210 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 30 90	---	अन्य	इ.	25% या 160 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो	-
6202 40	-	मानव निर्मित फाइबर के :			
6202 40 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% या 385 रु0 प्रति नग, जो भी	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6202 40 90	---	अन्य	इ.	अधिक हो 25% या - 220 रु0 प्रति नग, जो भी अधिक हो
6202 90	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्रियों की :		
6202 90 10	---	ओवर कोट, बरसाती, कार कोट, केप, चोगा और वैसी ही वस्तुएं	इ.	25% -
6202 90 90	---	अन्य	इ.	25% -";

(v) शीर्ष 6210 में, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान,--

(क) उपशीर्ष 6210 20 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- शीर्ष 6201 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र";

(ख) उपशीर्ष 6210 30 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- शीर्ष 6202 में वर्णित प्रकार के अन्य वस्त्र";

(46) अध्याय 63 के शीर्ष 6306 में, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर,--

(क) शीर्ष 6306 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

**"त्रिपाल, यासवान और धूप ब्लाईड ; तम्बू (जिनमें
स्थायी शामियाने और वैसी ही वस्तुएं भी हैं) ;
नौकाओं के लिए पाल, पालबोर्ड या भू-यान; शिविर
लगाने का माल";**

(ख) टैरिफ मद 6306 19 90 के पश्चात् आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- तम्बू (जिनमें स्थायी शामियाने और वैसी ही
वस्तुएं भी हैं).";

(47) अध्याय 68 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में "लैम्प और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6802 में, "विशालतम सतह क्षेत्र" शब्दों के स्थान पर, "विशालतम फलक" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 6812 में, उपशीर्ष 6812 92, टैरिफ मद 6812 92 11 से 6812 93 00 और उससे संबंधित

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष 6815 में,--

(क) उपशीर्ष 6815 10, टैरिफ मद 6815 10 10 से 6815 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“कार्बन फाइबर, गैर विद्युत उपयोग के लिए कार्बन फाइबर की वस्तुएं ; ग्रेफाइट की अन्य वस्तुएं या गैर विद्युत उपयोग के लिए अन्य कार्बन :

6815 11 00	--	कार्बन फाइबर	कि.ग्रा.	10%	-
6815 12 00	--	कार्बन फाइबर के फेब्रिक्स	कि.ग्रा.	10%	-
6815 13 00	--	कार्बन फाइबर की अन्य वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
6815 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ख) टैरिफ मद 6815 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- जिसमें मैग्नीशाइट और चूर्ण के रूप में मैग्नीशिया, डोलोमाइट, जिसके अंतर्गत डोलाइन या क्रोमाइट का रूप भी है”;

(48) अध्याय 69 में,--

(i) टिप्पण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“1. यह अध्याय केवल ऐसे चीनी मिट्टी के उत्पादों को लागू होता है, जिन्हें आकार देने के पश्चात् आग में पकाया जाता है :

(क) शीर्ष 6904 से 6914 केवल ऐसे उत्पादों को लागू होते हैं, जो ऐसे उत्पादों से भिन्न हैं, जो शीर्ष 6901 से 6903 में वर्गीकरणीय हैं ;

(ख) रेसिन को संसाधित करने, जलीयकरण प्रतिक्रियाओं को त्वरित करने जैसे प्रयोजनों के लिए या जल के हटाए जाने के लिए या अन्य वाष्पशील संघटकों के लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर तापित वस्तुएं आग में पकाई हुई नहीं मानी जाएंगी । ऐसी वस्तुओं को अध्याय 69 से अपवर्जित किया गया है ; और

(ग) चीनी मिट्टी की वस्तुएं अकार्बनिक, गैर-धात्विक सामग्रियों को आग में पकाकर प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें साधारणतया कक्ष तापमान पर पूर्व में तैयार किया गया है और आकार दिया गया है । कच्ची सामग्री में, अन्य बातों के साथ-साथ, मृत्तिक, सिलिकामय सामग्री जिसके अंतर्गत फ्यूज्ड सिलिका भी है, उच्च गालन बिन्दु वाली सामग्री, जैसे आक्साइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ग्राफाइट या अन्य कार्बन और कुछ अन्य मामलों में बाइंडर्स जैसे उच्चतापसह मृत्तिका या फास्फेट भी सम्मिलित हैं ।”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ii) टिप्पण 2 के खंड (झज) में "लैम्प और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 6903 में,-

(क) शीर्ष 6903 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "आवरक और छड़े" शब्दों के स्थान पर, "आवरक, छड़े और स्लिज गेट" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 6903 10, टैरिफ मद 6903 10 10 से 6903 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6903 10 00 - जिसमें भार के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक मी.ट. 10% -";
कार्बनरहित अंतर्विष्ट है

(49) अध्याय 70 में,-

(क) टिप्पण 1 में,-

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(घ) अध्याय 86 से 88 के यानों के लिए विरचित अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़कियां और अन्य खिड़कियां ;

(ङ) अध्याय 86 to 88 के यानों के लिए, तापन युक्तियों या अन्य विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को समाविष्ट करते हुए अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़कियां और अन्य खिड़कियां, चाहे विरचित हो या नहीं ;";

(ii) विद्यमान खंड (घ), (ङ), (च) और (छ) को क्रमशः खंड (च), (छ), (ज) और (झज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (छ) में, "लैप या प्रकाश फिटिंगें" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 7001 में,-

(i) शीर्ष 7001 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"भग्न कांच और कांच के अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिनमें कथौड किरण ट्यूबों से कांच या शीर्ष 8549 के अन्य सक्रियकृत कांच नहीं हैं ; स्थूल रूप में कांच";

(ii) उपशीर्ष 7001 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"- भग्न कांच और कांच के अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप, जिनमें कथौड किरण ट्यूबों से कांच या शीर्ष 8549 के अन्य सक्रियकृत कांच नहीं हैं ; स्थूल रूप में कांच";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ग) शीर्ष 7011 में, शीर्ष 7011 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, "विद्युत लैंपों," शब्दों के स्थान पर, "विद्युत लैंपों और प्रकाश स्रोत," शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) शीर्ष 7019, टैरिफ मद 7019 11 00 से 7019 59 00, उपशीर्ष 7019 90, टैरिफ मद 7019 90 10 से 7019 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“7019	कांच फाइबर (जिनके अंतर्गत कांच ऊर्ण है) और उनकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ सूत, रोविंग्स, व्यूतित फैब्रिक)				
-	स्लिवर, रोविंग्स, सूत और चोपड स्ट्रैंड और उनकी चटाइयां :				
7019 11 00	-- चोपड स्ट्रैंड, जिनकी लंबाई 50 मि.मी. से अधिक न हो	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 12 00	-- रोविंग्स	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 13 00	-- अन्य सूत, स्लिवर	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 14 00	-- यांत्रिक रूप से बंधित चटाइयां	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 15 00	-- रासायनिक रूप से बंधित चटाइयां	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	
-	यांत्रिक रूप से बंधित फैब्रिक:				
7019 61 00	-- रोविंग्स के संवृत व्यूतित फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 62 00	-- रोविंग्स के अन्य संवृत फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 63 00	-- सूत, जो विलेपित या लेमिनीकृत नहीं है, के संवृत व्यूतित फैब्रिक, सादी व्यूति	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 64 00	-- सूत, जो विलेपित या लेमिनीकृत है, के संवृत व्यूतित फैब्रिक, सादी व्यूति	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 65 00	-- विवृक्ष व्यूतित फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई 30 सें.मी. से अधिक न हो	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 66 00	-- विवृक्ष व्यूतित फैब्रिक, जिसकी चौड़ाई 30 सें.मी. से अधिक हो	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 69 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-	
-	रासायनिक रूप से बंधित फैब्रिक :				
7019 71 00	-- वेल (पतली चादर)	कि.ग्रा.	10%	-	
7019 72 00	-- अन्य संवृत फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-	

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7019 73 00	-- अन्य विवृक्ष फैब्रिक	कि.ग्रा.	10%	-
7019 80 00	- कांच ऊर्ण और कांच ऊर्ण की वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
7019 90 00	- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(50) अध्याय 71 में,—

(i) शीर्ष 7104 में, उपशीर्ष 7104 20, टैरिफ मद 7104 20 10 से 7104 20 90, उपशीर्ष 7104 90, टैरिफ मद 7104 90 10 से 7104 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

	"-	अन्य, अकर्मित या मात्र कर्तित या स्थूल रूप से आकारित :			
7104 21 00	--	हीरक	सी/के	10%	-
710429 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य :			
7104 91 00	--	हीरक	सी/के	10%	-
7104 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(ii) शीर्ष 7112 में, शीर्ष 7112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "बहुमूल्य धातु की पुनः प्राप्ति" शब्दों के स्थान पर, "शीर्ष 8549 के माल से भिन्न बहुमूल्य धातु की पुनःप्राप्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(51) अनुभाग 15 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में, "लैंप और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 2 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) शीर्ष 7307, 7312, 7315, 7317 या 7318 की वस्तुएं और अन्य आधार धातु की वैसी ही वस्तुएं, जो उन वस्तुओं से भिन्न हैं, जिन्हें विशेष रूप से चिकित्सा, शल्य, दंत या पशुविज्ञान (शीर्ष 9021) के रोपण में अनन्यतः उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है ;";

(iii) टिप्पण 7 में, "निर्वचनात्मक नियमों" शब्दों के स्थान पर, "साधारण निर्वचनात्मक नियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) टिप्पण 8 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) अपशिष्ट और स्क्रेप

(i) सभी धातु अपशिष्ट और स्क्रेप ;

(ii) धातु माल, जो निश्चित रूप में टूट, कटाव, घिसाव या अन्य कारण से उपयोग के योग्य नहीं है ।";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(v) टिप्पण 8 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘9. अध्याय 74 से अध्याय 76 और अध्याय 78 से अध्याय 81 के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पदों का वह अर्थ होगा, जो उनके निम्नलिखित में हैं :

(क) शलाकाएं और छड़ें

वेल्लित, उत्सारित, कर्षित या फोर्जित उत्पाद, जो कुंडलियों में नहीं हैं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्त, अंडवक्रों, आयातों (जिनके अंतर्गत वर्ग भी है), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के (जिनके अंतर्गत “सपात वृत्त” और “उपांतरित आयत” हैं, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में है और अन्य दो भुजाएं सीधी लंबाई में बराबर और समानान्तर है) आकार की एक समान ठोस अनुप्रस्थ काट है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), त्रिभुजाकार या बहुभुजीय अनुप्रस्थ काट वाले उत्पादों के किनारे उनकी संपूर्ण लंबाई में गोल किए हुए हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई, जो आयताकार (जिनके अंतर्गत उपांतरित वर्गाकार भी है) अनुप्रस्थ काट वाले हैं, चौड़ाई के दशमांश से अधिक है। इस पद के अंतर्गत उसी रूप और विमा के ऐसे ढलवां या सिंटरित उत्पाद भी हैं, जिन्हें उत्पादन के पश्चात् (साधारण समाकर्तन या विशल्कन से अन्यथा) कर्मित किया गया है, परंतु यह तब जबकि ऐसे उत्पाद, तद्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

अध्याय 74 की उन तार शलाकाओं और लठ्ठों को, जिनके सिरे केवल इसलिए शुंडाकार या अन्यथा कर्मित किए गए हैं, जिससे कि उन्हें, उदाहरणार्थ, कर्षण स्टाक (तार छड़) या नलिकाओं में संपरिवर्तित करने के लिए, मशीनों में उनका प्रवेश सुगम किया जा सके, शीर्ष 7403 का अनगढ़ ताम्र माना जाएगा। यह उपबंध अध्याय 81 के उत्पादों को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है।

(ख) प्रोफाइल

वेल्लित, उत्सारित, कर्षित, फोर्जित या अभिरूपित उत्पाद, चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जिनकी संपूर्ण लंबाई में एक समान अनुप्रस्थ काट है और जो शलाकाओं, छड़ों, तार, प्लेटों, चादरों, पट्टियों, पर्णिकाओं, नलिकाओं या पाइपों में से किसी की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। इस पद के अंतर्गत वैसे ही रूप के ढलवां या सिंटरित उत्पाद भी हैं, जिन्हें उत्पादन के पश्चात् (साधारण समाकर्तन या विशल्कन से अन्यथा) कर्मित किया गया है; परंतु यह तब जबकि ऐसे उत्पाद, तद्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

(ग) तार

वेल्लित, उत्सारित या कर्षित उत्पाद, जो कुंडलियों में नहीं हैं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्तों, अंडवक्रों, आयातों (जिनके अंतर्गत वर्ग भी है), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के (जिनके अंतर्गत “सपात वृत्त” और “उपांतरित आयत” हैं, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में है और अन्य दो भुजाएं सीधी लंबाई में बराबर और समानान्तर है) आकार की एक समान ठोस अनुप्रस्थ काट है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), त्रिभुजाकार या बहुभुजीय अनुप्रस्थ काट वाले उत्पादों के किनारे उनकी संपूर्ण लंबाई में गोल किए हुए हो सकते हैं। ऐसे उत्पादों की मोटाई, जो आयताकार (जिनके अंतर्गत “उपांतरित वर्गाकार” भी है) अनुप्रस्थ काट वाले

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

हैं, चौड़ाई के दशमांश से अधिक है।

(घ) प्लेटें, चादरें पट्टी और पर्णिका

सपात सहह वाले उत्पाद (शीर्ष 8001 के अनगढ़ उत्पादों से भिन्न), चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जो ठोस आयताकार (वर्गाकार से भिन्न) अनुप्रस्थ काट वाले हैं, उनके कोने (जिसके अंतर्गत "उपांतरित आयत" है, जिनकी आमने-सामने की दो भुजाएं उत्तल चाप के रूप में हैं, अन्य दो भुजाएं सीधी हैं, लंबाई में बराबर और सामानांतर है) एक समान मोटाई की गोलाई वाले नहीं हैं, जो :

- आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है) आकार के, जिनकी मोटाई, चौड़ाई के दशमांश से अधिक नहीं है;

- आयताकार या वर्गाकार से भिन्न किसी आकार के, किसी भी अमाप के हैं, परंतु यह तब जब वे अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

प्लेटों, चादरों, पट्टी और पर्णिकाओं के शीर्ष, अन्य बातों के साथ, प्लेटों, चादरों, पट्टियों और पर्णिकाओं को, जिन पर पैटर्न (उदाहरणार्थ, खांचे, पशुक, जालचिनी, विदारण, बटन, लॉजेंज) हैं और ऐसे उत्पादों को, जो छिद्रित, नालीदार, पालिशकृत, विलेपित हैं, लागू होते हैं, परंतु यह तब जबकि वे तद्वारा अन्य शीर्षों की वस्तुओं या उत्पादों के गुण ग्रहण नहीं कर लेते हैं।

(ङ) नलिकाएं और पाइपें

खोखले उत्पाद, चाहे कुंडलित हैं या नहीं, जिनमें उनकी संपूर्ण लंबाई में वृत्तों, अंडवक्रों, आयतों (जिनके अंतर्गत वर्ग है), समबाहु त्रिभुजों या नियमित उत्तल बहुभुजों के आकार में केवल एक परिवर्द्ध रिक्ति वाली एक समान अनुप्रस्थ काट है और जिनकी दीवार की मोटाई एक समान है। आयताकार (जिनके अंतर्गत वर्गाकार है), समबाहु त्रिभुज या नियमित उत्तल बहुभुज की अनुप्रस्थ काट वाले उत्पाद भी, जिनकी संपूर्ण लंबाई में कोने गोल किए हुए हो सकते हैं, नलिकाएं और पाइप समझे जाएंगे, परंतु यह तब जब आंतरिक और बाह्य अनुप्रस्थ काट सरेन्द्री और समान आकार तथा अभिन्यास की है। पूर्वगामी अनुप्रस्थ काट वाली नलिकाएं और पाइपें पालिशकृत, विलेपित, बंकित चूड़ीदार, प्रबेधित, कटि आकार वाली, प्रसारित, शंकु आकार वाली अथवा फ्लेज, कालर या वलय से फिट की हुई हो सकती हैं;

(52) अध्याय 74 में,--

(i) टिप्पण 1 में, खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 7419, उपशीर्ष 7419 10, टैरिफ मद 7419 10 10 से 7419 91 00, उपशीर्ष 7419 99, टैरिफ मद 7419 99 10 से 7419 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7419		ताम्र की अन्य वस्तुएं			
7419 20 00	-	संचकित, संचित, स्टांपित या फोजित हैं, किंतु और कर्मित नहीं है	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाननी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7419 80	- अन्य :			
7419 80 10	--- जलाशय, टैंक, कुंड और वैसे ही आधान	कि.ग्रा.	10%	-
7419 80 20	--- निकिल-सिल्वर सहित इलैक्ट्रोपत्रित मिश्रातु की ताम्र वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
7419 80 30	--- पीतल की वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
7419 80 40	--- ताम्र कर्मित वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-
7419 80 50	--- ताम्र जंजीर	कि.ग्रा.	10%	-
7419 80 90	--- ताम्र की अन्य वस्तुएं	कि.ग्रा.	10%	-";

(53) अध्याय 75 में,—

(i) टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(ii) “अध्याय टिप्पण 1 (ग)” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “अनुभाग 15 के टिप्पण 9 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(54) अध्याय 76 में,—

(i) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, “अध्याय टिप्पण 1 (ग)” शब्दों, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “अनुभाग 15 के टिप्पण 9 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(55) अध्याय 78 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(56) अध्याय 79 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(57) अध्याय 80 के टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(58) अध्याय 81 में,—

(i) उपशीर्ष टिप्पण का लोप किया जाएगा ;

(ii) शीर्ष 8103 में, टैरिफ मद 8103 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- अन्य :

8103 91 00 -- मूषा कि.ग्रा. 10% -

8103 99 00 -- अन्य कि.ग्रा. 10% -";

(iii) शीर्ष 8106 में, उपशीर्ष 8106 00, टैरिफ मद 8106 00 10 से 8106 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8106 बिस्मथ और उसकी वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप भी हैं

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8106 10	-	जिसमें भार के आधार पर बिस्मथ का 99.99% अंतर्विष्ट हों			
8106 10 10	---	बिस्मथ, अनगढ़	कि.ग्रा.	5%	-
8106 10 20	---	बिस्मथ की वस्तुएं	कि.ग्रा.	5%	-
8106 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
8106 90	-	अन्य :			
8106 90 10	---	बिस्मथ के अपशिष्ट और स्क्रेप तथा बिस्मथ मिश्रातुएं	कि.ग्रा.	5%	-
8106 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(iv) शीर्ष 8107, टैरिफ मद 8107 20 00 से 8107 30 00, उपशीर्ष 8107 90, टैरिफ मद 8107 90 10 से 8107 90 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8109, टैरिफ मद 8109 20 00 से 8109 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	"-	अनगढ़ जर्कोनियम ; चूर्ण :			
8109 21 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 29 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अपशिष्ट और स्क्रेप:			
8109 31 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	अन्य :			
8109 91 00	--	जिसमें भार के आधार पर 500 अंश जर्कोनियम का 1 अंश हैफनियम से कम अंतर्विष्ट हो	कि.ग्रा.	10%	-
8109 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(vi) शीर्ष 8112 में,-

(क) शीर्ष 8112 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“बेरीलियम, क्रोमियम, हैफनियम, रीनियम,
थैलियम, कैडमियम, जर्मेनियम, वैनेडियम,
गैलियम, इंडियम और नायोबियम (कोलम्बियम),

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

इन धातुओं की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत अपशिष्ट और स्क्रेप भी हैं;

(ख) टैरिफ मद 8112 29 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

	“-	हैफनियम :			
8112 31	--	अनगढ़ ; अपशिष्ट और स्क्रेप ; चूर्ण :			
8112 31 10	---	अनगढ़	कि.ग्रा.	10%	-
8112 31 20	---	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 31 30	---	चूर्ण	कि.ग्रा.	10%	-
8112 39 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	-	रीनियम :			
8112 41	--	अनगढ़ ; अपशिष्ट और स्क्रेप ; चूर्ण :			
8112 41 10	---	अनगढ़	कि.ग्रा.	10%	-
8112 41 20	---	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 41 30	---	चूर्ण	कि.ग्रा.	10%	-
8112 49 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ग) टैरिफ मद 8112 59 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

	“-	कैडमियम :			
8112 61 00	--	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि.ग्रा.	10%	-
8112 69 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-”;

(59) अनुभाग 16 के टिप्पणों में,—

(i) टिप्पण 2 के खंड (ख) में, “किंतु ऐसे पुर्जों” शब्दों से आरंभ होने वाले और “शीर्ष 8517 में वर्गीकृत किया जाएगा” शब्दों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“किंतु ऐसे पुर्जों को, जो शीर्ष सं0 8517 और शीर्ष सं0 8525 से शीर्ष सं0 8528 के माल के साथ प्रधानतः उपयोग किए जाने के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं और ऐसे पुर्जों को, जो शीर्ष सं0 8524 के माल के साथ एकमात्र या प्रधानतः उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त हैं, शीर्ष सं0 8529 में वर्गीकृत किया जाएगा ;”;

(ii) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘6. (क) संपूर्ण नामपद्धति में, “विद्युत और इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट और स्क्रेप” पद से विद्युत और

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

इलेक्ट्रॉनिक संयोजन, मुद्रित परिपथ बोर्ड, और विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं अभिप्रेत हैं, जो :

(i) टूटफूट, कर्तन या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा उनके मूल प्रयोजनों के लिए अनुपयोज्य हो गई हैं और मितव्ययी रूप से उन्हें उनके मूल प्रयोजनों के लिए योग्य बनाने हेतु मरम्मत, पुनः चमकाने या नवीकरण के लिए अनुपयुक्त हैं ; और

(ii) ऐसी रीति में, जो परिवहन, लदाई और उतराई संक्रियाओं के दौरान व्यष्टिक वस्तुओं को नुकसान से बचाने के लिए आशयित नहीं हैं, पैक की गई हैं या पोत में लादी गई हैं ।

(ख) “विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रेप” के मिश्रित पारेषणों और अन्य अपशिष्ट और स्क्रेप को शीर्ष 8549 में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ग) इस अनुभाग के अंतर्गत नगरपालिक अपशिष्ट, जो अध्याय 38 के टिप्पण 4 में परिभाषित हैं, नहीं आते हैं ।’;

(60) अध्याय 84 में,—

(i) टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. अनुभाग 16 के टिप्पण 3 के प्रवर्तन के अधीन रहते हुए और इस अध्याय के टिप्पण 9 के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी मशीन या साधित्र को, जो शीर्ष सं0 8401 से शीर्ष सं0 8424, या शीर्ष सं0 8486 के एक या अधिक शीर्ष में के वर्णन के और इसके साथ ही शीर्ष सं0 8425 से शीर्ष सं0 8480 तक में से किसी एक या अधिक शीर्ष में के वर्णन के अनुरूप हैं, यथास्थिति, पूर्ववर्ती समूह के समुचित शीर्ष या शीर्ष सं0 8486 के अधीन, न कि पश्चात्वर्ती समूह के अधीन, वर्गीकृत किया जाएगा ।

(अ) शीर्ष सं0 8419 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(i) अंकुरण संयंत्र ऊष्मायित्र या शावकित्र (शीर्ष सं0 8436) ;

(ii) अन्न शीलन मशीन (शीर्ष सं0 8437) ;

(iii) गन्ना रस-निष्कर्षण के लिए विसरणकारी उपकरण (शीर्ष सं0 8438) ;

(iv) टैक्सटाइल सूत, फैब्रिक या निर्मित टैक्सटाइल वस्तुओं के ऊष्ण उपचार के लिए मशीनरी (शीर्ष सं0 8451) ; या

(v) यांत्रिक प्रचालन के लिए अभिकल्पित, मशीनरी या संयंत्र, जिसमें तापमान परिवर्तन, आवश्यक होते हुए भी, गौण है ।

(आ) शीर्ष सं0 8422 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

(i) थैले या वैसे ही आधानों के बंद करने के लिए सिलाई मशीनें (शीर्ष सं0 8452) ; या

(ii) शीर्ष सं0 8472 की कार्यालय मशीनरी ।

(इ) शीर्ष सं0 8424 के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(i) इंक-जेट मुद्रण मशीनें (शीर्ष सं0 8443) ; या

(ii) वाटर-जेट कटिंग मशीनें (शीर्ष सं0 8456) ।”;

(ii) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“5. शीर्ष सं0 8462 के प्रयोजनों के लिए, सपाट उत्पादों के लिए “विदारण पंक्ति” किसी विवृतक, कुंडली सपाटकर्ता, विदारक और पुनः विवृतक की सम्मिश्रित प्रसंस्करण पंक्ति है । सपाट उत्पादों के लिए “दीर्घतर पंक्ति तक कर्तित” किसी विवृतक, कुंडली सपाटकर्ता और कंचा की सम्मिश्रित प्रसंस्करण पंक्ति है ।”;

(iii) विद्यमान टिप्पण 5, 6, 7, 8 और 9 को क्रमशः टिप्पण 6, 7, 8, 9 और 11 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 9 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :--

“10. शीर्ष सं0 8485 के प्रयोजनों के लिए, “योज्यक विनिर्माण” पद (जिसे 3डी मुद्रण भी कहा गया है) से क्रमिक परिवर्धन और परतीकरण द्वारा डिजिटल मॉडल पर आधारित भौतिक वस्तुओं की विरचना तथा सामग्री (उदाहरणार्थ धातु, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी) का समेकन और संपिंडन अभिप्रेत है ।

अनुभाग 16 के टिप्पण 1 और अध्याय 84 के टिप्पण 1 के अधीन रहते हुए, शीर्ष सं0 8485 में के वर्णन के अनुरूप मशीनें उस शीर्ष में, न कि नामपद्धति के अन्य शीर्ष में, वर्गीकृत की जाएंगी ।”;

(iv) विद्यमान टिप्पण 9 को उसके टिप्पण 11 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 11 के खंड (क) के पश्चात्, शब्दों के स्थान पर, “टिप्पण 9(क) और 9(ख)” शब्द, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “टिप्पण 12 (क) और 12(ख)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, “टिप्पण 5 (ग)”, शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, “टिप्पण 6 (ग)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(vi) शीर्ष 8414 में,--

(क) शीर्ष 8414 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “फिल्टर” शब्द के स्थान पर, “फिल्टर ; गैस-संपीडित जैव सुरक्षा पेटी, चाहे वे फिल्टरों से सज्जित हैं या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8414 60 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“8414 70 00	-	गैस-संपीडित जैव सुरक्षा पेटी	इ.	7.5%	-”
-------------	---	------------------------------	----	------	----

(vii) शीर्ष 8418 में, उपशीर्ष 8418 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“- संयुक्त प्रशीतित्र-हिमित्र, जिनमें पृथक बाह्य दरवाजे या दराज, या उनके संयोजन, फिट गए हैं।”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(viii) शीर्ष 8419 में,--

(क) टैरिफ मद 8419 11 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8419 12 00	--	सौर जल तापित्र	इ.	10%	-”;
-------------	----	----------------	----	-----	-----

(ख) टैरिफ मद 8419 31 00 से 8419 32 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8419 33 00	--	लयोफाइलेशन उपस्कर, हिमित्र शुष्कण यूनितें और स्प्रे शुष्कित्र	इ.	7.5%	-
8419 34 00	--	अन्य, कृषि उत्पादों के लिए	इ.	7.5%	-
8419 35 00	--	अन्य, काष्ठ, कागजी लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड	इ.	7.5%	-”;

(ix) शीर्ष 8421 में, टैरिफ मद 8421 31 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8421 32 00	--	उत्प्रेरक संपरिवर्तक या विविक्त फिल्टर, चाहे वे अंतर्दहन इंजनों से निःशेष गैसों के शुद्धिकरण या उनको फिल्टर करने के लिए, संयोजित किए गए हैं या नहीं	इ.	15%	-”;
-------------	----	---	----	-----	-----

(x) शीर्ष 8428 में, टैरिफ मद 842860 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8428 70 00	-	औद्योगिक रोबोट	इ.	7.5%	-”;
-------------	---	----------------	----	------	-----

(xi) शीर्ष 8438 में, शीर्ष 8438 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “अवाष्पशील वनस्पति वसा” शब्दों के स्थान पर, “अवाष्पशील वनस्पति या सूक्ष्मजीवी वसा” शब्द रखे जाएंगे ;

(xii) शीर्ष 8462 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“8462	<p>फोर्जन, धनताइन या रूपदास्टापन (जिनके अंतर्गत वेलन मिले नहीं हैं) द्वारा धातु कर्मण के लिए मशीन औजार (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र भी हैं) ; बंकन, वलन, ऋजुकरण, सपाटन, संकर्तन, छिद्रणमा, खाचन या कुतरण (जिसके अंतर्गत ड्रा-बेंच नहीं हैं) द्वारा कर्मण धातु के लिए मशीन औजार (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र, विदारण पंक्ति और दीर्घतर पंक्ति तक कर्तित भी हैं) ; कर्मण धातु या धातु कार्बाइड के लिए निपीड़ित्र, जो ऊपर</p>
-------	--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	विनिर्दिष्ट नहीं है			
	- फोर्जन, रूपदास्टापन (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र भी हैं) के लिए ऊष्ण रूपक मशीनें और ऊष्ण धनताइन :			
8462 11 00	-- बंद रूपदास्टापन मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 19 00	-- अन्य	इ.	7.5%	-
	- सपाट उत्पादों के लिए बंकन, वलन, ऋजुकरण या सपाटन मशीनें (जिनके अंतर्गत प्रेस ब्रेक्स भी हैं) :			
8462 22 00	-- प्रोफाइल रूपक मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 23 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित प्रेस ब्रेक	इ.	7.5%	-
8462 24 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित पैनल बंकन	इ.	7.5%	-
8462 25 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित वेलन रूपक मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 26 00	-- अन्य संख्यात्मकतः नियंत्रित बंकन, वलन, ऋजुकरण, सपाटन मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 29 00	-- अन्य	इ.	7.5%	-
	- सपाट उत्पादों के लिए विदारण पंक्तियां, दीर्घतर पंक्तियों तक कर्तित और अन्य समाकर्तन मशीनें (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं), संयुक्त छिद्रन और समाकर्तन मशीनों से भिन्न :			
8462 32 00	-- विदारण पंक्तियां और दीर्घतर पंक्तियों तक कर्तित	इ.	7.5%	-
8462 33 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित समाकर्तन मशीनें	इ.	7.5%	-
8462 39 00	-- अन्य	इ.	7.5%	-
	- सपाट उत्पादों के लिए छिद्रन, खाचन या कुतरण मशीनें (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं), जिनके अंतर्गत संयुक्त छिद्रन और समाकर्तन मशीनें भी हैं :			
84624200	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-
8462 49 00	-- अन्य	इ.	7.5%	-
	- कार्बन ट्यूब, पाइप, खोखला भाग और छड़ (जिनके अंतर्गत निपीड़ित्र नहीं हैं) के लिए मशीनें :			
8462 51 00	-- संख्यात्मकतः नियंत्रित	इ.	7.5%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
(1)	(2)		(3)	मानक	अधिमानी
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
8462 59 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
	-	अतस धातु कर्मण निपीडित्र :			
8462 61 00	--	हाइड्रोलिक निपीडित्र	इ.	7.5%	-
8462 62 00	--	यांत्रिक निपीडित्र	इ.	7.5%	-
8462 63 00	--	सर्वो-निपीडित्र	इ.	7.5%	-
8462 69 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-
8462 90 00	-	अन्य	इ.	7.5%	-";
(xiii) शीर्ष 8479 में,--					
(क) उपशीर्ष 8479 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--					
"- पशु या अवाष्पशील वनस्पति या सुक्ष्मजीवी वसा या तेल के निष्कर्षण या निर्मिति के लिए मशीनरी";					
(ख) टैरिफ मद 8479 82 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--					
"8479 83 00	--	अतस समस्थितिक निपीडित्र	इ.	7.5%	-";
(xiv) शीर्ष 8482 में, टैरिफ मद 8482 40 00, उपशीर्ष 8482 50, टैरिफ मद 8482 50 11 से 8482 50 23 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--					
"8482 40 00	-	सुई रोलर बेयरिंग, जिसके अंतर्गत कक्षिका और सुई रोलर संयोजन भी हैं	इ.	7.5%	-
8482 50 00	-	अन्य बेलनकार रोलर बेयरिंग, जिसके अंतर्गत कक्षिका और रोलर संयोजन भी हैं	इ.	7.5%	-";
(xv) टैरिफ मद 8484 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--					
"8485		योज्यक विनिर्माण के लिए मशीन			
8485 10 00	-	धातु भंडार के आधार पर	इ.	7.5%	-
8485 20 00	-	प्लास्टिक या रबड़ भंडार के आधार पर	इ.	7.5%	-
8485 30 00	-	प्लास्टर, सीमेंट, चीनी-मिट्टी या कांच भंडार के आधार पर	इ.	7.5%	-
8485 80 00	-	अन्य	इ.	7.5%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8485 90 00 - पुर्जे इ. 7.5% -";

(xvi) शीर्ष 8486 के स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में,--

(क) शीर्ष 8486 के सामने आने वाले "टिप्पण 9 (ग)" शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "टिप्पण 11 (ग)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8486 40 00 के सामने आने वाले "टिप्पण 9 (ग)" शब्द, अंक, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "टिप्पण 11 (ग)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(61) अध्याय 85 में,--

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'5. शीर्ष 8517 के प्रयोजनों के लिए, "स्मार्टफोन" पद से ऐसे सेलूलर नेटवर्कों के लिए ऐसे टेलीफोन अभिप्रेत हैं, जो साथ-साथ बहुअनुप्रयोगों, जिनके अंतर्गत तृतीय पक्षकार अनुप्रयोग भी हैं, को डाउनलोड करने तथा चलाने वाली स्वतः डाटा प्रक्रमण मशीन के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए अभिकल्पित मोबाइल प्रचालन प्रणाली से सज्जित हैं, और चाहे वे डिजिटल कैमरों और नेवीगेशन संबंधी सहायता प्रणालियों जैसी अन्य विशेषताओं को एकीकृत करते हैं या नहीं ।';

(ii) विद्यमान टिप्पण 5 को उसके टिप्पण 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'7. शीर्ष 8524 के प्रयोजनों के लिए, "सपाट पैनल प्रदर्शन मोडयूल" सूचना के प्रदर्शन के लिए युक्तियों या उपकरणों के प्रतिनिर्देश है, जिन्हें प्रयोग करने से पूर्व अन्य शीर्षों की वस्तुओं में समाविष्ट किए जाने के लिए अभिकल्पित किया जाता है । सपाट पैनल प्रदर्शन मोडयूल के लिए प्रदर्शन स्क्रीन में, किंतु जो उन तक सीमित नहीं है, जो सपाट हैं, वक्र, नम्य, वलनीय, तननीय रूप की है । सपाट पैनल प्रदर्शन मोडयूल में अतिरिक्त तत्वों को, जिनके अंतर्गत वे तत्व भी हैं, जो वीडियो संकेतों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं और प्रदर्शन पर पिक्सल तक उन संकेतों के आबंटन को समाविष्ट किए जा सके । तथापि, शीर्ष 8524 में ऐसे प्रदर्शन मोडयूल सम्मिलित नहीं हैं, जो संपरिवर्तनकारी वीडियो संकेतों (उदाहरणार्थ, सकेलर आईसी, डिक्वॉडर आईसी या अनुप्रयोग प्रक्रमक) के लिए संघटको से सज्जित है या जो अन्य शीर्षों के माल के लक्षणों को अन्यथा ग्रहण किए हुए हैं ।

इस टिप्पण में परिभाषित सपाट पैनल प्रदर्शन मोडयूल के वर्गीकरण के लिए, शीर्ष 8524 की नामपद्धति में किसी अन्य शीर्ष पर अग्रता होगी ।';

(iii) विद्यमान टिप्पण 6 और 7 को क्रमशः टिप्पण 8 और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(iv) विद्यमान टिप्पण 8 को उसके टिप्पण 10 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, और,--

(क) विद्यमान टिप्पण 10 का लोप किया जाएगा ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'11. शीर्ष 8539 के प्रयोजनों के लिए, "प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत" पद

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाननी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं :

(क) "प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोडयूल्स", जो विद्युत परिपथों में व्यवस्थित प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) पर आधारित विद्युत प्रकाश स्रोत हैं, और जिनमें विद्युत, यांत्रिकी, तापीय या प्रकाशीय तत्वों जैसे अतिरिक्त तत्व भी अंतर्विष्ट हैं। उनमें पृथक् सक्रिय तत्व, पृथक् निष्क्रिय तत्व या विद्युत प्रदाय या विद्युत नियंत्रण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए शीर्ष 8536 या शीर्ष 8542 की वस्तुएं भी अंतर्विष्ट हैं। प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोडयूल् में प्रकाश पुंज में सहज संस्थापन या प्रतिस्थापन अभिकल्पित कैप नहीं है और वे यांत्रिकी तथा विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करते हैं।

(ख) "प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) लैंप", जो विद्युत, यांत्रिकी, तापीय या प्रकाशीय तत्वों जैसे अतिरिक्त तत्वों को अंतर्विष्ट करने वाले एक या अधिक प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोडयूल् अंतर्विष्ट करने वाले विद्युत प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) मोडयूल् और प्रकाश-विकीर्णक डायोड (एलईडी) लैंपों के बीच यह अंतर है कि लैंपों में किसी प्रकाशपुंज में सहज संस्थापन या प्रतिस्थापन करने के लिए अभिकल्पित कैप होती है और वे यांत्रिकी और विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करते हैं।';

(v) विद्यमान टिप्पण 9 को टिप्पण 12 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित टिप्पण 12 में,--

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(क) (i) "अर्धचालक युक्तियां" ऐसी अर्धचालक युक्तियां हैं, जिनका प्रचालन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रयोग पर प्रतिरोधकता में परिवर्तन पर या अर्धचालक आधारित ऊर्जा परिवर्तकों पर निर्भर करता है।

अर्धचालक युक्तियों में अनेक तत्व समुच्चय, चाहे वे सक्रिय और निष्क्रिय सहायक कृत्य युक्ति से सुसज्जित हैं या नहीं, भी सम्मिलित हो सकेंगे।

"अर्ध-चालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक" इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए अर्ध-चालक आधारित संवेदक, अर्ध-चालक आधारित प्रेरक, अर्ध-चालक आधारित अनुनादक और अर्ध-चालक आधारित दोलक हैं, जो पृथक् अर्ध-चालक आधारित युक्तियों के प्रकार हैं, जो मूलभूत कृत्य हैं, जो किसी भी प्रकार की भौतिक या रासायनिक परिघटना या किसी कार्रवाई को इलैक्ट्रिक संकेत में या एक इलैक्ट्रिक संकेत को किसी प्रकार की भौतिक घटना या कार्रवाई में परिवर्तित करने में समर्थ है।

अर्ध-चालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक के सभी तत्व अभाज्य रूप से सम्मूचयित होते हैं और उसमें आवश्यक सामग्री, जो अभाज्य रूप से संलग्न होती है, उनके संनिर्माण या कृत्यों को समर्थ बनाती है, भी सम्मिलित है।

निम्नलिखित पदों से अभिप्रेत है,-

(1) "अर्ध-चालक आधारित" से अर्ध-चालक आधार पर निर्मित या विनिर्मित या अर्ध-चालक सामग्री से बनाए गए, अर्ध-चालक प्रौद्योगिकी द्वारा विनिर्मित अभिप्रेत है, जिसमें अर्ध-चालक आधार या सामग्री, ऊर्जा परिवर्तक कृत्य और पालन में क्रांतिक

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

और अप्रतिस्थाप्य भूमिका निभाते हैं और जिसका प्रचालन अर्ध-चालक विशेषताओं पर, जिसके अंतर्गत भौतिक, विद्युत, रासायनिक और प्रकाशिक विशेषताएं भी हैं, आधारित है।

(2) “भौतिक या रासायनिक परिघटना” ऐसी परिघटनाओं से संबंधित है, जैसे कि दाब, ध्वनि-तरंगें, त्वरण, दोलन, गति, दिग्विन्यास, तनाव, चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, प्रकाश, रेडियोधर्मिता, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक सांद्रता, आदि।

(3) “अर्ध-चालक आधारित संवेदक” एक अर्ध-चालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्ध-चालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य भौतिक या रासायनिक परिमाण का पता लगाना है और उन्हें विद्युत विशेषताओं के परिवर्तन के परिणामस्वरूप या यांत्रिक अवसंरचना के विस्थापन द्वारा विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना है।

(4) “अर्ध-चालक आधारित प्रेरक” एक अर्ध-चालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्ध-चालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य विद्युत संकेतों को भौतिक गति में परिवर्तित करना है।

(5) “अर्ध-चालक आधारित अनुनादक” एक अर्ध-चालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्ध-चालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य पूर्व निर्धारित आवृत्तियों के यांत्रिक या विद्युत दोलन को जनित करना है, जो एक बाह्य निवेश के प्रत्युत्तर में इन संरचनाओं की भौतिक ज्यामिती पर निर्भर करते हैं।

(6) “अर्ध-चालक आधारित दोलन” एक अर्ध-चालक युक्ति का प्रकार है, जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्ध-चालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य पूर्व निर्धारित आवृत्तियों के यांत्रिक या विद्युत दोलन को जनित करना है, जो इन संरचनाओं की भौतिक ज्यामिती पर निर्भर करते हैं।

(ii) “प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)” अर्ध-चालक सामग्री पर आधारित अर्ध-चालक ऐसी युक्तियां हैं, जो विद्युत ऊर्जा को दृश्य, अवरक्त या पराबैंगनी किरणों में परिवर्तित करता है, चाहे वह एक-दूसरे से विद्युत रूप से सम्मुचयित है या नहीं और चाहे वह रक्षक डायोड के साथ सम्मुचयित है या नहीं। शीर्ष 85.41 वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) विद्युत आपूर्ति या विद्युत नियंत्रण प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए संयोगी तत्व नहीं होते हैं;’

(ख) खंड (ख) के उपखंड (iv) के, उपपैरा (3) में, मद (क) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(क) “सिलिकान आधारित संवेदक” में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, जो पुंज में या अर्ध-चालक की सतह पर सृजित की जाती है और जिनका कार्य भौतिक या रासायनिक परिघटनाओं का पता लगाना है और उन्हें विद्युत

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

विशेषताओं के परिवर्तन के परिणामस्वरूप या यांत्रिक अवसंरचना के विस्थापन द्वारा विद्युत संकेतों में ऊर्जा परिवर्तन करना है। "भौतिक या रासायनिक परिघटना" ऐसी परिघटना से संबंधित है, जैसे कि दाब, ध्वनि-तरंगें, त्वरण, दोलन, गति, दिग्विन्यास, तनाव, चुम्बकीय क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, प्रकाश, रेडियोधर्मिता, आर्द्रता, प्रवाह, रासायनिक सांद्रता, आदि।';

(vi) उपशीर्ष टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8525 81 में केवल उच्च-गति टेलीविजन कैमरों, डिजिटल कैमरों और वीडियो कैमरा रिकार्डरों, जो निम्नलिखित एक या अधिक विशेषताएं रखते हैं, समाविष्ट होते हैं :

- 0.5 मिलिमीटर प्रति माइक्रो सेकेंड से अधिक लेखन गति ;
- 50 नैनो सेकेंड या उससे कम समय रिजोल्यूशन ;
- 225,000 फ्रेम प्रति सेकेंड से अधिक फ्रेम दर ;

2. उपशीर्ष 8525 82 के संबंध में विकिरण-दृढीभूत या विकिरण-सहिष्णु टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर, उच्च-विकिरण वातावरण में प्रचालन को समर्थ बनाने हेतु परिकल्पित या परिरक्षित किए जाते हैं। ये कैमरे प्रचालन अवकर्षण के बिना कम से कम 50 x 103 जीवाई (सिलिकान) (5x106 आरएडी सिलिकान), विकिरण डोज को सहन करने के लिए परिकल्पित किए जाते हैं।

3. उपशीर्ष 8525 83 रात्रि दृश्य टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर समाविष्ट करता है, जो एक फोटो केथोड का उपलब्ध प्रकाश को इलैक्ट्रॉन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं, जिन्हें एक दृश्य प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए वर्धित और परिवर्तित किया जा सकता है। इस उपशीर्ष में उष्मीय बिंब कैमरे (साधारणतया उपशीर्ष 8525 89) सम्मिलित नहीं हैं।

4. उपशीर्ष 8527 12 ध्वनि विस्तारक के बिना, निर्मित वर्धक के साथ केवल कैसेट प्लेयर समाविष्ट करता है, जो विद्युत शक्ति के बाह्य स्रोत के बिना प्रचालन के लिए सक्षम है और उनकी विमाएं 170 मिमी x 100 मिमी x 45 मिमी से अधिक नहीं होती है।

5. उपशीर्ष 8549 11 से 8549 19 उपशीर्षों के प्रयोजनों के लिए "व्ययित प्राथमिक सेल, व्ययित प्राथमिक बैटरी और व्ययित इलैक्ट्रिक संचायक" वे हैं, जो टूट-फूट, कटिंग-अप, प्रदर्शन या अन्य कारण से उपयोग योग्य नहीं हैं और न ही रिचार्ज किए जाने योग्य हैं।';

(vii) शीर्ष 8501 में,—

(क) टैरिफ मद 8501 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

- “- प्रकाश-वोल्टीय जनरेटरों से भिन्न अन्य डीसी मोटर ; डीजी जनरेटर .”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) टैरिफ मद 8501 53 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“- फोटो-वोल्टीय जनरेटरों से भिन्न एसी जनरेटर (प्रत्यावर्तित) .”;

(ग) टैरिफ मद 8501 64 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“- फोटो-वोल्टीय डीसी जनरेटर :

8501 71 00	--	50 वाट से अनधिक आउटपुट का	इ.	10%	-
8501 72 00	--	50 वाट से अधिक आउटपुट का	इ.	10%	-
8501 80 00	-	फोटो-वोल्टीय एसी जनरेटर	इ.	10%	-”;

(viii) शीर्ष 8507, टैरिफ मद 8507 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ix) शीर्ष 8514,-

(क) टैरिफ मद 8514 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- ताप प्रतिरोधी भट्टियां और चुल्हे :

8514 11 00	--	उष्म समस्थितिक चुल्हे	इ.	7.5%	-
8514 19 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-”;

(ख) उपशीर्ष 8514 30, टैरिफ मद 8514 30 10 और 8514 30 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- अन्य भट्टियां और चुल्हे :

8514 31 00	--	इलैक्ट्रान बीम भट्टियां	इ.	7.5%	-
8514 32 00	--	प्लाज्मा और निर्वात आर्क भट्टियां	इ.	7.5%	-
8514 39 00	--	अन्य	इ.	7.5%	-”;

(x) शीर्ष 8517,-

(क) शीर्ष 8517 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, “टेलीफोन” शब्दों के स्थान पर, “स्मार्टफोन और अन्य टेलीफोन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) शीर्ष 8517 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “टेलीफोन” शब्दों के स्थान पर, “स्मार्टफोन और अन्य टेलीफोन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपशीर्ष 8517 12, टैरिफ मद 8517 12 11 से 8517 12 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“8517 13 00	--	स्मार्टफोन	इ.	20%	-
8517 14 00	--	सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलैस नेटवर्क के लिए अन्य टेलीफोन	इ.	20%	-”;

(घ) उपशीर्ष 8517 70, टैरिफ मद 8517 70 10 और 8517 70 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“-	पुर्जे :				
8517 71 00	--	ऐरियल और सभी प्रकार के ऐरियल परावर्तक ; उसमें उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे	इ.	20%	-
8517 79	--	अन्य :			
8517 79 10	---	पोपुलेटेड, भारित या भरे हुए मुद्रित परिपथ बोर्ड	इ.	20%	-
8517 79 90	---	अन्य	इ.	15%	-”;

(xi) शीर्ष 8519, टैरिफ मद 8519 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xii) टैरिफ मद 8523 80 90 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8524		फ्लैट पैनल प्रदर्शन माइयूल्स, चाहे स्पष्ट संवेदी स्क्रीन संस्थापित है या नहीं			
-		ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ के बिना :			
8524 11 00	--	तरल क्रिस्टल का			
8524 12 00	--	जैविक प्रकाश- उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) का	इ.	15%	-
8524 19 00	--	अन्य	इ.	15%	-
-		अन्य :			
8524 91 00	--	तरल क्रिस्टल का	इ.	15%	-
8524 92 00	--	जैविक प्रकाश, उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) का	इ.	15%	-
8524 99 00	--	अन्य	इ.	15%	-”;

(xiii) शीर्ष 8525 में उपशीर्ष 8525 80, टैरिफ मद 8525 80 10 से 8528 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“-		टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकार्डर :			
8525 81 00	--	इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में यथाविनिर्दिष्ट उच्च-गति माल	इ.	20%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

8525 82 00	-- अन्य, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट विकिरण दृढीकृत या विकिरण सहिष्णु माल	इ.	20%	-
8525 83 00	-- अन्य, इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 3 में यथाविनिर्दिष्ट रात्रि दृश्य माल	इ.	20%	-
8525 89 00	-- अन्य	इ.	20%	-";

(xiv) शीर्ष 8529 में,—

(क) शीर्ष 8529 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, "8525" अंकों के स्थान पर, "8524" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8529 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xv) शीर्ष 8539 में,—

(क) शीर्ष 8539 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टियों में, "प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैम्प" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 8539 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोत :

8539 51 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) माइयूल	इ.	20%	-
8539 52 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लैम्प	इ.	20%	-";

(xvi) शीर्ष 8541 में,—

(क) शीर्ष 8541 शीर्ष के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की गई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अर्ध-चालक युक्तियां (उदाहरण के लिए डायोड, ट्रांजिस्टर, अर्ध-चालक आधारित ऊर्जा परिवर्तक) ; प्रकाश-संवेदी अर्ध-चालक युक्तियां, जिसके अंतर्गत फोटो वोल्टीय सेल भी है, चाहे माइयूल में समुच्चयित है या नहीं या पैनलों में तैयार है या नहीं ; प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) चाहे अन्य प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) से समुच्चयित है या नहीं ; माउंटेड पियाजो-विद्युत क्रिस्टल";

(ख) उपशीर्ष 8541 40, टैरिफ मद 8541 40 11 से 8541 50 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"- प्रकाश-संवेदी अर्धचालक युक्तियां, जिसके अंतर्गत प्रकाश-वोल्टीय सेल भी है, चाहे माइयूल में समुच्चयित है या नहीं या पैनलों में तैयार है या नहीं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) :			
8541 41 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी)	इ.	निःशुल्क	-
8541 42 00	-- प्रकाश-वोल्टीय सेल, जो माइयूल में समुच्चयित नहीं है या पैनलों में तैयार नहीं है	इ.	20%	-
8541 43 00	-- माइयूल में समुच्चयित है या पैनलों में तैयार है	इ.	20%	-
8541 49 00	-- अन्य	इ.	20%	-
	- अन्य अर्धचालक युक्तियां :			
8541 51 00	-- अर्धचालक आधारित ऊर्जा प्रवर्तक	इ.	20%	-
8541 59 00	-- अन्य	इ.	20%	-";
(xvii) शीर्ष 8543 में, टैरिफ मद 8543 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-				
"8543 40 00	- इलेक्ट्रानिक सिगरेट और समान व्यक्तिगत विद्युत वाष्पीकरण युक्तियां	इ.	7.5%	-";
(xviii) शीर्ष 8548 के उपशीर्ष 8548 10 की टैरिफ मद 8548 10 10 से 8548 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-				
"8548 00 00	मशीन या उपकरण के विद्युत पुर्जे, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं	इ.	10%	-
8549	विद्युत और इलेक्ट्रानिक अपशिष्ट और स्क्रेप			
	- प्राथमिक सेल के अपशिष्ट और स्क्रेप, प्राथमिक बैटरी और विद्युत संचायक ; भुक्तशेष प्राथमिक सेल, भुक्तशेष प्राथमिक बैटरियां और भुक्तशेष विद्युत संचायक :			
8549 11 00	-- लेड-एसिड संचायकों के अपशिष्ट और स्क्रेप ; भुक्तशेष लेड-एसिड संचायक	कि.ग्रा.	10%	-
8549 12 00	-- अन्य, जिसमें लेड, कैडमियम या पारा हो	कि.ग्रा.	10%	-
8549 13 00	-- रासायनिक प्रकार द्वारा भंडारित और जिसमें लेड, कैडमियम या पारा न हो	कि.ग्रा.	10%	-
8549 14 00	-- अभंडारित और जिसमें लेड, कैडमियम या पारा न हो	कि.ग्रा.	10%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8549 19 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- ऐसा प्रकार जिसका उपयोग मूल रूप से मूल्यवान धातुओं के प्रत्युद्धरण के लिए किया जाता है :			
8549 21 00	-- जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलेक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 29 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- अन्य विद्युत और इलेक्ट्रानिक सहयोजन और मुद्रित परिपथ बोर्ड :			
8549 31 00	-- जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलेक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 39 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-
	- अन्य :			
8549 91 00	-- जिसमें प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियां, विद्युत संचायक, पारा-स्विच, कैथोड किरण नलियों से कांच या अन्य सक्रिय कांच, या विद्युत या इलेक्ट्रानिक अवयव हैं, जिसमें कैडमियम, पारा, लेड या पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी) है	कि.ग्रा.	10%	-
8549 99 00	-- अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(62) खंड 17 के, टिप्पण 1 के खंड (ट) में, "लैम्प और प्रकाश फिटिंगें", शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंगें तथा उनके पुर्जे," शब्द रखे जाएंगे ;

(63) अध्याय 87 में,—

(i) टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8708 22 में आते हैं :

(क) अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पन्थ खिड़की और अन्य खिड़कियां, फ्रेम सहित ; और

(ख) अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पन्थ खिड़की और अन्य खिड़कियां, चाहे फ्रेम सहित है या

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नहीं, संयोजित तापीय युक्तियां या अन्य विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्तियां,

जब शीर्ष 8701 से 8705 के मोटर यानों के साथ एकल रूप से या मुख्य रूप से उपयोग के लिए उपयुक्त है।”;

(ii) शीर्ष 8701 के उपशीर्ष 8701 20 की टैरिफ मद 8701 20 10 और 8701 20 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	वर्णन	इकाई	मानक	अधिमानी
8701 21 00	केवल संपीडित प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) सहित	इ.	10%	-
8701 22 00	संपीडित प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 23 00	स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 24 00	प्रणोदन के लिए केवल विद्युत मोटर सहित	इ.	10%	-
8701 29 00	अन्य	इ.	10%	-”;

(iii) शीर्ष 8702 के उपशीर्ष 8702 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चात्” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) शीर्ष 8703 में,—

(क) टैरिफ मद 8703 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चात्” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 8703 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चात्” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 8703 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चात्” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(v) शीर्ष 8704 में, टैरिफ मद 8704 10 90 के उपशीर्ष 8704 21, टैरिफ मद 8704 21 10 से 8704 21 90 के उपशीर्ष 8704 22, टैरिफ मद 8704 22 11 से 8704 22 90 के उपशीर्ष 8704 23, टैरिफ मद 8704 23 11 से 8704 23 90 के उपशीर्ष 8704 31, टैरिफ मद 8704 31 10 से 8704 31 90 के उपशीर्ष 8704 32, टैरिफ मद 8704 32 11 से 8704 32 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

8704 21 00	अन्य, केवल संपीडित प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) सहित	इ.	40%	-
	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8704 22 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है किन्तु 20 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
8704 23 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
	-	अन्य, स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित			
8704 31 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
8704 32 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है	इ.	40%	-
	-	अन्य, संपीडित प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध डीजल) और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित :			
8704 41 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
8704 42 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है किन्तु 20 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
8704 43 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 20 टन से अधिक है	इ.	40%	-
	-	अन्य, स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन पिस्टन इंजन और प्रणोदन के लिए मोटर के लिए विद्युत मोटर सहित :			
8704 51 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अनधिक है	इ.	40%	-
8704 52 00	--	जिनका जी.वी.डब्ल्यू. 5 टन से अधिक है	इ.	40%	-
8704 60 00	-	अन्य, प्रणोदन के लिए केवल विद्युत मोटर सहित	इ.	40%	-

(vi) शीर्ष 8708 की टैरिफ मद 8708 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“8708 22 00 -- इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट कि.ग्रा. 15% -”;
अग्र विंडस्क्रीन (विंडशील्ड), पश्च खिड़की और अन्य खिड़कियां

(vii) शीर्ष 8711 में,-

(क) उपशीर्ष 8711 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चाग्र” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपशीर्ष 8711 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चाग्र” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपशीर्ष 8711 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “पश्चाग्र” शब्द का लोप

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

किया जाएगा ;

(घ) उपशीर्ष 8711 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पश्चात्" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ङ) उपशीर्ष 8711 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "पश्चात्" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(64) अध्याय 88 में,—

(i) टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण :

'1. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "मानवरहित वायुयान" पद से ऐसे वायुयान अभिप्रेत हैं जो शीर्ष 8801 से भिन्न है, पायलट के बिना उड़ाए जाने के लिए परिकल्पित है। उन्हें आयुभार ले जाने के लिए परिकल्पित किया जाएगा या स्थायी एकीकृत डिजिटल कैमरे या अन्य उपस्करों, जो उन्हें उनकी उड़ान के दौरान उपयोगी कार्यों का पालन करने में समर्थ बनाते हैं, से सुसज्जित होगा।

"मानवरहित वायुयान" पद में, तथापि, उड़न खिलौने, जो केवल मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए परिकल्पित हैं, नहीं आते हैं (शीर्ष 9503)।

उपशीर्ष टिप्पण :

1. उपशीर्ष 8802 11 से 8802 40 के प्रयोजनों के लिए "लदान रहित भार" पद से कर्मिदल और ईंधन तथा उपस्कर की स्थायी रूप से फिट की गई मदों से भिन्न उपस्कर के भार को छोड़कर सामान्य उड़ान अनुक्रम में मशीन का भार अभिप्रेत है।

2. उपशीर्ष 8806 21 से 8806 24 और उपशीर्ष 8806 91 से 8806 94 के प्रयोजनों के लिए, "अधिकतम उड़ान भार" पद से सामान्य उड़ान अनुक्रम, उड़ान पर मशीन का अधिकतम भार अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आयुभार, उपस्कर और ईंधन का भार भी है;

(ii) शीर्ष 8802 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "वायुयान" शब्द के स्थान पर, "वायुयान, शीर्ष 8806 में मानवरहित वायुयान के सिवाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 8803 में, टैरिफ मद 8803 10 00 से 8803 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) टैरिफ मद 8805 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8806		मानवरहित वायुयान				
8806 10 00	-	यात्रियों के वहन के लिए परिकल्पित	इ.	10%	-	
	-	अन्य, केवल रिमोट से नियंत्रित उड़ान के लिए				
8806 21 00	--	250 ग्राम से अनधिक अधिकतम उड़ान भार सहित	इ.	10%	-	

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8806 22 00	--	250 ग्राम से अधिक किन्तु 7 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 23 00	--	7 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 24 00	--	25 किलोग्राम से अधिक किन्तु 150 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 29 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	अन्य :			
8806 91 00	--	250 ग्राम से अनधिक अधिकतम उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 92 00	--	250 ग्राम से अधिक किन्तु 7 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 93 00	--	7 किलोग्राम से अधिक किन्तु 25 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 94 00	--	25 किलोग्राम से अधिक किन्तु 150 किलोग्राम से अनधिक उड़ान भार सहित	इ.	10%	-
8806 99 00	--	अन्य	इ.	10%	-
8807		शीर्ष 8801, 8802 या 8806 के माल के पुर्जे			
8807 10 00	-	नोदक और घूर्णक और उनके पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 20 00	-	निचला ढांचा और उनके पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 30 00	-	वायुयान, हेलीकाप्टर या मानवरहित वायुयान के अन्य पुर्जे	कि.ग्रा.	3%	-
8807 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(65) अध्याय 89 में, शीर्ष 8903 की टैरिफ मद 8903 10 00 से 8903 92 00, उपशीर्ष 8903 99, टैरिफ मद 8903 99 10 और 8903 99 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	-	स्फीति-योग्य नाव (जिसमें कठोर आवरण स्फीति-योग्य भी है) :			
8903 11 00	--	मोटर के साथ फिट की गई या फिट किए जाने के लिए परिकल्पित, जिसका लदान रहित (शुद्ध) भार (मोटर को छोड़कर 100 किलोग्राम से अनधिक है	इ.	25%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
8903 12 00	--	मोटर के साथ उपयोग के लिए परिकल्पित नहीं है और उसका लदान रहित (शुद्ध) भार 100 किलोग्राम से अनधिक है	इ.	25%	-
8903 19 00	--	अन्य	इ.	25%	-
	-	सहायक मोटर के साथ या उसके बिना, स्फीति-योग्य से भिन्न पाल-नौका ।			
8903 21 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 22 00	--	7.5 मीटर से अधिक लंबाई की, लेकिन 24 मीटर से अनधिक	इ.	25%	-
8903 23 00	--	24 मीटर से अधिक लंबाई की	इ.	25%	-
	-	स्फीति-योग्य से भिन्न मोटर बोट, जिसके अंतर्गत आउट बोर्ड मोटर बोट नहीं है :			
8903 31 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 32 00	--	7.5 मीटर से अधिक लंबाई की, लेकिन 24 मीटर से अनधिक	इ.	25%	-
8903 33 00	--	24 मीटर से अधिक लंबाई की	इ.	25%	-
	-	अन्य :			
8903 93 00	--	7.5 मीटर से अनधिक लंबाई की	इ.	25%	-
8903 99 00	--	अन्य	इ.	25%	-";

(66) अध्याय 90 में,—

(i) टिप्पण 1 में, खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(च) आधार धातु (अनुभाग 15) या समान प्लास्टिक के माल (अध्याय 39) के अनुभाग 15 के टिप्पण 2 में यथा परिभाषित साधारण उपयोग के लिए पुर्जे ; तथापि, वस्तुएं शीर्ष 9021 में वर्गीकृत की जानी वाली चिकित्सा, शल्यक, दन्तय या पशु चिकित्सा में अनन्य रूप से आरोपण के उपयोग के लिए विशिष्ट रूप से परिकल्पित की गई है ;”;

(ii) शीर्ष 9006 में,—

(क) टैरिफ मद 9006 51 00 और 9006 52 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपशीर्ष 9006 53 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- 35 मिमी चौड़ाई की रोल फिल्म के लिए :”;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) शीर्ष 9013 में,—

(क) उपशीर्ष 9013 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“लेजर, डायोड से भिन्न लेजर ; अन्य प्रकाशीय साधित्र और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं”;

(ख) उपशीर्ष 9013 80 की टैरिफ मद 9013 80 10 से 9013 80 90, उपशीर्ष 9013 90 और टैरिफ मद 9013 90 10 तथा 9013 90 90 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

9013 80 00	-	अन्य युक्तियां, साधित्र और उपस्कर	इ.	7.5%	-
9013 90 00	-	पुर्जे और उपसाधन	इ.	7.5%	-”;

(iv) शीर्ष 9022 में,—

(क) शीर्ष 9022 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “या गामा” शब्दों के स्थान पर, “, गामा या अन्य आयनकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 9022 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “या गामा” शब्दों के स्थान पर, “, गामा या अन्य आयनकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(v) शीर्ष 9027 में, उपशीर्ष 9027 80 की टैरिफ मद 9027 80 10 से 9027 80 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	-	अन्य उपस्कर और साधित्र :			
9027 81 00	--	मास स्पेक्ट्रोमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89	--	अन्य :			
9027 89 10	---	विस्कोमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89 20	---	कैलोरीमापी	इ.	निःशुल्क	-
9027 89 30	---	सतह या तरल के अंतरापृष्ठीय तनाव को मापने के लिए उपस्कर और उपकरण	इ.	निःशुल्क	-
9027 89	---	अन्य	इ.	निःशुल्क	-”;

(vi) शीर्ष 9030 में,—

(क) टैरिफ मद 9030 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में “शक्ति” शब्द के स्थान पर, “शक्ति (उनसे भिन्न, जो अर्ध-चालक वेफर या युक्तियों को मापने या जांचने के लिए है)” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टैरिफ मद 9030 82 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“-- जो अर्ध-चालक वेफर या युक्तियों को मापने या जांचने के लिए है (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपत्र भी है);”

(vii) शीर्ष 9031 में, टैरिफ मद 9031 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“-- अर्ध-चालक वेफर या युक्तियों के निरीक्षण के लिए है (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपत्र भी है) या अर्ध-चालक युक्तियों (जिसके अंतर्गत एकीकृत परिपत्र भी है) के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रकाश मास्क या जालिका के निरीक्षण के लिए”;

(67) अध्याय 91 में,-

(i) उपशीर्ष 9114 10 की टैरिफ मद 9114 10 10 और 9114 10 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ii) टैरिफ मद 9114 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“9114 90 40 --- स्प्रिंग, जिसके अंतर्गत हेयर-स्प्रिंग भी हैं कि.ग्रा. 10% -”;

(68) अध्याय 94 में,-

(i) अध्याय के शीर्ष में “लैम्प और प्रकाश फिटिंग” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश-पुंज और प्रकाश फिटिंग” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टिप्पण 1 में,-

(अ) खंड (च) में, “लैम्प या प्रकाश फिटिंग” शब्दों के स्थान पर, “लैम्प या प्रकाश स्रोत और उनके पुर्जे” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (झ) में,-

(क) “लैम्प या प्रकाश फिटिंग” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश-पुंज और प्रकाश फिटिंग” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “विद्युत लड़ी” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाश लड़ी” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) टिप्पण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘4. शीर्ष 9406 के प्रयोजनों के लिए “पूर्वनिर्मित भवन” से ऐसे भवन अभिप्रेत हैं, जो कारखाने में परिपूर्ण किए जाते हैं या स्थल पर सज्जिकृत किए जाने के लिए साथ में प्रस्तुत किए गए अवयवों तत्वों के रूप में रखे जाते हैं, जैसे कि आवास या कार्य स्थल वास सुविधा, कार्यालय, विद्यालय, दुकान, शेड, गैराज या इसी प्रकार के भवन ।

“पूर्वनिर्मित भवन में इस्पात की “माड्युलर भवन इकाई” सम्मिलित है, जो साधारणतया

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मानक पोत आधान के माप और आकृति में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन सारवानतः से या पूर्णतः से, आंतरिक रूप से पूर्व सज्जित होती है। ऐसी माड्युलर भवन इकाइयां साधारणतया स्थायी भवनों के साथ सज्जित किए जाने के लिए परिकल्पित की जाती है।';

(iv) शीर्ष 9401 में,—

(क) टैरिफ मद 9401 30 00 और 9401 40 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- परिवर्तनीय ऊंचाई समायोजन के साथ घुमाऊ कुर्सी :				
9401 31 00	--	लकड़ी की	इ.	25% -
9401 39 00	--	अन्य	इ.	25% -
- उद्यान-कुर्सी या कैंपिंग उपस्कर से भिन्न, पलंग में परिवर्तनीय कुर्सियां :				
9401 41 00	--	लकड़ी की	इ.	25% -
9401 49 00	--	अन्य	इ.	25% -”;

(ख) टैरिफ मद 9401 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- पुर्जे :				
9401 91 00	--	लकड़ी के	कि.ग्रा.	25% -
9401 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	25% -”;

(v) शीर्ष 9403 में, टैरिफ मद 9403 90 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“- पुर्जे :				
9403 91 00	--	लकड़ी के	कि.ग्रा.	25% -
9403 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	25% -”;

(vi) शीर्ष 9404 में,—

(क) टैरिफ मद 9404 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“9404 40	-	रजाई, पलंग पोश, ईडरडाउन और मुलायम मोटी रजाई (रजाइयां) :		
9404 40 10	---	रजाई	इ.	25% -

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाननी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

9404 40 20	--- पलंग पोश	इ.	25%	-
9404 40 30	--- ईडरडाउन	इ.	25%	-
9404 40 40	--- मुलायम मोटी रजाई (रजाइयां)	इ.	25%	-";

(ख) उपशीर्ष 9404 90 की टैरिफ मद 9404 90 11 से 9404 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9404 90 00	- अन्य	कि.ग्रा.	25%	-";
-------------	--------	----------	-----	-----

(vii) शीर्ष 9405 में,-

(क) शीर्ष 9405 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "लैम्प और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 9405 10 की टैरिफ मद 9405 10 10 से 9405 10 90, उपशीर्ष 9405 20 की टैरिफ मद 9405 20 10 से 9405 30 00, उपशीर्ष 9405 40 की टैरिफ मद 9405 40 10 से 9405 40 90, उपशीर्ष 9405 50 की टैरिफ मद 9405 50 10 से 9405 50 59, उपशीर्ष 9405 60 की टैरिफ मद 9405 60 10 से 9405 60 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"- झाड़-फानूस और अन्य विद्युत अंतश्छद या भित्ति प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत इस प्रकार की फिटिंग नहीं हैं, जिनका उपयोग सार्वजनिक खुले स्थानों या आम रास्तों को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है :

9405 11 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 19 00	-- अन्य	इ.	25%	-
	- विद्युत मेज, डेस्क, शैय्या पार्श्वस्थ या फर्श पर खड़े होने वाले प्रकाशपुंज :			
9405 21 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 29 00	-- अन्य	इ.	25%	-
	- क्रिसमस ट्री के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की प्रकाश लड़ी :			
9405 31 00	-- प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित	इ.	25%	-
9405 39 00	-- अन्य	इ.	25%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाननी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

-	अन्य विद्युत प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंग :			
9405 41 00	-- प्रकाश वोल्टीय, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 42 00	-- अन्य, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 49 00	-- अन्य	इ.	25%	-
9405 50 00	- गैर-विद्युत प्रकाश पुंज और प्रकाश फिटिंग	इ.	25%	-
-	प्रदीप्त चिह्न, प्रदीप्त नामपट्ट और वैसी ही वस्तुएं:			
9405 61 00	-- जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों के साथ एकल रूप में उपयोग के लिए परिकल्पित है	इ.	25%	-
9405 69 00	-- अन्य	इ.	25%	-";

(viii) शीर्ष 9406 में, टैरिफ मद 9406 10 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9406 20 00	- इस्पात की माइयुलर भवन इकाइयां	इ.	10%	-";
-------------	---------------------------------	----	-----	-----

(69) अध्याय 95 में,-

(i) टिप्पण 1 में,-

(अ) खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(त) मानवरहित वायुयान (शीर्ष 8806);”;

(आ) विद्यमान खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) और खंड (ब) को क्रमशः : खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) , खंड (ब) और खंड (भ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा ;

(ख) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘6. शीर्ष 9508 के प्रयोजनों के लिए :

(क) “विनोद उपवन सवारी” पद से एक युक्ति अथवा युक्तियों या उपस्कर का समुच्चय अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विनोद या मनोरंजन के प्राथमिक प्रयोजनों के लिए परिभाषित क्षेत्र के भीतर नियत या सीमाबद्ध रास्ते पर या उसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत जल रास्ते भी हैं, वहन, संप्रेषित या निदेशित करता है । इन विनोद उपवन सवारियों में निवास या खेल स्थलों में सामान्य रूप से प्रतिष्ठापित प्रकार का कोई उपस्कर सम्मिलित नहीं होता है ;

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(ख) "जल उपवन विनोद" पद से ऐसी युक्ति अथवा युक्तियों या उपस्करों का समुच्चय अभिप्रेत है, जो रास्ता बनाए जाने के प्रयोजनों के बिना जल को अंतर्वलित करते हुए परिभाषित क्षेत्र द्वारा अभिलक्षणित किया जाता है। जल उपवन विनोद में केवल जल उपवनों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित उपस्कर सम्मिलित होते हैं ; और

(ग) "मेला स्थल विनोद" पद से संयोग, शक्ति या कौशल का खेल अभिप्रेत है, जो सामान्यतः किसी प्रचालक या सहायक को नियोजित करता है और स्थायी भवनों या स्वतंत्र रियायत छोटी दुकानों में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। मेला स्थल विनोद में शीर्ष 9504 के उपस्कर सम्मिलित नहीं होते हैं।

इस शीर्ष में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से कहीं और नामावली में वर्गीकृत उपस्कर सम्मिलित नहीं होते हैं।';

(ii) शीर्ष 9504 में, शीर्ष 9504 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"वीडियो गेम कन्सोल और मशीनें, टेबल या पार्लर गेम, जिसके अंतर्गत पिन-टेबल, बिलियर्ड, कैसिनो खेलों के लिए विशेष टेबल और स्वचालित बालिंग उपस्कर, सिक्कों, बैंक नोटों, बैंक कार्डों, टोकनों द्वारा या संदाय के किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रचालित विनोद मशीन";

(iii) शीर्ष 9508 के टैरिफ मद 9508 10 00 और 9508 90 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

9508		चल सर्कस और चल प्राणीशालाएं ; विनोद उपवन सवारी और जल उपवन विनोद ; विनोद मेला स्थल, जिसके अंतर्गत निशानेबाजी दीर्घाएं ; चल नाट्यशालाएं भी हैं			
9508 10 00	-	चल सर्कस और चल प्राणीशालाएं	कि.ग्रा.	20%	-
	-	विनोद उपवन सवारी और जल उपवन विनोद :			
9508 21 00	--	रोलर कोस्टर	इ.	20%	-
9508 22 00	--	चक्र दोला, झूले और चक्कर झूले	इ.	20%	-
9508 23 00	--	दाएं-बाएं दौड़ने वाली कार	इ.	20%	-
9508 24 00	--	गति अनुरूपक और गतिमान नाट्यशालाएं	इ.	20%	-
9508 25 00	--	जल सवारी	इ.	20%	-
9508 26 00	--	जल उपवन विनोद	इ.	20%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

9508 29 00	-- अन्य	इ.	20%	-
9508 30 00	- मेला स्थल विनोद	इ.	20%	-
9508 40 00	- चल नाट्यशालाएं	इ.	20%	-";

(70) अध्याय 96 में,—

(i) टिप्पण 1 के खंड (ट) में "लैंप और प्रकाश फिटिंग" शब्दों के स्थान पर, "प्रकाशपुंज और प्रकाश फिटिंग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 9609 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"- पेंसिल और क्रेयान, जो लेड खोल के साथ आवरण में है";

(iii) शीर्ष 9617 के उपशीर्ष 9617 00 की टैरिफ मद 9617 00 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण ; कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न उनके पुर्जे			
9617 00	- निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण ; कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न उनके पुर्जे :			
	--- निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण :			
9617 00 11	---- निर्वात-फ्लास्क, जिनकी क्षमता 0.75 ली. से अनधिक है	कि.ग्रा.	20%	-";

(iv) शीर्ष 9619, उपशीर्ष 9619 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9619	सैनेटरी तौलिया (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन (डायपर) और नैपकिन लाइनर और किसी अन्य प्रकार की सामग्री की अन्य वस्तुएं			
9619 00	- सैनेटरी तौलिया (पैड) और टैम्पन, शिशुओं के लिए नैपकिन (डायपर) और नैपकिन लाइनर और किसी अन्य प्रकार की सामग्री की अन्य वस्तुएं :";			

(71) अध्याय 97 में,—

(i) टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाननी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“2. शीर्ष 9701 पच्चीकारी पर लागू नहीं होता है, जो वृहत स्तर पर उत्पादित पुनरुत्पादन, वाणिज्यिक प्रकार की परम्परागत शिल्प ढलाई और कार्य हैं, यद्यपि ये वस्तुएं कलाकारों द्वारा परिकल्पित या सृजित हैं।”;

(ii) विद्यमान टिप्पण 2, 3, 4 और 5 को क्रमशः टिप्पण 3, 4, 5, और 6 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(iii) शीर्ष 9701 के उपशीर्ष 9701 10 की टैरिफ मद 9701 10 10 से 9701 10 90, उपशीर्ष 9701 90 की टैरिफ मद 9701 90 91 से 9701 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“9701		पूर्णतया हाथ से बनाए गए चित्र, ड्राइंग और पेस्टल, जो शीर्ष 4906 की ड्राइंगों से भिन्न हस्त चित्रित या हस्त सज्जित विनिर्मित वस्तुओं से भिन्न है ; समुचित चित्र, पच्चीकारी और वैसे ही सजावटी पटिया			
	-	100 वर्ष से अधिक पुराने :			
9701 21 00	--	चित्र, ड्राइंग और पैस्टल	इ.	10%	-
9701 22 00	--	पच्चीकारी	इ.	10%	-
9701 29 00	--	अन्य	इ.	10%	-
	-	अन्य :			
9701 91 00	--	चित्र, ड्राइंग और पैस्टल	इ.	10%	-
9701 92 00	--	पच्चीकारी	इ.	10%	-
9701 99 00	--	अन्य	इ.	10%	-”;

(iv) टैरिफ मद 9702 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

9702		मौलिक उत्कीर्णन, प्रिंट और लिथोमुद्रण			
9702 10 00	-	100 वर्ष से अधिक पुराने	इ.	10%	-
9702 90 00	-	अन्य	इ.	10%	-”;

(v) शीर्ष 9703, उपशीर्ष 9703 00, टैरिफ मद 9703 00 10 से 9703 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“9703		मौलिक शिल्प और मूर्ति संग्रह, किसी भी सामग्री के			
9703 10	-	100 से अधिक आयु के :			

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9703 10 10	धातु के	इ.	10%	-
9703 10 20	पत्थर के	इ.	10%	-
9703 10 90	अन्य	इ.	10%	-
9703 90	अन्य :			
9703 90 10	धातु के	इ.	10%	-
9703 90 20	पत्थर के	इ.	10%	-
9703 90 90	अन्य	इ.	10%	-";

(vi) शीर्ष 9705 के उपशीर्ष 9705 00 की टैरिफ मद 9705 00 10 और 9705 00 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9705	संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो पुरातत्ववीय, मानवजातीय, ऐतिहासिक, प्राणी विज्ञानीय, वानस्पतिक, खनिजीय, शारीरिय, जीवाशकीय, मुद्राशास्त्रीय अभिरुचि की है			
9705 10 00	- संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो पुरातत्ववीय, मानवजातीय या ऐतिहासिक अभिरुचि की है	इ.	10%	-
	- संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो प्राणी विज्ञानीय, वानस्पतिक, खनिजीय, शारीरिय या जीवाशकीय अभिरुचि की है :			
9705 21 00	-- मानव नमूने और उनके भाग	इ.	10%	-
9705 22 00	-- लुप्त या संकटापन्न जीव जाति और उनके भाग	इ.	10%	-
9705 29 00	-- अन्य	इ.	10%	-
	- संग्रह और संग्राही वस्तुएं, जो मुद्राशास्त्रीय अभिरुचि की है :			
9705 31 00	-- जो 100 वर्ष से पुराने हैं	इ.	10%	-
9705 39 00	-- अन्य	इ.	10%	-";

(vii) टैरिफ मद 9706 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"9706	पुरावशेष, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है			
9706 10 00	- जो 250 वर्ष से अधिक पुराने हैं	इ.	10%	-
9709 90 00	- अन्य	इ.	10%	-";

पांचवी अनुसूची
[धारा 96(i) देखें]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 में, शीर्ष 2709, टैरिफ मद 2709 10 00 और टैरिफ मद 2709 20 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद (1)	माल का विवरण (2)	इकाई (3)	शुल्क की दर (4)
“2709	पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00	-- पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल, कच्चा तेल		
2709 00 10	--- पेट्रोलियम कच्चा तेल	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2709 00 90	--- अन्य	कि.ग्रा.”;

छठी अनुसूची
[धारा 96(ii) देखें]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में, 1 जनवरी, 2022 से,--

टैरिफ मद	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

(क) अनुभाग 4 में, अनुभाग शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन अंतर्विष्ट हों या नहीं, जो दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ, जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं”;

(ख) अध्याय 24 में,--

(i) अनुभाग शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित अनुभाग शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

“तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ; उत्पाद, चाहे उनमें निकोटिन अंतर्विष्ट हों या नहीं, जो दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ, जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं”;

(ii) टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“4. शीर्ष 2404 और अध्याय के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकरणीय अन्य उत्पाद, शीर्ष 2404 में वर्गीकृत किए जाने हैं ।

5. शीर्ष 2404 के प्रयोजनों के लिए, “दहन के बिना सूंघना” पद से दहन के बिना, ऊष्मित परिदान या अन्य साधनों के माध्यम से सूंघना अभिप्रेत है ।”;

(iii) टैरिफ मद 2403 99 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“2404		तंबाकू, पुनर्गठित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले उत्पाद, निकोटिन या तंबाकू या निकोटिन अनुकल्प, जो दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित हैं ; अन्य निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले पदार्थ जो मानव शरीर में निकोटिन ग्रहण करने के लिए आशयित हैं		
	-	दहन के बिना सूंघने के लिए आशयित उत्पाद :		
2404 11 00	--	तंबाकू या पुनर्गठित तंबाकू अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.	81%
2404 12 00	--	अन्य, निकोटिन अंतर्विष्ट करने वाले	कि.ग्रा.

2404 19 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	81%
	-	अन्य :		
2404 91 00	--	मौखिक उपयोग के लिए	कि.ग्रा.
2404 92 00	--	त्वचा के भीतर उपयोग के लिए	कि.ग्रा.
2404 99 00	--	अन्य	कि.ग्रा.

सातवीं अनुसूची
[धारा 116(1) देखें]
टिप्पण

मद सं०	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)
1.	पेट्रोल के रूप में सामान्यतया ज्ञात मोटर स्प्रिट	2.50 रु० प्रति लीटर
2.	उच्च गति डीजल	4.00 रु० प्रति लीटर

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

2. विधेयक का भाग 14 प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (विवाद से विश्वास अधिनियम) का संशोधन करने के लिए है । आय-कर संबंधी लंबित मुकदमों को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व जुटाने और करदाताओं को मानसिक शांति प्रदान करते हुए फायदा प्रदान करने तथा समय और संसाधनों के मद्दे निश्चितता और बचत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17 मार्च, 2020 को विवाद से विश्वास अधिनियम अधिनियमित किया गया था ।

3. आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन समझौता संबंधी उपबंध, ऐसे किसी करदाता के लिए ऐसे वैकल्पिक तंत्र का उपबंध करते हैं, जो निर्धारण की नियमित प्रक्रिया, जिसके परिणामतः उसके कर दायित्व का निर्धारण किया गया होता, बाहर निकलने का चयन करता है और उसके स्थान पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19क के अधीन उसके मामले में समझौते के लिए समझौता आयोग में जाने का विनिश्चय किया । चूंकि विवाद से विश्वास अधिनियम विवादित कर का समाधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और न कि ऐसे करों के लिए जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19क के अधीन किसी मामले के समझौते के अनुसरण में किसी आदेश के अंतर्गत आते हैं । अतः, ऐसे मामले जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 19क के अंतर्गत आते हैं (चाहे उनका अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया हो या नहीं), सदैव विवाद से विश्वास अधिनियम की परिधि के बाहर समझे जाएंगे ।

4. किसी अस्पष्टता को दूर करने के उद्देश्य से विवाद से विश्वास अधिनियम के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे मूल विधायी आशय को स्पष्ट किया जा सके जिसके लिए विवाद से विश्वास अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में “अपीलार्थी”, खंड (ज) में “विवादित कर”, खंड (ण) में “बकाया कर” की परिभाषाओं का इस विधेयक द्वारा शंकाओं को दूर करके संशोधन करने का प्रस्ताव है । विवाद से विश्वास अधिनियम से संबंधित संशोधनों के, भूतलक्षी रूप से 17 मार्च, 2020 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है ।

निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली;

31 जनवरी, 2021

खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए हैं, जिन पर निर्धारण वर्ष 2021-2022 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य या आय-कर अधिनियम की धारा 194त के अधीन आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 3 आय-कर अधिनियम की परिभाषाओं से संबंधित धारा 2 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (11), अन्य बातों के साथ, ‘आस्ति समूह’ पद को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उससे आस्तियों का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है, जो आस्तियों के ऐसे वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें मूर्त आस्तियां, जो भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर हैं और अमूर्त आस्तियां, जो व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी कारबार या वृत्ति के गुडविल को ‘आस्ति समूह’ की परिधि से अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा का खंड (14) “पूंजी आस्ति” की परिभाषा का उपबंध करता है। उक्त खंड में उपखंड (ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी को, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन छूट इस कारण लागू नहीं होती है क्योंकि उसका चौथा और पांचवा परंतुक उसे लागू होता है, सम्मिलित किया जा सके।

उक्त धारा का खंड (19कक), कंपनियों के संबंध में “निर्विलयन” पद को परिभाषित करता है, जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 के अधीन ठहराव की स्कीम के अनुसरण में किसी निर्विलीन कंपनी द्वारा अपने एक या अधिक उपक्रमों का, उक्त

खंड में नियमों द्वारा उपबंधित शर्तों के पूरा किए जाने पर, किसी परिणामी कंपनी को अंतरण अभिप्रेत है ।

एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का पृथक कंपनियों में पुनःसंरचना या विभाजन को निर्विलयन समझा जाएगा, यदि ऐसी पुनःसंरचना या विभाजन निर्विलीन कंपनी की किसी आस्ति को परिणामी कंपनी में अंतरित करने के लिए किया गया है और ऐसी परिणामी कंपनी,--

(i) ऐसी स्कीम में उपदर्शित नियत तारीख को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 या इस निमित्त ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को शासित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जाए ; और

(ii) ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा करती है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित की जाएं ।

उक्त धारा में नया खंड (29क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी व्यक्ति के संबंध में “कर के लिए दायी” पर को परिभाषित किया जा सके जिससे किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति पर कर का दायित्व अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई मामला भी सम्मिलित होगा जहां कर दायित्व के अधिरोपण के पश्चात्, छूट का उपबंध विहित किया गया है ।

उक्त धारा के खंड (42ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध “मंदी विक्रय” पद को एक या अधिक उपक्रमों के, ऐसे विक्रयों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों का मूल्य समनुदेशित किए बिना एकमुश्त प्रतिफल के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप अंतरण के रूप में परिभाषित करता है ।

“मंदी विक्रय” पद की परिभाषा के परिधि क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि मंदी विक्रय से ऐसे मामलों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों को मूल्य समनुदेशित किए बिना एक या अधिक उपक्रमों के एकमुश्त प्रतिफल के लिए किसी भी माध्यम से अंतरण अभिप्रेत हो सके ।

उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण भी अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि “अंतरण” शब्द का वही अर्थ होगा, जो उसका उक्त धारा के खंड (47) में है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार

निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (48) “जीरो कूपन बंधपत्र” की परिभाषा का उपबंध करता है, जो किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया है और जिसके संबंध में अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ।

इस खंड के उपखंड (क) और उपखंड (ख) में अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि को भी जीरो कूपन बंधपत्र जारी करने में समर्थ बनाने हेतु अवसंरचना ऋण निधि अंतःस्थापित करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

और, “अवसंरचना ऋण निधि” पद को परिभाषित करने के लिए नया स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 4 भारत में कारबार संपर्क गठित न करने वाले कतिपय क्रियाकलापों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है ।

इस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा के लागू होने के लिए कतिपय शर्तों का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ड) या उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक या अधिक शर्त किसी पात्र विनिधान निधि को और उसके पात्र निधि प्रबंधक को उस समय लागू नहीं होगी या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जिन्हें ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि ऐसा पात्र निधि प्रबंधक धारा 80ठक के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और जिसने 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व प्रचालन आरंभ किया है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार

निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना करने के लिए कतिपय प्रवर्गों की आय को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त धारा का खंड (4घ) धारा 47 के खंड (viii)कख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी विनिर्दिष्ट निधि को किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उद्भूत या हुई, या प्राप्त आय को छूट का उपबंध करता है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल का संदाय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया गया है या किया जाएगा या प्रतिभूतियों के अंतरण के परिणामस्वरूप (भारत में निवासी कंपनी के शेयरों के भिन्न) या किसी अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से कोई आय (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में उद्भूत या नहीं होती या किसी प्रतिभूतिकरण न्यास से कोई आय जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, उस सीमा तक जिस तक किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के कारण उद्भूत या हुई या प्राप्त (जो भारत में अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) प्रभार्य है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त छूट उस दशा में भी उपलब्ध होगी, जो किसी अपतटीय बैंककारी कंपनी के विनिधान प्रभाग को उद्भूत या हुई या प्राप्त आय की सीमा तक विहित रीति में संगणित की जाती है ।

उक्त धारा में एक नया खंड (4ड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ हुई अग्रिम संविदा के, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय, वित्तीय सेवा केन्द्र जो ऐसी शर्तों को पूरी करता है जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, से परिदेय के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को उद्भूत या हुई या प्राप्त आय को छूट प्रदान की जा सके ।

उक्त धारा में एक नया खंड (4च) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी अनिवासी को पूर्व वर्ष में किसी वायुयान को पट्टे पर देने से स्वामिस्व के माध्यम से आय को, जिसका संदाय धारा 80ठक

की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट द्वारा किया गया है, यदि यूनिट पूर्व वर्ष के लिए धारा 80ठक के अधीन कटौती की पात्र है और उसने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा का खंड (5) भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी पर जाने के अपने और अपने कुटुम्ब के लिए अपने नियोजक या पूर्व नियोजक से प्राप्त या प्राप्य यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के संबंध में छूट प्रदान करने का उपबंध करता है।

उक्त खंड में दूसरे परंतुक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यष्टि द्वारा प्राप्त या प्राप्य किसी यात्रा रियायत या सहायता के बदले में मूल्य को भी ऐसी शर्तों को, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुए छूट प्रदान की जाएगी (जिसके अंतर्गत ऐसी अवधि के भीतर ऐसे व्यय की ऐसी रकम उपगत करने की शर्त भी है)।

स्पष्टीकरण 2 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां कोई व्यष्टि ऐसी छूट का दावा करता है और नियमों द्वारा उपबंधित व्यय के संबंध में दूसरे परंतुक के अधीन उसे अनुज्ञात की जाती है, तो किसी अन्य व्यष्टि को समान व्यय के संबंध में उक्त खंड के अधीन कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

धारा का खंड (10घ) किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त राशि के लिए छूट का उपबंध करता है, जिसके संबंध में पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष के लिए संदेय प्रीमियम बीमित वास्तविक पूंजी राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

खंड में चौथा, पांचवां, छठा और सातवां परन्तुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित चौथा परन्तुक यह उपबंध करने के लिए है कि इस खंड के अधीन छूट 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय

प्रीमियम की रकम दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ।

प्रस्तावित पांचवा परन्तुक यह उपबंध करने के लिए है कि यदि प्रीमियम 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् जारी एक से अधिक पालिसी के लिए व्यक्ति द्वारा संदेय है, तो इस खंड के उपबंध उन पालिसियों के संबंध में ही लागू होंगे, जिसकी प्रीमियम की कुल रकम किसी भी पालिसी की अवधि के दौरान किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में चौथे परन्तुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित छठा परन्तुक यह उपबंध करने के लिए है कि चौथे और पांचवे परन्तुक के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे ।

प्रस्तावित सातवां परन्तुक यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और इस परन्तुक के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों तथा निर्धारिती पर आबद्धकर होगा ।

खंड में, स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो "यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी" को परिभाषित करती है जिससे कोई जीवन बीमा पालिसी अभिप्रेत है, जिसमें विनिधान और बीमा, दोनों के घटक हैं और वह बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (यूनिट संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019, तारीख 8 जुलाई, 2019 के विनियम (3) के खंड (डड) में यथा परिभाषित यूनिट से संबद्ध है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (11) ऐसी किसी भविष्य निधि से, जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी ऐसी अन्य भविष्य निधि से, और जिसे इस निमित्त उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, किए गए किसी संदाय के संबंध में छूट के लिए उपबंध करता है ।

उक्त धारा का खंड (12) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भागीदारी करने वाले किसी कर्मचारी को शोधय संचित अतिशेष और

जो उसे संदेय हो गया है, के संबंध में चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में उपबंधित सीमा तक छूट के लिए उपबंध करता है ।

ऐसे पूर्वोक्त खंडों में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इन खंडों के उपबंध किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज के माध्यम से उद्भूत आय को उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक वह आय, उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित हैं, जिसे ऐसी रीति में संगणित किया गया है, जो विहित की जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा के खंड (23ग) का उपखंड (iiiकघ) किसी व्यक्ति द्वारा उस उपखंड में यथा निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था के निमित्त प्राप्त आय के लिए छूट का उपबंध करता है । उक्त खंड के अधीन छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए उपलब्ध है कि ऐसे विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था की वार्षिक प्राप्तियां ऐसी वार्षिक प्राप्तियों से अधिक नहीं हैं, जो विहित की जाएं ।

इसी प्रकार, उक्त खंड (23ग) का उपखंड (iiiकड) किसी व्यक्ति द्वारा उस उपखंड में यथा निर्दिष्ट किसी अस्पताल या संस्था के निमित्त प्राप्त आय के लिए छूट का उपबंध करता है । उक्त खंड के अधीन छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए उपलब्ध है कि ऐसे अस्पताल या संस्था की वार्षिक प्राप्तियां ऐसी वार्षिक प्राप्तियों से अधिक नहीं हैं, जो विहित की जाएं ।

वर्तमान में, उपखंड (iiiकघ) और साथ ही उपखंड (iiiकड) के लिए विहित रकम एक करोड़ रुपए है । उपखंड (iiiकघ) और साथ ही उपखंड (iiiकड) के अधीन छूट हेतु वार्षिक प्राप्तियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है और साथ ही यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी सीमा किसी निर्धारिती के लिए उपखंड (iiiकघ) में यथा निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्था या शैक्षिक संस्थाओं और साथ ही उपखंड (iiiकड) में यथा निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अस्पतालों या संस्था या संस्थाओं से प्राप्त कुल प्राप्तियों के संबंध में लागू होगी ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निधियों या न्यास या संस्था या किसी

विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की आय में इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वे कार्पस का भाग होंगे, किए गए स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में प्राप्त आय सम्मिलित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किए जाने और यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों को ऐसे कार्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में विनिधानित या जमा किया जाना चाहिए ।

उक्त परंतुक में स्पष्टीकरण 2 को और अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,--

(क) ऐसे कार्पस में से किए गए उपयोजन को खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा । परंतु, यदि उसे पूर्व वर्ष की आय में से ऐसे कार्पस के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनाई रखी गई धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या पद्धतियों में वापस विनिधानित या जमा किया जाता है तो ऐसी रकम को उस पूर्व वर्ष जिसमें उसे वापस जमा किए जाने की सीमा तक उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा, जिसमें उसे कार्पस में वापस जमा किया जाता है ।

(ख) ऋणों और उधारों में से किए गए उपयोजन को खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा । परंतु, यदि ऐसे ऋण या उधार को पूर्व वर्ष की आय में से प्रतिसंदाय किया जाता है तो ऐसे प्रतिसंदाय को, प्रतिसंदाय की गई रकम की सीमा तक उस पूर्व वर्ष में, जिसमें उसका प्रतिसंदाय किया जाता है, उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त खंड का चौदहवां परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि उक्त धारा के उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या कोई अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या कोई अन्य चिकित्सीय संस्था अपनी आय को संचित करती है तो ऐसी संचयित रकम में से परंतुक में यथा विहित छूट प्राप्त अस्तित्वों को किया गया संदाय या किसी जमा को उपयोजन के रूप में नहीं माना जाएगा ।

धारा 12कख का प्रतिनिर्देश करने के लिए उक्त परंतुक का

संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो उक्त परंतुक में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

उक्त खंड के बीसवें परंतुक के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किए जाने और उसमें एक नए स्पष्टीकरण 2 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित या संचयित किए जाने के लिए अपेक्षित आय की संगणना करते समय पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती किसी वर्ष के किसी आधिक्य उपयोजन के प्रति कोई मुजरा या कटौती या मोक को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

धारा का खंड (23चड), विनिर्दिष्ट भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की आय से छूट प्रदान करने के लिए उपबंध करता है ।

उक्त खंड के उपखंड (iii) की मद (ग), यह उपबंध करती है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग- 2 वैकल्पिक विनिधान निधि में विनिधान कर सकेगा, जिसका मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में सौ प्रतिशत विनिधान है ।

उक्त “सौ प्रतिशत” की शर्त को “न्यूनतम पचास प्रतिशत” शिथिल करने का प्रस्ताव है । धारा 2 के खंड (13क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में प्रवर्ग-1 या प्रवर्ग- 2 वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा विनिधान अनुज्ञात करने का भी प्रस्ताव है ।

1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् गठित और रजिस्ट्रीकृत देशी कंपनी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विनिधान को अनुज्ञात करने वाली उक्त खंड के उपखंड (iii) की मद (घ) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो इस खंड के अधीन छूट के लिए पात्र विनिधान करने के प्रयोजन लिए विशेष रूप से बनाई गई है और जिसका मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में न्यूनतम पचासी प्रतिशत विनिधान है ।

उक्त खंड के उक्त उपखंड में मद (ड) अंतःस्थापित करने का भी

प्रस्ताव है, जो 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात्, गठित और रजिस्ट्रीकृत देशी कंपनी, जिसका न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत विनिधान मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनियों या उद्यमों या निकायों में है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विनिधान अनुज्ञात करता है ।

यह भी प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना सं0 आरबीआई/2009-10/316 के अधीन परिभाषित अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर बैंककारी वित्त कंपनी में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र-अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 के अधीन परिभाषित अवसंरचना ऋण निधि गैर बैंककारी वित्त कंपनी में ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विनिधान को अनुज्ञात करने के लिए मद (ड) अंतःस्थापित की जा सके जिसका मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में न्यूनतम नब्बे प्रतिशत विनिधान है ।

उक्त खंड में चौथा परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि में उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व या उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में एक सौ प्रतिशत से कम का विनिधान है तो ऐसे विनिधान में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत हुई या प्राप्त हुई या उसके कारण हुई माने जाने वाली ऐसी आय, जो इस खंड के अधीन छूट प्राप्त है, उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व या उपखंड की मद (ग) में निर्दिष्ट अवसंरचना विनिधान न्यास में किए गए विनिधान के अनुपात में ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, संगणित की जाएगी ।

खंड में पांचवां परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उपखंड (iii) की मद (घ) में निर्दिष्ट देशी कंपनी के पास उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में एक सौ प्रतिशत से कम का विनिधान है तो ऐसे विनिधानों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई या प्राप्त हो सकने के कारण हुई माने जाने वाली आय, जो उक्त खंड के अधीन छूट प्राप्त है, उपखंड (iii) की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में किए गए विनिधान के अनुपात में ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, संगणित की जाएगी ।

खंड में छठा परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि उपखंड (iii) की मद (ड) में निर्दिष्ट

अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत गैर बैंककारी वित्त कंपनी या अवसंरचना ऋण निधि गैर-बैंककारी वित्त कंपनी के पास उक्त उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में एक सौ प्रतिशत से कम का विनिधान है तो ऐसे विनिधानों में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत या प्राप्त हुई या प्राप्त हो सकने के कारण हुई माने जाने वाली आय, जो उक्त खंड के अधीन छूट प्राप्त है, उपखंड की मद (ख) में निर्दिष्ट एक या अधिक कंपनी या उद्यम या अस्तित्व में किए गए विनिधान के अनुपात में ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, संगणित की जाएगी।

उक्त खंड में सातवां परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि स्वयंभू निधि धन निधि या पेंशन निधि में भारत में विनिधान करने के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऋण या उधार हैं, तो ऐसी निधि को इस खंड के अधीन छूट के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनर्संख्यांकित करने का प्रस्ताव है।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के उपबंध भारत में विनिधान करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण या उधार देने हेतु उधारकर्ताओं या विनिधानकर्ताओं को किए गए संदाय को लागू नहीं होंगे।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (v) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्वयंभू धन निधि विनिधानकर्ता की दिन-प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं माना जाएगा।

उक्त स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उपखंड (ii) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि पेंशन निधि कर की दायी है, किंतु इसकी सभी आय के लिए कराधान से छूट का उपबंध उस अन्य देश द्वारा किया गया है, किसी विधि के अधीन इसका सृजन या गठन हुआ है, तो ऐसी पेंशन निधि भी उपखंड (ii) में उल्लिखित शर्त को पूरा करेगी। उक्त खंड में उपखंड (iii)क)

अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पेंशन निधि, विनिधानकर्ता की दिन-प्रतिदिन की संक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, किंतु विनिधान प्राप्तकर्ता के विनिधान के संरक्षण के लिए मानीटरी क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत निदेशकों या कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति भी है, विनिधान प्राप्तकर्ता के दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों में भाग लेना नहीं माना जाएगा ।

उक्त खंड के लिए “ऋण और उधार” और “विनिधान प्राप्तकर्ता” पद को परिभाषित करने के लिए एक नया स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

एक नया स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार उक्त खंड के उपखंड (iii) की मद (ग) में निर्दिष्ट “पचास प्रतिशत” या मद (घ) में निर्दिष्ट “पचहतर प्रतिशत” या मद (ङ) में निर्दिष्ट “नब्बे प्रतिशत” की संगणना की पद्धति नियमों द्वारा उपबंधित कर सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा में नया खंड (23चच) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी अनिवासी द्वारा पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की उद्भूत या प्राप्त आय को छूट प्रदान की जा सके जो परिणामी निधि द्वारा भारत में निवासी कंपनी को शेयर के अंतरण के मद्दे है और शेयरों का अंतरण मूल निधि से परिणामिक निधि के पुनःस्थापन में किया गया है ऐसे शेयरों पर अभिलाभ कर से प्रभार्य नहीं होता यदि पुनःस्थापन नहीं हुआ होता ।

धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में “अपतटीय बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग”, “मूल निधि”, “पुनःस्थापन” और “परिणामिक निधि” पदों को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

धारा का खंड (50) ऐसी आय के लिए छूट का उपबंध करता है जो उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, उपलब्ध कराई गई सेवा से उद्भूत होती है या 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् की गई या उपलब्ध कराई गई या सुकर बनाई गई किसी ई-वाणिज्य पूर्ति से

उद्धृत होती है और जो उस अध्याय के उपबंधों के अधीन समकरण उद्ग्रहण से प्रभार्य है । उक्त अवधि को 1 अप्रैल, 2020 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है ।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 से प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है । स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता है कि इस खंड में निर्दिष्ट आय में, ऐसी आय, जो धारा 90 या धारा 90क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करार के साथ पठित इस अधिनियम के अधीन भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में कर से प्रभार्य है, सम्मिलित नहीं होगी और न ही कभी सम्मिलित समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 2 “ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाएं” और “विनिर्दिष्ट सेवा” पद को, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित धारा 11 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा की उपधारा (1) का खंड (घ) उपबंध करता है कि किसी विशिष्ट निदेश के साथ किए गए स्वैच्छिक अभिदाय कि वे न्यास की समग्र निधि या संस्था के भाग होंगे, जिसे न्यास या संस्था की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उक्त खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों का उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूपों या ढंगों में ऐसे समग्र न्यास के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनिधान या जमा किया जाना चाहिए ।

उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि--

(क) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए समग्र निधि से उपयोजन को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं माना जाएगा । परंतु जब इसे पूर्ववर्ती वर्ष की आय से, ऐसी समग्र निधि के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरक्षित उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक रूपों या ढंगों में पुनः विनिधान या जमा किया जाता है, तो

ऐसी रकम उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें इसे समग्र निधि में पुनः जमा किया जाता है और उस विस्तार तक, जिस तक इसे जमा किया जाता है, उपयोजन के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए ऋणों और उधारों से उपयोजन को पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं माना जाएगा। परंतु जब ऐसा ऋण या उधार उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय से पुनः संदत्त किया जाता है, तो ऐसे पुनः संदाय को उस पूर्ववर्ती वर्ष में, जिसमें इसे पुनः संदत्त किया जाता है और जिस विस्तार तक इसे पुनः संदत्त किया जाता है, उपयोजन के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 5 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोजन या संचय होने के लिए अपेक्षित आय की संगणना के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष के पूर्व किसी वर्ष के किसी आधिक्य उपयोजन का मुजरा या कटौती या मोक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उपधारा (2) का स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि यदि कोई न्यास या संस्था अपनी आय के अलावा संचय या मुजरा करता है तो स्पष्टीकरण में यथा विहित अस्तित्वों को छूट देने के लिए ऐसे संचय से संदाय या प्रत्यय उपयोजन नहीं माना जाएगा। उपधारा (3) का खंड (घ) उपबंध करता है कि विहित अस्तित्वों को प्रत्यय या संदत्त की गई ऐसी आय, न्यास या संस्था की आय समझी जाएगी।

उक्त उपधारा (2) के उक्त स्पष्टीकरण में धारा 12कख और उपधारा (3) का खंड (घ), जो रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है, के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधयेक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की अवक्षयण से संबंधित धारा 32 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) निर्धारिती के 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात् अर्जित मूर्त आस्तियों (भवनों, मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर) और अर्मूर्त आस्तियों (व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियों, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार) के संबंध में, और निर्धारिती द्वारा पूर्णतः या भागतः स्वामित्व के अधीन रखा जाता है और जिन्हें उसके द्वारा पूर्णतः और अनन्य रूप से वृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते

हुए अवक्षयण के मद्दे कटौती के लिए उपबंध करती है ।

उपधारा (1) के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के प्रयोजन के लिए किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल को आस्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा और इसलिए वह अवक्षयण के लिए पात्र नहीं होगी ।

उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण 3 “आस्ति” पद को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उससे मूर्त आस्तियां, जो भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर हैं ; और अमूर्त आस्तियां, जो व्यवहार ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न, अनुज्ञप्तियों, विशेषाधिकार या किसी अन्य कारबार या उसी प्रकार के वाणिज्यिक अधिकार हैं, के रूप में परिभाषित करता है ।

उक्त स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल को आस्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम की अन्य कटौतियों से संबंधित धारा 36 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उक्त अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट आय संगणित करने में ऐसी कटौतियां, जो उसके खंडों में उपबंधित हैं, अनुज्ञात करने के लिए उपबंध करती है । उक्त उपधारा का खंड (vक) निर्धारिती द्वारा अपने किसी कर्मचारी से प्राप्त किसी राशि के लिए, जिसको धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के उपबंध लागू होते हैं, कटौतियां करने के लिए उपबंध करता है यदि ऐसी राशि निर्धारिती द्वारा नियत तारीख को या उसके पूर्व सुसंगत निधि या निधियों में कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है । उक्त खंड का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए “नियत तारीख” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तक निर्धारिती से यह अपेक्षित है कि वह नियोजक के रूप में कर्मचारी के अभिदाय को किसी अधिनियम, नियम, आदेश या उसके अधीन या किसी स्थायी आदेश, अधिनिर्णय, सेवा संविदा के अधीन या अन्यथा जारी की गई अधिसूचना के अधीन कर्मचारी के सुसंगत निधि के खाते में जमा करे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vक) में स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 43ख के उपबंध इस खंड के अधीन “नियत तारीख” का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे और यह समझा जाएगा कि वे

कभी भी लागू नहीं हुए थे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 43ख, जो वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कतिपय कटौतियों का उपबंध करती है, का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का खंड (ख) यह उपबंध करता है कि किसी निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय किसी राशि को उस पूर्व वर्ष, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि का वस्तुतः संदाय किया जाता है, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में ही (उस पूर्ववर्ष का विचार किए बिना जिसमें निर्धारिती ने ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व, उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार उपगत किया था), अनुज्ञात की जाएगी । उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसी राशि के संबंध में लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें ऐसी राशि के संदाय करने का दायित्व पूर्वोक्त रूप में उपगत हुआ था, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए उसकी दशा में लागू नियत तारीख को या उसके पूर्व वास्तव में संदत की गई है और ऐसे संदाय का साक्ष्य ऐसी विवरणी के साथ निर्धारिती द्वारा दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण 5 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस धारा के उपबंध किसी निर्धारिती द्वारा उसके कर्मचारियों में से ऐसे किसी कर्मचारी, जिसे धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (x) के उपबंध लागू होते हैं, से प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे और यह समझा जाएगा कि वे कभी भी लागू नहीं हुए थे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां

स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भवमान प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई आवासीय इकाई, जो एक आस्ति है, के अंतरण की दशा में, पहले परंतुक के उपबंधों का यह प्रभाव होगा मानो कि “एक सौ दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “एक सौ बीस प्रतिशत” शब्द रख दिए गए हैं, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात् :-

(क) आवासीय इकाई का अंतरण 12 नवंबर, 2020 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान होता है ;

(ख) ऐसा अंतरण किसी व्यक्ति को आवासीय इकाई के प्रथम बार आबंटन के माध्यम से किया जाता है ; और

(ग) आवासीय इकाई के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत प्रतिफल दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो ।

यह आवासीय इकाई को भी परिभाषित करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे भवन के भीतर अन्य आवासीय इकाइयों से स्पष्ट रूप से पृथक् आवास, खाना पकाने का स्थान और स्वच्छता की अपेक्षा के लिए पृथक् सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र आवासन इकाई अभिप्रेत है, जो किसी साझा हाल-रास्ते में बाहरी दरवाजे से या साझा हाल-रास्ते में भीतरी दरवाजे के माध्यम से सीधे पहुंच योग्य हो और जहां दूसरे गृह के आवास स्थान के माध्यम से चलकर सीधे न पहुंचा जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (क) उपबंध करता है कि कारबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए, यथास्थिति, यदि उसकी कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक होती हैं, तो उक्त खंड का परंतुक उपबंध करता है कि

किसी व्यक्ति की दशा में, जिसका प्राप्त हुई सभी रकमों का सकल योग, जिसके अंतर्गत किसी पूर्ववर्ष में विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों के लिए प्राप्त नकद रकम भी है, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होती है ; और किए गए सभी संदायों का समग्र योग, जिसके अंतर्गत व्यय के लिए नकद व्यय, किसी पूर्ववर्ष में उपगत रकम उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होती है तो उक्त खंड का वही प्रभाव होगा मानो “एक करोड़ रुपए” शब्दों के स्थान पर “पांच करोड़ रुपए” शब्द रखे गए हों ।

अवसीमा को “पांच करोड़ रुपए” से “दस करोड़ रुपए” तक बढ़ाने के लिए उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 44कक की धारा 44कक का संशोधन करने के लिए है, जो लाभ और अभिलाभों को उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जो भारत का निवासी है और धारा 44कक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में लगा हुआ है और जिसकी सकल प्राप्तियां, किसी पूर्ववर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हैं, यथास्थिति, ऐसी वृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ष में निर्धारिती की सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई पूर्वोक्त दावाकृत राशि से उच्चतर कोई राशि “वृत्ति के कारबार के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसी वृत्ति के कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट निर्धारिती से अन्य बातों के साथ सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) के अधीन यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या कोई भागीदारी फर्म अभिप्रेत है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** सहकारी बैंकों के कारबार के पुनर्गठन की दशा में कटौतियों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-

कर अधिनियम की धारा 44घख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां सहकारी बैंकों का कारबार पुनर्गठन किया जाता है वहां धारा 32, धारा 35घ, धारा 35घघ और धारा 35घघक के अधीन कटौती पूर्ववर्ती सहकारी बैंक और उत्तरवर्ती सहकारी बैंक के बीच कारबार पुनर्गठन से पूर्व और पश्चात् के दिवसों की संख्या के अनुपात के अनुसार प्रभाजित की जाएगी ।

उक्त धारा की परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के उसकी परिधि के अधीन किसी बैंककारी कंपनी में संपरिवर्तन को सम्मिलित किया जा सके ।

“बैंककारी कंपनी”, “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी”, “संपरिवर्तन” और “प्राथमिक सहकारी बैंक” पदों को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है तथा “पूर्ववर्ती सहकारी बैंक” की परिभाषा में भी पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम की पूंजी लाभ से संबंधित धारा 45 का संशोधन करने के लिए है ।

पूर्वोक्त धारा अन्य बातों के साथ उपबंध करती है कि किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होंगे और उन्हें उस पूर्ववर्ष की आय समझा जाएगा जिसमें ऐसा अंतरण होता है । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि किसी फर्म के विघटन या व्यक्तियों के अन्य संगम या व्यष्टियों के निकाय (जो कोई कंपनी या सहकारी सोसायटी नहीं है) या अन्यथा के विघटन पर पूंजी आस्तियों के वितरण के द्वारा किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत लाभ फर्म, संगम या निकाय की पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसा अंतरण होता है, की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगा ।

उक्त धारा में उपखंड (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जो यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी, जिसको धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के लागू होने के कारण, छूट लागू नहीं होती है, के अंतर्गत कोई राशि प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित कोई राशि भी है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी राशि की प्राप्ति से उदभूत होने वाला कोई लाभ या अभिलाभ “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा और

उसे ऐसे व्यक्ति की उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा, जिसमें उसे यह राशि प्राप्त हुई थी और कराधेय आय की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट अस्तित्व के विघटन या पुनर्गठन के समय किसी ऐसी पूंजी आस्ति को पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त करता है, जो विघटन या पुनर्गठन के समय ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के बही खाते में उसके पूंजी खाते में अतिशेष को व्यपदिष्ट करती है, वहां ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति की प्राप्ति से उद्भूत होने वाला कोई लाभ या अभिलाभ “पूंजी अभिलाभ” उस पूर्ववर्ष की, ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के आय के रूप में, जिसमें ऐसी आस्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी, समझी जाएगी ।

इसमें धारा को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसकी प्राप्ति की तारीख को निर्दिष्ट पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य ऐसी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

धारा को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी आस्ति के अर्जन का अवधारण इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

धारा को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसकी प्राप्ति की तारीख को निर्दिष्ट पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य ऐसी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

इस धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि “स्व-सृजित गुडविल” और “स्व-सृजित आस्ति”, “विनिर्दिष्ट अस्तित्व”, और “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पदों को परिभाषित किया जा सके ।

इसमें उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति विनिर्दिष्ट अस्तित्व के विघटन या पुनर्गठन के समय पूर्ववर्ष के दौरान कोई धन या अन्य आस्ति प्राप्त करता है, जो विघटन या पुनर्गठन के समय ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखाबहियों में उसके पूंजी खाते में अतिशेष से अधिक है, वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ऐसे धन या अन्य आस्ति की प्राप्ति से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन ऐसे विनिर्दिष्ट अस्तित्व के आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी और उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा धन या अन्य आस्ति विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी, ऐसे

विनिर्दिष्ट अस्तित्व की आय के रूप में समझी जाएगी और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, ऐसी प्राप्ति की तारीख को किसी धन का मूल्य या अन्य आस्ति का उचित बाजार मूल्य, ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में अतिशेष को, उसके विघटन या पुनर्गठन के समय अर्जन की लागत के रूप में समझा जाएगा ।

उक्त धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट अस्तित्व की लेखा बहियों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में अतिशेष को, किसी आस्ति के पुनःमूल्यांकन या स्व-सृजित गुडविल या किसी अन्य स्व-सृजित आस्ति के कारण विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पूंजी खाते में वृद्धि को हिसाब में लिए बिना संगणित किया जाएगा ।

इस धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “विनिर्दिष्ट अस्तित्व”, “स्व-सृजित गुडविल”, “स्व-सृजित आस्ति” और “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उपधारा (4) में उनका है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा उत्तरवर्ती सहकारी बैंक को कारबार पुनर्गठन की दशा में पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को अंतरण नहीं माना जाएगा ।

उक्त खंड की परिधि का विस्तार करने के लिए उक्त धारा के खंड (viगक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जिसे संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी बैंककारी कंपनी में संपरिवर्तित किया गया है, को पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं माना जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के खंड (viगख) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी के शेयरों को इस संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती सहकारी

बैंक के शेयर धारकों को आबंटित करने को पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए अंतरण नहीं माना जाएगा ।

उक्त धारा के खंड (vi) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “संपरिवर्तित बैंककारी कंपनी” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 44घख में है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा में नए खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पुनःस्थापन में मूल निधि द्वारा किसी पारिणामिक निधि को किए गए किसी पूंजी आस्ति के अंतरण को पूंजी अभिलाभ कर के प्रयोजन के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा । इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि मूल निधि के शेयर धारकों को इस पुनःस्थापन के परिणामस्वरूप पारिणामिक निधि में किए जाने वाले शेयरों के आबंटन को पूंजी अभिलाभों के प्रयोजन के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

“मूल निधि”, “पुनःस्थापन” और “पारिणामिक निधि” पदों को भी परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना की रीति से संबंधित है ।

यह धारा अन्य बातों के साथ, पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूरे मूल्य से ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्यतः उपगत व्यय की रकम और उसके अर्जन की लागत या उसमें सुधार की लागत की कटौती करके की जाएगी, का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में खंड (iii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 45 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट अस्तित्व की दशा में, धारा 45 की उपधारा (4क) के अधीन ऐसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व की कुल आय जो विहित रीति में अंतरित, संगणित पूंजी आस्ति से हुई मानी जा सकती है, में सम्मिलित की गई रकम की, पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के

पूरे मूल्य से कटौती की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत से संबंधित धारा 49 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां पूंजी आस्ति कतिपय परिस्थितियों के अधीन निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत को उस लागत के रूप में समझा जाएगा, जिस पर संपत्ति के पूर्ववर्ती स्वामी ने उसका अर्जन किया था और उस लागत को ऐसी लागत में, यथास्थिति, पूर्ववर्ती स्वामी या निर्धारिती द्वारा उपगत या वहन की गई आस्तियों के सुधार की किसी लागत को जोड़ा जाएगा ।

उक्त उपधारा (1) के खंड (iii) के खंड (ड) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) में निर्दिष्ट अंतरण को उक्त उपधारा के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम की अवक्षयी आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित धारा 50 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा, अन्य बातों के साथ-साथ, उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति ऐसी आस्ति है, जो किसी आस्ति समूह का भाग है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है, वहां अवक्षणीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए धारा 48 और धारा 49 के उपबंधों के लागू होने के संबंध में कतिपय शर्तों का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में, जहां किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आस्ति समूह का भाग बनती है और अधिनियम के अधीन

निर्धारिती द्वारा उस पर अवक्षयण अभिप्रास किया गया है, वहां उस आस्ति संबंधी और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम की आवासिक संपत्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना से संबंधित धारा 54छख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो किसी पात्र निर्धारिती के स्वामित्व वाली कोई आवासिक संपत्ति है, के अंतरण से उदभूत होने वाले पूंजी अभिलाभ के संबंध में फायदे को आगे तक विस्तारित करने के लिए उपबंध करते हैं । इस उपबंध का फायदा लेने के लिए निर्धारिती से यह अपेक्षित है कि वह आय की विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से पूर्व किसी पात्र कंपनी के साम्या शेरों में अभिदाय के लिए शुद्ध प्रतिफल का उपयोग करे ।

वर्तमान में, इस धारा का फायदा केवल 31 मार्च, 2021 तक पात्र स्टार्ट-अप के साम्या शेरों में विनिधान के लिए उपलब्ध है । उपधारा की उपधारा (5) के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पात्र स्टार्ट-अप की दशा में, 31 मार्च, 2022 तक आवासिक संपत्ति के अंतरण से उदभूत होने वाले पूंजी अभिलाभ उक्त धारा के अधीन फायदे के लिए पात्र होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम की “समायोजित”, “सुधार की लागत” और “अर्जन की लागत” के अर्थ से संबंधित धारा 55 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि धारा 48 और धारा 49 के प्रयोजनों के लिए, किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार की गुडविल या किसी कारबार से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है या किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण करने का अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति को चलाने का अधिकार है या कोई अभिधारण अधिकार या किसी मंजिली गाड़ी का परमिट या करघा घंटे हैं, “अर्जन

की लागत" से--

(i) निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति के किसी पूर्वतन स्वामी से क्रय के माध्यम से अर्जन की दशा में, क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत होगी ; और

(ii) किसी अन्य दशा में [धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अधीन आने वाले मामले नहीं हैं] उसे शून्य माना जाएगा ;

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल या किसी कारबार या वृत्ति से सहबद्ध कोई व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम है या किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण करने का अधिकार है या किसी कारबार या वृत्ति को चलाने का अधिकार है या कोई अभिधारण अधिकार या किसी मंजिली गाड़ी का परिमित या करघा घंटे हैं, "अर्जन की लागत" से-

(i) निर्धारिती द्वारा ऐसी आस्ति के किसी पूर्वतन स्वामी से क्रय के माध्यम से अर्जन की दशा में क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ; और

(ii) धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अधीन आने वाले मामलों की दशा में और जहां ऐसी आस्ति का अर्जन पूर्वतन स्वामी (जैसा कि उस धारा में परिभाषित किया गया है) द्वारा क्रय करके किया गया था, वहां ऐसे पूर्वतन स्वामी के लिए क्रय कीमत की रकम अभिप्रेत है ; और

(iii) किसी अन्य दशा में, उसे शून्य के रूप में माना जाएगा ।

तदधीन यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल की दशा में, जो किसी पूर्वतन स्वामी से क्रय के माध्यम से निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई थी (या तो प्रत्यक्षतः या धारा 49 की उपधारा (1) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) के अधीन विनिर्दिष्ट पद्धति के माध्यम से) और अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अभिप्रास की गई है, वहां उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंध इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2021

को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन अभिप्रास की गई अवक्षयण की कुल रकम को क्रय कीमत की रकम से घटा दिया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की अन्य स्रोतों से आय से संबंधित धारा 56 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) का उपखंड (ख), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, किसी प्रतिफल के लिए स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति के स्टाम्प शुल्क का मूल्य ऐसे प्रतिफल से दस प्रतिशत अधिक है और इसकी आधिक्य रकम पचास हजार रुपए से अधिक है, वह अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभारित होगी ।

यह उक्त खंड में चौथा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट की गई संपत्ति की दशा में उक्त खंड की उपमद (ii) के उपबंध उसी प्रकार में प्रभावी होंगे, मानो “दस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “बीस प्रतिशत” शब्द रखे गए हों ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (x), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त आस्तियां “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगी ।

उक्त उपधारा के उक्त खंड के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे मूल निधि और परिणामी निधि के बीच पूंजी आस्ति के अंतरण को अपवर्जित किया जा सके, जो धारा 47 के उपखंड (viiकग) या खंड (viiकघ) के अधीन उक्त उपधारा के खंड (x) की परिधि से अंतरण के रूप में संबंधित नहीं है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 72क का

संशोधन करने के लिए है, जो सम्मामेलन या निर्विलियन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंघ में उपबंध से संबंघित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि सम्मामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण विनिर्दिष्ट मामलों में और उक्त धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए सम्मामेलित कंपनी या कंपनियों की संचित हानि और शेष अवक्षयण समझे जाएंगे ।

उक्त उपधारा का खंड (ग), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि जहां वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों का उसी प्रकार के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों के साथ सम्मामेलन हुआ है, वहां उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, सम्मामेलन कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें सम्मामेलन किया गया था सम्मामेलित कंपनी के शेष अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक समझे जाएंगे ।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके, उस दशा में जहां, एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों का, जो उसी प्रकार के कारबार में लगी हुई हैं, एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों के साथ सम्मामेलन हुआ है, सम्मामेलन कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें सम्मामेलन किया गया था सम्मामेलित कंपनी के शेष अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक समझे जाएंगे ।

उक्त उपधारा में एक नए खंड (घ) को अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एक या अधिक कंपनी या कंपनियों के साथ किसी तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को सम्मामेलन की दशा में, यदि सामरिक विनिवेश के अधीन किया गया शेयर क्रय करार उक्त पब्लिक सेक्टर कंपनी के तुरंत सम्मामेलन को निर्बंधित करता है और सम्मामेलन उस पूर्व वर्ष, जिसमें शेयर क्रय करार में सम्मामेलन पर निर्बंधन समाप्त होता है, के अंत से पांच वर्ष के भीतर किया जाता है, सम्मामेलन कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें सम्मामेलन किया गया था, सम्मामेलित कंपनी के शेष अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक समझे जाएंगे और अवक्षयण के लिए हानि या मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंघित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (घ) में निर्दिष्ट समामेलन की दशा में, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण जिसे, यथास्थिति, हानि या समामेलित कंपनी का शेष अवक्षयण मोक समझा गया है, उस तारीख तक, जिसको पब्लिक सेक्टर कंपनी सामरिक विनिधान के परिणामस्वरूप पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रह जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण से अधिक नहीं होगा ।

उक्त उपधारा के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी है, जिससे “नियंत्रण”, “तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” और “सामरिक विनिवेश” पदों को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रणीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना से संबंधित धारा 79 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी कंपनी की दशा में जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें पब्लिक सारवान रूप से हितबद्ध है, में पूर्व वर्ष के दौरान शेयर धृति में परिवर्तन होता है, पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व वर्ष में कोई हानि उपगत नहीं होती है, को अग्रणीत किया जाएगा तो पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध उसका मुजरा किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मत शक्ति रखने वाले कंपनी के शेयर ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारण नहीं किए जाते हैं जो कंपनी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मत शक्ति रखने वाले शेयरों को उस वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन धारण करते हैं जिनमें हानि उपगत हुई थी । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (2) उक्त उपधारा में अंतर्विष्ट पूर्वोक्त उपबंध के अपवादों का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में एक खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी मामले को उस परिमाण तक लागू नहीं होगी कि धारा 47 के खंड (viiकग) और खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट पुनःस्थापना के मद्दे पूर्व वर्ष के दौरान शेयर धृति में परिवर्तन हुआ है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की कतिपय गृह संपत्ति के लिए, लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित धारा 80डडक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ, किसी वित्तीय संस्था से आवासीय गृह संपत्ति के लिए, एक लाख पचास हजार रुपए तक के ऋण के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए ब्याज के संबंध में कटौती का उपबंध करती है कि ऋण 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया था। यह इस और शर्त के अधीन रहते हुए है कि आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होता है और निर्धारिती के पास ऋण मंजूर होने की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

अधिनियम की धारा 80डडक के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किए गए ऋण पर संदत ब्याज के संबंध में धारा 80डडक के अधीन कटौती, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध होगी यदि ऋण 1 अप्रैल, 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 80झकग के वियमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किसी पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के, निर्धारिती के विकल्प पर दस वर्षों की अवधि में से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए एक सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए उपबंध करते हैं कि 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व निगमित पात्र स्टार्ट-अप के कारबार की सकल

आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।

ऐसे पात्र स्टार्ट-अप के निगमन की अवधि को 1 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 80इखक का संशोधन करने के लिए है जो आवासन परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए वहनीय आवासन परियोजना के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की सौ प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करता है । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंध, यह उपबंध करते हैं कि आवासन परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले अनुमोदित की जाएगी ।

उक्त धारा में, उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे वहनीय किराया आवासन परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की सौ प्रतिशत कटौती अनुज्ञात करने का उपबंध किया जा सके ।

उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसे लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती को अनुज्ञात किया जा सके, जो 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसी परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत वहनीय आवासन परियोजनाओं के विकास तथा निर्माण से व्युत्पन्न होते हैं ।

“किराया आवासन परियोजना” पद को परिभाषित करने के लिए उपखंड (6) में एक नया खंड (घक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 27 आय-कर अधिनियम की अपतट बैंककारी यूनिटों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती से संबंधित धारा 80ठक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह

उपबंध करते हैं कि जहां किसी निर्धारिती की, (i) जो कोई अनुसूचित बैंक या भारत से बाहर किसी विदेश की विधियों द्वारा या उनके अधीन निगमित कोई बैंक है और जिसकी कोई अपतट बैंककारी यूनिट विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है ; या (ii) जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का कोई यूनिट है, सकल कुल आय में उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी आय से पूर्वोक्त धारा की क्रमशः उपधारा (1) और उपधारा (1क) में उल्लिखित निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के एक सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती की जाएगी ।

उपधारा (1क) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कटौती के संबंध में दावा उस समय भी किया जा सकता है यदि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन अनुमति या रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, उपधारा (2) ऐसी आय के लिए उपबंध करती है, जो उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों का उसमें एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आस्ति के अंतरण से उदभूत होने वाली, जो कोई वायुयान या वायुयान का इंजन है, और जिसे खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी यूनिट द्वारा ऐसे अंतरण से पूर्व इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे यूनिट ने 31 मार्च, 2024 से पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है, वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी देशी कंपनी को पट्टे पर दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती कटौती के संबंध में किसी लेखापाल द्वारा प्रमाणित सही दावे की रिपोर्ट और साथ ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्राप्त की गई अनुमति की एक प्रति प्रस्तुत नहीं करता ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी यूनिट की दशा में अनुमति की प्रति से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की कोई प्रति

भी अभिप्रेत होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम में नई धारा 89क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति फायदा खाते से आय पर कराधान से राहत से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विनिर्दिष्ट खाते से आय पर ऐसी विहित रीति में और ऐसे वर्ष के लिए कर लगाया जाएगा, जिसका इन नियमों में उपबंध किया जाए तथा यह “विनिर्दिष्ट व्यक्ति”, “विनिर्दिष्ट खाता” और “अधिसूचित देश” पदों को भी परिभाषित करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की कतिपय मामलों में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित धारा 112क का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 112क का स्पष्टीकरण अन्य बातों के साथ “साम्या उन्मुख निधि” की परिभाषा का उपबंध करने के लिए है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी बीमा कंपनी की किसी स्कीम के अधीन, जो धारा 2 के खंड (47क) के अधीन यथा परिभाषित यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसियों से मिलकर बनी है, के अधीन गठित निधि को “साम्या उन्मुख निधि” की परिभाषा में लाया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम की विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी अनिवासी की किसी अपतट कोई बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग की, उनकी

प्रतिभूतियां या उनके अंतरण से उदभूत होने वाले पूंजी अभिलाभ को भी उक्त धारा के उपबंधों के अधीन दस प्रतिशत की दर से कर के अधीन किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपतट बैंककारी यूनिट के विनिधान प्रभाग की दशा में इस धारा के उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होंगे, जो धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट ऐसी बैंककारी यूनिटों के विनिधान प्रभाग के कारण हुई है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता विनियम, 2019) के अधीन प्रवर्ग 3 पोर्टफोलियो वाला विनिधानकर्ता है और जिसे विहित रीति में संगणित किया गया है ।

“अपतट बैंककारी यूनिट का विनिधान प्रभाग” पद को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा बही लाभ के आधार पर कर के उदग्रहण का उपबंध करती है, जिसका अवधारण कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में प्रकटित अभिलाभ में कतिपय समायोजन करने के पश्चात् की जाती है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का खंड (iiघ) यह उपबंध करता है कि किसी निर्धारिती को, जो कोई विदेशी कंपनी है, पूंजी अभिलाभ पर ब्याज, तकनीकी सेवाओं के लिए प्रोदभूत या उदभूत होने वाली स्वामिस्व या फीस की प्रकृति की आय की रकम में से बही लाभ से घटा दिया जाएगा यदि ऐसी आय को लाभ और हानि के विवरण में जमा किया जाता है, और ऐसी आय पर कर की दर उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट दर से कम है । इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्धारिती को उक्त स्पष्टीकरण के खंड (चख) के उपखंड (आ) के अधीन उक्त खंड में उल्लिखित ऐसी आय से संबंधित व्यय अनुज्ञात किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण 1 की दीर्घ पंक्ति में आने वाले खंड (चख) और खंड

(iiघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे लाभांश के लिए भी समान प्रकार के अनुतोष का उपबंध किया जा सके, जैसा कि पहले ही पूंजी अभिलाभ, ब्याज, तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस के लिए इन खंडों में उपबंधित किया गया है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2घ) भी अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी कंपनी की दशा में निर्धारिती द्वारा धारा 92गग के अधीन किए गए किसी अग्रिम कीमत निर्धारण करार के मद्दे या धारा 92गड के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित द्वितीय समायोजन के मद्दे बही लाभ में किसी पूर्व वर्ष या बही लाभ में सम्मिलित पूर्ववर्ष या वर्षों की आय के कारण पूर्व वर्ष में कोई वृद्धि हुई है, वहां निर्धारण अधिकारी उसे निर्धारिती द्वारा उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर पूर्व वर्ष या वर्षों के बही लाभ और निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन पूर्व वर्ष के दौरान संदेय कर, यदि कोई हो, की पुनः संगणना उस रीति में करेगा, जिसे नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए और धारा 154 के उपबंध यथा शक्य रूप से लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि को उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना में लिया जाएगा, जिसमें निर्धारण अधिकारी को उक्त आवेदन प्राप्त होता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 32** आय की विवरणी से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आय की विवरणी फाइल करने तथा ऐसा करने के लिए समय सीमाओं का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) के उपखंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि फर्म के भागीदार के पति या पत्नी के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 5क के उपबंधों द्वारा शासित होता है, निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर होगी ।

उक्त स्पष्टीकरण 2 के खंड (कक) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी फर्म के

भागीदारों के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख, जिन्हें धारा 92ड में निर्दिष्ट रिपोर्ट देना अपेक्षित है, निर्धारण वर्ष की 30 नवंबर होगी ।

और, उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति, जिसने उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के तीन मास पहले या निर्धारण पूर्ण होने के पहले, जो भी पूर्वतर हो, विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत के तीन मास पहले या निर्धारण पूर्ण होने के पहले, जो भी पूर्वतर हो, पुनरीक्षित की जा सकती है ।

और, उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के पूर्व परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, अधिसूचना द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तें निर्धारितियों के ऐसे वर्ग को लागू नहीं होगी, या ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगी, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 33 निर्धारण से पूर्व जांच से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) निर्धारिती से आय की विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षा करते हुए उसे सूचना की तामील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को सशक्त करता है ।

उक्त खंड में, एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि विहित आय-कर अधिकारी को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना की तामील करने को सशक्त किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की निर्धारण से संबंधित धारा 143 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (iv) के विद्यमान उपबंध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उपदर्शित व्यय की नामंजूरी के लेखे किंतु, जिसे निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है, के समायोजन का उपबंध करता है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उपदर्शित किंतु कुल आय की संगणना करने में हिसाब में न ली गई आय में वृद्धि के लेखे समायोजन अनुज्ञात किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) का उपखंड (v) यह उपबंध करता है कि धारा 10कक, धारा 80झक, धारा 80झकख, धारा 80झख, धारा 80झग, धारा 80झघ या धारा 80झड के अधीन अनुज्ञेय कटौती को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब आय की विवरणी अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दी जाती है ।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10कक या "ग---कतिपय आयों की कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञेय कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी जब आय की विवरणी अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर दी जाती है ।

धारा 143 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपधारा (1) के अधीन संसूचना भेजने के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा को एक वर्ष से घटाकर नौ मास और उपधारा (2) के अधीन सूचना भेजने के लिए उस वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है, छह मास से घटाकर तीन मास किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम की निर्धारण से छूट गई आय से संबंधित धारा 147 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी निर्धारिती की दशा में किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है और ऐसी आय, जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में उसके पश्चात् उसकी सूचना में आती है तो निर्धारण अधिकारी, धारा 148 से धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण या हानि की पुनः गणना या अवक्षयण मोक या किसी अन्य मोक या कटौती की पुनः गणना कर

सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 36 जहां आय निर्धारण से छूट गई है वहां सूचना जारी किए जाने से संबंधित, आय-कर अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड.....उपधारा (1) में यह उपबंध करके धारा 148 का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना करने से पूर्व, और धारा 148क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, धारा 148क के खंड (घ) के अधीन पारित आदेश की प्रति के साथ नोटिस निर्धारिती पर तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके संबंध में वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए विवरणी प्रस्तुत करे; और इस अधिनियम के उपबंध, यथाशक्य, तदनुसार वैसे ही लागू होंगे, मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी । परंतु, उक्त धारा के अधीन कोई नोटिस, तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी जानकारी न हो जो यह सुझाव दिया गया हो कि आय-कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण से छूट गई है और ऐसा नोटिस जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिप्राप्त कर लिया गया है । उक्त धारा का प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 यह उपबंध करता है कि उक्त धारा तथा धारा 148क के प्रयोजनों के लिए ऐसी जानकारी, जो यह जिसमें यह सुझाव है कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से समय-समय पर बोर्ड द्वारा तैयार की गई जोखिम प्रबंध रणनीति या इस आशय का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए किसी अंतिम आक्षेप के अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में पताकाकृत कोई सूचना अभिप्रेत है, की सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है । प्रस्तावित स्पष्टीकरण 2 उपबंध करता है कि जहां (i) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की

निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अध्यपेक्षा की गई है ; या (ii) निर्धारिती की दशा में धारा 133क के अधीन कोई सर्वेक्षण संचालित किया गया है ; या (iii) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई धन सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या (iv) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् अभिग्रहण या अध्यपेक्षा की गई लेखा बहियां या दस्तावेज, उनमें अंतर्विष्ट किसी सूचना के हैं या से हैं, जो निर्धारिती से संबंधित है, यह समझा जाएगा कि निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि निर्धारिती की दशा में पूर्व वर्ष, जिसमें तलाशी आरंभ की गई है या लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई या सर्वेक्षण संचालित किया गया है, या धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखा बहियां या दस्तावेजों का किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व तीन निर्धारण वर्षों के लिए कर से प्रभार्य आय निर्धारण से रह गई है । प्रस्तावित स्पष्टीकरण 3 उपबंध करता है कि “विनिर्दिष्ट प्राधिकरण” से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 37 धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करने, अवसर प्रदान करने से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 148क अंतःस्थापित करने से संबंधित है ।

एक नई धारा 148क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करने के लिए है कि निर्धारण अधिकारी धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व -(क) ऐसी सूचना के संबंध में जो यह सुझाव देती है कि कर से प्रभार्य आय, निर्धारण से छूट गई है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से कोई जांच, यदि अपेक्षित हो, करेगा ; (ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस तामील करके, उसे ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जो पन्द्रह दिन से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी सूचना जारी की जाती है, तीस दिन से अधिक का नहीं होगा, ऐसा समय, जो इस निमित्त किसी आवेदन के आधार पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, कि धारा 148 के

अधीन जानकारी के आधार पर सूचना क्यों न जारी की जाए कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और जिसका परिणाम खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई हो, है ; (ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट कारण बताओ सूचना के उत्तर में प्रस्तुत निर्धारिती के उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और (घ) अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसके अंतर्गत निर्धारिती का उत्तर भी है, यह विनिश्चय करेगा कि क्या उस मास के अंत से, जिसमें खंड (ग) में निर्दिष्ट उत्तर उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है या जहां उस मास, जिसमें खंड (ख) के अनुसार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय या बढ़ाया गया समय समाप्त हो जाता है, के अंत से एक मास के भीतर ऐसा उत्तर प्राप्त नहीं होता है एक मास के भीतर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से आदेश पारित करके धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला है या नहीं । परंतु, इस उपधारा के उपबंध उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहां धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संस्थित की गई है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की निर्धारिती की दशा में, 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व अध्यपेक्षा की गई ; या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारिती से संबंधित है ; या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्वानुमोदन से निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई लेखा बही या दस्तावेज, जिसका किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी में अभिग्रहण किया गया है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, उसमें अंतर्विष्ट ऐसी सूचना से संबंधित हैं, जिनका संबंध निर्धारिती से है । उक्त धारा का स्पष्टीकरण 3 यह उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से धारा 151 में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ।

विधेयक का **खंड 38** सूचना के लिए समय-सीमा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस समय जारी नहीं की जाएगी, (i) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष व्यपगत हो चुके हैं तो जब

तक कि वह मामला खंड (ख) के अंतर्गत नहीं आता है ; (ii) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष किंतु दस से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हैं तो जब तक कि निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या ऐसा साक्ष्य न हो, जो यह प्रकट करता हो कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जिसे आस्ति के रूप में उपदर्शित किया गया है और जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक है या होनी संभाव्य है । तथापि, धारा 148 के अधीन 1 अप्रैल, 2021 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में किसी समय कोई सूचना उस समय जारी नहीं की जाएगी, यदि ऐसी सूचना इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2021 के आरंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थे, के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा समाप्त हो जाने के कारण उस समय जारी नहीं की जा सकती थी । इसके अतिरिक्त, इस उपधारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहां धारा 153क या धारा 153क के साथ पठित धारा 153ग के अधीन कोई सूचना धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा के संबंध में जारी की जानी अपेक्षित है और इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना के अनुसार निर्धारिती को दिया गया समय या उसे अनुज्ञात किया गया कोई विस्तारित समय या वह अवधि, जिसके दौरान धारा 148क के अधीन किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय के किसी आदेश या रोकदेश द्वारा आस्थगित कर दिया जाता है, गणना में नहीं लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, जहां इससे ठीक पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के पश्चात् निर्धारण अधिकारी को धारा 148क के खंड (घ) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि को सात दिन तक विस्तारित किया जाएगा और उपधारा (1) के अधीन परिसीमा की अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी से संबंधित धारा 151 के स्थान पर नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह

उपबंध किया जा सके कि धारा 148 के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (i) प्रधान आय-कर आयुक्त या प्रधान आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष या तीन वर्ष से कम व्यपगत हो गए हैं ; (ii) प्रधान आय-कर मुख्य आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक या जहां कोई प्रधान आय-कर मुख्य आयुक्त या प्रधान आय-कर महानिदेशक नहीं है, मुख्य आय-कर आयुक्त या आय-कर महानिदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष से अधिक व्यपगत हो गए हैं ।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की निर्धारण से रह गई आय कर पहचान विहीन निर्धारण से संबंधित धारा 151क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अधिसूचित स्कीम में जांच संचालित करना या हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करना या धारा 148क (धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व) के अधीन आदेश पारित करना सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की निर्धारण, पुनर्निर्धारण, पुनःसंगणना पूर्ण करने के लिए समय-सीमा से संबंधित धारा 153 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा, उसमें उल्लिखित कतिपय मामलों में निर्धारण, पुनर्निर्धारण और पुनर्संगणना पूर्ण करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का, तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए, संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्धारण वर्ष 2021-2022 और किन्हीं पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए, धारा 143 तथा धारा 144 के अधीन कोई निर्धारण आदेश देने के लिए समय-सीमा उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहले निर्धारणीय थी, विद्यमान इक्कीस मास की अवधि को घटाकर नौ मास करने का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण से संबंधित धारा 153क का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तलाशी या अध्यपेक्षा केवल वहां लागू होगी जहां ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व की जाती है। परिणामस्वरूप धारा 153क और धारा 153ग के अधीन निर्धारण 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् की गई तलाशी या अध्यपेक्षा के संबंध में नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 153ग का संशोधन करने के लिए है, जो किसी अन्य व्यक्ति की तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित आय के निर्धारण के संबंध में है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 132 के अधीन संस्थित तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति के संबंध में 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी, का उपबंध करने के लिए उसमें उपधारा (3) अंतःस्थापित की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की लाभांश से संबंधित धारा 194 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा किसी भारतीय कंपनी द्वारा लाभांश के संदाय पर कर की कटौती का उपबंध करती है, जिसके अंतर्गत भारत में अधिमानी शेरों पर लाभांश सम्मिलित है। उक्त धारा का दूसरा परंतुक उपबंध करता है कि उक्त धारा के उपबंध कतिपय बीमा कंपनियों या बीमाकर्ताओं को प्रत्यय की गई या संदत्त की गई ऐसी आय को लागू नहीं होंगे।

धारा 194 के दूसरे परंतुक का यह और उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी विशेष प्रयोजन एकक द्वारा धारा 2 के खंड (13क) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास या किसी अन्य व्यक्ति को, जो अधिसूचित किया जाए, जमा या संदत्त की गई ऐसी आय पर लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।

विधेयक का **खंड 45** "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि प्रतिभूतियों पर

ब्याज से भिन्न, ब्याज के माध्यम से आय पर कर की कटौती से संबंधित उस धारा की उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

उक्त उपधारा के खंड (x) की परिधि में अवसंरचना ऋण निधि सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अवसंरचना ऋण निधि द्वारा जारी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में आय पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम की कतिपय व्यष्टियों या हिन्दु अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय पर स्रोत पर की कटौती से संबंधित धारा 194झख का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुंब (धारा 194झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) है और जो किसी पूर्व वर्ष के दौरान किसी मास या मास के भाग के लिए किराए द्वारा पचास हजार रुपए से अधिक किसी आय का संदाय किसी निवासी को करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती आय-कर के रूप में करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि ऐसे मामले में, जहां कर की कटौती धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित है, वहां ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी ।

उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 206कख को अंतःस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम में धारा 194त अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में कर की कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि अध्याय 17ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की दशा में, विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 6क के अधीन अनुज्ञेय कटौती और धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय रिबेट को प्रभाव देने के पश्चात्, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की संगणना करेगा और प्रवृत्त

दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आय-कर की कटौती करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 139 के उपबंध, पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की गई है, विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों को लागू नहीं होंगे ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण निम्नलिखित पदों को परिभाषित करने के लिए है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "विनिर्दिष्ट बैंक"से ऐसी बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "विनिर्दिष्ट किया वरिष्ठ नागरिक"से भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,--

(i) जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय पचहत्तर वर्ष या उससे अधिक आयु का है ;

(ii) जिसकी पेंशन की प्रकृति की आय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक में, जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है, रखे गए किसी खाते से प्राप्त या प्राप्य ब्याज की प्रकृति की आय के सिवाय, कोई अन्य आय नहीं है ; और

(iii) जिसने ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट बैंक को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विनिर्दिष्ट की जाए, कोई घोषणा प्रस्तुत की है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194थ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो मालों के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, जो क्रेता है और किसी निवासी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विक्रेता कहा गया है) को किसी पूर्ववर्ष में ऐसे किन्हीं मालों के, जिनका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, क्रय के लिए किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को विक्रेता के खाते में जमा किए जाने के समय या किसी अन्य पद्धति से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पचास लाख रुपए से अधिक की राशि पर उसके 0.1 प्रतिशत के

बराबर की रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (1) का स्पष्टीकरण यह परिभाषित करने के लिए है कि “क्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें किन्हीं मालों का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विक्रय, सकल प्राप्ति या उसके द्वारा किए गए कारबार का आवर्त दस करोड़ रुपए से अधिक है और जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन हेतु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि किसी खाते में जमा की जाती है, चाहे वह खाता ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की खाता बहियों में “उचंत खाता” या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां इस प्रकार जमा की गई आय को पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा की गई आय के रूप में समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रत्येक दिशानिर्देश को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह आय-कर प्राधिकारियों और कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर आबद्ध कर होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि प्रस्तावित धारा के उपबंध ऐसे किसी संव्यवहार को लागू नहीं होंगे,--

(क) जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन कर कटौती योग्य है ; और

(ख) जिसके संबंध में धारा 206ग के उपबंधों के अधीन कर संग्रहणीय है और जो ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न है, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम की, प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की आय से संबंधित धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी आय, जो आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के माध्यम से आय नहीं हैं और जो किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति को संदेय है, के संबंध में बीस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती का उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पाने वाले की दशा में, जिसे धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार लागू होता है और ऐसे पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तब कर की कटौती बीस प्रतिशत की दर से या ऐसी आय के लिए ऐसे करार में उपबंधित आय-कर की दर या दरों पर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम में स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंध किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई राशि या आय या रकम, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की जानी है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति कहा गया है, जिसकी कटौती की गई है) ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, और ऐसा करने में असफल रहने पर कर की निम्नलिखित उच्चतर दरों पर कटौती, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर पर ; या प्रवृत्त दर या दरों पर ; या बीस प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 194त के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, खंड (iii) के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो "बीस

प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रख दिए गए थे ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम में आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध से संबंधित नई धारा 206कख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 192, धारा 192क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ठखग या धारा 194ढ से भिन्न, अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त किसी राशि या आय या रकम या संदेय या जमा की गई किसी राशि के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है, वहां कर की कटौती ऐसी दर पर की जाएगी, जो निम्नलिखित दरों में से उच्चतर है, अर्थात् :- अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर पर ; या प्रवृत्त दर या दरों की दुगुनी दर पर ; या पांच प्रतिशत की दर पर ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त धारा 206कक के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू हैं तो कर की कटौती इस धारा और धारा 206कक में उपबंधित दोनों दरों में से उच्चतर दर पर की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद को परिभाषित करने के लिए है ताकि उससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हो, जिसने उस पूर्व वर्ष से, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और इन दो पूर्व वर्षों में से प्रत्येक में स्रोत पर कटौती किए गए कर और उसकी दशा में स्रोत पर संग्रहित कर का कुल योग पचास हजार रुपए या अधिक है ।

उपधारा (3) का परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

इस धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करने के लिए है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "स्थायी स्थापन" पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्ण

या आंशिक रूप से किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम में आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध से संबंधित नई धारा 206गगक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

प्रस्तावित नई धारा 206गगक की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्याय 27खख के उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति कहा गया है, जिससे कर का संग्रहण किया गया है) द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से प्राप्त किसी राशि या रकम स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, वहां कर का संग्रहण ऐसी दर पर किया जाएगा, जो निम्नलिखित दो दरों में से उच्चतर है, अर्थात् :-- अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर ; या पांच प्रतिशत की दर ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस धारा के उपबंधों के अतिरिक्त, धारा 206गग के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू होते हैं तो कर का संग्रहण इस धारा और धारा 206गग में उपबंधित दोनों दरों में से उच्चतर दर पर किया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3), "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद को परिभाषित करने के लिए है ताकि उससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हो, जिसने उस पूर्व वर्ष से, जिसमें कर का संग्रहण अपेक्षित है, ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों से सुसंगत दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और उसकी दशा में इन दो वर्षों में से प्रत्येक में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर का कुल योग पचास हजार रुपए या उससे अधिक है ।

प्रस्तावित उपधारा (3) का परंतुक, यह उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में ऐसा कोई अनिवासी सम्मिलित नहीं होगा, जिसके पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

इस धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करने के लिए है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "स्थायी स्थापन" पद में कारबार का ऐसा नियत स्थान सम्मिलित है, जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार

पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 53** आय-कर अधिनियम की धारा 234ग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का पहला परंतुक, आय के उन प्रवर्गों के लिए उपबंध करता है जिनके लिए अग्रिम कर संदायों में कमी के परिणामस्वरूप इन आयों का प्राक्कलन करने में असफलता की दशा में उक्त धारा के अधीन ब्याज पर प्रभार नहीं होगा । परंतु शोध्य कर, पश्चातवर्ती अग्रिम कर किस्तों में संदत्त किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (घ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उसमें पूंजी अभिलाभों सहित लाभांश आय को भी सम्मिलित किया जा सके, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन ब्याज वापस हुई आय पर शोध्य कर के संदाय में किसी कमी को वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसी कमी अवप्राक्कलन के कारण या लाभांश का प्राक्कलन करने में हुई असफलता के कारण है ।

उक्त उपधारा में स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे “लाभांश” पद को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 54** आय-कर अधिनियम की आय-कर समझौता आयोग द्वारा मामलों का समझौता से संबंधित अध्याय 19क का संशोधन करने के लिए है ।

परिभाषाएं अंतःस्थापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 245क का संशोधन करने का प्रस्ताव है । ‘अंतरिम बोर्ड’ से धारा 245कक के अधीन गठित समझौते हेतु अंतरिम बोर्ड अभिप्रेत है । ‘अंतरिम बोर्ड’ के सदस्य से अंतरिम बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और ‘लंबित आवेदन’ से ऐसा कोई आवेदन अभिप्रेत है, जिसे धारा 245ग के अधीन फाइल किया गया था और जिसे धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया था और जिसके संबंध में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी आवेदन के संबंध में 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व धारा 245घ की

उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 55** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 245कक को अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे लंबित आवेदनों के समझौते के लिए एक या अधिक अंतरिम बोर्डों के गठन का उपबंध किया जा सके और साथ ही यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक अंतरिम बोर्ड तीन सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से प्रत्येक मुख्य आयुक्त की पंक्ति का कोई अधिकारी होगा । यदि अंतरिम बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी बिन्दु पर राय का मतभेद होता है तो उस बिन्दु के संबंध में विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 56** उक्त अधिनियम की धारा 245ख का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर समझौता आयोग 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् प्रचालन नहीं करेगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 57** उक्त अधिनियम की धारा 245खग का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 58** उक्त अधिनियम की धारा 245खघ का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के विद्यमान उपबंध 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 59** उक्त अधिनियम की धारा 245ग का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् उक्त धारा के अधीन कोई आवेदन

नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 60 उक्त अधिनियम की धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 31 जनवरी, 2021 को या उससे पूर्व उक्त धारा की उपधारा (2ग) के अधीन किसी आवेदन पर पारित करने के लिए कोई आदेश अपेक्षित था और उस तारीख तक पारित नहीं किया गया है, ऐसा आवेदन विधिमान्य समझा जाएगा । उपधारा (8) के पश्चात् उपधारा (9) भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग), उपधारा (2घ), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (4क), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (6ख) में अंतर्विष्ट कोई बात 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी । उपधारा (10) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 फरवरी, 2021 से ही उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (4क), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (6ख) के उपबंध अंतरित बोर्ड को आबंटित लंबित आवेदनों को लागू नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 245ड की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में लिया जाएगा, जिसको आवेदन किया गया था और धारा 245ग के अधीन प्राप्त किया गया था और जहां किसी आदेश को संशोधित करने या उक्त धारा की उपधारा (6ख) के अनुसार आवेदन में सुधार करना फाइल करने के लिए समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् समाप्त हो जाती है । परिसीमा की अवधि से 1 फरवरी, 2021 को आरंभ होने वाली और उस मास के अंत में, जिसमें अंतरिम बोर्ड का गठन किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा । यद्यपि, ऐसे मामलों में, जहां शेष अवधि साठ दिन से कम है, उसको साठ दिन से विस्तारित किया गया समझा जाएगा । उक्त धारा में उपधारा (10) को भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (6क) और उपधारा (7) इस प्रकार प्रभावी होंगी मानो “समझौता आयोग” शब्दों के स्थान पर “समझौता आयोग या समझौते हेतु अंतरिम बोर्ड” शब्द रख दिए गए हों ।

उक्त धारा में उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13) को भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे अन्य बातों के साथ,

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के निपटान का उपबंध किया जा सके। उपधारा (12) यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंतरिम बोर्ड द्वारा लंबित आवेदनों के संबंध में समझौते के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम बना सकेगी, जिससे बृहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही का अंतरिम बोर्ड और निर्धारिती के बीच अंतरापृष्ठ का कार्यवाहियों के अनुक्रम में प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य परिमाण तक उन्मूलन किया जा सके और बृहतर अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से तथा कृत्यशील विशेषज्ञता के माध्यम से और गतिशील अधिकारिता वाले तंत्र को लाकर उन्मूलन किया जा सके। उपधारा (13) यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार उपधारा (12) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अंगीकरणों के साथ लागू होंगे जैसे कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। तथापि, 31 मार्च, 2023 के पश्चात् कोई निदेश नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपधारा (12) और उपधारा (13) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक के खंड 61, खंड 62, खंड 63 और खंड 64 उक्त अधिनियम की धारा 245घघ, धारा 245च, धारा 245छ और धारा 245ज का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन समझौता आयोग की शक्तियों और कृत्यों का उपयोग या निष्पादन 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् अंतरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उक्त धाराओं के सभी उपबंध यथाआवश्यक उपांतरणों सहित अंतरिम बोर्ड को ऐसे लागू होंगे जैसा वे समझौता आयोग को लागू होते हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 65 आय-कर अधिनियम में नई धारा 245ड का अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे निर्धारिती को आवेदन वापस लेने के विकल्प का उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी लंबित आवेदन के संबंध में ऐसे निर्धारिती, जिसने ऐसा आवेदन फाइल किया था, के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसे आवेदन को वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वापस ले सकेगा

और वह इस प्रकार आवेदन वापस लिए जाने की संसूचना विहित रीति में निर्धारण अधिकारी को देगा। तथापि, यदि निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर उक्त धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसा लंबित आवेदन अंतरिम बोर्ड द्वारा उस तारीख से प्राप्त कर लिया गया है, जिसको ऐसा आवेदन उपधारा (3) के अधीन अंतरिम बोर्ड को आबंटित या अंतरित किया जाता है। बोर्ड, आदेश द्वारा किसी लंबित आवेदन को किसी अंतरिम बोर्ड को आबंटित कर सकेगा और साथ ही आदेश द्वारा किसी लंबित आवेदन को एक अंतरिम बोर्ड के दूसरे अंतरिम बोर्ड को अंतरित कर सकेगा। किसी लंबित आवेदन के किसी अंतरिम बोर्ड को ऐसे आबंटन या अंतरण पर समझौता आयोग के पास विद्यमान सभी अभिलेखों, दस्तावेजों या साक्ष्यों, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, को ऐसे अंतरिम बोर्ड को अंतरित किया जाएगा और उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष विद्यमान अभिलेखों के रूप में समझा जाएगा।

उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती उपधारा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करते हुए किसी आवेदन को वापस लेता है वहां ऐसे आवेदन के संबंध में कार्यवाहियों का उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन वापस लिया जाता है, उपशमन हो जाएगा और, यथास्थिति, ऐसा निर्धारण अधिकारी या कोई अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन किए जाने के समय कार्यवाहियां लंबित थी, उस मामले का निपटारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में धारा 149, धारा 153, धारा 153ख, धारा 154 और धारा 155 के अधीन समय-सीमा के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए इस उपधारा के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण करते समय धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग को आवेदन करने की तारीख से ही आरंभ होने वाली और इस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि आय-कर प्राधिकारी, समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम में की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। पूर्ववर्ती शर्त इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री और अन्य जानकारी

या उसके द्वारा की गई जांच के परिणामों या लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के संबंध में इस बात पर ध्यान न देते हुए लागू नहीं होगी कि क्या ऐसी सामग्री या अन्य जानकारी या जांच के परिणाम या साक्ष्य को निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा समझौता आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया था ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम, 1961 में धारा 245डक को अंतर्विष्ट करते हुए एक नया अध्याय 19कक को अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय मामलों में विवाद समाधान समिति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के मामले में विवाद समाधान के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार एक या अधिक विवाद समाधान समिति, जो आवश्यक हो, गठित करेगी से संबंधित है जो उसके मामले में किसी विनिर्दिष्ट आदेश में किसी ऐसे फेरफार से उत्पन्न होने वाले विवाद के संबंध में और जो विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है, इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के लिए ऐसा विकल्प दे सके ।

उक्त धारा की उपधारा (2) विवाद समाधान समिति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय किसी शास्ति को कम करने या अधित्यजित करने या ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके विवाद का इस अध्याय के अधीन समाधान होता है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी, का उपबंध करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के अधीन विवाद समाधान के प्रयोजनों के लिए, कोई स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित के द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक विवाद समाधान कार्रवाईयों के अनुक्रम में विवाद समाधान समिति और निर्धारिती के बीच अंतरापृष्ठ को समाप्त करना, पैमाने की मितव्ययिता और कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से संसाधनों का ईष्टतम उपयोग, गत्यात्मक अधिकारिता वाले विवाद समाधान तंत्र का शुभारंभ का उपबंध करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों का उपबंध करने से संबंधित है, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू नहीं होगा या लागू होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, परंतु 31 मार्च, 2023 के पश्चात्, ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

धारा 245डक की उपधारा (5), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना का उपबंध करने से संबंधित है, जो जारी किए जाने के यथासंभव शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

धारा 245डक का स्पष्टीकरण यह उपबंध करने से संबंधित है कि किसी व्यक्ति के संबंध में "विनिर्दिष्ट शर्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों के पूरा करता है, जहां वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध का कोई आदेश दिया गया है, ऐसे अभियोजन के संबंध में जिसे भारतीय दंड संहिता, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन किसी दंडनीय अपराध को संस्थित किया गया है और वह उन अधिनियमों में से किन्हीं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया है; ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अभियोजन आरंभ किया गया है या ऐसा व्यक्ति किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध किया गया है; जो विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध का विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित है; ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं । "विनिर्दिष्ट आदेश" से ऐसा आदेश अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्ररूप आदेश सम्मिलित है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, और, प्रस्तावित फेरफार की कुल राशि या उसे ऐसे क्रम में किया जाएगा जो दस लाख रुपए से अधिक न हो; ऐसा आदेश धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी पर या निर्धारिती की दशा में धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा या कोई अन्य व्यक्ति या

धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण या धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त सूचना पर आधारित है; जहां ऐसे आदेश के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी फाइल की गई है, ऐसी विवरणी के आधार पर कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक न हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 67 परिभाषाएं से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ का संशोधन करने के लिए है ।

ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उक्त धारा के उपखंड (ख), उपखंड (ग) और उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा ।

उक्त धारा के खंड (ग) के संशोधन का और प्रस्ताव है, जिससे "अग्रिम विनिर्णय बोर्ड" शब्द अंतःस्थापित किए जा सकें । उक्त धारा में खंड (गक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव भी है, जिससे अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को परिभाषित करने का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 68 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ण का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा (1) में परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन गठित प्राधिकरण ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवर्तन में नहीं रहेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 69 अग्रिम विनिर्णय बोर्ड से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245णख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय देने के लिए ऐसा एक या अधिक अग्रिम विनिर्णय बोर्ड गठित कर सकेगी, जो आवश्यक हों । अग्रिम विनिर्णय बोर्ड दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसका प्रत्येक सदस्य मुख्य आयुक्त की पंक्ति के अधिकारी का होगा, जिसे बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 70 रिक्तियों, आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245त का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचित तारीख से ही इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 71 अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245थ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे “या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5क के अधीन” सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन या केंद्रीय उत्पाद--शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय 3क के अधीन, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, भाग का लोप किया जा सके ।

उपधारा (4) के अंतःस्थापन का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आवेदन इस धारा के अधीन अधिसूचित तारीख से पहले किया गया था, किंतु जिसके संबंध में धारा 245द की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या धारा 245द की उपधारा (4) के अधीन अग्रिम विनिर्णय, ऐसी तारीख से पहले सुना दिया गया है, वहां प्राधिकरण के पास सभी सुसंगत अभिलेखों, दस्तावेजों या सामग्री, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के साथ ऐसा आवेदन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को अंतरित कर दिया जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए उसके समक्ष अभिलेखों के रूप में समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 72 आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245द का संशोधन करने के लिए है ।

उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उपबंध किया जा सके कि ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर, “अग्रिम विनिर्णय बोर्ड” शब्द रखे गए हों और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अग्रिम

विनिर्णय बोर्ड को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे प्राधिकरण को लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार अध्याय 19ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा अग्रिम विनिर्णय देने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे अग्रिम विनिर्णय बोर्ड और कार्यवाहियों के अनुक्रम में आवेदक के बीच अंतरापृष्ठ को प्रौद्योगिकी रूप से साध्य सीमा तक समाप्त करके, पैमाने की किफायती तथा कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से स्रोतों के उपयोग को श्रेष्ठतावाद का रूप देकर ; गत्यात्मक अधिकारिता वाली प्रणाली को आरंभ करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुपूर्णों सहित लागू नहीं होंगे या लागू होंगे, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। तथापि, 31 मार्च, 2023 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जारी प्रत्येक अधिसूचना के जारी किए जाने के यथासंभवशीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 73 अग्रिम विनिर्णय का लागू होना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245ध का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में उपधारा (3) को अंतःस्थापित करके संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, धारा 245द के अधीन सुनाए गए किसी अग्रिम विनिर्णय को लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 74 कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245न का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय के प्रति उपधारा (1) में प्रतिनिर्देश का "उसके द्वारा" शब्दों का लोप करके लोप किया जाएगा। यह उक्त धारा की उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का भी उपबंध करने के लिए कि ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उस धारा के उपबंध इसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय

बोर्ड" शब्द रखे गए हों ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 75 प्राधिकरण की शक्तियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245प का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपधारा (3) के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी तारीख से ही, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, को या उसके पश्चात्, इस धारा के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित अग्रिम विनिर्णय बोर्ड को वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे प्राधिकरण को लागू होते हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 76 प्राधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 245फ का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में परंतुक के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 77 अपील से संबंधित आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 245ब का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

एक नई धारा 245ब को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आवेदक, यदि वह अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए या पारित किसी विनिर्णय से व्यथित है या प्रधान आयुक्त या आयुक्त पर, निर्धारण अधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विनिर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आदेश दे सकेगा । तथापि, जहां उच्च न्यायालय का इस निमित्त आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को इस उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा रोका गया था तो वह ऐसी अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की अतिरिक्त अवधि अनुज्ञात कर सकेगा । केंद्रीय सरकार, निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय को अपील करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे मितव्ययी पैमाने, कार्यात्मक विशेषीकरण के माध्यम से स्रोतों का ईष्टतम उपयोग

करके, टीम आधारित तंत्र, गत्यात्मक अधिकारिता आरंभ करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके। केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों तथा अनुकूलनों के साथ लागू नहीं होंगे या लागू होंगे, जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तथापि, 31 मार्च, 2023 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम की अपील अधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित धारा 255 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा में उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (9) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे, अन्य बातों के साथ, उस धारा के अधीन अपीलों के निपटारे के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 79 आय-कर अधिनियम की धारा 281ख का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में राजस्व के संरक्षण के लिए अनन्तिम कुर्की से संबंधित है।

उक्त धारा राजस्व के हितों के संरक्षण के लिए निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के लंबित रहने की दशा में, निर्धारण अधिकारी द्वारा, इसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन से, निर्धारिती की किसी संपत्ति की अनन्तिम कुर्की के लिए उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती की संपत्ति की ऐसी अनन्तिम कुर्की आय-कर की धारा 271ककघ के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए जहां उक्त धारा के अधीन अधिरोपित की जाने वाली संभाव्य शास्ति की रकम या कुल रकम दो करोड़ रुपए से अधिक है कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान भी की जा सकेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

विधेयक का खंड 80 नया खंड (7ख) अंतःस्थापित करके सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे “सामान्य पोर्टल” को परिभाषित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 81 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में संशोधन करने के लिए है, जिससे “अध्याय 15 और धारा 108” शब्द और अंकों को आयुक्त (अपील) की शक्तियों को उपदर्शित करने के लिए “अध्याय 15, धारा 108 और धारा 110 की उपधारा (1घ)” शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षर से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 82 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जाने वाली छूट जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट या उसमें फेरफार या उसे विखंडित न कर दिया जाए, ऐसी अनुदत्त किए जाने या फेरफार की तारीख से दो वर्ष के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक की अवधि के लिए वैध होगी ।

इसमें एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, प्रवृत्त ऐसी किसी छूट के संबंध में दो वर्ष की उक्त अवधि की गणना 1 फरवरी, 2021 से की जाएगी ।

विधेयक का खंड 83 सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 28ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे इस अधिनियम के अधीन कतिपय कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 84 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे अग्रिम में प्रवेश पत्र को आज्ञापक रूप से फाइल किया जाना सुनिश्चित किया सके अर्थात् प्रवहन के आगमन के दिन से पूर्व (जिसमें अवकाश भी हैं) । यह इसमें एक परंतुक और अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड को ऐसे मामलों में, जो वह ठीक समझे, तीव्र निकासी सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न समय-सीमाओं का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 85 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110 का संशोधन करने के लिए और एक नई उपधारा (1घ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जब उपधारा (1) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा किसी भी रूप में स्वर्ण का अभिग्रहण किया जाता है तब वह आयुक्त (अपील), जिसके पास अधिकारिता है, को उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट आवेदन करेगा, जो यथाशीघ्र आवेदन को अनुज्ञात करेगा और

तत्पश्चात् समुचित अधिकारी ऐसे माल का ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार अवधारित करे, निपटान करेगा ।

विधेयक का खंड 86 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 113 में एक नया खंड (जक) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जिससे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में सदोष दावा करने के लिए किसी शुल्क या कर या उदग्रहण के प्रतिप्रेषण या प्रतिदाय के दावे के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट कोई माल अधिहरण का दायी होगा ।

विधेयक का खंड 87 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 114कग अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कि प्रतिदाय के दावे के अधीन निर्यात के लिए प्रविष्ट माल पर कोई शुल्क या कर चुकाने के लिए इनपुट कर प्रत्यय के कपटपूर्ण उपयोग के लिए शास्ति का उपबंध किया जा सके और ऐसी शास्ति दावा किए गए प्रतिदाय के पांच गुणा के समतुल्य होगी ।

विधेयक का खंड 88 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 139 के स्पष्टीकरण में पारिणामिक संशोधन करने के लिए भी है, जिससे माल सूचियों, फोटोग्राफ और सूचियों, जिनको उपधारा (1घ) के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा प्रमाणित किया गया है, को ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य मूल्य प्रदान करने के लिए उस धारा के अर्थातर्गत दस्तावेजों में सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 89 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 149 में दूसरा और तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करके उसका संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दस्तावेजों को सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित किया जा सके और सामान्य पोर्टल पर आयातक या निर्यातक को कतिपय संशोधन करने के लिए भी समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 90 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1) में खंड (गक) अंतःस्थापित करके उसका संशोधन करने के लिए है जिससे सामान्य पोर्टल पर उक्त अधिनियम के अधीन आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को उपलब्ध कराकर उनकी तामील की जा सके ।

विधेयक का खंड 91 सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 154ग को अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण, प्रवेश पत्र के फाइल किए जाने, पोत परिवहन बिलों, अन्य दस्तावेजों और अन्य प्ररूपों, शुल्क का संदाय को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सामान्य सीमाशुल्क इलेक्ट्रॉनिक नामक सामान्य पोर्टल को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का खंड 92 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है जिससे कि तदधीन दोनों शर्तों को पारस्परिक रूप से अनन्य बनाया जा सके और 'विशेष आर्थिक जोन' पद को उसी रीति में परिभाषित किया जा सके, जैसा उसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) में परिभाषित किया गया है ।

विधेयक का खंड 93 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रतिप्रवंचना के लिए प्रतिशुल्क के भूतलक्षी उदग्रहण हेतु उपबंध किया जा सके । यह उक्त में एक नई उपधारा (1ख) को अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे प्रतिशुल्क में प्रति-अवशोषण उपायों के लिए उपबंध किया जा सके । इस धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे उसे सुरक्षापायों से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके । यह इसकी उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे पुनर्विलोकन के पश्चात्, पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिशुल्क के अतिरिक्त अधिरोपण के लिए उपबंध किया जा सके । यह उसमें तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे यह उपबंध किय जा सके कि यदि प्रतिपाटन शुल्क स्थायी रूप से प्रतिसंहत कर लिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 94 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1क) का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्रतिप्रवंचना के लिए प्रतिपाटन शुल्क के भूतलक्षी उदग्रहण हेतु उपबंध किया जा सके । यह उक्त में एक नई उपधारा (1ख) को अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे प्रतिपाटन शुल्क में प्रति-अवशोषण उपायों के लिए उपबंध किया जा सके । इस धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे उसे सुरक्षापायों से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (6) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके । यह इसकी उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए भी है जिससे पुनर्विलोकन के पश्चात्, पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क के अतिरिक्त अधिरोपण के लिए उपबंध किया जा सके । यह उसमें तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे यह उपबंध किय जा सके कि यदि प्रतिपाटन शुल्क स्थायी रूप से प्रतिसंहत कर लिया जाता है तो ऐसे प्रतिसंहरण की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 95 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कि,--

(i) **दूसरी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट रीति में कतिपय टैरिफ मदों की बाबत टैरिफ दरों को 2 फरवरी, 2021 से पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ii) कतिपय टैरिफ प्रविष्टियों को **तीसरी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट रीति में 1 अप्रैल, 2021 से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में प्रविष्टियों के अनुरूप बनाया जा सके ।

(iii) कतिपय प्रविष्टियों को सुमेलित नाम पद्धति प्रणाली के अनुरूप बनाया जा सके और 1 जनवरी, 2022 से **चौथी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट रीति में कतिपय प्रविष्टियों की बाबत नई टैरिफ पक्तियां सृजित की जा सके ।

उत्पाद-शुल्क

विधेयक का खंड 96 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त खंड का उपखंड (i) इसके अध्याय 27 के शीर्ष 2709 के अधीन आने वाले शीर्ष, टैरिफ मदों और प्रविष्टियों का **पांचवी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट रीति में 1 अप्रैल, 2021 से पुनरीक्षित करने के लिए है ;

उक्त खंड का उपखंड (ii), अनुभाग 4 के अनुभाग शीर्ष और उसके अध्याय 24 की कतिपय प्रविष्टियों का संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से **छठी अनुसूची** में विनिर्दिष्ट रीति में करने के लिए है ;

विधेयक का खंड 97 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय प्रविष्टियों में त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी, 2020 से ठीक किया जा सके ।

विधेयक का खंड 98 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में किए गए संशोधनों के प्रभाव की तारीख को उसकी धारा 3ग के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.978(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2019 द्वारा पुनरीक्षित करने के लिए है जिससे उक्त संशोधनों को 1 जनवरी, 2020 से ही प्रभावी किया जा सके ।

केंद्रीय माल और सेवाकर

विधेयक का खंड 99 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 7 का, उसकी उपधारा (1) में एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करके 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने के लिए है, जिससे किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफलों के लिए माल या सेवाओं को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों या संव्यवहारों पर कर उद्ग्रहण को सुनिश्चित किया जा सके ।

इसमें एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि व्यक्ति या इसके सदस्य या घटकों को दो पृथक व्यक्तियों से रूप में समझा जाएगा और परस्पर क्रियाकलापों या संव्यवहारों का प्रदाय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक करने के लिए समझा जाएगा ।

विधेयक का खंड 100 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 16 का, उसकी उपधारा (2) में एक नया खंड (कक) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बीजकों या नामे नोटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा केवल उस समय लिया जा सकेगा, जब ऐसे बीजकों या नामे नोटों के ब्यौरों को पूर्तिकार द्वारा बहिर्गामी पूर्तियों के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे ऐसे बीजक या नामे नोट के प्रासिकर्ता को संसूचित कर दिए गए हैं ।

विधेयक का खंड 101 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) का लोप करने के लिए है जिससे कि वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा कराने और विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत सुमेलन विवरण की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 102 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि विनिर्दिष्ट वृत्तिक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित सुमेलन विवरण को प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा को समाप्त किया जा सके और स्वप्रमाणन के आधार पर वार्षिक विवरणी फाइल करने का उपबंध किया जा सके । खंड आयुक्त को वार्षिक विवरणी फाइल करने की अपेक्षा से करदाताओं के वर्ग को छूट प्रदान करने के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 103 उपधारा (1) के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जिससे भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2017 से शुद्ध नकद दायित्व पर ब्याज प्रभारित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 104 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 74 का संशोधन करने के लिए है जिससे प्रवहण के अभिग्रहण और उनकी जब्ती को कर की वसूली से पृथक् कार्यवाही बनाई सके ।

विधेयक का खंड 105 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 75 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट करने के लिए उपधारा (12) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके कि “स्वनिर्धारित कर” के अंतर्गत धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए ऐसी बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरों की बाबत संदेय कर सम्मिलित होगा किंतु इसके अंतर्गत धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में यह सम्मिलित नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 106 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनंतिम कुर्की अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ से आरंभ होने वाली संपूर्ण अवधि से तद्दीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक विधिमान्य बनी रहेगी ।

विधेयक का खंड 107 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक कि पच्चीस प्रतिशत शास्ति के बराबर राशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो ।

विधेयक का खंड 108 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण के निरुद्ध किए जाने, अभिग्रहण और निर्मुक्त किए जाने से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाहियों को माल या प्रवहणों की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित धारा 130 के अधीन कार्यवाहियों से असंबद्ध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 109 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 130 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अभिवहन में माल और प्रवहण के निरुद्ध किए जाने, अभिग्रहण और उनकी निमुक्ति से संबंधित धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों से माल या प्रवहण की जब्ती और शास्ति के उद्ग्रहण से संबंधित उस धारा के अधीन कार्यवाहियों को असंबद्ध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 110 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 151 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को इस अधिनियम के संबंध में कार्रवाई करने के लिए किन्हीं विषयों से संबंधित किसी व्यक्ति से सूचना मांगने के लिए सशक्त किया जा सके ।

विधेयक का खंड 111 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 150 और धारा 151 के अधीन अभिप्राप्त की गई सूचना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी ।

विधेयक का खंड 112 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है जिससे अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को धारा 151 के अधीन सूचना मांगने की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु

समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 113 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 7 का, 1 जुलाई, 2017 से धारा 7 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप लोप करने के लिए है ।

एकीकृत माल और सेवाकर

विधेयक का खंड 114 अधिनियम, 2017 की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है, जिससे करदाताओं के विनिर्दिष्ट वर्ग को भी या माल या सेवाओं की विनिर्दिष्ट पूर्तियों को ही एकीकृत माल और सेवाकर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति को निर्बंधित करने के लिए उपबंध किए जा सकें । खंड प्रतिदाय सहित माल के निर्यात की दशा में विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेश को संबद्ध करने के लिए और उपबंध करता है और केवल तब जब ऐसी पूर्तियां प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए हैं, विशेष आर्थिक जोन को की गई पूर्तियों की शून्य दर को भी निर्बंधित करने के लिए है ।

कृषि असवसंरचना और विकास उपकर

विधेयक का खंड 115 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल, जो भारत में आयातित माल है, पर कृषि असवसंरचना और विकास उपकर के संघ के प्रयोजनों के लिए कृषि असवसंरचना और अन्य विकास व्यय के सुधार के वित्तपोषण के लिए उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर से अनधिक दर पर उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 116, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क्य माल पर कृषि असवसंरचना और विकास उपकर को संघ के प्रयोजनों के लिए कृषि असवसंरचना और अन्य विकास व्यय के सुधार के वित्तपोषण के लिए उक्त अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए है ।

प्रकीर्ण

विधेयक का खंड 117 भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 में एक नई धारा 8छ के अंतःस्थापन के लिए है, जो यह उपबंध करती है कि किसी सरकारी कंपनी का सामरिक विक्रय, विनिवेश आदि उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क का दायी नहीं होगा ।

विधेयक का खंड 118 भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 में एक नई उपधारा (3) के अंतःस्थापन के लिए है, जो भारत की आकस्मिकता निधि में वृद्धि करने से संबंधित है, जिससे विद्यमान पांच सौ करोड़ रुपए की समग्र निधि को भारत की संचित निधि से भारत की आकस्मिकता निधि में उन्तीस हजार पांच सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त

रकम के अंतरण द्वारा वृद्धि करके तीस हजार करोड़ रुपए किया जा सके ।

यह संशोधन उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वित्त विधेयक, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ।

विधेयक का खंड 119 से 137 जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “जीवन बीमा निगम अधिनियम” कहा गया है) के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिसमें नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके और “सदस्य” पद की परिभाषा का संशोधन करने के लिए “लेखापरीक्षा समिति”, “प्राधिकरण”, “निदेशक बोर्ड”, “बोर्ड”, “अध्यक्ष”, “कंपनी अधिनियम” “न्यायालय”, “निदेशक”, “वित्तीय विवरण”, “पूर्णतया तनुकृत आधार”, “स्वतंत्र निदेशक”, “प्रबंध निदेशक”, “नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति”, “अधिसूचना” और “विशेष संकल्प” पदों को परिभाषित किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि वे पद, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम या बीमा अधिनियम, 1938 में नहीं परिभाषित हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनका कंपनी अधिनियम, 2013 में है । ये संशोधन प्रस्तावित जीवन बीमा निगम अधिनियम में अन्य संशोधनों के परिणामिक है ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 4 को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् “जीवन बीमा निगम” कहा गया है) के साधारण अधीक्षण तथा कार्यकलापों और कारबार के निदेशन को इसके निदेशक बोर्ड में निहित करने, उसकी संरचना, बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति या नामनिर्देशन का उपबंध किया जा सके और इस धारा के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व जीवन बीमा निगम का गठन करने वाले सदस्यों को तथा विधेयक के तुरंत पूर्व प्रतिस्थापित धारा 4 के अधीन निदेशक समझने के लिए है जिससे निगम शासन से संबंधित उपबंधों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुरूप लाया जा सके और जिसके द्वारा जीवन बीमा निगम को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने के लिए और प्रारंभिक लोक प्रस्तावना करने के लिए समर्थ बनाया जा सके जिसके माध्यम से सरकार जीवन बीमा निगम में अपने शेयरों का विक्रय कर सकेगी ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 4क, धारा 4ख, धारा 4ग और धारा 4घ अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे निदेशक की निरर्हता, निदेशक और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा हित का प्रकटन, संबद्ध पक्षकार

संव्यवहारों और जीवन बीमा निगम अधिनियम के अधीन शास्त्र के लिए अतिलंघन या उल्लंघन के लिए दायी होने पर शास्त्रियों के अधिनिर्णयन का सूचीकरण, अपेक्षाओं का निगम शासन से संबंधित उपबंधों के अनुरूप लाने के लिए उपबंध किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 5 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे भारतीय जीवन बीमा निगम की पूंजी, इस धारा के प्रवृत्त होने से पूर्व जीवन बीमा निगम को केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंधित समादत्त साम्या पूंजी के लिए प्रतिफल स्वरूप केंद्रीय सरकार को साम्या शेयर के निर्गम जीवन बीमा निगम के शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोजन, शेयर पूंजी में कमी, जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा पालिसी धारकों के पक्ष में प्रतिस्पर्धी आधार पर आरक्षण करना, जिनको पब्लिक को प्रस्तावित कीमत से निम्नतर कीमत पर शेयरों का प्रस्ताव किया जा सकेगा, संप्रवर्तक के न्यूनतम अंशदान की संगणना करने के लिए प्रारंभिक पब्लिक प्रस्तावना से पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा धारित जीवन बीमा निगम के सभी पूर्णतया संदत्त साम्या शेयरों की पात्रता तथा ऐसी संगणना के लिए किसी अपात्रता के होते हुए भी प्रारंभिक लोक प्रस्ताव के माध्यम से विक्रय के लिए प्रस्तावित केंद्रीय सरकार द्वारा अर्जित जीवन बीमा निगम के पूर्णतया समादत्त शेयर या किसी विधि के अधीन न्यूनतम धृति अवधि की शर्त और कारबार अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधियां इकट्ठा करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य प्रतिभूतियां जारी करना । ये संशोधन केंद्रीय सरकार को जीवन बीमा निगम में विनिधान की गई समादत्त पूंजी के बदले शेयर निर्गम करने में समर्थ बनाने के साथ केंद्रीय सरकार को बोनस शेयरों का निर्गम करने में समर्थ बनाएगा, जो प्रारंभिक लोक प्रस्तावना के माध्यम से विक्रय के लिए भारत की संचित निधि में परिणामी प्राप्ति के लिए प्रस्तावित किए जा सकते हैं ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 5क, धारा 5ख, धारा 5ग, धारा 5घ, धारा 5ङ और धारा 5च अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे शेयरों की अंतरणीयता, मतदान अधिकार, सदस्यों के रजिस्ट्रीकरण, शेयरों में लाभकर हित के संबंध में घोषणा, जीवन बीमा निगम के शेयरों को प्रतिभूतियां समझा जाना और रजिस्ट्रीकृत शेयर धारकों के शेयर अंतरण शेयर धारकों के अधिकारों से संबंधित उपबंधों को, जिसके अंतर्गत शेयर धारकों की बैठक में मतदान करना, प्रतिभूतियों में फायदाप्रद हितों का प्रकटन और प्रतिभूतियों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और सूचीकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में धारा 19 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे बोर्ड की कार्यपालक समिति के गठन, संरचना और शक्तियों का उपबंध किया जा सके, जिससे निगम शासन से संबंधित उपबंधों

को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में धारा 19क, धारा 19ख, धारा 19ग और धारा 19घ अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन, संरचना और शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का उपबंध किया जा सके, जिससे निगम शासन से संबंधित उपबंधों को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 20 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की शक्तियों और कर्तव्यों का उपबंध किया जा सके जिससे निगम शासन से संबंधित उपबंधों को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे जीवन बीमा निगम के प्रत्येक जोन में बोर्ड के गठन के लिए उपधारा (2) के अधीन विद्यमान उपबंध का लोप किया जा सके और जीवन बीमा निगम के "सदस्य" के लिए विद्यमान उपबंध (जो प्रस्तावित संशोधन के अधीन किसी निदेशक से पत्राचार करता है), प्रतिस्थापित धारा 4 के अधीन जीवन बीमा निगम बोर्ड के प्रस्तावित गठन के परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम के जोनल प्रबंधक से पत्राचार करेगा और नई धारा 4क के खंड (1) के अधीन निदेशक की निर्हरता के उपबंध का संशोधन किया सके है ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 23क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे जीवन बीमा निगम के रजिस्ट्रीकृत शेयर धारकों की वार्षिक साधारण बैठक और अन्य साधारण बैठकों का उपबंध किया जा सके, जिससे जीवन बीमा निगम के शेयर धारकों से संबंधित उपबंधों को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे जीवन बीमा निगम को निधियों की बहुलता, आरक्षितियों की स्थापना और जीवन बीमा निगम के भाग लेने वाले और गैर भाग लेने वाले पालिसी धारकों के लिए पृथक् निधियों के लिए उपबंध किया जा सके और जो कि प्रस्तावित धारा 28, धारा 28ख और धारा 28ग से आनुषंगिक हैं ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 24क, धारा 24ख, धारा 24ग और धारा 24घ अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे क्रमशः लेखा बहियों, वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट और पूर्वोक्त उपबंधों का अनुपालन करने के कर्तव्य के भारसाधक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन की शास्तियों का उपबंध करने के लिए है, जिससे जीवन बीमा निगम के लेखांकन और

वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रणालियों, नियंत्रण प्रणालियों की सत्यनिष्ठा से संबंधित उपबंधों और विधि का अनुपालन करने के लिए और सुसंगत मानकों को सूचीकरण की अपेक्षाओं के अनुरूप लाया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 25 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो लेखापरीक्षकों की नियुक्ति का उपबंध करता है, जिससे जीवन बीमा निगम के लेखापरीक्षा, लेखांकन मानकों और सूचीकरण अपेक्षाओं को विधि और सुसंगत मानकों का अनुपालन करने के लिए सत्यनिष्ठा से संबंधित उपबंध किए जा सकें ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 25क, धारा 25ख, धारा 25ग और धारा 25घ अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे क्रमशः लेखापरीक्षक को हटाने और उसको त्यागपत्र, लेखापरीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, आंतरिक लेखापरीक्षक और विशेष लेखापरीक्षक का उपबंध किया जा सके, जिससे जीवन बीमा निगम के लेखापरीक्षा, लेखांकन मानकों और सूचीकरण अपेक्षाओं को विधि और सुसंगत मानकों का अनुपालन करने के लिए सत्यनिष्ठा से संबंधित उपबंध किए जा सकें ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे निगम के प्रति निर्देश को विद्यमान धारा 4 के अधीन निगम के गठन के स्थान पर प्रस्तावित संशोधित धारा 4 के अधीन जीवन बीमा निगम के बोर्ड के गठन के प्रति निर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे वार्षिक रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष में जीवन बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यकलापों के प्रति निर्देश का लोप किया जा सके जिससे वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित उपबंधों को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे रजिस्ट्रीकृत शेयर धारकों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आधिक्य में गैर भाग लेने वाले पालिसी धारकों से संबंधित आधिक्य के शत प्रतिशत के अतिरिक्त भाग लेने वाले पालिसी धारकों से संबंधित दस प्रतिशत आधिक्य को धारा 28 के विद्यमान उपबंधों के अधीन कुल आधिक्य के अधिकतम दस प्रतिशत के स्थान पर आबंटित किया जा सके या आरक्षित किया जा सके, जो ऐसे बड़े हुए आबंटन या आरक्षण के मद्दे भारत की संचित निधि में प्राप्य धन में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है ।

धारा 28क का संशोधन करने का और जीवन बीमा निगम अधिनियम में धारा 28ख और धारा 28ग अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव

है जिससे क्रमशः लाभांश और असंदत लाभांश के संबंध में उपबंध किया जा सके जिससे लाभांश से संबंधित उपबंधों को सूचीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके और जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न व्यक्तियों को साम्य शेयर पूंजी का निर्गमन करने के लिए प्रस्तावित नई धारा 5 के अधीन उपबंध किया जा सके ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जो उपबंध करती है कि बोर्ड और उसकी समितियों के गठन या निदेशकों की नियुक्ति या नामनिर्देशन में त्रुटियों के कारण बोर्ड और उसकी समितियों के कृत्य या कार्यवाहियां, जो इस विधेयक के अधीन प्रस्तावित जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 4, धारा 19, धारा 19क, धारा 19ख, धारा 19ग और धारा 19घ के प्रस्तावित सृजन से अनुषंगी विषय है, को अविधिमान्य नहीं करेंगी ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 47 का प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे प्रस्तावित धारा 4 के अधीन स्वतंत्र, निर्वाचित और पूर्णकालिक निदेशकों के अन्य प्रवर्गों के लिए उपबंधों के परिणामस्वरूप पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न किसी निदेशक द्वारा गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध करता है ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पारिणामिक या विधेयक में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप नियम बनाने के लिए उपबंध करता है ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे विभिन्न विषयों के संबंध में जीवन बीमा निगम बोर्ड द्वारा विनियम बनाने के लिए उपबंध किया जा सके जो इस भाग में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के आनुषंगिक या पारिणामिक है ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम में नई धारा 50 और धारा 51 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे जीवन बीमा निगम को उपांतरणों के लिए कंपनियों द्वारा प्ररूप, रीति आदि का उपबंध किया जा सके, जिससे केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाइयों को जो इस भाग में प्रस्तावित विभिन्न अन्य संशोधनों से अनुषंगिक विषय है, उपबंध किया जा सके ।

विधेयक के खंड 138 से 140 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के उपबंधों का संशोधन करने के लिए हैं ।

“सामूहिक विनिधान इकाई” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है । ऋण प्रतिभूतियां और ऐसी अन्य विपणीय प्रतिभूतियां और साथ ही

सामूहिक विनिधान इकाईयों द्वारा जारी यूनिटें, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन यथा परिभाषित “प्रतिभूतियां” हैं, को स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त अधिनियम में एक नई धारा 30ख अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि कोई सामूहिक विनिधान इकाई, चाहे उसे एक न्यास के रूप में या अन्यथा गठित किया गया हो, उधार लेने और ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए पात्र होगी और ऐसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा किए गए सुविधा दस्तावेजों के निबंधनानुसार उधार देने वाले व्यक्ति को प्रतिभूति हित उपलब्ध कराने की अनुमति होगी । यह और उपबंध करता है कि किसी व्यतिक्रम की दशा में, उधार देने वाले व्यक्ति, न्यासी आस्तियों के विरुद्ध सामूहिक विनिधान इकाई के निमित्त न्यासी क्रियाकलापों के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करके व्यतिक्रम की रकम की वसूली करेंगे । जो भी उधार देने वाले व्यक्तियों के संदाय के पश्चात् शेष रह जाती हैं, यूनिट धारकों को वापस कर दी जाएंगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 141 केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) को उसके खंड (घ) के प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन करने के लिए है जिससे संसूचना नेटवर्क या खनन या विद्युत या शक्ति के किसी अन्य प्ररूप के जनन या वितरण में प्रयुक्त माल को उसमें से अपवर्जित किया जा सके ।

विधेयक के खंड 142 से 147 बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

अधिनियम की धारा 2 का खंड (1) “न्यायनिर्णायक प्राधिकरण” पद की परिभाषा के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “के अधीन नियुक्त” शब्दों के स्थान पर, “निर्दिष्ट” शब्द रखा जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 7 केंद्रीय सरकार को उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक या अधिक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियुक्त करने के लिए सशक्त करती है । उक्त धारा 7 को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित सक्षम प्राधिकरण बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा अधिकारिता, शक्तियों और प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा का उपबंध किया जा सके ।

उक्त अधिनियम की धारा 8 से धारा 17 का पारिणामिक लोप करने

का भी प्रस्ताव है ।

उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (7) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसके अधीन आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का 1जुलाई, 2021 से प्रारंभ होकर 29 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर अवसान हो जाता है, ऐसा आदेश पारित करने के लिए समय-सीमा का विस्तार 30 सितंबर, 2021 तक हो जाएगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) का पारिणामिक लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 148 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है, जो स्टॉक दलालों, उप-दलालों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं, आदि के विनियमन से संबंधित है ।

उक्त उपधारा में एक नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 खंड(13) क) में यथापरिभाषित कोई वैकल्पिक विनिधान निधि या कारबार न्यास ,भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने पर ही स्थापित या प्रचालित होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 149 परिभाषाओं से संबंधित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (छ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि “ऋण” की परिभाषा में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1 956की धारा 2 के (घक) में यथापरिभाषित पूलित विनिधान इकाई द्वारा उपगत ऋण भी सम्मिलित होगा ।

यह संशोधन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में नई धारा 30ख के अंतःस्थापन के पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 150 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का 1 अप्रैल, 2022 से संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 151 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के उपबंधों का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (च) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियम में “उधार लेने वाले” पद की परिभाषा में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30ख के परिणामस्वरूप कोई सामूहिक विनिधान इकाई भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूत लेनदार की परिभाषा को भी विस्तारित किया जा रहा है, जिससे किसी कंपनी द्वारा डिबेंचर न्यासी नियुक्त करने की परिसीमा को हटाकर किसी सामूहिक विनिधान इकाई द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासी को भी सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा।

विधेयक के खंड 152 और 153 औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 का संशोधन करने के लिए हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के पहले परंतुक के अधीन विद्यमान उपबंध में यह उपबंधित है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और यह प्रस्ताव है कि यह उपबंध वित्त अधिनियम, 2021 के भाग ... के लागू होने के तुरंत पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह जाएगा और ऐसे प्रारंभ से बैंक के बारे में यह समझा जाएगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है, जो उक्त बैंक लिमिटेड में सरकार के विनिधान के विनिवेश के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को प्राप्ति प्राप्त होगी।

ये संशोधन ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

विधेयक का खंड 154 और 155 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 97 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम का अध्याय 7 प्रतिभूति संव्यवहार कर का उपबंध करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 97 के खंड (13) के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार” की परिभाषा के अधीन, 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् ऐसी बीमा कंपनी

द्वारा जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण साम्योन्मुखी निधि की यूनिट का विक्रय या उसका वापस किया जाना या उसका मोचन सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा में खंड (13क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे “यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी” पद को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 156 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 98 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 98 की सारणी में, क्रम संख्यांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् ऐसी बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के संबंध में किसी बीमा कंपनी को, परिपक्वता पर या आंशिक निकासी पर साधारण साम्योन्मुखी निधि की यूनिट के विक्रय या उसके वापस किए जाने या उसके मोचन के लिए दर के लिए उपबंध किया जा सके ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक के खंड 157 और 158 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 100 और धारा 101 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 100 और धारा 101 का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे बीमा कंपनी को उनकी परिधि में सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 फरवरी, 2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का खंड 159 वित्त अधिनियम, 2016 की समकरण उदग्रहण से संबंधित धारा 163, धारा 164, धारा 165क और धारा 191 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 163 की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल और ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में ऐसे प्रतिफल को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित करार और आय-कर अधिनियम के अधीन भारत में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में कराधेय है ।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम की धारा 164 के खंड (गख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जो “माल का आनलाइन विक्रय” और “सेवाओं की आनलाइन व्यवस्था” पदों को इस रूप में परिभाषित करने के लिए है कि उनमें निम्नलिखित क्रियाकलापों में से एक या अधिक सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- (क) विक्रय के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति ;
- (ख) क्रय आदेश देना ;
- (ग) क्रय आदेश की स्वीकृति ;
- (घ) प्रतिफल का संदाय ; या
- (ङ) आंशिक या पूर्ण रूप से माल की पूर्ति या सेवाओं की व्यवस्था ।

उक्त अधिनियम की धारा 165क की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ई-वाणिज्य पूर्ति या सेवाओं से प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(i) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या ई-वाणिज्य प्रचालक माल का स्वामी है अथवा नहीं, माल के विक्रय के लिए प्रतिफल ;

(ii) इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या सेवा की व्यवस्था किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा की गई है या उसके द्वारा सुकर बनाई गई है, सेवाओं की व्यवस्था के लिए प्रतिफल ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे ।

वित्त अधिनियम, 2016 की जो घोषणा में विनिर्दिष्ट आस्तियों से संबंधित धनकर से छूट है से संबंधित धारा 191 के संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि कर, अधिभार या शास्ति की आधिक्य रकम, जिसको आय-कर घोषणा स्कीम, 2016 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किया गया है, प्रतिदेय नहीं होगी । उक्त धारा का परंतुक उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस प्रकार संदत्त आधिक्य रकम का प्रतिदाय किया जाएगा ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्वोक्त वर्णित स्कीम के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कर, अधिभार या शास्ति की आधिक्य रकम विनिर्दिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को किसी ब्याज का संदाय किए बिना प्रतिदेय होगी ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 160 प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम की परिभाषाओं से संबंधित धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त उपधारा का खंड (क) अपीलार्थी की परिभाषा का उपबंध करता है । शंकाओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके अपीलार्थी की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है और यह स्पष्ट करने के लिए है कि 'अपीलार्थी' पद में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है और सम्मिलित हुआ नहीं समझा जाएगा जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा अथवा दोनों के द्वारा अपील मंच के समक्ष कोई रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है और आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन आय-कर समझौता आयोग के किसी आदेश से उद्भूत होने वाली ऐसी याचिका लंबित है और याचिका या अपील या तो लंबित है या उसका निपटान कर दिया गया है ।

उक्त उपधारा का खंड (ज) विवादित कर की परिभाषा का उपबंध करता है । शंकाओं को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके विवादित कर की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है और यह स्पष्ट करने के लिए है कि किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में 'विवादित कर' पद में आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क के अधीन आय-कर समझौता आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में या तो कर, शास्ति अथवा ब्याज के माध्यम से संदेय कोई राशि सम्मिलित नहीं होती और सम्मिलित हुई नहीं समझी जाएगी।

ये संशोधन 17 मार्च, 2020 से भूतलक्षी रूप में प्रभावी होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने तथा बोर्ड को उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करते हैं ।

विधेयक का खंड 3 परिभाषाओं से संबंधित आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

“निर्विलयन” पद को परिभाषित करने तथा एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए उक्त धारा के खंड (19क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे केंद्रीय सरकार को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनियों को शासित करने वाली शर्तों को अधिसूचित करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

विधेयक का खंड 5 कुल आय में सम्मिलित न होने वाली आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (5) में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्राप्त यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य के बदले में छूट का दावा करने के लिए शर्तों (जिसके अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपगत होने वाले व्यय की रकम की शर्त भी सम्मिलित है) का उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए है ।

उक्त धारा के खंड (11) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार को उक्त खंड के अधीन छूट का दावा करने के लिए किसी अन्य भविष्य निधि के संबंध में राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

उक्त धारा के खंड (12) को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को, किसी व्यक्ति के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज के माध्यम से उद्धृत आय की संगणना की रीति, जहां तक वह आय, उस व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उस निधि में किसी पूर्ववर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक के अभिदाय की रकम या रकमों के कुल योग से संबंधित हैं, का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

उक्त धारा के खंड (23चड) में परंतुक अंतःस्थापित करके उसका संशोधन करने का भी प्रस्ताव है और, अन्य बातों के साथ, जो बोर्ड को उक्त खंड के अधीन आय की छूट का दावा करने के लिए एक या अधिक विभिन्न कंपनियों

या उपक्रमों या अस्तित्वों में किए गए विनिधान की संगणना की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 14 पूंजी अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में उपखंड (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को, यूनिट सहबद्ध बीमा पालिसी, जिसके अंतर्गत पूंजी अभिलाभ के शीर्ष के अधीन भारित किया जाने वाला बोनस भी है, से प्राप्त लाभों या अभिलाभों की संगणना की रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 18 अवक्षयी आस्तियों के मामले में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उस दशा में, जहां किसी कारबार या वृत्ति की आस्ति समूह का भाग बनती है और अधिनियम के अधीन निर्धारित द्वारा उस पर अवक्षयण अभिप्रास किया गया है, वहां उस आस्ति संबंधी और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 28 नई धारा 89क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी अधिसूचित देश में बनाए रखे गए सेवानिवृत्ति फायदा खाते से आय पर कराधान से राहत से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विनिर्दिष्ट खाते से आय पर ऐसी विहित रीति में और ऐसे वर्ष के लिए कर लगाने के लिए नियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 31 कतिपय कंपनी द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 115अख का संशोधन करने के लिए है ।

उसमें उपधारा (2घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को कंपनी के कर के संदाय के प्रयोजनों के लिए पिछले वर्ष की लाभ बही की पुनः गणना करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है, यदि अग्रिम कीमत करार या द्वितीय समायोजन के कारण लाभ बही में सम्मिलित पिछले वर्ष की आय के कारण पूर्व वर्ष में लाभ बही में कोई वृद्धि होती है ।

विधेयक का खंड 44 लाभांश से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे केंद्रीय सरकार को किसी विशेष प्रयोजन यान कारबार न्यास को प्रत्यय या संदत्त की

गई आय के लिए छूट का दावा करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 84 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के लिए विनियमों द्वारा भिन्न-भिन्न समय-सीमाओं का उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु उसमें एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 93 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित उपधारा (1ख) केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है जिससे नियमों द्वारा ऐसी परिस्थितियों का उपबंध किया जा सके जिनमें प्रतिशुल्क का अवशोषण हुआ है ।

विधेयक का खंड 94 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है । प्रस्तावित उपधारा (1ख) केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है जिससे नियमों द्वारा ऐसी परिस्थितियों का उपबंध किया जा सके जिनमें प्रतिपाटन शुल्क का अवशोषण हुआ है ।

विधेयक का खंड 102 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसे समय का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा सके जिसके भीतर और वह प्ररूप और रीति, जिसमें इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 51 या धारा 52 के अधीन संदाय करने वाला व्यक्ति, कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

विधेयक का खंड 106 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 83 को उसकी उपधारा (1) का प्रतिस्थापन करके संशोधित करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसी रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है जिसमें आयुक्त, जिसके अंतर्गत धारा 122 की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 108 केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 129 का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (6) केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसी रीति और समय का उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु है जिसमें और जिसके भीतर उस धारा के अधीन निरुद्ध या अभिगृहीत माल या प्रवहण को विक्रीत किया जाएगा या निपटान किया जाएगा ।

विधेयक का खंड 114 एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (3) केंद्रीय

सरकार को नियमों द्वारा ऐसी शर्तों, जिनके अधीन रहते हुए और ऐसे सुरक्षापायों और प्रक्रियाओं, जिनके संबंध में जीरो दर पर पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करेगा, का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु है। इसका परंतुक केंद्रीय सरकार को नियमों द्वारा ऐसी रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करने हेतु है जिसमें माल का शून्य दर पर पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त किए गए प्रतिदाय को जमा करेगा।

2. वे विषय, जिनके संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश विधेयक के उपबंधों के अनुसार जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं
को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

(श्रीमती निर्मला सीतारमण,
वित्त मंत्री)